रजिस्ट्री सं० डी०-221 REGISTERED NO. D.-221

भारत का राजपत्र

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31122022-241549
CG-DL-E-31122022-241549
xxxGIDHxxx
xxxGIDExxx

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग 2 — अनुभाग 1क
PART II — Section 1A
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 1] नई दिल्ली, बुधवार, 23 मार्च, 2022/2 चैत्र, 1943-44(शक) [खंड LVIII
No. 1] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 23, 2022/CHAITRA 2, 1943-44 (SAKA) [VOL. LVIII

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2022/2 चैत्र, 1943-44 (शक)

दि मोटर व्हिकल्स (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2019; (2) दि कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऐक्ट, 2019; (3) दि नेशनल कैपिटल टैरिटेरी ऑफ दिल्ली (रिकोगनेशन ऑफ प्रोपर्टी राइट्स ऑफ रेजिडेनट्स इन अनअथोराइज्ड कॉलोनीज) ऐक्ट, 2019; (4) दि सेंट्रल संस्कृत युनिवर्सिटीज ऐक्ट, 2020; (5) दि इंस्टिट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद ऐक्ट, 2020; (6) दि राष्ट्रीय रक्षा युनिवर्सिटी ऐक्ट, 2020; (7) दि टैक्सैशन एंड अदर लॉज (रिलेक्सैशन एंड अमेंडमेंट ऑफ सरटेन प्रोविजन्स) ऐक्ट, 2020 और (8) दि बैंकिंग रेग्यूलेशन (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2020 के निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित किए जाते हैं और ये राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन उनके हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझे जाएंगे:—

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

New Delhi, March 23, 2022/Chaitra 2, 1943-44 (Saka)

The translation in Hindi of the following, namely:—The Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019; (2) The Consumer Protection Act, 2019; (3) The National Capital Territory of Delhi (Recognition of Property Rights of Residents in Unauthorised Colonies) Act, 2019; (4) The Central Sanskrit Universities Act, 2020; (5) The Institute of Teaching and Research in Ayurveda Act, 2020; (6) The Rashtriya Raksha University Act, 2020; (7) The Taxation and Other Laws (Relaxation and Amendment of Certain Provisions) Act, 2020 and (8) The Banking Regulation (Amendment) Act, 2020 are hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative texts thereof in Hindi under clause (*a*) of sub-section (*1*) of section 5 of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963):—

पृष्ठ

मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 32) 03
The Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 35) 49
The Consumer Protection (Amendment) Act, 2019

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र (अप्राधिकृत कॉलोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 45) 89
The National Capital Territory of Delhi (Recognition of Property Rights of Residents in Unauthorised Colonies) Act, 2019

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम संख्यांक 5) 93
The Central Sanskrit Universities Act, 2020

आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम संख्यांक 16) 129
The Institute of Teaching and Research in Ayurveda Act, 2020

राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम संख्यांक 31) 139
The Rashtriya Raksha University Act, 2020

कराधान और अन्य विधि (कतिपय उपबंधों का शिथिलीकरण और संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम संख्यांक 38) 155
The Taxation and Other Laws (Relaxation and Amendment of Certain Provisions) Act, 2020

बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम संख्यांक 39) 197
The Banking Regulation (Amendment) Act, 2020

मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019

(2019 का अधिनियम संख्यांक 32)

[9 अगस्त, 2019]

मोटर यान अधिनियम, 1988
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी तथा ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रतिनिर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध में प्रवृत्त होने के प्रतिनिर्देश है।

1988 का 59

धारा 2 का संशोधन।

2. मोटर यान अधिनियम, 1988 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,—

(i) खंड (1) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:—

'(1) ''रूपांतरित यान'' से कोई ऐसा मोटर यान अभिप्रेत है, जिसे या तो विशेष रूप से डिजाइन और विनिर्मित किया गया है या जिसमें किसी शारीरिक विकार या नि:शक्तता से पीड़ित

व्यक्ति के उपयोग के लिए धारा 52 की उपधारा (2) के अधीन परिवर्तन किए गए हैं और उसका ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसके लिए एकमात्र रूप से उपयोग किया जाता है;

(1क) ''समूहक'' से कोई डिजिटल मध्यवर्ती या किसी यात्री के लिए परिवहन के प्रयोजन के लिए चालक से संयोजित करने के लिए कोई बाजार स्थान अभिप्रेत है;

(1ख) इस अधिनियम के किसी उपबंध के संबंध में ''क्षेत्र'' से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जैसा राज्य सरकार, उस उपबंध की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे;';

(ii) खंड (4) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(4क) ''समुदाय सेवा'' से कोई असंदत्त कार्य अभिप्रेत है जिसका किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी अपराध के लिए दंड के रूप में किया जाना अपेक्षित है;';

(iii) खंड (9) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(9क) ''चालक पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम'' से धारा 19 की उपधारा (2क) में निर्दिष्ट पाठ्यक्रम अभिप्रेत है;';

(iv) खंड (12) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(12क) ''स्वर्णिम घंटा'' से अभिघात, क्षति के पश्चात् एक घंटे तक चलने वाली ऐसी कालावधि अभिप्रेत है जिसके दौरान तुरंत चिकित्सा देख-रेख प्रदान करके मृत्यु को निवारित करने की अधिकतम संभावना है;';

(v) खंड (18) का लोप किया जाएगा;

(vi) खंड (24) में, ''अशक्त यात्री गाड़ी'' शब्दों के स्थान पर, ''रूपांतरित यान'' शब्द रखे जाएंगे;

(vii) खंड (26) में, ''अशक्त यात्री गाड़ी'' शब्दों के स्थान पर, ''रूपांतरित यान'' शब्द रखे जाएंगे;

(viii) खंड (38) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(38क) ''स्कीम'' से इस अधिनियम के अधीन विरचित स्कीम अभिप्रेत है;';

(ix) खंड (42) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(42क) ''परीक्षण अभिकरण'' से धारा 110ख के अधीन परीक्षण अभिकरण के रूप में नामनिर्दिष्ट निकाय अभिप्रेत है;';

(x) खंड (49) में, ''टिका हुआ है'' शब्दों के पश्चात्, ''या गतिमान होता है'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

नई धारा 2ख का अंत:स्थापन। नवपरिवर्तन का संवर्धन।

3. मूल अधिनियम की धारा 2क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''2ख. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं, यानीय इंजीनियरी, यांत्रिक रूप से नोदित यानों और साधारणतया परिवहन के क्षेत्रों में नवपरिवर्तन, अनुसंधान तथा विकास का संवर्धन करने के लिए यांत्रिक रूप से नोदित कतिपय किस्म के यानों को इस अधिनियम के उपबंधों के लागू होने से छूट प्रदान कर सकेगी।''।

धारा 8 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 8 में,—

(i) उपधारा (1) में ''उस अनुज्ञापन प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा, जिसकी अधिकारिता ऐसे क्षेत्र पर है'' शब्दों के स्थान पर, ''राज्य में किसी भी अनुज्ञापन प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (2) में, ''तथा ऐसी फीस होगी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए'' शब्दों के स्थान पर, ''ऐसी फीस सहित और ऐसी रीति में, जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिकी साधन भी हैं, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं'' शब्द रखे जाएंगे;

¼iii) उपधारा (3) में,—

(क) ''प्रत्येक आवेदन'' शब्दों के स्थान पर, ''परिवहन यान चलाने के लिए प्रत्येक आवेदन'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) परंतुक का लोप किया जाएगा;

(iv) उपधारा (4) में, ''अशक्त यात्री गाड़ी'' शब्दों के स्थान पर, ''अनुकूलित यान'' शब्द रखे जाएंगे;

(v) उपधारा (5) में, ''अनुज्ञापन प्राधिकारी के समाधानप्रद रूप में ऐसे परीक्षण में उत्तीर्ण नहीं हो जाता है, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए'' शब्दों के स्थान पर, ''ऐसी शर्तों को पूरा नहीं करता है, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं'' शब्द रखे जाएंगे;

(vi) उपधारा (6) में परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु यह और कि अनुज्ञापन प्राधिकारी शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति इलैक्ट्रानिकी रूप में और ऐसी रीति में जारी कर सकेगा जैसी केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए:

परंतु यह भी कि अनुज्ञापन प्राधिकारी, अनुज्ञप्ति जारी करने से पूर्व ऐसी रीति में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, आवेदक की पहचान को सत्यापित कर सकेगा।''।

धारा 9 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 9 में,—

(i) उपधारा (1) में, ''उस अनुज्ञापन प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा, जिसकी अधिकारिता ऐसे क्षेत्र पर है'' शब्दों के स्थान पर, ''राज्य में किसी अनुज्ञापन प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (3) में, दूसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु यह और कि किसी अनुकूलित यान को चलाने के लिए किसी आवेदक को चालन अनुज्ञप्ति जारी की जा सकेगी यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि वह ऐसे मोटर यान को चलाने के लिए उपयुक्त है।'';

(iii) उपधारा (4) में, ''ऐसी न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं और'' शब्दों का लोप किया जाएगा;

(iv) उपधारा (5) के परंतुक में, ''अर्हित नहीं होगा'' शब्दों के पश्चात्, ''और ऐसे आवेदक से धारा 12 के अधीन किसी स्कूल या स्थापन से उपचारात्मक चालक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करने की अपेक्षा होगी'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

धारा 10 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) के खंड (ग) में, ''अशक्त यात्री गाड़ी'' शब्दों के स्थान पर, ''अनुकूलित यान'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 11 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 11 में,—

(i) उपधारा (1) में ''उस अनुज्ञापन प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा, जिसकी अधिकारिता ऐसे क्षेत्र पर है'' शब्दों के स्थान पर, ''राज्य में किसी अनुज्ञापन प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (2) में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु अनुज्ञापन प्राधिकारी, अनुज्ञप्ति जारी करने से पूर्व, ऐसी रीति में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, आवेदक की पहचान को सत्यापित कर सकेगा।''।

धारा 12 का संशोधन।

8. मूल अधिनियम की धारा 12 में उपधारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

''(5) किसी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी स्कूल या स्थापन को तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित निकाय द्वारा प्रत्यायन प्रदान किया गया है, कोई व्यक्ति, जिसने ऐसे स्कूल या स्थापन में सफलतापूर्वक कोई प्रशिक्षण माड्यूल पूरा कर लिया है, जिसके अंतर्गत कोई विशिष्ट किस्म का मोटर यान भी आता है, वहां वह ऐसी किस्म के मोटर यान के लिए चालन अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने के लिए पात्र होगा।

(6) उपधारा (5) में निर्दिष्ट प्रशिक्षण माड्यूल और धारा 9 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट उपचारी चालक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम वह होगा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए और केंद्रीय सरकार ऐसे स्कूलों या स्थापनों के विनियमन के लिए नियम बना सकेगी।''।

धारा 14 का संशोधन।

9. मूल अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (क) में,—

(अ) ''तीन वर्ष'' शब्दों के स्थान पर, ''पांच वर्ष'' शब्द रखे जाएंगे;

(आ) परंतुक में, ''एक वर्ष'' शब्दों से प्रारंभ होने वाले और ''प्रभावी रहेगी और'' शब्दों से समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, ''तीन वर्ष और उसका नवीकरण ऐसी शर्तों के अध्यधीन होगा जैसा केंद्रीय सरकार विहित करे; और'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(ख) किसी अन्य अनुज्ञप्ति की दशा में ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो केंद्रीय सरकार विहित करे, यदि अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने वाले व्यक्ति ने या तो मूल रूप में या उसके नवीकरण पर,—

(i) उसके जारी करने या उसके नवीकरण की तारीख को, तीस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है तो वह उस तारीख तक प्रभावी होगा जिस तक ऐसा व्यक्ति चालीस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है; या

(ii) उसके जारी करने या उसके नवीकरण की तारीख को तीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है किंतु पचास वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है तो वह ऐसे जारी करने या नवीकरण करने की तारीख से दस वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा; या

(iii) उसके जारी करने की या उसके नवीकरण की तारीख को पचास वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है किंतु पचपन वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है तो वह ऐसे जारी करने या नवीकरण करने की तारीख से उस तारीख तक प्रभावी होगा जिसको वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है; या

(iv) उसने, यथास्थिति, जारी करने पर या उसके नवीकरण की तारीख को पचपन वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है तो वह ऐसे जारी करने या नवीकरण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा।'';

(iii) परंतुक का लोप किया जाएगा।

धारा 15 का संशोधन।

10. मूल अधिनियम की धारा 15 में,—

(i) उपधारा (1) के पहले परंतुक में ''तीस दिन के पश्चात्'' शब्दों के स्थान पर, ''उसकी समाप्ति की तारीख से या तो एक वर्ष पूर्व या एक वर्ष के भीतर'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (3) में, ''तीस दिन'' शब्दों के स्थान पर, ''एक वर्ष'' शब्द रखे जाएंगे;

(iii) उपधारा (4) में,—

(क) ''तीस दिन'' शब्दों के स्थान पर, ''एक वर्ष' शब्द रखे जाएंगे; और

(ख) दूसरे परंतुक में, ''चालन अनुज्ञप्ति के प्रभावहीन होने से पांच वर्ष से अधिक के पश्चात् आवेदन किया गया है तो अनुज्ञापन प्राधिकारी चालन अनुज्ञप्ति को नवीकृत करने से इंकार कर सकेगा'' शब्दों के स्थान पर, ''चालन अनुज्ञप्ति के प्रभावहीन होने से एक वर्ष के पश्चात् आवेदन किया गया है तो अनुज्ञापन प्राधिकारी चालन अनुज्ञप्ति को नवीकृत करने से इंकार करेगा'' शब्द रखे जाएंगे।

11. मूल अधिनियम की धारा 19 में,— धारा 19 का संशोधन।

(i) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(1क) जहां धारा 206 की उपधारा (4) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी को कोई अनुज्ञप्ति अग्रेषित की गई है, वहां यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी का चालन अनुज्ञप्ति के धारक को सुने जाने का अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यदि समाधान हो जाता है तो वह या तो चालन अनुज्ञप्ति के धारक को निर्मुक्त कर सकेगा या विस्तृत कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं ऐसे व्यक्ति को अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट सभी यानों या यानों के किसी वर्ग या वर्णन के लिए कोई अनुज्ञप्ति धारण करने या अभिप्राप्त करने से निरर्हित करने का,—

(क) पहले अपराध के लिए तीन मास की अवधि के लिए निरर्हित करने का आदेश करेगा;

(ख) दूसरे या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए ऐसे व्यक्ति की चालन अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण करने का आदेश करेगा:

परंतु जहां इस धारा के अधीन किसी चालन अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण कर लिया गया है वहां ऐसी चालन अनुज्ञप्ति के धारक के नाम को पब्लिक डोमेन में ऐसी रीति में रखा जा सकेगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए।'';

(ii) उपधारा (2) में,—

(क) ''उपधारा (1)'' शब्द, कोष्ठक और अंक के पश्चात् ''या उपधारा (1क)'' शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ख) परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात:—

''परंतु चालन अनुज्ञप्ति को धारक को निरर्हता की अवधि की समाप्ति पर केवल तभी लौटाया जाएगा जब वह सफलतापूर्वक चालक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम को पूरा करता है।'';

(iii) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

''(2क) ऐसा अनुज्ञप्तिधारक, जिसकी अनुज्ञप्ति को निलंबित कर दिया गया है वह धारा 12 के अधीन अनुज्ञप्त और विनियमित स्कूल या स्थापन से या किसी अन्य अभिकरण से, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, चालक पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करेगा।

(2ख) चालक पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की प्रकृति, पाठ्य विवरण और अवधि वह होगी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए।'';

(iv) ''उपधारा (3)'' में शब्द, कोष्ठक और अंक के पश्चात् ''या उपधारा (1क)'' शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे।

नई धारा 25क का अंत:स्थापन।

12. मूल अधिनियम की धारा 25 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

चालन अनुज्ञप्तियों का राष्ट्रीय रजिस्टर।

''25क. (1) केंद्रीय सरकार चालन अनुज्ञप्तियों का एक राष्ट्रीय रजिस्टर ऐसे प्ररूप और रीति में रखेगी जो विहित किया जाए।

(2)चालन अनुज्ञप्तियों के सभी राज्य रजिस्टरों को चालन अनुज्ञप्तियों के राष्ट्रीय रजिस्टर के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तारीख तक सम्मिलित कर लिया जाएगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन जारी या नवीकृत कोई चालन अनुज्ञप्ति तब तक विधिमान्य नहीं होगी जब तक उसे चालन अनुज्ञप्तियों के राष्ट्रीय रजिस्टर के अधीन एक विशिष्ट चालन अनुज्ञप्ति संख्या जारी नहीं कर दी गई हो।

(4) इस अधिनियम के अधीन सभी राज्य सरकारें और अनुज्ञप्ति प्राधिकारी सभी सूचना, जिसके अंतर्गत चालन अनुज्ञप्तियों के राज्य रजिस्टर में अंतर्विष्ट डाटा भी है, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में पारेषित करेंगे जैसा केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए।

(5) राज्य सरकार राष्ट्रीय रजिस्टर तक पहुंच रखने के लिए हकदार होगी और अपने अभिलेखों को ऐसी रीति में अद्यतन करेगी जैसा राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए।''।

धारा 26 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

13. मूल अधिनियम की धारा 26 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

राज्य चालन-अनुज्ञप्ति रजिस्टरों का रखा जाना।

''26.प्रत्येक राज्य सरकार ऐसे प्ररूप में, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, राज्य सरकार के अनुज्ञप्ति प्राधिकारियों द्वारा जारी और नवीकृत चालन-अनुज्ञप्तियों के संबंध में राज्य चालन-अनुज्ञप्ति के नाम से ज्ञात रजिस्टर रखेगी, जिसमें निम्नलिखित अंतर्विष्ट होंगी, जिसके अंतर्गत—

(क) चालन-अनुज्ञप्ति धारकों के नाम और पते;

(ख) अनुज्ञप्ति संख्या;

(ग) अनुज्ञप्ति जारी करने या नवीकरण करने की तारीख;

(घ) अनुज्ञप्ति के अवसान की तारीख;

(ङ) चलाए जाने के लिए प्राधिकृत यानों के वर्ग और किस्म; और

(च) ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो केंद्रीय सरकार विहित करे।''।

धारा 27 का संशोधन।

14. मूल अधिनियम की धारा 27 में,—

(i) खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

''(घक) वह प्ररूप और रीति, जिसमें अनुज्ञापन प्राधिकारी धारा 8 की उपधारा (6) के अधीन शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति जारी कर सकेगा;

(घख) वह रीति, जिसमें कोई अनुज्ञापन प्राधिकारी धारा 8 की उपधारा (6) के तीसरे परंतुक के अधीन आवेदक की पहचान का सत्यापन कर सकेगा;'';

(ii) खंड (ञ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

''(ञक) प्रशिक्षण माड्यूलों की पाठ्यचर्या और धारा 12 की उपधारा (6) के अधीन स्कूलों और स्थापनों का विनियमन;

(ञख) खतरनाक या परिसंकटमय प्रकृति के मालों के वहन करने वाले परिवहन यानों और धारा 14 की उपधारा (2) के खंड (क) और खंड (ख) के अधीन अन्य मोटर यानों को चलाने की अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए शर्तें;

(ञग) वह रीति, जिसमें कोई अनुज्ञापन प्राधिकारी धारा 11 की उपधारा (2) के तीसरे परंतुक के अधीन आवेदक की पहचान का सत्यापन कर सकेगा;'';

(iii) खंड (ढ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''(ढक) धारा 19 की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट अनुज्ञप्तिधारक के नाम को पब्लिक डोमेन में रखने की रीति;

(ढख) धारा 19 की उपधारा (2ख) में यथानिर्दिष्ट चालक पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की प्रकृति, पाठ्य विवरण और अवधि के लिए उपबंध करना;'';

(iv) खंड (ण) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''(णक) धारा 25क में निर्दिष्ट सभी या कोई विषय;'';

(v) खंड (त) में, ''उपधारा (1)'' शब्द, कोष्ठक और अंक का लोप किया जाएगा।

15. मूल अधिनियम की धारा 28 में, उपधारा (2) के खंड (ञ)का लोप किया जाएगा। धारा 28 का संशोधन।

16. मूल अधिनियम की धारा 40 में, ''रजिस्ट्रीकर्ता'' शब्दों के स्थान पर, ''राज्य में कोई रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी'' शब्द रखे जाएंगे। धारा 40 का संशोधन।

17. मूल अधिनियम की धारा 41 में,— धारा 41 का संशोधन।

(i) उपधारा (1) में, परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु यह और कि नए मोटर यान की दशा में राज्य में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन ऐसे मोटर यान के डीलर द्वारा किया जाएगा, यदि नए मोटर यान को उसी राज्य में रजिस्ट्रीकृत किया जा रहा है जिसमें डीलर अवस्थित है।'';

(ii) उपधारा (3) में,—

(क)''उस मोटर यान के, जिसे उसने रजिस्टर किया हो, स्वामी को एक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र'' शब्दों के स्थान पर, ''स्वामी के नाम से एक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र'' शब्द रखे जाएंगे;

(iii) उपधारा (6) में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थपित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु नए मोटर यान की दशा में, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण का आवेदन उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के अधीन किया गया है , ऐसे मोटर यान का उसके स्वामी को तब तक परिदान नहीं किया जाएगा जब तक ऐसा रजिस्ट्रीकरण चिह्न मोटर यान पर ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, प्रदर्शित नहीं कर दिया जाता है।'';

(iv) उपधारा (7) में,—

(क)''परिवहन यान से भिन्न'' शब्दों का लोप किया जाएगा; और

(ख)''ऐसे प्रमाणपत्र के दिए जाने की तारीख से '' शब्दों के पश्चात् ''या ऐसी अवधि के लिए, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(v) उपधारा (8) में, ''परिवहन यान से भिन्न'' शब्दों का लोप किया जाएगा;

(vi) उपधारा (10) में,—

(क) ''पांच वर्ष की अवधि के लिए'' शब्दों के स्थान पर, ''ऐसी अवधि, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु केंद्रीय सरकार, विभिन्न किस्म के यानों के लिए नवीकरण की भिन्न-भिन्न अवधि विहित कर सकेगी।'';

(vii) उपधारा (11), उपधारा (12) और उपधारा (13)का लोप किया जाएगा।

धारा 43 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

18. मूल अधिनियम की धारा 43 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

अस्थायी रजिस्ट्रीकरण।

''43. धारा 40 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी मोटर यान का स्वामी किसी रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी जैसा राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए, को मोटर यान को अस्थायी रूप से रजिस्टर करने के लिए आवेदन कर सकेगा और प्राधिकारी रजिस्ट्रीकरण का अस्थायी प्रमाणपत्र और अस्थायी रजिस्ट्रीकरण चिह्न ऐसे नियमों के अनुसार, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए जाएं, जारी करेगा:

परंतु राज्य सरकार ऐसे किसी मोटर यान को, जो अस्थायी रूप से राज्य के भीतर चलता है, रजिस्टर कर सकेगी और ऐसी रीति में, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, एक मास की अवधि के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र और रजिस्ट्रीकरण चिह्न जारी कर सकेगी।''।

धारा 44 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

19. मूल अधिनियम की धारा 44 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

रजिस्ट्रीकरण के समय यान का प्रस्तुत किया जाना।

''43. (1) उन निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, किसी प्राधिकृत डीलर द्वारा विक्रय किए गए मोटर यान को पहली बार रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजनों के लिए रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के समक्ष उसे प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(2) उन निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, कोई व्यक्ति, जिनके नाम में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी किया गया है, से रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के समक्ष रजिस्ट्रीकृत या अंतरित यान को प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।''।

धारा 49 का संशोधन।

20. मूल अधिनियम की धारा 49 में,—

(i) उपधारा (1) में, ''यदि नया पता किसी अन्य रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी की अधिकारिता के भीतर है, तो उस अन्य रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को देगा'' शब्दों के स्थान पर, ''यदि नया पता किसी अन्य राज्य में रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी की अधिकारिता के भीतर है, तो उस अन्य रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को देगा'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(1क) उपधारा (1) के अधीन संसूचना इत्तिला रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को ऐसे दस्तावेजों के इलैक्ट्रानिकी प्ररूप के साथ इलैक्ट्रानिक प्ररूप में, जिसके अंतर्गत ऐसी रीति में अधिप्रमाणन का सबूत भी है, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, भेजी जा सकेगी।'';

(iii) उपधारा (2) में, ''एक सौ रुपए'' शब्दों के स्थान पर, ''पांच सौ रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 52 का संशोधन।

21. मूल अधिनियम की धारा 52 में,—

(i) उपधारा (1) में, दूसरे परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु यह और कि केन्द्रीय सरकार मोटर यानों में परिवर्तन के लिए विनिर्देश, अनुमोदन, पुन: संयोजन के लिए शर्तें तथा अन्य संबद्ध विषय विहित कर सकेगी और ऐसे मामलों में, विनिर्माता द्वारा दी गई वारंटी को ऐसे परिवर्तन या पुन: संयोजन के प्रयोजनों के लिए शून्य नहीं समझा जाएगा।'';

(ii) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(1क) किसी मोटर यान का विनिर्माता केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी निदेश पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसे मानकों और विनिर्देशों के अनुसार सुरक्षा उपस्कर या किसी अन्य उपस्कर में परिवर्तन या पुन: संयोजन करेगा।''।

(iii) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के पश्चात्‌वर्ती अनुमोदन से उसके स्वामित्वाधीन किसी यान में परिवर्तन कर सकेगा या उसे किसी रूपांतरित यान में बदलवा सकेगा:

परंतु ऐसा परिवर्तन ऐसी शर्तों का अनुपालन करेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए।'';

(iv) उपधारा (3) में, ''या उपधारा (2) के अधीन किसी ऐसे अनुमोदन के बिना उसका इंजन बदलने के कारण किया गया है'' शब्दों का लोप किया जाएगा।

22. मूल अधिनियम की धारा 55 में उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:— धारा 55 का संशोधन।

''(5क) यदि किसी रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी या अन्य विहित प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसकी अधिकारिता के भीतर किसी मोटर यान का उपयोग धारा 199क के अधीन दंडनीय किसी अपराध को करने के लिए किया गया है तो प्राधिकारी स्वामी को लिखित में अभ्यावेदन करने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् एक वर्ष की अवधि के लिए यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को रद्द कर सकेगा:

परंतु यान का स्वामी धारा 40 और धारा 41 के उपबंधों के अनुसार नए रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर सकेगा।''।

23. मूल अधिनियम की धारा 56 में,— धारा 56 का संशोधन।

(i) उपधारा (1) में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु यह और कि किसी यान को उपयुक्तता प्रमाणपत्र ऐसी तारीख, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, के पश्चात् तब तक अनुदत्त नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे यान का स्वचालित परीक्षण केन्द्र पर परीक्षण न कर लिया गया हो।'';

(ii) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

''(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट 'प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र' से कोई ऐसी प्रसुविधा अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत स्वचालित परीक्षण प्रसुविधा भी है, जहां ऐसे केन्द्रों की मान्यता, विनियमन और नियंत्रण के लिए बनाए गए नियमों के अनुसार उपयुक्तता परीक्षण संचालित किया जा सकेगा।'';

(iii) उपधारा (4) में परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखे जाएंगे, अर्थात्:—

''परंतु विहित प्राधिकारी द्वारा ऐसा रद्दकरण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक,—

(क) ऐसा विहित प्राधिकारी ऐसी तकनीकी अर्हता न रखता हो, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए और जहां विहित प्राधिकारी तकनीकी अर्हता नहीं रखता है, वहां ऐसा रद्दकरण ऐसी अर्हता रखने वाले किसी अधिकारी की रिपोर्ट पर किया जाएगा; और

(ख) किसी उपयुक्तता प्रमाणपत्र को रद्द करने के लिए लेखबद्ध कारणों की यान के स्वामी, जिसके उपयुक्तता प्रमाणपत्र को रद्द करने की वांछा की गई है, द्वारा चुने गए प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र में पुष्टि नहीं कर दी गई हो:

परंतु यह और कि यदि रद्दकरण की प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र द्वारा पुष्टि कर दी जाती है तो परीक्षण करने के खर्च को परीक्षण किए जा रहे यान के स्वामी द्वारा और अन्यथा विहित प्राधिकारी द्वारा वहन किया जाएगा।'';

(iv) उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

''(6) इस धारा के अधीन जारी विधिमान्य उपयुक्तता प्रमाणपत्र रखने वाले सभी परिवहन यान उनकी बाडी पर स्पष्ट और सहजदृश्य रीति में ऐसा सुभिन्न चिह्न लगांएगे, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए।

(7) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, इस धारा के उपबंधों का गैर-परिवहन यानों पर विस्तार हो सकेगा।''।

धारा 59 का संशोधन।

24. मूल अधिनियम की धारा 59 में, उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(4) केन्द्रीय सरकार, लोक सुरक्षा, सुविधा, पर्यावरण के संरक्षण और इस अधिनियम के उद्‌देश्यों को ध्यान में रखते हुए, मोटर यानों और उनके भागों, जिनका जीवन पूरा हो चुका है, के पुन: चक्रण के लिए रीति विहित करने के लिए नियम बना सकेगी।''।

नई धारा 62क और धारा 62ख का अंत:स्थापन।

25. मूल अधिनियम की धारा 62 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

आकार से बड़े यानों के रजिस्ट्रीकरण और उपयुक्तता प्रमाणपत्र जारी करने का निषेध।

''62क. (1) कोई रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी किसी मोटर यान को रजिस्टर नहीं करेगी जिसने धारा 110 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन किया है।

(2) कोई विहित प्राधिकारी या प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र धारा 56 के अधीन किसी मोटर यान को उपयुक्तता प्रमाणपत्र जारी नहीं करेगा जिसने धारा 110 के अधीन बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन किया है।

मोटर यानों का राष्ट्रीय रजिस्टर।

62ख. (1) केन्द्रीय सरकार मोटर यानों का राष्ट्रीय रजिस्टर ऐसे प्ररूप और रीति में रखेगी जैसा उसके द्वारा विहित किया जाए:

परंतु मोटर यानों के सभी राज्य रजिस्टरों को सरकार मोटर यान रजिस्टर के अधीन उस तारीख तक सम्मिलित कर लिया जाएगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में, अधिसूचित की जाए।

(2) इस अधिनियम के अधीन जारी या नवीकृत रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक मोटर यानों के राष्ट्रीय रजिस्टर के अधीन एक विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्या उसे जारी न कर दी गई हो।

(3) मोटर यानों का राष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण बनाए रखने के लिए इस अधिनियम के अधीन सभी राज्य सरकारें और रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी मोटर यानों के राज्य रजिस्टर में सभी सूचना और डाटा को केन्द्रीय सरकार को ऐसे प्ररूप और रीति में पारेषित करेंगे, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए।

(4) राज्य सरकारें मोटर यानों के राष्ट्रीय रजिस्टर तक पहुंच के लिए हकदार होगी और अभिलेखों को इस अधिनियम के उपबंधों और केन्द्रीय सरकार द्वारा तद्‌धीन बनाए गए नियमों के अनुसार अद्‌यतन करेंगी।''।

धारा 63 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

26. मूल अधिनियम की धारा 63 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

राज्य मोटर यान संबंधी रजिस्टरों का रखा जाना।

''63. प्रत्येक राज्य सरकार, ऐसे प्ररूप में जो केन्द्रीय सरकार विहित करे, राज्य मोटर यान रजिस्टर के रूप में ज्ञात एक रजिस्टर उस राज्य में के मोटर यानों के संबंध में रखेगी, जिसमें निम्नलिखित विशिष्टयां अन्तर्विष्ट होंगी—

(क) रजिस्ट्रीकरण संख्यांक;

(ख) विनिर्माण के वर्ष;

(ग) वर्ग और प्रकार;

(घ) रजिस्ट्रीकृत स्वामियों के नाम और पते; और

(ङ) ऐसी अन्य विशिष्टियां जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं।''।

27. मूल अधिनियम की धारा 64 में,— धारा 64 का संशोधन।

(i) खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''(घक) धारा 41 की उपधारा (7) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की विधिमान्यता की अवधि के लिए उपबंध करने के लिए;'';

(ii) खंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''(ङक) धारा 41 की उपधारा (10) के अधीन विभिन्न किस्म के मोटर यानों के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण की अवधि;'';

(iii) खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

''(चक) धारा 43 के अधीन अस्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र और अस्थायी रजिस्ट्रीकरण चिह्न जारी करने के लिए;

(चख) वे निबंधन और शर्तें, जिनके अधीन प्राधिकृत डीलर द्वारा विक्रय किए गए किसी मोटर यान की धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं होगी;'';

(iv) खंड (ञ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''(ञक) पते में परिवर्तन की इलैक्ट्रानिकी रूप में इत्तिला प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति, ऐसी इत्तिला के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज, जिनके अंतर्गत धारा 49 की उपधारा (1क) के अधीन अधिप्रमाणन का सबूत भी है;'';

(v) खंड (ठ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

''(ठक)धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन अनुमोदन, पुन: संयोजन और मोटर यानों में परिवर्तन से संबंधित अन्य विषयों के विनिर्देश, अनुमोदन की शर्तें;

(ठख)धारा 52 की उपधारा (2) के अधीन किसी मोटर यान को रूपांतरित यान में परिवर्तित करने की शर्तें;'';

(vi) खंड (ढ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

''(ढक)धारा 56 की उपधारा (6) के अधीन परिवहन यानों की बाडी पर लगाए जाने वाला सुभिन्न चिह्न;

(ढख) वह शर्तें, जिनके अधीन धारा 56 के लागू होने का धारा 56 की उपधारा (7) के अधीन गैर-परिवहन यानों पर विस्तार किया जा सकेगा;

(ढग) ऐसे मोटर यानों और उनके पुर्जों का धारा 59 की उपधारा (4) के अधीन उपयोगी अवधि समाप्त हो गई, पुन:चक्रण;'';

(vii) खंड (ण) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

''(णक) धारा 62ख की उपधारा (1) के अधीन सभी या कोई विषय;

(णख) धारा 63 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन सभी या कोई विषय;''।

धारा 65 का संशोधन।

28. मूल अधिनियम की धारा 65 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (च) में, ''मोटर'' शब्द के पूर्व ''धारा 43 के परंतुक के अधीन'' शब्द और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ii) खंड (ण) का लोप किया जाएगा।

धारा 66 का संशोधन।

29. मूल अधिनियम की धारा 66 में,—

(i) उपधारा (1) में, तीसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परन्तु यह भी कि जहां किसी परिवहन यान के लिए इस अधिनियम के अधीन कोई परमिट और साथ ही अनुज्ञप्ति जारी की गई है वहां ऐसे यान का, यान स्वामी के विवेकानुसार या तो उसका इस प्रकार जारी परमिट या परमिटों के अधीन या ऐसी अनुज्ञप्ति के अधीन उपयोग किया जा सकेगा।'';

(ii) उपधारा (3) के खंड (त) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''(थ) किसी परिवहन यान को, जिसे किसी स्कीम के अधीन या धारा 67 की उपधारा (3) के अधीन या धारा 88क की उपधारा (1) के अधीन कोई परमिट जारी किया गया है या वह ऐसे आदेशों के अधीन चल रहा है जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी किए जाएं।''।

नई धारा 66क और धारा 66ख का अंत:स्थापन।

30. मूल अधिनियम की धारा 66 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

राष्ट्रीय परिवहन नीति।

''66क. (1) केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों और अन्य अभिकरणों की सहमति से इस अधिनियम के उद्देश्यों से संगत राष्ट्रीय परिवहन नीति निम्नलिखित की दृष्टि से तैयार करेगी—

(i) यात्रियों और माल परिवहन के लिए योजना कार्यढांचा, जिसके भीतर परिवहन निकायों का प्रचालन करना है, स्थापित करना;

(ii) एकीकृत मल्टी माडल परिवहन प्रणाली के परिदान के लिए सड़क परिवहन के सभी प्रकारों के लिए मध्यम और दीर्घकालिक योजना कार्यढांचा स्थापित करना, पत्तनों, रेल और विमानन से संबंधित प्राधिकारियों और अभिकरणों और साथ ही स्थानीय और राज्य स्तरीय योजना, भूमि धृति और विनियामक प्राधिकारियों के परामर्श से परिवहन सुधार अवसंरचना विकास के क्षेत्रों की पहचान करना;

(iii) परमिटों और स्कीमों का अनुदत्त करने के लिए कार्यढांचा स्थापित करना;

(iv) सड़क द्वारा परिवहन के लिए सामरिक नीति और परिवहन के अन्य साधनों के साथ एक संपर्क के रूप में उसकी भूमिका स्थापित करना;

(v) परिवहन प्रणाली के लिए सामरिक नीतियों की पहचान करना और ऐसी पूर्विकताओं को विनिर्दिष्ट करना, जो वर्तमान तथा भावी चुनौतियों का समाधान करती है;

(vi) दीर्घकालिक सामरिक निदेशों, पूर्विकताओं और कार्रवाइयों के लिए माध्यम का उपबंध करना;

(vii) प्रतिस्पर्धा, नवपरिवर्तन, क्षमता में वृद्धि, निर्बाध गतिशीलता और माल या पशुधन या यात्रियों के परिवहन में अधिक दक्षता और संसाधनों के मितव्ययी उपयोग को बढ़ावा देना;

(viii) परिवहन सेक्टर में निजी सहभागिता और लोक निजी भागीदारी को बढ़ाने की वांछा करते हुए, जनता के हित की सुरक्षा करना और साम्या का संवर्धन करना;

(ix) परिवहन और भू-उपयोग नियोजन के प्रति एकीकृत दृष्टिकोण का प्रदर्शन करना;

(x) उन चुनौतियों की पहचान करना, जिनका राष्ट्रीय परिवहन नीति समाधान करना चाहती है; और

(xi) ऐसे किसी अन्य विषय का समाधान करना, जो केंद्रीय सरकार द्वारा सुसंगत समझा गया है।

स्कीमों के अधीन अनुज्ञप्ति धारकों के विरुद्ध अनुज्ञप्तियों के लिए आवेदन करने और उन्हें धारण करने के लिए किसी वर्जन का न होना।

66ख. कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन जारी परमिट धारण करता है—

(क) धारा 67 की उपधारा (3) या धारा 88क की उपधारा (1) के अधीन बनाई गई स्कीम के अधीन अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करने से ऐसी अनुज्ञप्ति धारण करने के कारण निरर्हित नहीं होगा; और

(ख) इस अधिनियम के अधीन बनाई गई किसी स्कीम के अधीन अनुज्ञप्ति जारी किए जाने पर ऐसी अनुज्ञप्ति को रद्द करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।''।

धारा 67 का संशोधन।

31. मूल अधिनियम की धारा 67 में,—

(i) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

''(1) कोई राज्य सरकार, निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए,—

(क) मोटर परिवहन के विकास से जनता, व्यापार और उद्योग को होने वाले फायदे;

(ख) सड़क और रेल परिवहन में समन्वय करने की वांछनीयता;

(ग) सड़क प्रणाली को क्षय होने से रोकने की वांछनीयता; और

(घ) परिवहन सेवा प्रदाताओं में प्रभावी प्रतिस्पर्धा का संवर्धन करने के लिए,

समय-समय पर राज्य परिवहन प्राधिकरण और प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण दोनों को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यात्रियों की सुविधा, मितव्ययी रूप से प्रतिस्पर्धात्मक किरायों, भीड़भाड़ को रोकने और सड़क सुरक्षा के लिए निदेश जारी कर सकेगा।'';

(ii) उपधारा (2) में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परंतुक राज्य सरकार ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह उचित समझे और उपधारा (1) के खंड (घ) में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इस अध्याय के अधीन किए गए सभी या किन्हीं उपबन्धों को शिथिल कर सकेगी।'';

(iii) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंत:स्थपित की जाएंगी, अर्थात्:—

''(3) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन जारी किसी अनुज्ञप्ति को उपांतरित कर सकेगी या माल और यात्रियों के परिवहन के लिए स्कीमें बना सकेगी और ऐसी स्कीमों के अधीन परिवहन में विकास और दक्षता के संवर्धन के लिए निम्न अनुज्ञप्तियां जारी कर सकेगी—

(क) अंतिम दूरी संयोजकता;

(ख) ग्रामीण परिवहन;

(ग) यातायात की भीड़भाड़ को कम करना;

(घ) शहरी परिवहन में सुधार;

(ङ) सड़क के उपयोक्ताओं की सुरक्षा;

(च) परिवहन आस्तियों का बेहतर उपयोग;

(छ) प्रतिस्पर्धात्मकता, उत्पादकता और दक्षता के माध्यम से, क्षेत्र की मितव्ययी स्थायित्व का वर्धन;

(ज) लोगों की पहुंच और गतिशीलता में वृद्धि;

(झ) पर्यावरण का संरक्षण और वर्धन;

(ञ) ऊर्जा संरक्षण का संवर्धन;

(ट) जीवन की गुणवत्ता में सुधार;

(ठ) परिवहन के ढंगों में और उनके बीच परिवहन प्रणाली के एकीकरण और संयोजकता का वर्धन; और

(ड) ऐसे अन्य विषय, जिन्हें केंद्रीय सरकार उचित समझे।

(4) उपधारा (3) के अधीन विरचित स्कीम प्रभारित की जानी वाली फीसों, आवेदन के प्ररूप और अनुज्ञप्ति अनुदत्त किए जाने को, जिसके अंतर्गत ऐसी अनुज्ञप्ति का नवीकरण, निलंबन, रद्द करना या उपांतरण भी है, विनिर्दिष्ट करेगी।''।

धारा 72 का संशोधन।

32. मूल अधिनियम की धारा 72 की उपधारा (2) में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी ऐसी किसी मंजली गाड़ी के परमिट से, जिसका ग्रामीण क्षेत्र में प्रचालन किया जाता है, ऐसी किसी शर्त का अधित्यजन कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।''।

धारा 74 का संशोधन।

33. मूल अधिनियम की धारा 74 में,—

(i) उपधारा (2) में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परंतुक प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी अंतिम दूरी संयोजकता के हित में ऐसे किस्म के किन्ही यानों, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, के संबंध में ऐसी किसी शर्त का अधित्यजन कर सकेगा।'';

(ii) उपधारा (3)में , खंड (ख) के परंतुक में उपखंड (vi) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंत:स्थपित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(vii) स्वयं सहायता समूह।''।

नई धारा 88क का अंत:स्थापन।

34. मूल अधिनियम की धारा 88 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी,अर्थात्:—

केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय, मल्टी माडल और अंतर्राज्य यात्रियों और मालों के परिवहन के लिए स्कीमें बनाने की शक्ति।

''88क.(1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन जारी किसी अनुज्ञप्ति को उपांतरित कर सकेगी या राष्ट्रीय, मल्टी माडल और माल या यात्रियों के अन्तरराज्यिक परिवहन के लिए स्कीमें बना सकेगी तथा निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए ऐसी स्कीम के अधीन अनुज्ञप्तियां जारी कर सकेगी या उपांतरित कर सकेगी, अर्थात्:—

(क) अंतिम दूरी संयोजकता;

(ख) ग्रामीण परिवहन;

(ग) माल भाड़े और लाजिस्टिक के संचलन में सुधार;

(घ) परिवहन आस्तियों का बेहतर उपयोग;

(ङ) क्षेत्र के मितव्ययी स्थायित्व का वर्धन विशेष रूप से प्रतिस्पर्धात्मक, उत्पादकता और दक्षता को समर्थ बनाकर;

(च) लोगों की पहुंच और गतिशीलता में वृद्धि;

(छ) पर्यावरण का संरक्षण और वर्धन;

(ज) ऊर्जा संरक्षण का संवर्धन;

(झ) जीवन की गुणवत्ता में सुधार;

(ञ) परिवहन के ढंगों में और उनके बीच परिवहन प्रणाली के एकीकरण और संयोजकता का वर्धन; और

(ट) ऐसे अन्य विषय, जिन्हें केंद्रीय सरकार उचित समझे:

परंतु केंद्रीय सरकार इस उपधारा के अधीन कोई कार्रवाई करने से पूर्व राज्य सरकारों से परामर्श करेगी।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, दो या अधिक राज्य, माल या यात्रियों के अन्तरराज्यिक परिवहन के लिए ऐसे राज्यों में प्रचालन के लिए स्कीमें बना सकेंगे:

परंतु केंद्रीय सरकार द्वारा उपधारा (1) के अधीन बनाई गई स्कीमों और दो या अधिक राज्यों द्वारा इस उपधारा के अधीन बनाई गई स्कीमों के बीच किसी प्रतिकूलता की दशा में, उपधारा (1) के अधीन बनाई गई स्कीमें अभिभावी होंगी।''।

35. मूल अधिनियम की धारा 92 में, ''मंजली गाड़ी या ठेका गाड़ी में, जिसकी बाबत इस अध्याय के अधीन परमिट दिया गया है'' शब्दों के स्थान पर ''परिवहन यान, जिसकी बाबत इस अध्याय के अधीन परमिट या अनुज्ञप्ति दी गई है'' शब्द रखे जाएंगे। धारा 92 का संशोधन।

36. मूल अधिनियम की धारा 93 में,— धारा 93 का संशोधन।

(i) पार्श्वशीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्वशीर्ष रखा जाएगा, अर्थात्:—

''अभिकर्ता या प्रचारक या समूहक द्वारा अनुज्ञप्ति का अभिप्राप्त किया जाना।'';

(ii) उपधारा (1) में,—

(क) खंड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''(iii) एक समूहक के रूप में,'';

(ख) निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

''परंतु किसी समूहक को अनुज्ञप्ति जारी करते समय, राज्य सरकार ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों का अनुसरण कर सकेगी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए जाएं:

2000 का 21 परंतु यह और कि प्रत्येक समूहक सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और तद्धीन बनाए गए नियमों और विनियमों का अनुपालन करेगा।''।

37. मूल अधिनियम की धारा 94 में, दोनों स्थानों पर आने वाले, ''इस अधिनियम के अधीन परमिट'' शब्दों के पश्चात् ''या किसी स्कीम के अधीन जारी अनुज्ञप्ति'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे। धारा 94 का संशोधन।

38. मूल अधिनियम की धारा 96 की उपधारा (2) के खंड (xxxii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:— धारा 96 का संशोधन।

''(xxxiiक) धारा 67 की उपधारा (3) के अधीन स्कीमों की विरचना;

(xxxiiख) प्रभावी प्रतिस्पर्धा, यात्री सुविधा और सुरक्षा, प्रतिस्पर्धी किराए का संवर्धन तथा भीड़भाड़ को रोकना;''।

39. मूल अधिनियम की धारा 110 में,— धारा 110 का संशोधन।

(i) उपधारा (1) के खंड (ट) में ''संघटकों के मानक'' शब्दों के पश्चात् ''जिसके अंतर्गत साफ्टवेयर भी है'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ii) उपधारा (2) में ''विशिष्ट परिस्थितियों में'' शब्दों के पश्चात् ''और ऐसे नियम अन्वेषण की प्रक्रिया, ऐसा अन्वेषण संचालित करने के लिए सशक्त अधिकारी ऐसे विषयों की सुनवाई के लिए प्रक्रिया तथा तद्धीन उद्गृहीत की जाने वाली शास्तियां अधिकथित की जाएंगी'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(iii) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(2क) उपधारा (2) निर्दिष्ट अन्वेषणों के संचालनों के लिए उपधारा (2) के अधीन सशक्त व्यक्तियों को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय निम्नलिखित विषयों के संबंध में सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी, अर्थात्:— 1908 का 5

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ-पत्र पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज की मांग और प्रस्तुत करने की अपेक्षा;

(ग)शपथ-पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना; और

(घ) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए।''।

नई धारा 110क और धारा 110ख का अंत:स्थापन।

40. मूल अधिनियम की धारा 110 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

मोटर यानों का वापस बुलाना।

''110क.(1) केंद्रीय सरकार, आदेश द्वारा विनिर्माता को यह निदेश दे सकेगी कि वह किसी विशिष्ट किस्म के मोटर यानों या उसके परिवर्तियों को तब वापस बुलाएगी, जब—

(क) उस विशिष्ट किस्म के मोटर यान में ऐसा कोई दोष है जो पर्यावरण या ऐसे मोटर यान के चालक या उसमें बैठने वाले व्यक्तियों या सड़क मार्ग का उपयोग करने वाले अन्य व्यक्तियों को क्षति पहुंचा सकता है; और

(ख) उस विशिष्ट किस्म के मोटर यान में ऐसा कोई दोष निम्नलिखित द्वारा केंद्रीय सरकार को रिपोर्ट किया गया है,—

(i) स्वामियों का ऐसा प्रतिशत, जिसे केंद्रीय सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे; या

(ii) किसी परीक्षण अभिकरण; या

(iii) किसी अन्य स्रोत।

(2) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट दोष मोटर यान के किसी संघटक में है, वहां केंद्रीय सरकार, आदेश द्वारा विनिर्माता को, ऐसे सभी मोटर यानों को, जिनमें ऐसा संघटक लगा हुआ है, ऐसे मोटर यानों की किस्म या परिवर्तियों पर ध्यान न देते हुए, वापस बुलाने का निदेश दे सकेगी।

(3) ऐसा कोई विनिर्माता, जिसके यानों को उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन वापस बुलाया जाता है,—

(क) क्रेताओं को किसी अवक्रय या पट्टा-आडमान करार के अधीन रहते हुए मोटर यान की संपूर्ण लागत की प्रतिपूर्ति करेगा; या

(ख) दोषपूर्ण मोटर यान को समान या बेहतर विनिर्देशों वाले किसी ऐसे अन्य मोटर यान से प्रतिस्थापित करेगा, जो इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट मानकों का अनुपालन करता है या उसकी मरम्मत करेगा; और

(ग) ऐसे जुर्माने और अन्य शोध्यों का संदाय करेगा, जो उपधारा (6) के अनुसार हों।

(4) जहां विनिर्माता के ध्यान में उसके द्वारा विनिर्मित किसी मोटर यान में कोई त्रुटि आती है वहां वह ऐसी त्रुटि की सूचना केंद्रीय सरकार को देगा और यानों को वापस बुलाए जाने की कार्यवाहियां आरंभ करेगा और ऐसी दशा में विनिर्माता उपधारा (3) के अधीन जुर्माने का संदाय करने का दायी नहीं होगा।

(5) केंद्रीय सरकार, इस धारा के अधीन किसी अधिकारी को अन्वेषण करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी, जिसके पास निम्नलिखित विषयों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करने वाले किसी सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी, अर्थात्:— 1908 का 5

(क) किसी व्यक्ति को समन करने और हाजिर कराने तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करने;

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ-पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करने; और

(घ) ऐसा कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए।

(6) केंद्रीय सरकार, किसी ऐसी त्रुटि के लिए, जो केंद्रीय सरकार की राय में पर्यावरण या ऐसे मोटर यान के चालक या उसमें बैठने वाले व्यक्तियों या सड़क मार्ग का उपयोग करने वाले अन्य व्यक्तियों को क्षति पहुंचा सकता है, मोटर यानों की किसी विशिष्ट किस्म या उसके रूपभेदों को वापस बुलाए जाने को विनियमित करने के लिए नियम बना सकेगी।

किस्म-अनुमोदन प्रमाणपत्र और अभिकरणों का परीक्षण।

110ख. (1) किसी भी मोटर यान का, जिसके अंतर्गत कोई ट्रेलर या अर्ध ट्रेलर या माड्युलर या हाईड्रोलिक ट्रेलर या साइड कार भी है, तब तक भारत में विक्रय या परिदान या किसी सार्वजनिक स्थान में उपयोग नहीं किया जाएगा, जब तक कि उपधारा (2)में ऐसे यान के संबंध में निर्दिष्ट किस्म-अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी न कर दिया गया हो:

परंतु केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी मोटर यान द्वारा खीचें जाने या खीचें जाने के लिए आशयित अन्य यानों के किस्म-अनुमोदन प्रमाणपत्र की अपेक्षा को विस्तारित कर सकेगी:

परंतु यह और कि ऐसा प्रमाणपत्र ऐसे यानों के लिए अपेक्षित नहीं होगा,—

(क) जो निर्यात के लिए अथवा प्रदर्शन या निदर्शन या संप्रदर्शन के लिए आशयित है; या

(ख) जिनका उपयोग मोटर यानों या मोटर यान संघटकों के किसी विनिर्माता या किसी अनुसंधान और विकास केंद्र द्वारा किया जाता है या जिनकी जांच किसी परीक्षण और विधिमान्यकरण अभिकरण द्वारा या किसी डाटा संग्रहण के लिए किन्हीं कारखाना परिसरों के भीतर या किसी गैर-सार्वजनिक स्थानों पर किया जाता है; या

(ग) जो केंद्रीय सरकार द्वारा छूट-प्राप्त हैं।

(2) ऐसे मोटर यानों का, जिसके अंतर्गत कोई ट्रेलर या अर्ध ट्रेलर या माड्युलर या हाईड्रोलिक ट्रेलर या साइड कार भी है, विनिर्माता या आयातकर्ता किसी परीक्षण अभिकरण को ऐसे अभिकरण किस्म-अनुमोदन प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने के लिए विनिर्मित या आयातित किए जाने वाले यान की प्रोटोकिस्म परीक्षण के लिए प्रस्तुत करेगा।

(3) केंद्रीय सरकार, परीक्षण अभिकरणों के प्रत्यायन, रजिस्ट्रीकरण और विनियमन के लिए नियम बनाएगी।

(4) परीक्षण अभिकरण, विनिर्माता की उत्पादन पंक्ति से प्राप्त किए गए यानों या अन्यथा अभिप्राप्त किए गए यानों का यह सत्यापन करने के लिए परीक्षण करेंगे कि ऐसे यान इस अध्याय और तद्धीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के अनुरूप हैं।

(5) जहां किस्म-अनुमोदन प्रमाणपत्र रखने वाले किसी मोटर यान को धारा 110क के अधीन वापस बुलाया जाता है, वहां ऐसा परीक्षण अभिकरण, जिसने ऐसे मोटर यान को प्रमाणपत्र मंजूर किया था, उसके प्रत्यायन और रजिस्ट्रीकरण को रद्द किए जाने के लिए दायी होगा।''।

धारा 114 का संशोधन।

41. मूल अधिनियम की धारा 114 की उपधारा (1) में, ''यदि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत मोटर यान विभाग के किसी अधिकारी के पास'' शब्दों के स्थान पर, ''यदि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत मोटर यान विभाग के किसी अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति के पास'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 116 का संशोधन।

42. मूल अधिनियम की धारा 16 में,—

(i) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(1क) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 के अधीन गठित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अभिकरण, पहली अनुसूची में उपबंधित किए गए अनुसार मोटर यान यातायात विनियमन के प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात चिह्नों को लगवा या स्थापित या हटवा सकेगा या ऐसा करने की अनुमति दे सकेगा और ऐसे किसी चिह्न या विज्ञापन को हटाए जाने का आदेश दे सकेगी, जो उसकी राय में इस प्रकार लगाया गया है, जो किसी यातायात चिह्न को दिखाई देने से रोकता है या किसी यातायात चिह्न के समान दिखाई देता है, जिससे कि चालक के भ्रमित होने या उसकी सावधानी हटने या ध्यान भंग होने की संभावना है: 1988 का 68

परंतु इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अभिकरण राज्य सरकार के प्राधिकरणों से सहायता मांग सकेगा और उक्त राज्य सरकार ऐसी सहायता उपलब्ध कराएगी।'';

(ii) उपधारा (3) में, ''उपधारा (1)'' शब्द, कोष्ठकों और अंक के पश्चात्, ''या उपधारा (1क)'' शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे।

धारा 117 का संशोधन।

43. मूल अधिनियम की धारा 117 में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

''परंतु राज्य सरकार या प्राधिकृत प्राधिकरण ऐसे स्थलों का अवधारण करते समय सड़क का उपयोग करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा और यातायात के निर्बाध संचलन को पूर्विकता प्रदान करेगा:

परंतु यह और कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 के अधीन गठित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अभिकरण भी ऐसे स्थानों को अवधारित कर सकेगा।''। 1988 का 68

धारा 129 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

44. मूल अधिनियम की धारा 129 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

सुरक्षात्मक सिर के पहनावे का पहना जाना।

'129. ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसकी आयु चार वर्ष से अधिक है और जो किसी वर्ग या वर्णन की मोटर साइकिल का चालन या उसकी सवारी कर रहा है या उस पर ले जाया जा रहा है और जब वह सार्वजनिक स्थान पर हो, ऐसे मानकों के अनुरूप सुरक्षात्मक सिर के पहनावे को पहनेगा, जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए:

परंतु इस धारा के उपबंध ऐसे किसी व्यक्ति को लागू नहीं होंगे, जो सिख है और जब वह सार्वजनिक स्थान पर मोटर साइकिल का चालन या उस पर सवारी कर रहा हो, तो पगड़ी धारण कर रहा है:

परंतु यह और कि केन्द्रीय सरकार, नियमों द्वारा मोटर साइकिल का चालन या उस पर सवारी करने वाले चार वर्ष से कम आयु के बालकों की सुरक्षा के लिए उपायों का उपबंध कर सकेगी।

स्पष्टीकरण—''सुरक्षात्मक टोप'' से ऐसा कोई हेलमेट अभिप्रेत है,—

(क) जिससे उसके आकार, सामग्री और संरचना के आधार पर युक्तियुक्त रूप से यह प्रत्याशा की जा सकती है कि वह किसी दुर्घटना की दशा में किसी मोटर साइकिल का चालन या उस पर सवारी करने वाले व्यक्ति को क्षति से किसी हद तक सुरक्षा प्रदान करेगा; और

(ख) जिसे उसको पहनने वाले व्यक्ति के सिर पर सुरक्षित रूप से, सिर के पहनावे में लगे हुए स्ट्रैप या अन्य बंधकों के द्वारा कस कर बांधा जाता है।'।

नई धारा 134क का अंत:स्थापन।

45. मूल अधिनियम की धारा 134 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

नेक व्यक्ति की संरक्षा।

''134क. (1) कोई नेक व्यक्ति, किसी मोटर यान को संलिप्त करने वाली किसी दुर्घटना के पीड़ित व्यक्ति को हुई किसी क्षति या उसकी मृत्यु के लिए किसी सिविल या दांडिक कार्रवाई के लिए वहां दायी नहीं

होगा, जहां ऐसी क्षति या मृत्यु, आपातकालीन चिकित्सीय या गैर-चिकित्सीय देख-रेख या सहायता करते समय कोई कार्रवाई करने में नेक व्यक्ति की उपेक्षा या कार्रवाई करने में उसके असफल रहने के परिणामस्वरूप हुई है।

(2) केन्द्रीय सरकार, नियमों द्वारा, नेक व्यक्ति से पूछताछ या उसकी परीक्षा करने, नेक व्यक्ति से संबंधित निजी जानकारी के प्रकटन और ऐसे अन्य संबंधित विषयों हेतु प्रक्रिया के लिए उपबंध कर सकेगी।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ''नेक व्यक्ति'' से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो सद्भावपूर्वक, स्वैच्छिक रूप से और बिना किसी इनाम या प्रतिकर की प्रत्याशा के दुर्घटना स्थल पर किसी पीड़ित व्यक्ति को आपातकाल चिकित्सीय या गैर-चिकित्सीय देख-रेख या सहायता उपलब्ध कराता है या ऐसे पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाता है।''।

धारा 135 का संशोधन।

46. मूल अधिनियम की धारा 135 में,—

(i) उपधारा (1) में,—

(क) खंड (ग) में, ''और'' शब्द का लोप किया जाएगा;

(ख) खंड (घ) में, ''राजमार्ग'' शब्द के स्थान पर, ''राजमार्ग; और'' शब्द रखे जाएंगे; और

(ii) खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''(ङ) जनता की सुरक्षा और सुविधा के हितों में कोई अन्य सुविधाएं।'';

(iii) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(3) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा सड़क दुर्घटनाओं के कारणों और विश्लेषण के संबंध में गहन अध्ययन करने के लिए एक या अधिक स्कीमें बना सकेगी।''।

नई धारा 136क का अंत:स्थापन।

47. मूल अधिनियम की धारा 136 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

सड़क सुरक्षा की इलैक्ट्रानिक मानीटरी और प्रवर्तन।

'136क. (1) राज्य सरकार, राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों या राज्य के भीतर ऐसी सड़कों या ऐसे किसी नगरीय शहर में, जिसकी जनसंख्या ऐसी सीमाओं तक है, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, सड़कों पर उपधारा (2) के अधीन उपबंधित रीति में सड़क सुरक्षा की इलैक्ट्रानिक मानीटरी और प्रवर्तन सुनिश्चित करेगी।

(2) केन्द्रीय सरकार, सड़क सुरक्षा की इलैक्ट्रानिक मानीटरी और प्रवर्तन के लिए नियम बनाएगी, जिसके अंतर्गत गति मापक कैमरा, क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन कैमरा, गति मापक गन, शरीर पर पहने जाने वाले कैमरा और कोई अन्य प्रौद्योगिकी भी हैं।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए, ''शरीर पर पहने जाने वाला कैमरा'' पद से राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के शरीर या वर्दी पर पहनी जाने वाली मोबाइल श्रव्य और दृश्य रिकार्ड करने वाली युक्ति अभिप्रेत है।'।

धारा 137 का संशोधन।

48. मूल अधिनियम की धारा 137 में,—

(i) खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''(कक) धारा 129 के अधीन सुरक्षात्मक टोप के मानकों और सवारी करने वाले चार वर्ष से कम आयु के बालकों की सुरक्षा हेतु उपायों का उपबंध करने;'';

(ii) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

''(ग) राज्य सरकारों द्वारा धारा 136क की उपधारा (1) के अधीन शहरी नगरीय सीमाओं का उपबंध करना; और

(घ) धारा 136क की उपधारा (2) के अधीन इलैक्ट्रानिक मानीटरी और प्रवर्तन के लिए उपबंध करना।''।

धारा 138 का संशोधन।

49. मूल अधिनियम की धारा 138 में, उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(1क) राज्य सरकार, सड़क सुरक्षा के हित में, गैर-यांत्रिक रूप से नोदित होने वाले यानों के क्रियाकलापों और उनकी तथा पैदल चलने वालों की सार्वजनिक स्थानों और राष्ट्रीय राजमार्गों तक पहुंच को विनियमित करने के प्रयोजनों के लिए नियम बना सकेगी:

परंतु राष्ट्रीय राजमार्गों की दशा में, ऐसे नियमों की विरचना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परामर्श से की जाएगी।''।

अध्याय 10 का लोप।

50. मूल अधिनियम के अध्याय 10 का लोप किया जाएगा।

अध्याय 11 के स्थान पर नए अध्याय 11 का प्रतिस्थापन।

51. मूल अधिनियम के अध्याय 11 के स्थान पर, निम्नलिखित अध्याय रखा जाएगा, अर्थात्:—

'अध्याय 11

मोटर यानों का पर-व्यक्ति जोखिमों के विरुद्ध बीमा

परिभाषाएं।

145. इस अध्याय में,—

(क) ''प्राधिकृत बीमाकर्ता'' से ऐसा बीमाकर्ता अभिप्रेत है, जो भारत में तत्समय साधारण बीमा कारबार कर रहा है और जिसे बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण और साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 के अधीन साधारण बीमा कारबार करने के लिए प्राधिकृत किसी सरकारी बीमा निधि द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र मंजूर किया गया है;

1999 का 41

1972 का 57

(ख) ''बीमा प्रमाणपत्र'' से धारा 147 के अनुसरण में किसी प्राधिकृत बीमाकर्ता द्वारा जारी कोई प्रमाणपत्र अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसी अपेक्षाओं का, जो विहित की जाएं, अनुपालन करने वाला कवर नोट भी है, और जहां किसी पालिसी के संबंध में एक से अधिक प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं या जहां किसी प्रमाणपत्र की प्रति जारी की गई है, वहां यथास्थिति, ऐसे सभी प्रमाणपत्र या वह प्रति भी है;

(ग) ''घोर उपहति'' का वही अर्थ होगा, जो भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 320 में उसका है; 1860 का 45

(घ) ''हिट एंड रन मोटर दुर्घटना'' से ऐसी कोई दुर्घटना अभिप्रेत है, जो ऐसे किसी मोटर यान या मोटर यानों के उपयोग से कारित हुई है, जिनकी पहचान इस प्रयोजन हेतु युक्तियुक्त प्रयास करने के बावजूद भी अभिनिश्चित नहीं की जा सकती;

(ङ) ''बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण'' से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 3 के अधीन स्थापित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है; 1999 का 41

(च) ''बीमा पालिसी'' के अंतर्गत बीमा प्रमाणपत्र भी है;

(छ) ''संपत्ति'' के अंतर्गत सड़कें, पुल, पुलिया, सेतुक, स्तंभ, वृक्ष, स्तंभ, मील के पत्थर और किसी मोटर यान में वहन किए गए यात्रियों का सामान तथा माल भी हैं;

(ज) ''व्यतिकारी देश'' से ऐसा कोई देश अभिप्रेत है, जो ऐसी व्यतिकारिता के आधार पर, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए व्यतिकारी देश के रूप में अधिसूचित किया जाए;

(झ) ''पर-पक्षकार'' के अंतर्गत सरकार, किसी परिवहन यान का चालक और उसका कोई अन्य सह-कर्मकार भी है।

146. (1) कोई भी व्यक्ति, सिवाय किसी यात्री के रूप में, तब तक किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी मोटर यान का उपयोग नहीं करेगा या किसी अन्य व्यक्ति से उपयोग नहीं करवाएगा या उसे उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा, जब तक कि, यथास्थिति, उस व्यक्ति या उस अन्य व्यक्ति द्वारा यान के उपयोग के संबंध में, इस अध्याय की अपेक्षाओं का अनुपालन करने वाली बीमा पालिसी प्रवृत्त न हो: पर-पक्षकार जोखिमों के विरुद्ध बीमा की आवश्यकता।

परंतु किसी खतरनाक या परिसंकटमय मालों का वहन करने वाले या वहन करने के लिए आशयित
1991 का 6 यान की दशा में, लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 के अधीन बीमा की पालिसी भी होगी।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, किसी मोटर यान के चलाने वाले किसी व्यक्ति को, केवल वेतन पाने वाले कर्मचारी के रूप में यान उस समय जब यान के उपयोग के संबंध में इस उपधारा की अपेक्षानुसार ऐसी कोई पालिसी प्रवृत्त नहीं है, को इस उपधारा के उल्लंघन में कार्य करने वाला तब तक नहीं समझा जाएगा, जब वह यह नहीं जानता हो या उसके पास यह विश्वास करने का कारण न हो कि ऐसी कोई पालिसी प्रवृत्त नहीं है।

(2) उपधारा (1) के उपबंध केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन किसी यान और जिसका उपयोग किसी वाणिज्यिक उद्यम से असंबद्ध प्रयोजनों के लिए किया जाता है, को लागू नहीं होंगे।

(3) समुचित सरकार, आदेश द्वारा, निम्नलिखित प्राधिकरणों में से किसी के स्वामित्वाधीन किसी यान को उपधारा (1) के प्रवर्तन से छूट प्रदान कर सकेगी, अर्थात्:—

(क) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा उस दशा में जब यान का उपयोग किसी ऐसे वाणिज्यिक उद्यम से संबद्ध प्रयोजनों के लिए किया जाता है;

(ख) किसी स्थानीय प्राधिकरण;

(ग) किसी राज्य परिवहन उपक्रम:

परंतु ऐसा कोई आदेश किसी ऐसे प्राधिकरण के संबंध में तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि किसी निधि की स्थापना न कर दी गई हो और उसे उस प्राधिकरण द्वारा उस रीति में, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए, बनाए न रखा जाता हो।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "समुचित सरकार" से, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अभिप्रेत है, और—

(i) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन किसी निगम या कंपनी के संबंध में केन्द्रीय सरकार या वह राज्य सरकार, अभिप्रेत है;

(ii) केन्द्रीय सरकार और एक या अधिक राज्य सरकारों के स्वामित्वाधीन वाले किसी निगम या कंपनी के संबंध में केन्द्रीय सरकार, अभिप्रेत है;

(iii) किसी अन्य राज्य परिवहन उपक्रम या किसी स्थानीय प्राधिकरण के संबंध में वह सरकार अभिप्रेत है, जो उस उपक्रम या प्राधिकरण पर नियंत्रण रखती है।

147. (1) इस अध्याय की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए, कोई बीमा पालिसी ऐसी पालिसी होनी चाहिए,— पालिसियों की अपेक्षाएं और दायित्व की सीमाएं।

(क) जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो प्राधिकृत बीमाकर्ता है दी गई है; और

(ख) जो पालिसी में विनिर्दिष्ट व्यक्ति या वर्ग के व्यक्तियों का उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट विस्तार तक निम्नलिखित के लिए बीमा करती है,—

(i) किसी व्यक्ति की, जिसके अंतर्गत यान में लाए जाने वाले मालों का स्वामी या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि भी है, मृत्यु या शारीरिक क्षति के संबंध में या सार्वजनिक स्थान पर मोटर यान के उपयोग से कारित या उससे उद्भूत होने वाले किसी पर-पक्षकार की संपत्ति को होने वाले नुकसान के संबंध में उसके द्वारा उपगत दायित्व;

(ii) किसी परिवहन यान के किसी यात्री, किसी माल यान के नि:शुल्क यात्री को छोड़कर, की मृत्यु या शारीरिक क्षति के, जो सार्वजनिक स्थान पर मोटर यान के उपयोग से कारित या उससे उद्‌भूत हुई है।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक क्षति या किसी पर-पक्षकार की किसी संपत्ति के नुकसान को इस बात के होते हुए भी कि किसी सार्वजनिक स्थान पर यान के उपयोग से, ऐसा कोई व्यक्ति, जिसकी मृत्यु हुई है या जिसे शारीरिक क्षति पहुंची है या संपत्ति, जिसका नुकसान हुआ है, दुर्घटना के समय सार्वजनिक स्थान में नहीं था, कारित हुआ या उद्‌भूत हुआ समझा जाएगा, यदि ऐसा कार्य या लोप, जिसके परिणामस्वरूप दुर्घटना हुई, सार्वजनिक स्थान में हुआ था।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी व्यक्ति की मृत्यु या उस व्यक्ति को हुई घोर उपहति के संबंध में पर-पक्षकार बीमा के प्रयोजनों के लिए, केन्द्रीय सरकार, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के परामर्श से उपधारा (1) के अधीन किसी बीमा पालिसी के लिए एक आधार प्रीमियम विहित करेगी और साथ ही ऐसे प्रीमियम के संबंध में बीमाकर्ता के दायित्व को भी विहित करेगी।

(3) कोई पालिसी इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए तब तक प्रभावी नहीं होगी और जब तक कि बीमाकर्ता द्वारा ऐसे व्यक्ति, जिसके द्वारा पालिसी ली गई है, के पक्ष में विहित प्ररूप में ऐसा बीमा प्रमाणपत्र जारी न कर दिया गया हो, जिसमें किसी ऐसी शर्त के संबंध में विहित विशिष्टियां अंतर्विष्ट हों, जिनके अधीन पालिसी जारी की गई है और उसमें अन्य विहित विषय भी अंतर्विष्ट होंगे; और भिन्न-भिन्न मामलों में भिन्न-भिन्न प्ररूप, विशिष्टियां और बातें विहित की जा सकेंगी।

(4) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रारंभ से पूर्व जारी की गई कोई बीमा पालिसी, संविदा के अधीन विद्यमान निबंधनों पर जारी होती रहेगी और इस अधिनियम के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो यह अधिनियम उक्त अधिनियम द्वारा संशोधित नहीं किया गया हो।

(5) जहां इस अध्याय या तद्धीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों के अधीन किसी बीमाकर्ता द्वारा दिए गए कवर नोट के पश्चात् विनिर्दिष्ट समय के भीतर बीमा पालिसी जारी नहीं की जाती है, वहां बीमाकर्ता, कवर नोट की विधिमान्यता की अवधि के अवसान के सात दिन के भीतर इस बात को रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी या ऐसे अन्य प्राधिकारी को, जिसे केन्द्रीय सरकार विहित करे, अधिसूचित करेगा।

(6) तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन बीमा पालिसी जारी करने वाला कोई बीमाकर्ता, किसी ऐसे दायित्व के संबंध में, जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्गों की दशा में पालिसी के अंतर्गत आना तात्पर्यित है, पालिसी में विनिर्दिष्ट ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग की क्षतिपूर्ति करेगा।

व्यतिकारी देश में जारी की गई बीमा की पालिसी की विधिमान्यता।

148. जहां, भारत और अन्य व्यतिकारी देश के बीच ठहराव के अनुसरण में, व्यतिकारी देश में रजिस्ट्रीकृत मोटर यान किसी मार्ग या दो देशों के किसी सामान्य क्षेत्र के भीतर प्रचालित होता है और व्यतिकारी देश में यानों के उपयोग के संबंध में प्रवृत्त बीमा की पालिसी उस देश में प्रवृत्त बीमा विधि की अपेक्षाओं के अनुपालन में है, तब धारा 147 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किन्तु किन्हीं ऐसे नियमों, जो धारा 164ख के अधीन बनाए जा सकेंगे, के अधीन रहते हुए ऐसी बीमा पालिसी ऐसे संपूर्ण मार्ग या क्षेत्र जिसके संबंध में ठहराव किया गया है, में उसी प्रकार प्रभावी होगी मानो बीमा पालिसी इस अध याय की अपेक्षाओं का अनुपालन करती हो।

बीमा कंपनी द्वारा निपटारा और इसके लिए प्रक्रिया।

149. (1) बीमा कंपनी, या तो दावाकर्ता या दुर्घटना सूचना संबंधी रिपोर्ट के माध्यम से या अन्यथा दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर, ऐसी दुर्घटना के संबंध में दावों के निपटारे के लिए एक अधिकारी पदाभिहित करेगी।

(2) प्रतिकर के दावे के निपटारे की प्रक्रिया करने के लिए बीमा कंपनी द्वारा पदाभिहित अधिकारी तीस दिन के भीतर, ऐसे ब्यौरे देते हुए और ऐसी प्रक्रिया, केन्द्रीय सरकार द्वारा जैसे विहित की जाए, का अनुसरण करने के पश्चात् दावा अधिकरण के समक्ष निपटारा करने के लिए दावाकर्ता को एक प्रस्थापना कर सकेगा।

(3) यदि, दावाकर्ता जिसको उपधारा (2) के अधीन प्रस्थापना की गई है,—

(क) ऐसी प्रस्थापना स्वीकार करता है तो,—

(i) दावा अधिकरण ऐसे निपटारे का एक अभिलेख तैयार करेगा और ऐसा दावा सहमति द्वारा निपटाया गया समझा जाएगा; और

(ii) बीमा कंपनी द्वारा, समझौते का ऐसा अभिलेख प्राप्त होने की तारीख से अधिकतम तीस दिनों की अवधि के भीतर संदाय किया जाएगा;

(ख) ऐसी प्रस्थापना नामंजूर करता है, तो ऐसे दावे का गुणागुण पर न्यायनिर्णयन करने के लिए दावा अधिकरण द्वारा सुनवाई की तारीख नियत की जाएगी।

पर-व्यक्ति जोखिमों की बाबत बीमाकृत व्यक्तियों के विरुद्ध निर्णयों और पंचाटों को तुष्ट करने के बीमाकर्ता के कर्त्तव्य।

150. (1) यदि, किसी व्यक्ति के पक्ष में, जिसने पालिसी कराई है, धारा 147 की उपधारा (3) के अधीन बीमा प्रमाणपत्र दे दिए जाने के पश्चात् धारा 147 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन या धारा 164 के उपबंधों के अधीन पालिसी द्वारा पूरा किए जाने के लिए अपेक्षित दायित्व के संबंध में (जो पालिसी के निबंधनों के अन्तर्गत आने वाला दायित्व है) ऐसे किसी व्यक्ति के विरुद्ध निर्णय या अधिनिर्णय अभिप्राप्त कर लिया जाता है जिसका पालिसी द्वारा बीमा किया हुआ है तो इस बात के होते हुए भी कि बीमाकर्ता, पालिसी को शून्य करने या रद्द करने का हकदार है अथवा उसने पालिसी शून्य या रद्द कर दी हो, बीमाकर्ता, इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए पंचाट का फायदा उठाने के लिए हकदार व्यक्ति को तद्धीन संदेय बीमाकृत राशि से अनधिक किसी राशि का संदाय करेगा मानो वह व्यक्ति खर्चों के संबंध में किसी संदेय रकम और निर्णयों पर ब्याज संबंधी किसी अधिनियमिति के आधार पर उस राशि पर ब्याज की बाबत संदेय किसी रकम सहित दायित्व की बाबत डिक्री धारक होता।

(2) उपधारा (1) के अधीन ऐसे निर्णय या पंचाट के संबंध में कोई राशि किसी बीमाकर्ता द्वारा, ऐसी कार्यवाहियों के प्रारंभ से पूर्व, जिसमें निर्णय या पंचाट दिया गया है, जिनके बारे में बीमाकर्ता को ऐसी कार्यवाहियां प्रारंभ करने के बारे में, यथास्थिति, न्यायालय या दावा अधिकरण के माध्यम से जानकारी थी या ऐसे निर्णय का पंचाट के संबंध में तब तक संदेय नहीं होगी जब तक इसका निष्पादन अपील लंबित रहने तक रोक दिया जाता है और ऐसा बीमाकर्ता, जिसको ऐसी किसी कार्यवाही प्रारंभ करने का नोटिस इस प्रकार दिया गया है, उसका पक्षकार बनाए जाने का और निम्नलिखित आधारों में से किसी आधार पर अनुयोग में प्रतिवाद करने का हकदार होगा, अर्थात्:—

(क) यदि पालिसी की किसी विनिर्दिष्ट शर्त को भंग किया गया है, जो निम्नलिखित शर्तों में से एक है, अर्थात्:—

(i) ऐसी शर्त जो यान के उपयोग किए जाने को निम्नलिखित दशा में, अपवर्जित करती हैं :—

(अ) भाड़े या पारितोषिक के लिए, जहां बीमा की संविदा की तारीख को ऐसा यान भाड़े या पारितोषिक पर चलाने के परमिट के अन्तर्गत नहीं आते हैं; या

(आ) आयोजित दौड़ और गति परीक्षा के लिए; या

(इ) जहां यान एक परिवहन यान है वहां यान उस प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता है जो उस अनुज्ञप्ति द्वारा, जिसके अधीन उसका उपयोग किया जाता है, अनुज्ञात नहीं किया गया है; या

(ई) साइड कार संलग्न किए बिना जब यान एक दुपहिया यान है; या

(ii) ऐसे किसी नामित व्यक्ति या किसी ऐसे व्यक्ति जो सम्यक् रूप से अनुज्ञप्त नहीं है द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो निरर्हता की अवधि के दौरान चालन अनुज्ञप्ति धारण करने या अभिप्राप्त करने के लिए या जो धारा 185 में अधिकथित किए गए अनुसार अल्कोहल या मादक द्रव्यों के प्रभाव में चलाने के लिए, निरर्हित कर दिया गया है, चालन को अपवर्जित करने वाली कोई शर्त;

(iii) युद्ध, गृह युद्ध, बल्वे या सिविल अशांति की परिस्थितियों द्वारा कारित क्षति होने या उसके योगदान से हुई क्षति के लिए दायित्व अपवर्जित करने वाली कोई शर्त;

(ख) पालिसी इस आधार पर शून्य है कि वह किसी तात्त्विक तथ्यों के अप्रकटन द्वारा प्राप्त की गई थी या ऐसे किसी तथ्य जो किसी तथ्य जो किसी तात्त्विक विशिष्टि में मिथ्या था, के व्यपदेशन द्वारा प्राप्त की गई थी;

(ग) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64फख के अधीन यथा अपेक्षित प्रीमियम की 1938 का 4
अप्राप्ति।

(3) जहां कोई ऐसा निर्णय या पंचाट, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट है, व्यतिकारी देश के किसी न्यायालय से प्राप्त किया जाता है और विदेशी निर्णय की दशा में, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 13 के उपबंधों के 1908 का 5
आधार पर उसमें किए गए न्यायनिर्णयन के आधार पर किसी मामले में निश्चायक है, बीमाकर्ता (जो बीमा अधिनियम, 1938 के अधीन रजिस्ट्रीकृत बीमाकर्ता है और चाहे ऐसा व्यक्ति व्यतिकारी देश की तत्स्थानी 1938 का 4
विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं) डिक्री के फायदे को प्राप्त करने के लिए हकदार व्यक्ति के प्रति ऐसी रीति से और उस विस्तार तक जो उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट है ऐसे दायी होगा मानो यह निर्णय या पंचाट भारत के न्यायालय द्वारा दिया गया हो:

परंतु किसी ऐसे निर्णय या पंचाट की बाबत बीमाकर्ता कोई राशि देने के लिए तब तक दायी नहीं होगा जब तक कार्यवाहियां, जिनमें निर्णय या पंचाट दिया जाता है, प्रारंभ होने से पहले बीमाकर्ता को संबद्ध न्यायालय, जिसमें कार्यवाहियां प्रारंभ की गई है, के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी और बीमाकर्ता जिसको ऐसी सूचना इस प्रकार दी गई है व्यतिकारी राज्य की तत्स्थानी विधि के अधीन कार्यवाहियों में पक्षकार बनाए जाने और उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट आधारों के सदृश आधारों पर अनुयोग में प्रतिवाद करने के लिए पक्षकार बनाए जाने का हकदार नहीं होगा।

(4) जहां बीमा प्रमाणपत्र धारा 147 की उपधारा (3) के अधीन ऐसे व्यक्ति को जारी किया गया जिसके द्वारा, पालिसी का उतना भाग, जितना उसके परिणामस्वरूप बीमाकृत व्यक्तियों के बीमा को निर्बंधित करने के लिए तात्पर्यित है,, उपधारा (2) में शर्तों से भिन्न, किसी शर्त के प्रतिनिर्देश से, पालिसी कराई गई है, वहां ऐसे दायित्वों का संबंध है जो धारा 147 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन पालिसी द्वारा कवर किए जाने के लिए अपेक्षित हैं, प्रभावहीन होगा।

(5) कोई बीमाकर्ता, जिसे उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट सूचना दी गई है, किसी व्यक्ति, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी ऐसे निर्णय या पंचाट या यथास्थिति, उपधारा (2) या व्यतिकारी देश की तत्स्थानी विधि में उपबंधित रीति से अन्यथा उपधारा (3) में निर्दिष्ट ऐसे निर्णय के फायदे का हकदार है, के प्रति अपने दायित्व के परिवर्जन का हकदार नहीं होगा।

(6) यदि किसी दावे को फाइल किए जाने की तारीख को, दावाकर्ता को, बीमा कंपनी, जिसके साथ यान बीमाकृत किया गया है, के बारे में जानकारी नहीं है, तो यान के स्वामी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह अधिकरण या न्यायालय को यह सूचना दे कि क्या दुर्घटना की तारीख को यान बीमाकृत था या नहीं और यदि हां, तो उस बीमा कंपनी का नाम, जिसके साथ वह बीमाकृत है।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) ''पंचाट'' से दावा अधिकरण द्वारा धारा 168 के अधीन किया गया पंचाट अभिप्रेत है;

(ख) ''दावा अधिकरण'' से धारा 165 के अधीन गठित दावा अधिकरण अभिप्रेत है;

(ग) ''पालिसी के निबंधनों के अंतर्गत आने वाला दायित्व'' से ऐसा दायित्व अभिप्रेत है, जिसे पालिसी के अंतर्गत कवर किया गया है या जो इस प्रकार कवर किया होता यदि यह तथ्य नहीं होता कि बीमाकर्ता पालिसी को परिवर्जित या रद्द किए जाने के लिए हकदार है या उसने पालिसी को परिवर्जित या रद्द कर दिया है; और

(घ) ''तात्त्विक तथ्य'' और ''तात्त्विक विशिष्टि'' से क्रमशः यह अवधारण करने में प्रबुद्ध बीमाकर्ता के विवेक को प्रभावित करने के बारे में ऐसी प्रकृति का तथ्य या विशिष्टि अभिप्रेत है कि क्या वह जो जोखिम लेगा, यदि ऐसा है तो वह कितने प्रीमियम पर और किन-किन शर्तों पर।

151. (1) जहां बीमा की कोई संविदा, जो इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार की जाती है, वहां किसी व्यक्ति का ऐसे दायित्वों के विरुद्ध, जो वह पर-पक्षकार के प्रति उपगत करे, बीमाकृत किया जाता है, वहां— बीमाकृत के दिवालिया होने पर बीमाकर्ता के विरुद्ध पर-पक्षकार के अधिकार।

(क) व्यक्ति के दिवालिया हो जाने की दशा में या अपने लेनदारों के साथ प्रशमन या ठहराव कर लेने पर; या

(ख) जहां बीमाकृत व्यक्ति एक कंपनी है, वहां कंपनी की बाबत परिसमापन के लिए आदेश किए जाने पर या उस कंपनी के स्वेच्छया परिसमापन का संकल्प पारित किए जाने पर या उस कंपनी के कारबार या उपक्रम के रिसीवर या प्रबंधक की सम्यक् रूप से नियुक्ति किए जाने पर या प्रभार के अधीन या समाविष्ट संपत्ति के प्लवमान भार द्वारा प्रतिभूत किन्हीं डिबेंचरों के धारकों द्वारा या उनकी ओर से उस संपत्ति जो भार में समाविष्ट है या उसके अधीन है कब्जे में लिए जाने पर,

उस दशा में जब ऐसा होने से पूर्व या पश्चात्, ऐसा कोई दायित्व बीमाकृत व्यक्ति द्वारा उपगत कर लिया जाता है संविदा के अधीन उस दायित्व की बाबत बीमाकर्ता के विरुद्ध उसके अधिकार, विधि के उपबंध में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, उस पर-पक्षकार जिसके प्रति वह दायित्व इस प्रकार उपगत किया गया था, को अंतरित और उसमें निहित हो जाएगा।

(2) जहां दिवाला विषयक विधि के अनुसार मृत-ऋणी की संपदा के प्रशासन के लिए आदेश दिया गया है वहां यदि दिवाला कार्यवाही में साबित किए जाने योग्य कोई ऋण मृतक द्वारा किसी दायित्व की बाबत पर-व्यक्ति को देय है जिसके लिए उसका बीमा इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार बीमा संविदा के अधीन किया गया था तो उस दायित्व की बाबत बीमाकर्ता के विरुद्ध मृत-ऋणी के अधिकार, विधि के किसी उपबंध में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, उस व्यक्ति को अंतरित और उसमें निहित हो जाएंगे जिसको वह ऋण देय हो।

(3) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए दी गई पालिसी में की किसी ऐसी शर्त का, जो पालिसी को प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: परिवर्जित करने या पक्षकारों के अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए तात्पर्यित है, इसके अधीन उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) में विनिर्दिष्ट घटनाओं के किसी घटना के बीमाकृत व्यक्ति के साथ घटित होने पर या दिवाला विषयक विधि के अनुसार मृतक ऋणी की संपदा के प्रशासन के लिए आदेश करने पर, कोई प्रभाव नहीं होगा।

(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अंतरण पर, बीमाकर्ता का पर-व्यक्ति के प्रति वैसा ही दायित्व होगा जैसा वह उस बीमाकृत व्यक्ति के प्रति हुआ होता, लेकिन—

(क) यदि बीमाकर्ता का बीमाकृत व्यक्ति के प्रति दायित्व, बीमाकृत व्यक्ति के पर-व्यक्ति के प्रति दायित्व से अधिक है, तो ऐसी आधिक्य रकम की बाबत बीमाकृत व्यक्ति के बीमाकर्ता के विरुद्ध किसी अधिकार पर इस अध्याय में की गई कोई बात कोई प्रभाव नहीं डालेगी; और

(ख) यदि बीमाकर्ता का बीमाकृत व्यक्ति के प्रति दायित्व, बीमाकृत व्यक्ति के पर-व्यक्ति के प्रति दायित्व से कम है, तो ऐसी अतिशेष रकम की बाबत बीमाकृत व्यक्ति के बीमाकर्ता के विरुद्ध किसी अधिकार पर इस अध्याय में की किसी बात का कोई प्रभाव नहीं होगा।

152. (1) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध धारा 147 की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी दायित्व की बाबत दावा किया जाता है, दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से मांग किए जाने पर, वह यह बताने से इंकार नहीं कर सकेगा कि इस अध्याय के उपबंधों के अधीन दी गई उस दायित्व की बाबत किसी ऐसी पालिसी द्वारा उसका बीमा किया हुआ है अथवा नहीं या उसका इस प्रकार बीमा हुआ होता यदि बीमाकर्ता ने पालिसी इस प्रकार परिवर्जित या रद्द नहीं की होती; न ही वह तब उसके संबंध में जारी किए गए बीमा प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट पालिसी की बाबत ऐसी विशिष्टियां देने से इंकार करेगा यदि वह इस प्रकार बीमाकृत था या हुआ होता। बीमा के संबंध में सूचना देने का कर्तव्य।

(2) किसी व्यक्ति के दिवाला होने की या अपने लेनदारों के साथ ठहराव किए जाने की दशा में या दिवाला विधि के अनुसार मृत व्यक्ति की संपदा के प्रशासन के लिए आदेश किए जाने की दशा में या किसी कंपनी की बाबत परिसमापन के आदेश किए जाने पर या उस कंपनी के स्वेच्छया परिसमापन के लिए संकल्प पारित किए जाने पर या किसी कंपनी के कारबार या उपक्रम के रिसीवर या प्रबंधक सम्यक् रूप से नियुक्त किए जाने पर या उसके अधीन किसी संपत्ति के प्लवमान भार द्वारा प्रतिभूत किन्हीं डिबेंचरों के धारकों द्वारा या उनकी ओर से उस संपत्ति का जो भार में समाविष्ट है कब्जा लिए जाने की दशा में,

यथास्थिति, दिवाला ऋणी, मृत-ऋणी के वैयक्तिक प्रतिनिधि का या कंपनी का या दिवाला की दशा में शासकीय समनुदेशिती या रिसीवर, न्यासी, परिसमापक, रिसीवर या प्रबंधक या संपत्ति पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि वह किसी दावा करने वाले व्यक्ति के अनुरोध पर सूचना दे कि दिवाला ऋणी, मृत-ऋणी या कंपनी इस अध्याय के उपबंधों द्वारा समाविष्ट ऐसे दायित्व के अधीन है, ऐसी जानकारी दे जिसकी उसके द्वारा यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए कि क्या उसमें धारा 151 द्वारा कोई अधिकार अन्तरित या निहित हो गए हैं, जो उसके द्वारा युक्तियुक्त रूप से अपेक्षित हों और ऐसे अधिकारों के प्रवर्तित करने के प्रयोजन के लिए, यदि कोई हो, ऐसे बीमा संविदा का कोई प्रभाव नहीं होगा, तात्पर्यित है चाहे उपरोक्त दशा में ऐसी जानकारी दिए जाने पर इसके अधीन प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: संविदा का शून्य हो जाना या उसके अधीन पक्षकारों के अधिकारों का परिवर्तित हो जाना या उक्त दशाओं में उसका दिया जाना अन्यथा को प्रतिषिद्ध या निवारित हो जाना तात्पर्यित हो।

(3) उपधारा (2) के अनुसरण में या अन्यथा किसी व्यक्ति को दी गई जानकारी से, उसके पास अनुमान लगाने के लिए युक्तियुक्त आधार हैं कि इस अध्याय के अधीन उसे किसी विशिष्ट बीमाकर्ता के विरुद्ध अधिकार अंतरित हो गए हैं या हो गए होंगे तो उस बीमाकर्ता का वही कर्तव्य होगा जैसा उक्त उपधारा के अनुसार इसमें उल्लिखित व्यक्तियों पर अधिरोपित किया गया है।

(4) इस धारा द्वारा अधिरोपित जानकारी देने के कर्तव्य के अंतर्गत यह कर्तव्य भी होगा कि जो सभी बीमा की संविदाएं, प्रीमियमों की रसीदें और अन्य सुसंगत दस्तावेज जो ऐसे व्यक्ति के कब्जे या शक्ति में हैं, जिन पर निरीक्षण करने और प्रतियां प्राप्त करने का कर्तव्य अधिरोपित किया गया है, भी हैं।

बीमाकर्ता और बीमाकृत व्यक्तियों के बीच समझौता।

153. (1) किसी ऐसे दावे जो धारा 147 की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकार के किसी दायित्व के संबंध में पर-व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है, की बाबत बीमाकर्ता द्वारा किया गया कोई समझौता विधिमान्य तब तक नहीं होगा जब तक कि पर-व्यक्ति समझौता का एक पक्षकार न हो।

(2) दावा अधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि समझौता सद्भाविक है और अनुचित प्रभाव के अधीन नहीं किया गया था तथा प्रतिकर, धारा 164 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट संदाय अनुसूची के अनुसार दिया गया है।

(3) जहां वह व्यक्ति, जिसका बीमा इस अध्याय के प्रयोजन के लिए दी गई पालिसी के अधीन किया गया है, दिवालिया हो जाता है या जहां उस दशा में जिसमें ऐसा बीमाकृत व्यक्ति एक कंपनी है, ऐसी कंपनी के संबंध में परिसमापन का आदेश किया गया है या उस कंपनी के संबंध में स्वैच्छया परिसमापन का संकल्प पारित किया गया है, वहां बीमाकर्ता और बीमाकृत व्यक्ति के बीच कोई भी करार पर-व्यक्ति के प्रति दायित्व उपगत किए जाने के पश्चात् और, यथास्थिति, दिवाला या परिसमापन के प्रारंभ होने के पश्चात् नहीं किया गया है न ही कोई अधित्यजन, समनुदेशन या अन्य व्ययन या उपरोक्त प्रारंभ के पश्चात् बीमाकृत व्यक्ति द्वारा किया गया संदाय इस अध्याय के अधीन पर-व्यक्ति को अंतरित किए गए अधिकारों को विफल करने के लिए प्रभावी होगा, किन्तु वे अधिकार वैसे ही रहेंगे मानो ऐसा करार, अधित्यजन, समनुदेशन या व्ययन या संदाय नहीं किया गया है।

धारा 151, धारा 152 और धारा 153 के संबंध में व्यावृत्ति।

154. (1) धारा 151, धारा 152 और धारा 153 के प्रयोजन के लिए बीमा की किसी पालिसी के अधीन बीमाकृत व्यक्ति के संबंध में ''पर-व्यक्ति के प्रति दायित्वों'' के प्रतिनिर्देश के अन्तर्गत किसी अन्य बीमा की पालिसी के अधीन बीमाकर्ता की हैसियत में उस व्यक्ति के दायित्व के प्रतिनिर्देश नहीं होगा।

(2) धारा 151, धारा 152 और धारा 153 के उपबंध वहां लागू नहीं होंगे जहां कंपनी का परिसमापन स्वैच्छया उसके पुनर्गठन के लिए अथवा किसी अन्य कंपनी के साथ उसके समामेलन के प्रयोजन के लिए ही किया जाता है।

कतिपय वाद हेतुकों पर मृत्यु का प्रभाव।

155. भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम, 1925 की धारा 306 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, व्यक्ति, जिसके पक्ष में बीमा प्रमाणपत्र जारी किया गया है, की मृत्यु यदि वह ऐसी घटना घटित होने के पश्चात् होती है, जिसके कारण इस अध्याय के उपबंधों के अधीन दावा उत्पन्न होता है, उसकी संपदा या बीमाकर्ता के विरुद्ध ऐसी घटना से उद्भूत होने वाले किसी वाद हेतुक की उत्तरजीविता का वर्जन नहीं होगी। 1925 का 36

156. जब बीमाकर्ता ने बीमाकर्ता और बीमाकृत व्यक्ति के बीच बीमा की संविदा की बाबत बीमा प्रमाणपत्र जारी किया है तब,— बीमा प्रमाणपत्र का प्रभाव।

(क) यदि और जब तक प्रमाणपत्र में वर्णित पालिसी बीमाकर्ता द्वारा बीमाकृत को नहीं दे दी जाती है, तब तक बीमाकर्ता द्वारा स्वयं और बीमाकृत के सिवाय किसी अन्य व्यक्ति के बीच ऐसे प्रमाणपत्र में कथित वर्णन और सभी विशिष्टियों की सभी बाबत अनुरूप बीमा पालिसी बीमाकृत व्यक्ति को दे दी गई समझी जाएगी;

(ख) यदि बीमाकर्ता ने प्रमाणपत्र में वर्णित पालिसी बीमाकृत को दे दी है किन्तु पालिसी के वास्तविक निबंधन, पालिसी की विशिष्टियां जो प्रमाणपत्र में कथित हैं, की तुलना में उन व्यक्तियों के लिए कम अनुकूल है जो पालिसी के अधीन या उसके आधार पर बीमाकर्ता के विरुद्ध दावा या तो प्रत्यक्षत: या बीमाकृत व्यक्तियों के माध्यम से करते हैं, पालिसी को उक्त प्रमाणपत्र में कथित विशिष्टियों में की सभी बातों के अनुरूप होते हुए, निबंधनानुसार बीमाकर्ता और बीमाकृत व्यक्ति के सिवाय किसी अन्य व्यक्ति के बीच समझा जाएगा।

157. (1) जहां व्यक्ति, जिसके पक्ष में इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार बीमा प्रमाणपत्र जारी किया गया है, ऐसे मोटर यान का स्वामित्व, जिसकी बाबत ऐसा बीमा उससे संबंधित बीमा पालिसी के साथ अन्य व्यक्ति को अंतरित करता है, बीमा प्रमाणपत्र और प्रमाणपत्र में वर्णित पालिसी ऐसे व्यक्ति, जिसको मोटरयान अंतरित किया जाता है के पक्ष में उसके स्थानांतरण की तारीख से अंतरित की गई समझी जाएगी। बीमा के प्रमाणपत्र का अंतरण।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे समझे गए अंतरण में बीमा उक्त प्रमाणपत्र और बीमा पालिसी के अधिकारों और दायित्वों में सम्मिलित होंगे।

(2) अंतरिती, अंतरण की तारीख से चौदह दिनों के भीतर विहित प्ररूप में बीमाकर्ता को बीमा प्रमाणपत्र और उसके पक्ष में प्रमाणपत्र में वर्णित पालिसी में अंतरण के तथ्य के संबंध में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए आवेदन कर सकेगा और बीमाकर्ता प्रमाणपत्र और बीमा के अंतरण के संबंध में बीमा की पालिसी में आवश्यक परिवर्तन करेगा।

158. (1) ऐसा व्यक्ति, जो किसी सार्वजनिक स्थान पर मोटरयान चला रहा है, वर्दी पहने हुए पुलिस अधिकारी, जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया है, द्वारा ऐसी अपेक्षा किए जाने पर मोटर यान के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित पेश करेगा— कतिपय मामलों में कतिपय प्रमाणपत्रों, अनुज्ञप्ति और अनुज्ञापत्र का पेश किया जाना।

(क) बीमा प्रमाणपत्र;

(ख) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र;

(ग) प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र;

(घ) चालन अनुज्ञप्ति;

(ङ) परिवहन यान की दशा में, धारा 56 में निर्दिष्ट उपयुक्तता प्रमाणपत्र और अनुज्ञापत्र भी; और

(च) इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त किया जा सकने वाला कोई ऐसा प्रमाणपत्र या छूट का प्राधिकार।

(2) जहां, सार्वजनिक स्थान पर मोटर यान की उपस्थिति के कारण ऐसी दुर्घटना होती है जिसके परिणामस्वरूप किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु या उसे शारीरिक क्षति होती है, यदि यान का चालक उस समय अपेक्षित उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र, चालन अनुज्ञप्ति और अनुज्ञापत्र पुलिस अधिकारी को पेश नहीं करता हो तो वह या स्वामी उक्त प्रमाणपत्र, अनुज्ञप्ति और अनुज्ञापत्र को उस पुलिस थाने में, जिसमें चालक धारा 134 की अपेक्षानुसार रिपोर्ट करता है, पेश करेगा।

(3) कोई व्यक्ति उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अपेक्षित प्रमाणपत्र को पेश करने की विफलता के कारण अपराधों के लिए दोषसिद्ध ठहराए जाने का दायी नहीं होगा यदि, यथास्थिति, उस तारीख से जिसको उसे उपधारा (1) के अधीन पेश किया जाना अपेक्षित था या दुर्घटना होने की तारीख से सात दिन के भीतर वह उस प्रमाणपत्र को ऐसे पुलिस थाने में पेश करता है जिसे उसके द्वारा ऐसे पुलिस

अधिकारी को विनिर्दिष्ट किया गया हो, जिससे, यथास्थिति, दुर्घटना स्थल पर इसे पुलिस अधिकारी को या उस पुलिस थाने, जहां पर दुर्घटना की रिपोर्ट की जाती है, के भारसाधक को पेश किया जाना अपेक्षित था:

परंतु ऐसे विस्तार के सिवाय और ऐसे उपांतरणों सहित जो विहित किए जाएं, इस उपधारा के उपबंध किसी परिवहन यान के चालक को लागू नहीं होंगे।

(4) मोटर-यान का स्वामी, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या उसकी ओर से ऐसी सूचना देगा जो उसके द्वारा यह अवधारित करने के प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो कि क्या यान धारा 146 के उल्लंघन में चलाया या नहीं चलाया जा रहा था और किसी ऐसे अवसर पर जब चालक से इस धारा के अधीन बीमा प्रमाणपत्र पेश किए जाने की अपेक्षा की गई थी।

(5) इस धारा में ''बीमा प्रमाणपत्र पेश करे'' पद से बीमा के सुसंगत प्रमाणपत्र या ऐसे अन्य साक्ष्य, जो यह साबित करने के लिए विहित किया जाए कि यान धारा 146 के उल्लंघन में नहीं चलाया जा रहा था, को परीक्षा के लिए पेश किया जाना अभिप्रेत है।

दुर्घटना के संबंध में दी जाने वाली सूचना।

159. पुलिस अधिकारी, अन्वेषण के दौरान, दावे के निपटान को सुकर बनाने के लिए ऐसे प्ररूप और रीति में तीन मास के भीतर और ऐसी विशिष्टियों को अन्तर्विष्ट करने वाली दुर्घटना सूचना रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे दावा अधिकरण और ऐसे अन्य अभिकरण, जो विहित किया जाए, को प्रस्तुत करेगा।

दुर्घटना में संलिप्त यान की विशिष्टियां प्रस्तुत करने का कर्तव्य।

160. रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी या पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी, ऐसे व्यक्ति द्वारा यदि वह ऐसी अपेक्षा करता है, जो यह अभिकथित करता है कि वह मोटर यान के उपयोग के कारण हुई दुर्घटना की बाबत प्रतिकर का दावा करने का हकदार है या यदि ऐसे बीमाकर्ता द्वारा अपेक्षा की जाए या जिसके विरुद्ध किसी मोटरयान की बाबत दावा किया गया है, यथास्थिति, उस व्यक्ति या उस बीमाकर्ता को, उसके द्वारा विहित फीस के संदाय पर, उक्त प्राधिकारी या उक्त पुलिस अधिकारी के पास यान के पहचान चिह्नों और अन्य विशिष्टियों और उस व्यक्ति, जो यान का उपयोग दुर्घटना के समय कर रहा था या जिसे उसके द्वारा क्षति हुई थी, का नाम और पते के संबंध में और संपत्ति, यदि कोई हो, जिसका नुकसान हुआ था, की सूचना ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय के भीतर, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, देगा।

हिट एंड रन मोटरयान दुर्घटना में प्रतिकर के विशेष उपबंध।

161. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या विधि का बल रखने वाली किसी लिखत में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम और उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन बनाई गई किसी स्कीम के उपबंधों के अनुसार हिट एंड रन मोटर यान दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप व्यक्तियों की मृत्यु या उनको घोर उपहति की बाबत, प्रतिकर के संदाय के लिए उपबंध करेगी।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों और उपधारा (3) के अधीन बनाई गई स्कीम के अध्यधीन, प्रतिकर संदत्त किया जाएगा,—

(क) हिट एंड रन मोटर दुर्घटना के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु की बाबत, दो लाख रुपए की नियत राशि या कोई उच्चतर राशि, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए;

(ख) हिट एंड रन मोटर दुर्घटना के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को घोर उपहति की बाबत, पचास हजार रुपए की नियत राशि या कोई उच्चतर राशि, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए।

(3) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक स्कीम, ऐसी रीति में विनिर्दिष्ट करते हुए जिसमें केन्द्रीय सरकार या साधारण बीमा परिषद् द्वारा स्कीम प्रशासित की जाएगी, प्ररूप, रीति और समय जिसमें प्रतिकर के लिए आवेदन किए जा सकेंगे, अधिकारी या प्राधिकारी जिसको ऐसे आवेदन किए जा सकेंगे, ऐसे अधिकारियों या प्राधिकारियों द्वारा ऐसे आवेदनों पर विचार करने और आदेश पारित करने के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और स्कीम के प्रशासन और इस धारा के अधीन प्रतिकर के संदाय से संबंधित या उसे आनुषंगिक अन्य सभी मामलों में, बना सकेगी।

(4) उपधारा (3) के अधीन बनाई गई स्कीम यह उपबंध कर सकेगी, कि,—

(क) ऐसी किसी स्कीम के अधीन किसी दावाकर्ता को अंतरिम अनुतोष के रूप में ऐसी राशि का संदाय, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए;

(ख) उसके किसी उपबंध का उल्लंघन करना ऐसी अवधि के कारावास से जो दो वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो पच्चीस हजार रुपए से कम नहीं होगा किन्तु पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा;

(ग) ऐसी स्कीम द्वारा किसी अधिकारी या प्राधिकारी को प्रदत्त या उसके अधिरोपित शक्तियां, कृत्य या कर्तव्य, केंद्रीय सरकार के पूर्व लिखित अनुमोदन से, ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा अन्य अधिकारी या प्राधिकारी को प्रत्यायोजित किए जा सकेंगे।

1972 का 57　162. (1) साधारण बीमा कंपनी (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या विधि का बल रखने वाली किसी लिखत में किसी बात के होते हुए भी, भारत में तत्समय कारबार कर रही साधारण बीमा कंपनियां इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार और इस अधिनियम के अधीन बनाई गई स्कीम के अनुसार सड़क दुर्घटना पीड़ितों के, जिसके अंतर्गत स्वर्णिम काल के दौरान हुई दुर्घटनाओं के पीड़ित भी हैं, उपचार के लिए उपबंध करेंगी। स्वर्णिम काल के लिए स्कीम।

(2) केन्द्रीय सरकार स्वर्णिम काल के दौरान हुई दुर्घटना के पीड़ितों के लिए नकदी रहित उपचार के लिए स्कीम बनाएगी और ऐसी स्कीम में ऐसे उपचार के लिए निधि के सृजन संबंधी उपबंध अंतर्विष्ट हो सकेंगे।

163. (1) धारा 161 के अधीन किसी व्यक्ति की मृत्यु या उसको हुई घोर उपहति की बाबत प्रतिकर का संदाय इस शर्त के अधीन रहते हुए होगा कि यदि कोई प्रतिकर (जिसे इस उपधारा में इसके पश्चात् अन्य प्रतिकर कहा गया है) या प्रतिकर के लिए दावे के बदले में या इसके चुकाए जाने के रूप में अन्य रकम, इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या अन्यथा के अधीन ऐसी मृत्यु या घोर उपहति की बाबत अधिनिर्णीत की जाती है या संदत्त की जाती है, तो अन्य उतने प्रतिकर या अन्य पूर्वोक्त रकम का उतना भाग जितना धारा 161 के अधीन संदत्त प्रतिकर के बराबर हो, बीमाकर्ता को वापस किया जाएगा। धारा 161 के अधीन संदत्त प्रतिकर के कतिपय मामलों में प्रतिदाय।

(2) इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन धारा 161 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि से भिन्न मोटर यान के उपयोग के कारण हुई किसी व्यक्ति की मृत्यु या उसको हुई शारीरिक क्षति को अन्तर्वलित करने वाली दुर्घटना के संबंध में प्रतिकर अधिनिर्णीत करने से पूर्व, दावा अधिकरण, न्यायालय या ऐसा प्रतिकर अधिनिर्णीत करने वाला अन्य प्राधिकारी इस बारे में सत्यापन करेगा कि क्या ऐसी मृत्यु या शारीरिक क्षति की बाबत प्रतिकर का संदाय धारा 161 के अधीन पहले ही कर दिया गया है या प्रतिकर के संदाय के लिए आवेदन उस धारा के अधीन लंबित है और ऐसा अधिकरण, न्यायालय या अन्य प्राधिकारी—

(क) यदि प्रतिकर धारा 161 के अधीन पहले ही संदत्त कर दिया गया है, उसके द्वारा अधिनिर्णीत प्रतिकर का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति को यह निदेश देगा कि वह बीमाकर्ता को उसके उतने भाग का प्रतिदाय करे जितना उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार वापस किया जाना अपेक्षित है;

(ख) यदि प्रतिकर के संदाय के लिए आवेदन धारा 161 के अधीन लंबित है तो वह बीमाकर्ता को उसके द्वारा अधिनिर्णीत प्रतिकर के बारे में विशिष्टियां अग्रेषित करेगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, धारा 161 के अधीन प्रतिकर के लिए आवेदन तब लंबित समझा जाएगा,—

(i) यदि ऐसा आवेदन नामंजूर कर दिया गया है तो आवेदन की नामंजूरी की तारीख तक; और

(ii) किसी अन्य मामले में, आवेदन के अनुसरण में प्रतिकर के संदाय किए जाने की तारीख तक।

164. (1) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या विधि का बल रखने वाली लिखत में किसी बात के होते हुए, मोटर यान का स्वामी या प्राधिकृत बीमाकर्ता मोटर यान के उपयोग के कारण उद्भूत किसी दुर्घटना के कारण मृत्यु या घोर उपहति की दशा में, यथास्थिति, विधिक वारिसों या पीड़ित को, मृत्यु की दशा में पांच लाख रुपए या घोर उपहति की दशा में दो लाख पचास हजार रुपए की रकम का संदाय करने का दायी होगा। मृत्यु या घोर उपहति, आदि के मामले में प्रतिकर का संदाय।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर के लिए किसी दावे में, दावाकर्ता से यह अभिवाक या सिद्ध करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी की मृत्यु या घोर उपहति, जिसकी बाबत दावा किया गया है, यान के या संबद्ध यान के या किसी अन्य व्यक्ति के किसी सदोष कार्य या उसकी उपेक्षा या व्यतिक्रम के कारण हुई थी।

(3) जहां, मोटरयान के उपयोग के कारण हुई दुर्घटना के कारण मृत्यु या घोर उपहति की बाबत तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन प्रतिकर का संदाय किया गया है, वहां प्रतिकर की ऐसी रकम इस धारा के अधीन संदेय प्रतिकर की रकम से घटा दी जाएगी।

दावाकर्ताओं के लिए अंतरिम अनुतोष हेतु स्कीम।

164क. (1) केंद्रीय सरकार, इस अध्याय के अधीन प्रतिकर हेतु प्रार्थना करने वाले दावाकर्ताओं को अंतरिम अनुतोष का उपबंध करने के लिए स्कीमें बना सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाई गई कोई स्कीम, जहां किसी ऐसे मोटर यान के उपयोग से या अन्य स्रोतों से, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं, द्वावा उद्‌भूत होता है, वहां ऐसे मोटर यान के स्वामी से ऐसी स्कीम के अधीन संवितरित निधियों की वसूली की प्रक्रिया के लिए भी उपबंध होगा।

मोटर यान दुर्घटना निधि।

164ख. (1) केन्द्रीय सरकार द्वारा मोटर यान दुर्घटना निधि नामक निधि का गठन किया जाएगा और जिसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा—

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित तथा अनुमोदित प्रकृति का संदाय;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा निधि में किए गए कोई अनुदान या ऋण;

(ग) धारा 163 के अधीन विरचित स्कीम के अधीन सृजित निधि का अतिशेष, जैसा वह मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रारंभ से ठीक पूर्व विद्यमान था; और

(घ) आय का कोई अन्य स्रोत, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए।

(2) भारत के राज्यक्षेत्र में सभी सड़क उपयोक्ताओं को अनिवार्य बीमा कवर प्रदान करने के प्रयोजन के लिए निधि गठित की जाएगी।

(3) निधि का निम्नलिखित के लिए उपयोग किया जाएगा—

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 162 के अधीन विरचित स्कीम के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों का उपचार;

(ख) धारा 161 के अधीन विरचित स्कीमों के अनुसार ऐसी सड़क दुर्घटनाओं, जिनमें यान टक्कर मारकर भाग गया है, में मृतक व्यक्ति के प्रतिनिधियों को प्रतिकर;

(ग) धारा 161 के अधीन विरचित स्कीमों के अनुसार ऐसी सड़क दुर्घटनाओं, जिनमें यान टक्कर मारकर भाग गया है, में ऐसे व्यक्ति को प्रतिकर, जिसे घोर उपहति कारित हुई है;

(घ) ऐसे व्यक्तियों को प्रतिकर, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए।

(4) अधिकतम दायित्व रकम, जिसे प्रत्येक मामले में संदत्त किया जाएगा, वह होगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए।

(5) उपधारा (3) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट सभी मामलों में, जब ऐसे व्यक्तियों का दावा संदेय हो जाता है, जहां किसी व्यक्ति को रकम का संदाय इस निधि में से किया गया है, वहां वही रकम बीमा कंपनी से ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्त दावे से कटौती योग्य होगी।

(6) निधि का प्रबंध ऐसे प्राधिकारी या अभिकरण द्वारा किया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करे—

(क) अभिकरण के बीमा कारबार का ज्ञान;

(ख) निधियों का प्रबंध करने की अभिकरण की क्षमता;

(ग) कोई अन्य मापदंड जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए।

(7) केंद्रीय सरकार, समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख बनाए रखेगी और केंद्रीय सरकार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से विहित किए जाने वाले प्ररूप में निधि के लेखाओं की एक वार्षिक विवरणी तैयार करेगी।

(8) निधि के लेखाओं की संपरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(9) भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक या उसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन निधि के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के पास सरकारी लेखाओं की ऐसी संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार होगा और विशिष्ट रूप से उनके पास बहियों, लेखाओं, संबद्ध वाउचरों, अन्य दस्तावेजों तथा कागजपत्रों को पेश करने की मांग करने और प्राधिकरण के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(10) भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक या उसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित निधि के लेखाओं को उन पर संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक रूप से केंद्रीय सरकार को अग्रेषित किया जाएगा और केंद्रीय सरकार उसे संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।

(11) धारा 161 की उपधारा (3), जैसी वह मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रारंभ से ठीक पूर्व विद्यमान थी, के अधीन विरचित किसी स्कीम को बंद किया जाएगा और इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से उसके अधीन प्रोद्भूत होने वाले सभी अधिकारों और दायित्वों की पूर्ति निधि में से की जाएगी।

केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति।

164ग. (1) केन्द्रीय सरकार इस अध्याय के उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजनों के लिए नियम बना सकेगी।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेंगे:—

(क) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्ररूप,—

(i) बीमा पालिसी का प्ररूप और वे विशिष्टियां, जो धारा 147 की उपधारा (3) में यथा निर्दिष्ट रूप में उसमें अंतर्विष्ट होंगी;

(ii) धारा 157 की उपधारा (2) के अधीन बीमा प्रमाणपत्र में अंतरण के तथ्य के संबंध में परिवर्तन करने के लिए प्ररूप;

(iii) वह प्ररूप, जिसमें दुर्घटना की जानकारी संबंधी रिपोर्ट तैयार की जा सकेगी, वे विशिष्टियां, जो इसमें अंतर्विष्ट होंगी, धारा 159 के अधीन उस रिपोर्ट को दावा अधिकरण और किसी अन्य अभिकरण को प्रस्तुत करने की रीति और समय;

(iv) धारा 160 के अधीन सूचना प्रस्तुत करने के लिए प्ररूप;

(v) धारा 164ख की उपधारा (7) के अधीन मोटर यान दुर्घटना निधि के लिए लेखाओं के वार्षिक विवरण का प्ररूप;

(ख) बीमा प्रमाणपत्रों के लिए आवेदन करना तथा उन्हें जारी करना;

(ग) गुमशुदा, विनष्ट या विकृत बीमा प्रमाणपत्रों को बदलने के लिए दूसरी प्रति जारी करना;

(घ) बीमा प्रमाणपत्रों की अभिरक्षा, प्रस्तुतिकरण, रद्दकरण और अभ्यर्पण;

(ङ) इस अध्याय के अधीन जारी बीमा पालिसियों के बीमाकर्ताओं द्वारा अभिलेखों का रखा जाना;

(च) इस अध्याय के उपबंधों से छूट-प्राप्त व्यक्तियों या यानों की प्रमाणपत्रों या अन्यथा द्वारा पहचान;

(छ) बीमाकर्ताओं द्वारा बीमा की पालिसियों के संबंध में जानकारी देना;

(ज) केवल अस्थायी रूप से रुकने वाले व्यक्तियों द्वारा भारत में लाए गए यानों को व्यतिकारी देश में रजिस्ट्रीकृत यानों के लिए और विहित उपातंरणों सहित इन उपबंधों को लागू करके भारत में किसी मार्ग पर या किसी क्षेत्र में प्रचालित करने के लिए इस अध्याय के उपबंधों को अंगीकार करना;

(झ) वे अपेक्षाएं जिनके संबंध में किसी बीमा प्रमाणपत्र से धारा 145 के खंड (ख) में निर्दिष्ट किए गए अनुसार अनुपालन करने की अपेक्षा की जाती है;

(ञ) धारा 146 की उपधारा (3) के अधीन स्थापित निधि का प्रशासन;

(ट) धारा 147 की उपधारा (2) के अधीन न्यूनतम प्रीमियम और बीमाकर्ता का अधिकतम दायित्व;

(ठ) वे शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए कोई बीमा पालिसी जारी की जाएगी और धारा 147 की उपधारा (3) में यथा निर्दिष्ट उससे संबंधित अन्य विषय;

(ड) धारा 149 की उपधारा (2) के अधीन समझौते के ब्यौरे, ऐसे समझौते की समय-सीमा और उसकी प्रक्रिया;

(ढ) धारा 158 की उपधारा (3) के परंतुक के अधीन छूटों और उपांतरणों का विस्तार;

(ण) धारा 158 की उपधारा (5) के अधीन अन्य साक्ष्य;

(त) ऐसा अन्य अभिकरण, जिसको धारा 159 में यथानिर्दिष्ट दुर्घटना सूचना संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सकेगी;

(थ) धारा 160 के अधीन सूचना प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा और फीस;

(द) धारा 161 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन मृत्यु के संबंध में प्रतिकर की उच्चतर रकम;

(ध) धारा 161 की उपधारा (4) के खंड (क) में यथा निर्दिष्ट अंतरिम अनुतोष के रूप में संदत्त की जाने वाली राशि;

(न) धारा 164 की उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर के संदाय के लिए प्रक्रिया;

(प) ऐसे अन्य स्रोत, जिनसे धारा 164क की उपधारा (2) में यथा निर्दिष्ट स्कीम के लिए निधियां वसूल की जा सकेंगी;

(फ) आय का कोई अन्य स्रोत, जिसे धारा 164ख की उपधारा (1) के अधीन मोटर यान दुर्घटना निधि में जमा किया जाएगा;

(ब) वे व्यक्ति, जिनको धारा 164ख की उपधारा (3) के खंड (घ) के अधीन प्रतिकर का संदाय किया जा सकेगा;

(भ) धारा 164ख की उपधारा (4) के अधीन दायित्व की अधिकतम रकम;

(म) धारा 164ख की उपधारा (6) के खंड (ग) के अधीन अन्य मानदंड;

(य) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए या जिसके संबंध में नियमों द्वारा उपबंध किए जाने हैं।

सरकार की नियम बनाने की शक्ति।

164घ. (1) राज्य सरकार, धारा 164ग में विनिर्दिष्ट विषयों से भिन्न इस अध्याय के उपबंधों को क्रियान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेंगे,—

(क) धारा 147 की उपधारा (5) के अधीन अन्य प्राधिकारी; और

(ख) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए या जिसके संबंध में नियमों द्वारा उपबंध किए जाने हैं।'।

धारा 165 का संशोधन।

52. मूल अधिनियम की धारा 165 के स्पष्टीकरण में "धारा 140 और धारा 163क" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "धारा 164" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

धारा 166 का संशोधन।

53. मूल अधिनियम की धारा 166 में,—

(i) उपधारा (1) में, परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु यह और कि जहां कोई व्यक्ति धारा 149 के अधीन उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार धारा 164 के अधीन प्रतिकर स्वीकार करता है, वहां दावा अधिकरण के समक्ष उसकी दावा याचिका व्यपगत हो जाएगी।'';

(ii) उपधारा (2) में, परंतुक का लोप किया जाएगा;

(iii) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्—

''(3) प्रतिकर के लिए कोई आवेदन तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे दुर्घटना के होने से छह मास के भीतर प्रस्तुत न किया गया हो।'';

(iv) उपधारा (4) में ''धारा 158 की उपधारा (6)'' शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, ''धारा 159'' शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(v) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(5) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी दुर्घटना में क्षति के लिए प्रतिकर का दावा करने वाले व्यक्ति का अधिकार, जिस व्यक्ति को क्षति पहुंची है, उसकी मृत्यु होने पर उसके विधिक प्रतिनिधियों के लिए, इस बात को ध्यान में न रखते हुए कि मृत्यु का कारण क्षति वाले किसी अन्तर्संबंध से संबंधित है या नहीं अथवा इसका उसके साथ कोई अन्तर्संबंध था या नहीं, विद्यमान होगा।''।

54. मूल अधिनियम की धारा 168 की उपधारा (1) में,— धारा 168 का संशोधन।

(i) ''धारा 162'' शब्द और अंकों के स्थान पर, ''धारा 163'' शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ii) परंतुक का लोप किया जाएगा।

55. मूल अधिनियम की धारा 169 की उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात:— धारा 169 का संशोधन।

''(4) इसके अधिनिर्णय के प्रवर्तन के प्रयोजन के लिए, दावा अधिकरण को भी सिविल प्रक्रिया
1908 का 5 संहिता, 1908 के अधीन डिक्री के निष्पादन में सिविल न्यायालय की इस प्रकार सभी शक्तियां प्राप्त होंगी मानो अधिनिर्णय किसी सिविल वाद में ऐसे न्यायालय द्वारा पारित धन के संदाय के लिए डिक्री थी।''।

56. मूल अधिनियम की धारा 170 में ''धारा 149'' शब्द और अंकों के स्थान पर, ''धारा 150'' शब्द और अंक रखे जाएंगे। धारा 170 का संशोधन।

57. मूल अधिनियम की धारा 173 की उपधारा (2) में, ''दस हजार'' शब्दों के स्थान पर, ''एक लाख'' शब्द रखे जाएंगे। धारा 173 का संशोधन।

58. मूल अधिनियम की धारा 177, में, ''एक सौ रुपए'' और ''तीन सौ रुपए'' शब्दों के स्थान पर, क्रमश: ''पांच सौ रुपए'' और ''एक हजार पांच सौ रुपए'' शब्द रखे जाएंगे। धारा 177 का संशोधन।

59. मूल अधिनियम की धारा 177 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:— धारा 177क का संशोधन।

''177क. जो कोई धारा 118 के अधीन बनाए गए विनियमों का उल्लंघन करता है, वह ऐसे जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए से कम का नहीं होगा किंतु एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।''। धारा 118 के अधीन विनियमों के उल्लंघन के लिए शास्ति।

60. मूल अधिनियम की धारा 178 की उपधारा (3) के खंड (ख) में ''दो सौ रुपए'' शब्दों के स्थान पर, ''पांच सौ रुपए'' शब्द रखे जाएंगे। धारा 178 का संशोधन।

61. मूल अधिनियम की धारा 179 में,— धारा 179 का संशोधन।

(i) उपधारा (1) में ''पांच सौ रुपए'' शब्दों के स्थान पर, ''दो हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (2) में ''पांच सौ रुपए'' शब्दों के स्थान पर, ''दो हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 180 का संशोधन।

62. मूल अधिनियम की धारा 180 में ''एक हजार रुपए तक का हो सकेगा'' शब्दों के स्थान पर, ''पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 181 का संशोधन।

63. मूल अधिनियम की धारा 181 में ''जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा'' शब्दों के स्थान पर, ''पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 182 का संशोधन।

64. मूल अधिनियम की धारा 182 में,—

(i) उपधारा (1) में ''जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा'' शब्दों के स्थान पर, ''दस हजार रुपए का हो सकेगा'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (2) में ''एक सौ रुपए'' शब्दों के स्थान पर, ''दस हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

नई धारा 182क का प्रतिस्थापन।

65. मूल अधिनियम की धारा 182क के स्थान पर, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

मोटर यानों और उनके संघटकों के संनिर्माण, रखरखाव, विक्रय और परिवर्तन से संबंधित अपराधों के लिए दंड।

''182क. (1) जो कोई मोटर यानों का विनिर्माता, आयातकर्ता या ब्यौहारी होने के कारण, मोटर यान का विक्रय करता है या परिदान करता है या उसमें परिवर्तन करता है या विक्रय करने या परिदान करने या परिवर्तन करने की प्रस्थापना करता है जो अध्याय 7 या, उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के उल्लंघन में है, ऐसी अवधि के कारावास से जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से जो ऐसे प्रत्येक मोटर यान के लिए एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा:

परंतु कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन सिद्धदोष नहीं ठहराया जाएगा यदि वह यह साबित कर देता है कि ऐसे मोटर यान के विक्रय या परिदान या परिवर्तन या विक्रय या परिदान या परिवर्तन प्रस्थापना के समय उसने उस रीति, जिसमें ऐसा मोटर यान अध्याय 7 या उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के उल्लंघन में था, को अन्य पक्षकारों को प्रकट किया था।

(2) जो कोई, मोटर यान का विनिर्माता होने के कारण, अध्याय 7 या उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों का अनुपालन करने में असफल रहता है तो ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से जो एक अरब रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा।

(3) जो कोई, किसी मोटर यान के किसी संघटक का विक्रय करता है या विक्रय करने की प्रस्थापना करता है या उसके विक्रय को अनुज्ञात करता है, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा महत्वपूर्ण सुरक्षा संघटक के रूप में अधिसूचित किया गया है और जो अध्याय 7 या उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों का अनुपालन नहीं करता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से जो ऐसे प्रत्येक संघटक के लिए एक लाख रुपए का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा।

(4) जो कोई मोटर यान का स्वामी होने के कारण, किसी मोटर यान, जिसके अंतर्गत, किसी ऐसी रीति में, मोटर यान के पुर्जों का पश्च फिटिंग करने का माध्यम भी है, का परिवर्तन करता है जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए अधिनियमों या नियमों और विनियमों के अधीन अनुज्ञात नहीं है, ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक की हो सकेगी या ऐसे प्रत्येक परिवर्तन के लिए ऐसे जुर्माने से जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा।

धारा 62क के उल्लंघन के लिए दंड।

182ख. जो कोई धारा 62क के उपबंधों का उल्लंघन करता है, ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए से कम का नहीं होगा किंतु दस हजार रुपए तक को हो सकेगा, से दंडनीय होगा।''।

धारा 183 का संशोधन।

66. मूल अधिनियम की धारा 183 में,—

(i) उपधारा (1) में,—

(क) ''जो कोई धारा 112 में विनिर्दिष्ट गतिसीमा का उल्लंघन करके मोटर यान चलाएगा''

शब्दों के पश्चात् ''या किसी ऐसे व्यक्ति से, जो उसके द्वारा नियोजित है या उसके नियंत्रण के अधीन किसी व्यक्ति से उसे चलवाएगा'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ख) ''जो चार सौ रुपए तक का हो सकेगा, या इस उपधारा के अधीन अपराध के लिए पहले ही दोषसिद्ध हो चुकने पर इस उपधारा के अधीन अपराध के लिए पुन: दोषसिद्ध होने की दशा में जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक हो सकेगा, दंडनीय होगा'', शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात्:—

''निम्नलिखित रीति में, अर्थात्:—

(i) जहां कोई ऐसा मोटर यान हल्का मोटर यान है वहां ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपए से कम नहीं होगा किन्तु दो हजार रुपए तक हो सकेगा;

(ii) जहां ऐसा मोटर यान मध्यम माल यान या मध्यम यात्री यान या भारी माल यान या भारी यात्री यान है वहां ऐसे जुर्माने से, जो दो हजार रुपए से कम नहीं होगा किन्तु चार हजार रुपए तक का हो सकेगा; और

(iii) इस उपधारा के अधीन दूसरे या किसी पश्चात्वर्ती अपराध के लिए ऐसे चालक की चालन अनुज्ञप्ति धारा 206 की उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार परिबद्ध कर ली जाएगी।'';

(ii) उपधारा (2) का लोप किया जाएगा;

(iii) उपधारा (3) में ''यांत्रिक'' शब्द के पश्चात् ''या इलैक्ट्रानिक'' शब्द अंत:स्थापित किया जाएगा;

(iv) उपधारा (4) में ''उपधारा (2)'' शब्द, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, ''उपधारा (1)'' शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे।

67. मूल अधिनियम की धारा 184 में,— धारा 184 का संशोधन।

(i) ''साधारण जनता के लिए खतरनाक है'' शब्दों के पश्चात्, ''या जो यान के अधिभोगियों, अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं और सड़कों के निकट व्यक्तियों को चेतावनी या संकट का बोध कराता है'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ii) ''जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा'' शब्दों के स्थान पर, ''जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी किंतु जो छह मास से कम की नहीं होगी या ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपए से कम नहीं होगा किन्तु पांच हजार रुपए तक हो सकेगा या दोनों से'' शब्द रखे जाएंगे;

(iii) ''जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा'' शब्दों के स्थान पर, ''जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा'' शब्द रखे जाएंगे;

(iv) निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''**स्पष्टीकरण**—इस धारा के उद्देश्य के लिए—

(क) लाल बत्ती को पार करना;

(ख) स्टॉप साइन का उल्लंघन करना;

(ग) गाड़ी चलाते समय हाथ में रखी संसूचना युक्तियों का प्रयोग;

(घ) विधि के विरुद्ध किसी रीति में अन्य यानों के पास से गुजरना या उनसे आगे निकलना;

(ङ) यातायात के प्राधिकृत प्रवाह के विरुद्ध चालन करना;

(च) किसी ऐसी रीति में गाड़ी चलाना, जो उससे बहुत कम है जिसकी किसी सक्षम और

सावधान चालक से अपेक्षा की जाएगी और जहां किसी सक्षम और सावधान चालक को यह स्पष्ट होगा कि उस रीति में गाड़ी चलाना खतरनाक होगा,

से ऐसी रीति में चलाना, जो जनता के लिए खतरनाक है, की कोटि में आएगा।''।

धारा 185 का संशोधन।

68. मूल अधिनियम की धारा 185 में,—

(i) खंड (क) में, ''श्वास विश्लेषक'' शब्दों के पश्चात् ''या किसी अन्य परीक्षण जिसके अंतर्गत प्रयोगशाला परीक्षण भी है, में'', शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ii) ''जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा'' शब्दों के स्थान पर, ''जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा'' शब्द रखे जाएंगे;

(iii) '''यदि वैसे ही पूर्ववर्ती अपराध के किए जाने के तीन वर्ष के भीतर किया गया है'' शब्दों का लोप किया जाएगा;

(iv) ''जो तीन हजार रुपए तक हो सकेगा'' शब्दों के स्थान पर, ''जो पन्द्रह हजार रुपए तक का हो सकेगा'' शब्द रखे जाएंगे;

(v) स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात्:—

'**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ''मादक द्रव्य'' पद से ''अल्कोहल, प्राकृतिक या कृत्रिम से भिन्न कोई मादक या कोई अन्य प्राकृतिक सामग्री या कोई लवण या ऐसे पदार्थ या सामग्री की निर्मिति अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए और इसके अंतर्गत स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 2 के खंड (xiv) और खंड (xxiii) में यथा परिभाषित स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ भी हैं।'। 1985 का 61

धारा 186 का संशोधन।

69. मूल अधिनियम की धारा 186 में, ''दो सौ रुपए'' और ''पांच सौ रुपए'' शब्दों के स्थान पर, ''एक हजार रुपए'' और ''दो हजार रुपए'' शब्द क्रमश: रखे जाएंगे।

धारा 187 का संशोधन।

70. मूल अधिनियम की धारा 187 में,—

(i) ''(ग)'' कोष्ठकों और अक्षर के स्थान पर, ''(क)'' अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(ii) ''तीन मास'' शब्दों के स्थान पर, ''छह मास'' शब्द रखे जाएंगे;

(iii) ''जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा'' शब्दों के स्थान पर, ''जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा'' शब्द रखे जाएंगे;

(iv) ''छह मास'' शब्दों के स्थान पर, ''एक वर्ष'' शब्द रखे जाएंगे; और

(v) ''जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा'' शब्दों के स्थान पर, ''जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 189 का संशोधन।

71. मूल अधिनियम की धारा 189 में,—

(i) ''एक मास'' शब्दों के स्थान पर, ''तीन मास'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) ''जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा'' शब्दों के स्थान पर, ''जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा'' शब्द रखे जाएंगे;

(iii) ''दोनों से'' शब्दों के पश्चात्, ''और पश्चात्वर्ती अपराध के लिए ऐसी अवधि के कारावास से जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा'' शब्द अन्त:स्थापित किए जाएंगे।

धारा 190 का संशोधन।

72. मूल अधिनियम की धारा 190 में,—

(i) उपधारा (1) में,—

(क) ''जो दो सौ पचास रुपए तक का हो सकेगा'' शब्दों के स्थान पर, ''जो पंद्रह सौ रुपए तक का हो सकेगा'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) ''जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा'' शब्दों के स्थान पर, ''जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा'' शब्द रखे जाएंगे; और

(ग) ''दोनों से'' शब्दों के पश्चात्, ''और पश्चात्वर्ती अपराध के लिए ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या शारीरिक क्षति या संपत्ति के नुकसान के लिए दस हजार रुपए के जुर्माने से दंडनीय होगा'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ii) उपधारा (2) में,—

(क) ''एक हजार रुपए तक के जुर्माने से'' शब्दों के स्थान पर, ''ऐसे कारावास, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से और वह तीन मास की अवधि के लिए अनुज्ञप्ति धारण करने के लिए निरर्हित हो जाएगा'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) ''दो हजार रुपए तक के जुर्माने से'' शब्दों के स्थान पर, ''ऐसे कारावास जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से'' शब्द रखे जाएंगे; और

(iii) उपधारा (3) में,—

(क) ''जो तीन हजार रुपए तक का हो सकेगा'' शब्दों के स्थान पर, ''जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा और वह तीन मास की अवधि के लिए अनुज्ञप्ति धारण करने के लिए निरर्हित होगा''; और

(ख) ''जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा'' शब्दों के स्थान पर, ''जो बीस हजार रुपए तक का हो सकेगा'' शब्द रखे जाएंगे।

73. मूल अधिनियम की धारा 191 का लोप किया जाएगा। धारा 191 का लोप।

74. मूल अधिनियम की धारा 192 में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— धारा 192 का संशोधन।

''**स्पष्टीकरण**—धारा 56 के उपबंधों के उल्लंघन में मोटर यान का उपयोग धारा 39 के उपबंधों का उल्लंघन होना समझा जाएगा और उपधारा (1) में यथा उपबंधित वैसी ही रीति में दंडनीय होगा।''।

75. मूल अधिनियम की धारा 192क की उपधारा (1) में,— धारा 192क का संशोधन।

(i) ''प्रथम अपराध के लिए'' शब्दों के पश्चात्, ''ऐसे कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी और'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ii) ''जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा किंतु दो हजार रुपए से कम का नहीं होगा'' शब्दों के स्थान पर, ''जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा'' शब्द रखे जाएंगे;

(iii) ''तीन मास'' शब्दों के स्थान पर, ''छह मास'' शब्द रखे जाएंगे;

(iv) ''जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा किंतु पांच हजार रुपए से कम का नहीं होगा'' शब्दों के स्थान पर, ''जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा'' शब्द रखे जाएंगे।

76. मूल अधिनियम की धारा 192क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:— नई धारा 192ख का अंत:स्थापन।

''192ख. (1) जो कोई, मोटर यान का स्वामी होते हुए भी, धारा 41 की उपधारा (1) के अधीन ऐसे मोटर यान के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने में असफल रहता है, तो वह मोटर यान के वार्षिक सड़क कर का पांच गुना या आजीवन कर के एक-तिहाई जुर्माने से, जो भी अधिक हो, दंडनीय होगा। रजिस्ट्रीकरण से संबंधित अपराध।

(2) जो कोई व्यौहारी होते हुए, धारा 41 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के अधीन नए मोटर यान के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने में असफल रहता है तो वह मोटर यान के वार्षिक सड़क कर या आजीवन कर के पंद्रह गुना जुर्माने से दंडनीय होगा।

(3) जो कोई, मोटर यान का स्वामी होते हुए, ऐसे दस्तावेजों के आधार पर ऐसे यान के लिए रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करता है जो तथ्यों के प्रतिरूपण द्वारा किसी तात्त्विक विशिष्टि में मिथ्या थे या मिथ्या था या उस पर उत्कीर्ण इंजन संख्या या चेसिस संख्या, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में प्रविष्ट ऐसी संख्या से भिन्न हैं जो ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास से कम का नहीं होगा किंतु जो एक वर्ष तक का हो सकेगा और मोटर यान के वार्षिक सड़क कर के दस गुना रकम या आजीवन कर के दो-तिहाई रकम के बराबर जुर्माने से, जो भी अधिक हो, दंडनीय होगा।

(4) जो कोई, ऐसा व्यौहारी होते हुए, ऐसे दस्तावेजों के आधार पर ऐसे यान के लिए रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र, जो तथ्यों के प्रतिरूपण द्वारा किसी तात्त्विक विशिष्टि में मिथ्या थे या मिथ्या था या उस पर उत्कीर्ण इंजन संख्या या चेसिस संख्या रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में प्रविष्ट ऐसी संख्या से भिन्न है तो वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास से कम का नहीं होगा किंतु जो एक वर्ष तक का हो सकेगा और जो मोटर यान के वार्षिक सड़क कर के दस गुना रकम या आजीवन कर के दो-तिहाई रकम के बराबर, जो भी अधिक हो, जुर्माने से दंडनीय होगा।''।

धारा 193 का संशोधन।

77. मूल अधिनियम में,—

(अ) धारा 193 के पार्श्व शीर्षक में ''अभिकर्ताओं और प्रचारकों' शब्दों के स्थान पर, ''अभिकर्ताओं, प्रचारकों और संकलनकर्ताओं'' शब्द रखे जाएंगे;

(आ) धारा 193 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा, और—

(i) इस प्रकार संख्यांकित उपधारा (1) में,—

(क) ''जुर्माने से जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा'' शब्दों के स्थान पर, ''एक हजार रुपए के जुर्माने से '' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) ''जुर्माने से जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा'' शब्दों के स्थान पर, ''दो हजार रुपए के जुर्माने से'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) इस प्रकार संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

''(2) जो कोई धारा 93 या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में एक संकलनकर्ता के रूप में कार्य करता है तो वह ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा किंतु पच्चीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा।

(3) जो कोई, एक संकलनकर्ता के रूप में कार्य करते समय, धारा 93 की उपधारा (1) के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्ति की ऐसी शर्त का उल्लंघन करता है जो राज्य सरकार द्वारा तात्त्विक शर्त के रूप में नामनिर्दिष्ट नहीं है, पांच हजार रुपए के जुर्माने से दंडनीय होगा।''।

धारा 194 का संशोधन।

78. मूल अधिनियम की धारा 194 में,—

(i) उपधारा (1) में,—

(क) ''न्यूनतम'' शब्द का लोप किया जाएगा;

(ख) ''दो हजार रुपए के न्यूनतम जुर्माने से और लदान सीमा से अधिक भार को उतरवाने के लिए प्रभारों का संदाय करने के दायित्व सहित ऐसे अधिक भार के लिए एक हजार रुपए प्रति टन के हिसाब से अतिरिक्त रकम से'' शब्दों के स्थान पर, ''बीस हजार रुपए के न्यूनतम जुर्माने से और लदान सीमा से अधिक भार को उतरवाने के लिए प्रभारों का संदाय करने के दायित्व सहित ऐसे अधिक भार के लिए दो हजार रुपए प्रति टन के हिसाब से अतिरिक्त रकम से'' शब्द रखे जाएंगे;

(ग) निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु ऐसे मोटर यान ऐसे अधिक भार के हटाए जाने से या ऐसे मोटर यान के नियंत्रण में व्यक्ति द्वारा हटवाए जाने या हटवाए जाने के लिए अनुज्ञात किए जाने से पूर्व चलने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।'';

(ii) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(1क) जो कोई किसी मोटर यान को उस समय चलाता है या मोटर यान को चलवाता है या चलवाने के लिए अनुज्ञात करता है जब ऐसा मोटर यान ऐसी रीति में लदा हुआ है कि भार या उसका कोई भाग या कोई चीज बाडी की साइड से परे या अनुज्ञेय सीमा से परे सामने या पीछे की ओर या ऊंचाई में पार्श्विक रूप से बाहर निकल जाती है ऐसे जुर्माने से दंडनीय होगा जो ऐसे भार के उतराई के लिए प्रभार संदाय करने के दायित्व सहित बीस हजार रुपए से अधिक नहीं होगा:

परंतु ऐसा मोटर यान ऐसे भार को ऐसी रीति में व्यवस्थित किए जाने से पूर्व चलने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा कि बाडी की साइड से परे या अनुज्ञेय सीमा से परे सामने या पीछे की ओर या ऊंचाई में पार्श्विक रूप से बाहर नहीं निकला हुआ है:

परंतु यह और कि इस उपधारा की कोई बात उस समय लागू नहीं होगी जब ऐसे मोटर यान को विशिष्ट भार के वहन को अनुज्ञात करते हुए राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा छूट दे दी गई है।'';

(iii) उपधारा (2) में ''तीन हजार रुपए तक का हो सकेगा'' शब्दों के स्थान पर, ''जो चालीस हजार रुपए तक का हो सकेगा'' शब्द रखे जाएंगे।

79. मूल अधिनियम की धारा 194 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:— नई धारा 194क, 194ख, 194ग, 194घ, 194ङ और 194च का अंत:स्थापन।

''194क. जो कोई, किसी ऐसे परिवहन यान को उस समय चलाता है या परिवहन यान को चलवाता है या चलवाए जाने के लिए अनुज्ञात करता है जब ऐसे परिवहन यान की रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में या ऐसे परिवहन यान में लागू अनुज्ञप्ति शर्तों में प्राधिकृत यात्रियों से अधिक यात्रियों का वहन किया जाता है तो वह दो सौ रुपए प्रति अतिरिक्त व्यक्ति के जुर्माने से दंडनीय होगा: अधिक यात्रियों का वहन।

परंतु ऐसे मोटर यान को चलाने के लिए तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक कि अधिक यात्रियों को नहीं उतार दिया जाता है और ऐसे यात्रियों के लिए वैकल्पिक परिवहन की व्यवस्था नहीं कर दी जाती है।

194ख. (1) जो कोई, सुरक्षा बेल्ट के पहने बिना मोटर यान चलाता है या ऐसे यात्रियों को ले जाता है जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी है वह एक हजार रुपए के जुर्माने से दंडनीय होगा: सुरक्षा बेल्टों का उपयोग और बालकों का बैठना।

परंतु राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे परिवहन यानों को, जो खड़े हुए यात्रियों को वहन करते हैं या परिवहन यानों के अन्य विनिर्दिष्ट वर्गों को इस उपधारा के लागू होने से अपवर्जित कर सकेगी।

(2) जो कोई, किसी ऐसे मोटर यान को चलाता है या चलवाता है या चलवाने के लिए अनुज्ञात करता है, जिसमें कोई ऐसा बालक है जिसने चौदह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है और जो सुरक्षा बेल्ट या किसी बाल अवरोध प्रणाली द्वारा सुरक्षित नहीं है, एक हजार रुपए के जुर्माने से दंडनीय होगा।

194ग. जो कोई, धारा 128 के और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उल्लंघन में कोई मोटर साइकिल चलाता है या मोटर साइकिल को चलवाता है या चलाने के लिए अनुज्ञात करता है तो वह एक हजार रुपए के जुर्माने से दंडनीय होगा और तीन मास की अवधि के लिए अनुज्ञप्ति धारण करने के लिए निरर्हित होगा। मोटर साइकिल ड्राइवरों और पिछली सवारियों के लिए सुरक्षा उपायों के उल्लंघन के लिए शास्ति।

सिर के सुरक्षा पहनावे को न पहनने के लिए शास्ति।

194घ. जो कोई धारा 129 के या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उल्लंघन में मोटर साइकिल चलाता है या मोटर साइकिल चलवाता है या चलवाना अनुज्ञात करता है तो वह एक हजार रुपए के जुर्माने से दंडनीय होगा और तीन मास की अवधि के लिए अनुज्ञप्ति धारण करने के लिए निरर्हित होगा।

आपातकालीन यानों को अबाध रूप से गुजरने देने में असफलता।

194ङ जो कोई, किसी मोटर यान को चलाते समय अग्निशमन सेवा यान के या एम्बूलेंस या अन्य आपातकालीन यान, जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, के आ जाने पर मोटर यान को सड़क की एक ओर ले जाने में असफल रहता है, ऐसे कारावास, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या दस हजार रुपए के जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा।

हार्नों का प्रयोग और ध्वनिमंद क्षेत्र।

194च. जो कोई,—

(क) मोटर यान चलाते समय—

(i) सुरक्षा सुरक्षित करने के लिए अनावश्यक रूप से या निरंतर या सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता से अधिक हार्न बजाना, या

(ii) हार्न के प्रयोग का प्रतिषेध करने वाले यातायात चिह्न वाले क्षेत्र में हार्न बजाना, या

(ख) ऐसा मोटर यान चलाना जो ऐसे कट-आउट का प्रयोग करता है जिसके द्वारा निःशेष गैसों को अवमंदक से भिन्न किसी माध्यम से छोड़ा जाता है,

एक हजार रुपए के जुर्माने से और दूसरे या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए दो हजार रुपए के जुर्माने से दंडनीय होगा।''।

धारा 195 का लोप।

80. मूल अधिनियम की धारा 195 का लोप किया जाएगा।

धारा 196 का संशोधन।

81. मूल अधिनियम की धारा 196 में,—

(i) ''चलाने देगा'' शब्दों के पश्चात्, ''प्रथम अपराध के लिए वह ऐसे कारावास'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) ''एक हजार रुपए'' शब्दों के स्थान पर, ''दो हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे;

(iii) ''दोनों से'' शब्दों के पश्चात्, ''और पश्चात्वर्ती अपराध के लिए ऐसे कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो चार हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

धारा 197 का संशोधन।

82. मूल अधिनियम की धारा 197 में,—

(i) उपधारा (1) में ''जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा'' शब्दों के स्थान पर, ''जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (2) में ''जुर्माने से जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा'' शब्दों के स्थान पर, ''जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 198 का संशोधन।

83. मूल अधिनियम की धारा 198 में, ''जुर्माने से जो एक सौ रुपए तक का हो सकेगा'' शब्दों के स्थान पर, ''जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा'' शब्द रखे जाएंगे।

नई धारा 198क का अंतःस्थापन।

84. मूल अधिनियम की धारा 198 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

सड़क डिजाइन, संनिर्माण और रखरखाव के मानकों का अनुपालन करने में असफल रहना।

''198क. (1) सड़क के डिजाइन या संनिर्माण या रखरखाव के सुरक्षा मानकों के लिए उत्तरदायी कोई अभिहित प्राधिकारी, संविदाकार, परामर्शी या ग्राही, सड़क डिजाइन, संनिर्माण और रखरखाव के ऐसे मानकों का अनुपालन करेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विहित किए जाएं।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन उत्तरदायी किसी अभिहित प्राधिकारी, संविदाकार, परामर्शी या ग्राही द्वारा सड़क डिजाइन, संनिर्माण और रखरखाव के मानकों का अनुपालन करने में असफल रहने के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु या निःशक्तता होती है वहां ऐसा प्राधिकारी या संविदाकार या ग्राही

ऐसे जुर्माने से दंडनीय होगा, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा और उसका संदाय धारा 164ख के अधीन गठित निधि में किया जाएगा।

(3) उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए, न्यायालय विशिष्ट रूप से निम्नलिखित विषयों को ध्यान में रखेगा, अर्थात्:—

(क) सड़क की विशेषताएं और ऐसे यातायात की प्रकृति और किस्म जिसके सड़क के डिजाइन के अनुसार उसके युक्तियुक्त रूप से उपयोग किया जाना प्रत्याशित था;

(ख) उस विशेषता की सड़क और ऐसे यातायात द्वारा उपयोग के लिए लागू रखरखाव संन्नियमों का मानक;

(ग) मरम्मत की वह स्थिति जिसमें सड़क उपयोक्ता उस सड़क को पाए जाने की प्रत्याशा करते हों;

(घ) क्या सड़क के रखरखाव के लिए उत्तरदायी अभिहित प्राधिकारी यह जानता था या उससे यह जानने की युक्तियुक्त रूप से प्रत्याशा की जा सकती थी कि सड़क के उस भाग की, जिससे कार्रवाई संबंधित है, स्थिति के कारण सड़क का उपयोग करने वालों के खतरे में पड़ने की संभावना थी;

(ङ) क्या सड़क के रखरखाव के लिए उत्तरदायी अभिहित प्राधिकारी से युक्तियुक्त रूप से यह प्रत्याशा नहीं की जा सकती थी कि वह हेतुक उद्‌भूत होने से पूर्व सड़क के उस भाग की मरम्मत करे;

(च) क्या सड़क चिह्नों के माध्यम से सड़क की स्थिति के संबंध में पर्याप्त चेतावनी सूचनाएं प्रदर्शित की गई थीं; और

(छ) ऐसे अन्य विषय, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ''संविदाकार'' पद के अन्तर्गत उप-संविदाकार और ऐसे सभी व्यक्ति सम्मिलित होंगे, जो किसी भी प्रक्रम पर सड़क के भाग के डिजाइन, संनिर्माण और रखरखाव के लिए उत्तरदायी हैं।''।

नई धारा 199क और धारा 199ख का अंत:स्थापन।

85. मूल अधिनियम की धारा 199 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

किशोर द्वारा अपराध।

''199क. (1) जहां कोई अपराध इस अधिनियम के अधीन किसी किशोर द्वारा किया गया है वहां ऐसा किशोर, संरक्षक या मोटर यान का स्वामी उल्लंघन का दोषी समझा जाएगा और अपने विरुद्ध कार्रवाई का दायी होगा तथा तद्‌नुसार दंडित किया जाएगा:

परंतु इस उपधारा की कोई बात, ऐसे संरक्षक या स्वामी को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड के लिए दायी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने को रोकने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि किशोर द्वारा मोटर यान का प्रयोग, यथास्थिति, ऐसे किशोर के संरक्षक या मोटर यान के स्वामी की सहमति से किया गया था।

(2) उपधारा (1) के अधीन शास्ति के अतिरिक्त, ऐसा संरक्षक या स्वामी ऐसे कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंध ऐसे संरक्षक या स्वामी को लागू नहीं होंगे यदि अपराध करने वाले किशोर को धारा 8 के अधीन शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति या चालन अनुज्ञप्ति प्रदान की गई थी

और वह ऐसा मोटर यान प्रचालित कर रहा था जिसे प्रचालित करने के लिए ऐसे किशोर को अनुज्ञप्त किया गया था।

(4) जहां इस धारा के अधीन कोई अपराध किसी किशोर द्वारा किया गया है वहां अपराध किए जाने में प्रयुक्त मोटर यान बारह मास की अवधि के लिए रद्द किया जाएगा।

(5) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी किशोर द्वारा किया गया है वहां धारा 4 या धारा 7 के होते हुए भी, ऐसा किशोर धारा 9 के अधीन चालन अनुज्ञप्ति या धारा 8 के अधीन शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि ऐसे किशोर ने पच्चीस वर्ष की आयु पूरी न कर ली हो।

(6) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी किशोर द्वारा किया गया है वहां ऐसा किशोर इस अधिनियम में यथा उपबंधित ऐसे जुर्मानों से दंडनीय होगा जबकि कोई अभिरक्षणीय दंडादेश किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार उपांतरित किया जा सकेगा। 2000 का 56

जुर्मानों का पुनरीक्षण।

199ख. इस अधिनियम में यथा उपबंधित जुर्मानों को मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रारंभ की तारीख से प्रत्येक वर्ष के 1 अप्रैल को वार्षिक आधार पर विद्यमान जुर्मानों के मूल्य से दस प्रतिशत से अनधिक ऐसी रकम तक बढ़ाया जाएगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए।''।

धारा 200 का संशोधन।

86. मूल अधिनियम की धारा 200 में,—

(i) उपधारा (1) में,—

(क) ''धारा 177, धारा 178, धारा 179, धारा 180, धारा 181, धारा 182, धारा 183 की उपधारा (1) या उपधारा (2), धारा 184, धारा 186, धारा 189, धारा 190 की उपधारा (2), धारा 191, धारा 192, धारा 194, धारा 196 या धारा 198 के अधीन दंडनीय'' शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, ''धारा 177, धारा 178, धारा 179, धारा 180, धारा 181, धारा 182 धारा 182क की उपधारा (1) या उपधारा (3) या उपधारा (4), धारा 182ख, धारा 183 की उपधारा (1) या उपधारा (2), धारा 184 हस्तगत संसूचना युक्तियों के उपयोग के विस्तार तक ही, धारा 186, धारा 189, धारा 190 की उपधारा (2), धारा 192, धारा 192क, धारा 194, धारा 194क, धारा 194ख, धारा 194ग, धारा 194घ, धारा 194ङ धारा 194च, धारा 196, धारा 198'' शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु यह कि राज्य सरकार ऐसी रकम के अतिरिक्त, अपराधी से सामुदायिक सेवा की अवधि का वचनबंध करने की अपेक्षा कर सकेगी।'';

(ii) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

''परंतु इस धारा के अधीन प्रशमन के होते हुए भी, ऐसा अपराध यह अवधारण करने के प्रयोजन के लिए उसी अपराध के किए जाने के पूर्व में किया गया समझा जाएगा कि क्या पश्चात्वर्ती अपराध किया गया है:

परंतु यह और कि किसी अपराध का प्रशमन अपराधी को धारा 206 की उपधारा (1) के अधीन कार्यवाहियों से या चालक पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करने की बाध्यता या संपूर्ण सामुदायिक सेवा की बाध्यता से, यदि लागू हो, उन्मुक्त नहीं करेगा।''।

धारा 201 का संशोधन।

87. मूल अधिनियम की धारा 201 में,—

(i) उपधारा (1) में,—

(क) ''नि:शक्त'' शब्द का लोप किया जाएगा;

(ख) ''पचास रुपए'' शब्दों के स्थान पर, ''पांच सौ रुपए'' शब्द रखे जाएंगे;

(ग) दूसरे परंतुक में ''सरकारी अभिकरण द्वारा हटाया जाता है वहां अनुकर्षण प्रभार'' शब्दों के स्थान पर, ''केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अभिकरण द्वारा हटाया जाता है वहां हटाए जाने के प्रभार'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (2) में, ''अनुकर्षण प्रभार'' शब्दों के स्थान पर, ''हटाने के प्रभार'' शब्द रखे जाएंगे;

(iii) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(3) उपधारा (1) वहां लागू नहीं होगी जहां मोटर यान में अनवेक्षित खराबी हो गई है और हटाए जाने की प्रक्रिया में है।'';

(iv) उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए ''हटाए जाने के प्रभारों'' के अंतर्गत एक अवस्थिति से दूसरी अवस्थिति तक एक मोटर यान के हटाए जाने में अंतर्वलित कोई लागत सम्मिलित है और ऐसे मोटर यान के भंडारण के संबंध में कोई लागत भी है।''।

धारा 206 का संशोधन।

88. मूल अधिनियम की धारा 206 में उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(4) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति, यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि मोटर यान के चालक ने धारा 183, धारा 184, धारा 185, धारा 189, धारा 190, धारा 194ग, धारा 194घ और धारा 194ङ में से किसी धारा के अधीन कोई अपराध किया है तो ऐसे चालक द्वारा धारित चालन अनुज्ञप्ति को जब्त करेगा और उसे धारा 19 के अधीन निरर्हता या प्रतिसंहरण कार्यवाहियों के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा:

परन्तु अनुज्ञप्ति को जब्त करने वाला व्यक्ति उसके लिए अस्थायी अभिस्वीकृति अनुज्ञप्ति अभ्यर्पण करने वाले व्यक्ति को देगा किंतु ऐसी अभिस्वीकृति धारक को तब तक चालन करने के लिए प्राधिकृत नहीं करेगी जब तक कि अनुज्ञप्ति उसको न लौटा दी गई हो।''।

नई धारा 210क, धारा 210ख, धारा 210ग और धारा 210घ का अंत:स्थापन।

89. मूल अधिनियम की धारा 210 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

शास्तियों में वृद्धि करने की राज्य सरकार की शक्ति।

''210क. केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार द्वारा बनाई गई शर्तों के अधीन रहते हुए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक जुर्माने को लागू किए जाने वाले, एक से अन्यून और दस से अनधिक गुणक को विनिर्दिष्ट करेगा, जो ऐसे राज्य में प्रवृत्त होगा और में भिन्न-भिन्न गुणक ऐसे मोटर यानों के भिन्न-भिन्न वर्गों को लागू किए जाएंगे जो इस धारा के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्गीकृत किए जाएं।

प्रवर्तनकारी प्राधिकरण द्वारा किए गए अपराध के लिए शास्ति।

210ख. कोई प्राधिकारी जो इस अधिनियम के उपबंधों को प्रवृत्त करने के लिए सशक्त है, यदि ऐसा प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करता है तो वह इस अधिनियम के अधीन उस अपराध के लिए तत्समान शास्ति की दुगनी शास्ति के लिए दायी होगा।

केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति।

210ग. केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित के लिए नियम बना सकेगी—

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों के डिजाइन, संनिर्माण और अनुरक्षण के मानकों;

(ख) ऐसे अन्य कारकों, जिन पर न्यायालय द्वारा धारा 198क की उपधारा (3) के अधीन विचार किया जाए;

(ग) ऐसा कोई अन्य विषय, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया गया है या किया जाना है।

राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति।

210घ. राज्य सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों से भिन्न सड़कों के डिजाइन, संनिर्माण और अनुरक्षण के मानकों के लिए और ऐसे किसी अन्य विषय, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया गया है या किया जाए, के लिए नियम बना सकेगी।''।

नई धारा 211क का अंत:स्थापन।

90. मूल अधिनियम की धारा 211 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

दस्तावेजों और प्ररूपों का इलैक्ट्रानिक उपयोग।

''211क. (1) जहां इस अधिनियम के या तद्धीन बनाए गए नियमों और विनियमों का कोई उपबंध निम्नलिखित के लिए उपबंध करता है,—

(क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी कार्यालय, प्राधिकारी, निकाय या अधिकरण के पास किसी भी रूप में आवेदन या कोई अन्य दस्तावेज ऐसी रीति फाइल किया जाना;

(ख) किसी अनुज्ञप्ति, परमिट, मंजूरी, अनुमोदन या पृष्ठांकन चाहे वह किसी भी नाम से विशिष्ट रीति में ज्ञात हो, का जारी किया जाना या अनुदत्त किया जाना; या

(ग) किसी विशिष्ट रीति में धन की प्राप्ति या उसका संदाय,

तब ऐसे परंतुक में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए, ऐसी अपेक्षा को तब पूरा किया गया समझा जाएगा जब, यथास्थिति, ऐसा फाइल किया जाना, जारी किया जाना, अनुदत्त करना, प्राप्ति या संदाय ऐसे इलैक्ट्रानिक प्ररूप, जो, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए, के माध्यम से किया जाता है।

(2) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए,—

(क) ऐसी रीति और रूपविधान, जिसमें ऐसे इलैक्ट्रानिक प्ररूप या दस्तावेज फाइल किए जाएंगे, सृजित किए जाएंगे या जारी किए जाएंगे; और

(ख) खंड (क) के अधीन किसी इलैक्ट्रानिक दस्तावेज के फाइल करने, सृजित करने या जारी करने के लिए किसी फीस या प्रभारों के संदाय की रीति या पद्धति।''।

धारा 212 का संशोधन।

91. मूल अधिनियम की धारा 212 में,—

(i) उपधारा (4) में,—

(क) ''धारा 112 की उपधारा (1) के परंतुक'' शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के पश्चात्, ''धारा 118'' शब्द और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ख) ''धारा 163क की उपधारा (4)'' शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, ''धारा 177क'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(5) धारा 210क के अधीन राज्य सरकार द्वारा जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना राज्य विधान-मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष इसके बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र रखी जाएगी जहां यह राज्य विधान-मंडल दो सदनों से मिलकर बना है या जहां ऐसा विधान-मंडल एक सदन से मिलकर बना है वहां उस सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, तीस दिन की कुल अवधि के लिए, रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा एक सत्र या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व, यथास्थिति, सदन या दोनों सदन उस अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो वह अधिसूचना जारी नहीं की जानी चाहिए, अधिसूचना, तत्पश्चात्, यथास्थिति ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगी या प्रभावहीन हो जाएगी, यथास्थिति, ऐसा उपांतरण या बातिलीकरण इस अधिसूचना के अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।''।

नई धारा 215क, धारा 215ख, धारा 215ग और धारा 215घ का अंत:स्थापन।

92. मूल अधिनियम की धारा 215 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

''215क. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा शक्तियों के प्रत्यायोजित किए जाने की शक्ति।

(क) केन्द्रीय सरकार को ऐसी किसी शक्ति या कृत्यों को प्रत्यायोजित करने की शक्ति होगी जो इस अधिनियम द्वारा किसी लोक सेवक या लोक प्राधिकारी को प्रदत्त किए गए हैं और इस अधिनियम के अधीन अपनी किन्हीं शक्तियों, कृत्यों तथा कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए ऐसे लोक सेवक या लोक प्राधिकारी को प्राधिकृत करने की शक्ति होगी;

(ख) राज्य सरकार को ऐसी किसी शक्ति या कृत्यों को प्रत्यायोजित करने की शक्ति होगी जो इस अधिनियम द्वारा किसी लोक सेवक या लोक प्राधिकारी को प्रदत्त किए गए हैं और इस अधिनियम के अधीन अपनी किन्हीं शक्तियों, कृत्यों तथा कर्तव्यों के निर्वहन के लिए लोक सेवक या लोक प्राधिकारी को प्राधिकृत करने की शक्ति होगी।

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड।

215ख. (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का गठन करेगी, जो एक अध्यक्ष, राज्य सरकारों से उतनी संख्या में प्रतिनिधियों और उतने अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा, जिन्हें वह आवश्यक समझे और उसका गठन ऐसे निबंधनों और शर्तों पर किया जाएगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

(2) राष्ट्रीय बोर्ड, सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंध से संबंधित सभी पहलुओं पर, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को सलाह देगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं, किंतु यह उन तक सीमित नहीं है,—

(क) मोटर यानों और सुरक्षा उपस्कर के डिजाइन, भार, संनिर्माण, विनिर्माण प्रक्रिया, प्रचालन और अनुरक्षण के मानक;

(ख) मोटर यानों का रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन;

(ग) सड़क सुरक्षा, सड़क अवसंरचना और यातायात के नियंत्रण के लिए मानकों की विरचना;

(घ) सड़क परिवहन पारिस्थितिकी प्रणाली के सुरक्षित और सधारणीय उपयोग को सुकर बनाना;

(ङ) नई यान प्रौद्योगिकी का संवर्धन;

(च) असुरक्षित सड़क उपयोक्ताओं की सुरक्षा;

(छ) चालकों और अन्य सड़क उपयोक्ताओं को शिक्षित करने और संवेदनशील बनाने के लिए कार्यक्रम; और

(ज) ऐसे अन्य कृत्य, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विहित किए जाएं।

केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति।

215ग. (1) केन्द्रीय सरकार इस अध्याय के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिए नियम बना सकेगी।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध हो सकेगा—

(क) धारा 211क में यथा निर्दिष्ट दस्तावेजों को फाइल करने, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा, मंजूरी, अनुमोदन या पृष्ठांकन के जारी करने या अनुदत्त करने और धन की प्राप्ति या संदाय के लिए इलैक्ट्रानिक प्ररूपों और साधनों का उपयोग;

(ख) न्यूनतम अर्हताएं जिन्हें मोटर यान विभाग के अधिकारी या उनका कोई वर्ग धारा 213 की उपधारा (4) में यथा निर्दिष्ट उस रूप में नियुक्ति के लिए रखने की अपेक्षा करें; और

(ग) धारा 215ख की उपधारा (1) के अधीन राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें;

(घ) धारा 215ख की उपधारा (2) के अधीन राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के अन्य कृत्य; और

(ङ) कोई ऐसा अन्य विषय, जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए जिसके संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है।

राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति।

215घ. (1) राज्य सरकार धारा 215ख में, विनिर्दिष्ट विषयों से भिन्न, इस अध्याय के उपबंधों को क्रियान्वित करने के प्रयोजनों के लिए नियम बना सकेगी।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध हो सकेगा—

(क) धारा 211क में यथा निर्दिष्ट दस्तावेजों को फाइल करने, अनुज्ञप्ति, परमिट, मंजूरी, अनुमोदन या पृष्ठांकन के जारी करने या अनुदत्त करने और धन की प्राप्ति या संदाय के लिए इलैक्ट्रानिक प्ररूपों और साधनों का उपयोग;

(ख) मोटर यान विभाग के अधिकारियों के कर्तव्यों और कृत्यों और उनका निर्वहन, ऐसे अधिकारी द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां (इस अधिनियम के अधीन पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां भी हैं) और ऐसी शक्तियों के प्रयोग को शासित करने वाली शर्तें, उनके द्वारा पहने जाने वाली वर्दी, धारा 213 की उपधारा (3) में यथा निर्दिष्ट वे प्राधिकारी, जिनके वे अधीनस्थ होंगे;

(ग) ऐसी अन्य शक्तियां जो धारा 213 की उपधारा (5) के खंड (च) में यथा निर्दिष्ट मोटर यान विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रयोग की जा सकेंगी; और

(घ) कोई ऐसा अन्य विषय, जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए या जिसके संबंध में राज्य सरकार द्वारा नियम बनाया जाना है।''।

दूसरी अनुसूची का लोप।

93. मूल अधिनियम की दूसरी अनुसूची का लोप किया जाएगा।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019

(2019 का अधिनियम संख्यांक 35)

[9 अगस्त, 2019]

उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने के लिए और उक्त प्रयोजन के लिए उपभोक्ता विवादों के समय से और प्रभावी प्रशासन तथा परिनिर्धारण के लिए और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ और लागू होना।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 है।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर होगा।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे और विभिन्न राज्यों के लिए और इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का अर्थान्वयन उस उपबंध के लागू होने के प्रति किया जाएगा।

(4) केन्द्रीय सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यह अधिनियम सभी माल और सेवाओं को लागू होगा।

परिभाषाएं। **2**. इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(1) ''विज्ञापन'' से कोई श्रव्य या दृश्य प्रचार, किसी प्रकाश, ध्वनि, धूम, गैस, मुद्रित, इलैक्ट्रानिक माध्यम, इंटरनेट, वेबसाइट के माध्यम द्वारा किया गया कोई रूपण, पृष्ठांकन या उद्घोषणा अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत कोई सूचना, परिपत्र, लेबल, रैपर, बीजक या कोई ऐसा अन्य दस्तावेज भी हैं;

(2) ''समुचित प्रयोगशाला'' से कोई प्रयोगशाला या संगठन अभिप्रेत है, जो—

(i) केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त है; या

(ii) किसी राज्य सरकार द्वारा ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त जारी किए जाएं, मान्यताप्राप्त है; या

(iii) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किया गया है, जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा, किसी माल का यह अवधारण करने की दृष्टि से कि क्या उस माल में कोई त्रुटि है, विश्लेषण या परीक्षण करने के लिए, अनुरक्षित, वित्तपोषित या सहायताप्राप्त है;

(3) ''शाखा कार्यालय'' से अभिप्रेत है—

(i) स्थापन द्वारा शाखा के रूप में वर्णित कोई कार्यालय या कार्य स्थल; या

(ii) कोई ऐसा स्थापन जो वही क्रियाकलाप या सारतः वही क्रियाकलाप कर रहा है जो स्थापन के मुख्य कार्यालय के द्वारा किया जाता है;

(4) ''केन्द्रीय प्राधिकरण'' से धारा 10 के अधीन केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(5) ''परिवादी'' से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(i) कोई उपभोक्ता; या

(ii) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई स्वैच्छिक उपभोक्ता संगम; या

(iii) केन्द्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार; या

(iv) केन्द्रीय प्राधिकरण; या

(v) एक या अधिक उपभोक्ता, जहां अनेक उपभोक्ताओं का समान हित है; या

(vi) किसी उपभोक्ता की मृत्यु की दशा में उसका विधिक उत्तराधिकारी या विधिक प्रतिनिधि; या

(vii) अप्राप्तवय उपभोक्ता की दशा में उसके माता-पिता या विधिक संरक्षक;

(6) ''परिवाद'' से किसी परिवादी द्वारा इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उपबंधित कोई अनुतोष अभिप्राप्त करने के लिए लिखित में किया गया ऐसा कोई अभिकथन अभिप्रेत है कि—

(i) किसी व्यापारी या सेवा प्रदाता द्वारा कोई अनुचित संविदा या अनुचित व्यापारिक व्यवहार या कोई प्रतिबंधित व्यापारिक व्यवहार अपनाया गया है;

(ii) उसके द्वारा क्रय किए गए या उसके द्वारा क्रय किए जाने के लिए करार किए गए माल में एक या अधिक त्रुटियां हैं;

(iii) उसके द्वारा भाड़े पर ली गई या उपभोग की गई या भाड़े पर लिए जाने के लिए या उपभोग किए जाने के लिए करार की गई सेवाओं में कोई कमी है;

(iv) यथास्थिति, किसी व्यापारी या सेवा प्रदाता ने परिवाद में वर्णित माल या सेवाओं के लिए ऐसी कीमत से अधिक कीमत ली है जो,—

(क) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन नियत की गई है; या

(ख) ऐसे माल या ऐसा माल रखे जाने वाले किसी पैकेज पर संप्रदर्शित की गई है; या

(ग) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उसके द्वारा प्रदर्शित कीमत सूची पर संप्रदर्शित की गई है; या

(घ) पक्षकारों के बीच करार पाई गई है;

(v) ऐसा माल जो उपभोग किए जाने पर जीवन और सुरक्षा के लिए परिसंकटमय है,—

(क) जो ऐसे माल की सुरक्षा से संबंधित मानकों के, जिनका तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अनुपालन करने की अपेक्षा की गई है, अतिक्रमण में;

(ख) जहां व्यापारी यह जानता है कि इस प्रकार प्रस्तावित माल जनता के लिए असुरक्षित है,

जनता को विक्रय के लिए प्रस्थापित किया जा रहा है;

(vi) ऐसी सेवाओं का, जो उनके उपयोग किए जाने पर जनता के जीवन और सुरक्षा के लिए परिसंकटमय है या जिनका परिसंकटमय होना संभाव्य है, उस व्यक्ति द्वारा प्रस्ताव किया जा रहा है, जो कोई सेवा प्रदान करता है तथा जो यह जानता है कि वह जीवन और सुरक्षा के लिए हानिकर है;

(vii) यथास्थिति, उत्पाद विनिर्माता, उत्पाद विक्रेता या उत्पाद सेवा प्रदाता के विरुद्ध उत्पाद दायित्व कार्रवाई के लिए कोई दावा है;

(7) ''उपभोक्ता'' से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो—

(i) किसी ऐसे प्रतिफल के लिए जिसका संदाय किया गया है या वचन दिया गया है या भागत: संदाय किया गया है, भागत: वचन दिया गया है या किसी आस्थगित संदाय की पद्धति के अधीन किसी माल का क्रय करता है और इसके अंतर्गत ऐसे किसी व्यक्ति से भिन्न, जो ऐसे प्रतिफल के लिए जिसका संदाय किया गया है या वचन दिया गया है या भागत: संदाय किया गया है या भागत: वचन दिया गया है या आस्थगित संदाय की पद्धति के अधीन माल का क्रय करता है ऐसे माल का कोई प्रयोगकर्ता भी है, जब ऐसा प्रयोग ऐसे व्यक्ति के अनुमोदन के लिए किया जाता है किंतु इसके अन्तर्गत ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ऐसे माल को पुन:विक्रय या किसी वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए अभिप्राप्त करता है; या

(ii) किसी ऐसे प्रतिफल के लिए, जिसका संदाय किया गया है या वचन दिया गया है या भागत: संदाय किया गया है और भागत: वचन दिया गया है, या किसी आस्थगित संदाय की पद्धति के अधीन सेवाओं को भाड़े पर लेता है या उनका उपभोग करता है और इसके अंतर्गत ऐसे किसी व्यक्ति से भिन्न जो ऐसे किसी प्रतिफल के लिए जिसका संदाय किया गया है या वचन दिया गया है या भागत: संदाय किया गया है और भागत: वचन दिया गया है या किसी आस्थगित संदाय की पद्धति के अधीन सेवाओं को भाड़े पर लेता है या उनका उपभोग करता है ऐसी सेवाओं का कोई हिताधिकारी भी है जब ऐसी सेवाओं का उपयोग प्रथम वर्णित व्यक्ति के अनुमोदन से किया जाता है किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है ऐसी सेवाओं का उपभोग किसी वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए करता है।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(क) ''वाणिज्यिक प्रयोजन'' पद के अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा क्रय और उपभोग किया गया ऐसा माल सम्मिलित नहीं है, जिनका उसके द्वारा स्वरोजगार के माध्यम से जीविका अर्जन के प्रयोजन के लिए अनन्य रूप से उपयोग किया गया है;

(ख) ''किन्हीं मालों का क्रय'' और ''किन्हीं सेवाओं को भाड़े पर लेना या उनका उपयोग करना'' पदों के अंतर्गत इलैक्ट्रानिक साधनों या टेलीशापिंग या सीधे विक्रय या बहुस्तरीय विपणन के माध्यम से आफलाइन या आनलाइन संव्यवहार सम्मिलित हैं;

(8) ''उपभोक्ता विवाद'' से कोई ऐसा विवाद अभिप्रेत है, जहां कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध कोई परिवाद किया गया है, परिवाद में अंतर्विष्ट विवाद के अभिकथनों से इंकार करता है या उनका प्रतिवाद करता है;

(9) ''उपभोक्ता अधिकारों'' में निम्नलिखित सम्मिलित हैं,—

(i) ऐसे मालों, उत्पादों या सेवाओं, जो जीवन और संपत्ति के लिए परिसंकटमय है, के विपणन के विरुद्ध संरक्षित किए जाने का अधिकार;

(ii) यथास्थिति, मालों, उत्पादों या सेवाओं की क्वालिटी, मात्रा, शक्ति, शुद्धता, मानक और कीमत के विषय में सूचित किए जाने का अधिकार जिससे उपभोक्ता को अनुचित व्यापार पद्धतियों के विरुद्ध संरक्षित किया जा सके;

(iii) जब भी संभव हो, बीमा किए जाने का, विभिन्न प्रकार के मालों, उत्पादों या सेवाओं तक प्रतिस्पर्धी कीमतों पर पहुंच का अधिकार;

(iv) सुने जाने का और इस आश्वासन का अधिकार कि समुचित मंच पर उपभोक्ता के हितों पर सम्यक् विचार किया जाएगा;

(v) अनुचित व्यापार व्यवहार या निर्बंधित व्यापार व्यवहारों या उपभोक्ताओं के अनैतिक शोषण के विरुद्ध अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार; और

(vi)उपभोक्ता जागरूकता का अधिकार;

(10) ''त्रुटि'' से क्वालिटी, मात्रा, शक्ति, शुद्धता या मानक में जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अथवा किसी अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा के अधीन बनाए रखना अपेक्षित है या जिसका ऐसे किसी माल या उत्पाद के संबंध में किसी भी प्रकार की रीति में व्यापारी द्वारा दावा किया गया है, कोई दोष, अपूर्णता या कमी अभिप्रेत है और ''त्रुटिपूर्ण'' पद से तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(11) ''कमी'' से कार्य की ऐसी क्वालिटी, प्रकृति और रीति में जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन बनाए रखना अपेक्षित है या जिसका ऐसे किसी सेवा के संबंध में किसी संविदा के अनुसरण में या अन्यथा किसी व्यक्ति द्वारा पालन किए जाने का वचनबंध किया गया है, कोई दोष, अपूर्णता, कमी या अपर्याप्तता अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत—

(i) ऐसे व्यक्ति द्वारा असावधानी या लोप या किया गया कोई कार्य, जो उपभोक्ता को हानि या क्षति कारित करता है; और

(ii) ऐसे व्यक्ति द्वारा उपभोक्ता से सुसंगत सूचना को जानबूझकर छिपाया जाना;

(12) ''डिजाइन'' से किसी उत्पाद के संबंध में ऐसे उत्पाद के आशयित या ज्ञात भौतिक या सारवान् लक्षण अभिप्रेत हैं और जिसके अंतर्गत ऐसे उत्पाद की आशयित या ज्ञात विनिर्मिति या ऐसे उत्पाद की अंतर्वस्तु और ऐसे उत्पाद को उत्पादित करने के लिए उपयोग की गई विनिर्माण या अन्य आशयित प्रक्रिया का प्रायिक परिणाम सम्मिलित है;

(13) ''सीधे विक्रय'' से स्थायी खुदरा स्थान के माध्यम से भिन्न विक्रेताओं के नेटवर्क के माध्यम से मालों का विपणन, वितरण और विक्रय या सेवाओं का प्रदान किया जाना अभिप्रेत है;

(14) ''महानिदेशक'' से धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त महानिदेशक अभिप्रेत है;

(15) ''जिला आयोग'' से धारा 28 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अभिप्रेत है;

(16) ''ई-कामर्स'' से माल या सेवाओं का क्रय या विक्रय अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत डिजीटल या इलैक्ट्रानिक नेटवर्क या डिजीटल उत्पाद भी हैं;

(17) ''इलैक्ट्रानिक सेवा प्रदाता'' से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी उत्पाद विक्रेता को किसी उपभोक्ता को विज्ञापन या माल या सेवाओं का विक्रय करने में लगे रहने में समर्थ बनाने के लिए प्रौद्योगिकी या

प्रक्रियाओं को उपलब्ध कराता है और इसके अंतर्गत कोई आनलाइन बाजार स्थान या आनलाइन नीलामी स्थल भी हैं;

(18) किसी विज्ञापन के संबंध में ''पृष्ठांकन'' से,—

(i) कोई संदेश, शाब्दिक कथन, प्रदर्शन; या

(ii) किसी व्यष्टिक का नाम, हस्ताक्षर, सदृश्ता या अन्य पहचान योग्य वैयक्तिक विशेषताओं का चित्रण; या

(iii) किसी संस्था का संगठन के नाम या मुहर का चित्रण,

अभिप्रेत है जो उपभोक्ता को यह विश्वास दिलाता है कि वह ऐसा पृष्ठांकन करने वाले व्यक्ति की राय, निष्कर्ष या अनुभव को प्रदर्शित करता है;

(19) ''स्थापन'' के अंतर्गत कोई विज्ञापन अभिकरण, कमीशन अभिकर्ता, विनिर्माण, व्यापार या कोई अन्य वाणिज्यिक अभिकरण सम्मिलित है, जो वाणिज्यिक कार्यकलाप, व्यापार या वृत्ति से संबंधित या उससे आनुषंगिक या सहायक कारबार, व्यापार या वृत्ति या अन्य कार्य ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, करता है या व्यक्तियों का ऐसा अन्य वर्ग जिसके अंतर्गत लोक उपयोगिता अस्तित्व सम्मिलित है;

(20) ''अभिव्यक्ति वारंटी'' से किसी उत्पाद या सेवा से संबंधित कोई तात्विक कथन, तथ्यों का प्रतिज्ञान, वचन या विवरण अभिप्रेत है, जो यह वारंटी प्रदान करता है कि वह ऐसे तात्विक कथन, प्रतिज्ञान, वचन या विवरण की पुष्टि करता है और इसके अंतर्गत किसी उत्पाद का कोई नमूना या मॉडल भी है, जो यह वारंटी करता है कि ऐसा संपूर्ण उत्पाद ऐसे नमूने या मॉडल के अनुरूप है;

(21) ''माल'' से प्रत्येक प्रकार की जंगम संपत्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक
2006 का 34 अधिनियम, 2006 की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ञ) में यथापरिभाषित ''खाद्य'' भी है;

(22) किसी उत्पाद दायित्व के संबंध में ''अपहानि'' में,—

(i) स्वयं उत्पाद से भिन्न किसी संपत्ति को हानि;

(ii) वैयक्तिक क्षति, रुग्णता या मृत्यु;

(iii) वैयक्तिक क्षति या रुग्णता या संपत्ति को नुकसान के कारण मानसिक वेदना या भावनात्मक व्यथा; या

(iv) कान्सोर्टियम या सेवाओं की कोई हानि या उपखंड (i) या उपखंड (ii) या उपखंड (iii) में निर्दिष्ट किसी अपहानि के परिणामस्वरूप कोई अन्य नुकसान, सम्मिलित हैं, किंतु इसके अंतर्गत स्वयं उत्पाद को कारित कोई अपहानि या वारंटी शर्तों के भंग होने के कारण संपत्ति को कोई नुकसान, कोई वाणिज्यिक या आर्थिक नुकसान, जिसके अंतर्गत उससे संबंधित सीधे, आनुषंगिक या पारिणामिक नुकसान भी है, सम्मिलित नहीं होगा;

(23) ''क्षति'' से कोई अपहानि अभिप्रेत है, चाहे जो भी हो, जिसे अवैध रूप से किसी व्यक्ति को, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या संपत्ति को कारित किया गया है;

(24) ''विनिर्माता'' से ऐसा अभिप्रेत है जो,—

(i) किन्हीं माल या उसके भाग को बनाता है; या

(ii) अन्य द्वारा बनाए गए किन्हीं मालों या उनके भागों को संयोजित करता है; या

(iii) किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बनाए गए किन्हीं मालों पर अपना स्वयं का चिह्न लगाता है या लगवाता है;

(25) ''मध्यकता'' से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसके द्वारा मध्यक उपभोक्ता विवादों में मध्यकता करता है;

(26) ''मध्यक'' से धारा 75 में निर्दिष्ट मध्यक अभिप्रेत है;

(27) ''सदस्य'' के अंतर्गत, यथास्थिति, राष्ट्रीय आयोग या किसी राज्य आयोग या जिला आयोग का अध्यक्ष और कोई सदस्य सम्मिलित है;

(28) किसी उत्पाद या सेवा के संबंध में ''भ्रामक विज्ञापन'' से कोई ऐसा विज्ञापन अभिप्रेत है,जो—

(i) ऐसे उत्पाद या सेवा का मिथ्या वर्णन करता है; या

(ii) ऐसी मिथ्या गारंटी देता है जो या जिससे ऐसे उत्पाद या सेवा की प्रकृति, सार, मात्रा या गुणवत्ता के प्रति उपभोक्ताओं के भ्रमित होने की संभावना है; या

(iii) ऐसा अभिव्यक्त या विवक्षित व्यपदेशन करता है, जो यदि विनिर्माता या विक्रेता या सेवा प्रदाता द्वारा किया जाता है तो उससे एक अनुचित व्यापार पद्धति का गठन होगा; या

(iv) जानबूझकर महत्वपूर्ण सूचना को छिपाता है;

(29) ''राष्ट्रीय आयोग'' से धारा 53 की उपधारा (1) के अधीन गठित राष्ट्र उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अभिप्रेत है;

(30) ''अधिसूचना'' से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है और ''अधिसूचित करना'' पद का तदनुसार अर्थान्वयन किया जाएगा;

(31) ''व्यक्ति के अंतर्गत है—

(i) कोई व्यष्टि;

(ii) कोई फर्म चाहे रजिस्ट्रीकृत है या नहीं;

(iii) कोई हिन्दू अविभक्त कुटुंब;

(iv) कोई सहकारी सोसाइटी;

(v) व्यक्तियों का कोई संगम चाहे वह सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन 1860 का 21
रजिस्ट्रीकृत है या नहीं;

(vi) कोई निगम, कंपनी या व्यष्टि निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं;

(vii) कोई कृत्रिम विधिक व्यक्ति, जो किसी भी पूर्ववर्ती उपखंड के अधीन नहीं आता है;

(32) ''विहित'' से, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(33) ''उत्पाद'' से ऐसे उत्पाद की कोई वस्तु या माल या पदार्थ या कोई कच्ची सामग्री या विस्तारित चक्र अभिप्रेत है, जो गैसीय, तरल या ठोस अवस्था में प्रसंस्करण अन्तर्भूत मूल्य रखता है, जो पूर्ण रूप से संयोजित या संघटक भाग के रूप में परिदान किए जाने के लिए सक्षम है और जिसका उत्पादन व्यापार या वाणिज्य के लिए किया जाता है, किंतु इसके अंतर्गत मानव ऊत्तक, रक्त, रक्त उत्पाद और अंग सम्मिलित नहीं हैं;

(34) ''उत्पाद दायित्व'' से किसी ऐसे उत्पाद या सेवा के उत्पाद विनिर्माता या उत्पाद विक्रेता का ऐसे विनिर्मित या विक्रीत त्रुटिपूर्ण उत्पाद या उससे संबंधित सेवा में कमी के कारण किसी उपभोक्ता को कारित किसी अपहानि के लिए प्रतिकर के लिए उत्तरदायित्व अभिप्रेत है;

(35) ''उत्पाद दायित्व कार्रवाई'' से, यथास्थिति, जिला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के समक्ष किसी व्यक्ति द्वारा उसे कारित उपहानि के लिए प्रतिकर का दावा करने के लिए फाइल किया गया परिवाद अभिप्रेत है;

(36) ''उत्पाद विक्रेता'' से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो—

(i) किसी उत्पाद या उसके भाग को बनाता है; या

(ii) अन्य द्वारा बनाए गए उनके भागों को संयोजित करता है; या

(iii) किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बनाए गए किन्हीं उत्पादों पर अपना स्वयं का चिह्न लगाता है या लगवाता है; या

(iv) किसी उत्पाद को बनाता है और ऐसे उत्पाद का विक्रय करता है, वितरण करता है, पट्टे पर देता है, प्रतिष्ठापित करता है, तैयार करता है, पैकेजिंग करता है, लेबल लगाता है, विपणन करता है, मरम्मत करता है, अनुरक्षण करता है या अन्यथा ऐसे उत्पाद को वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए रखने में लगा हुआ है; या

(v) किसी उत्पाद को विक्रय से पहले डिजाइन करता है, उसका उत्पादन करता है, निर्माण करता है, संनिर्माण करता है या पुन: विनिर्माण करता है; या

(vi) उत्पाद विक्रेता होने के साथ-साथ किसी उत्पाद का विनिर्माता भी है;

(37) किसी उत्पाद के संबंध में ''उत्पाद विक्रेता'' से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो कारबार के अनुक्रम में वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए ऐसे उत्पाद का आयात, विक्रय, वितरण, पट्टे, प्रतिष्ठापन, तैयार, पैकेजिंग, लेबल लगाने, विपणन, मरम्मत, अनुरक्षण करता है या अन्यथा ऐसे उत्पाद को वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए रखने में लगा हुआ है और इसके अंतर्गत—

(i) कोई विनिर्माता सम्मिलित है, जो उत्पाद का विक्रेता भी है; या

(ii) कोई सेवा प्रदाता भी है,

किंतु उसके अंतर्गत—

(क) स्थावर संपत्ति का विक्रेता तब तक सम्मिलित नहीं है, जब तक ऐसा व्यक्ति सन्निर्मित गृह के विक्रय में या गृहों या फ्लैटों के संनिर्माण में नहीं लगा हुआ है;

(ख) किसी ऐसे संव्यहार में व्यावसायिक सेवाओं का प्रदाता सम्मिलित नहीं है जिसमें किसी उत्पाद का विक्रय या उपयोग केवल उससे आनुषंगिक है किंतु कोई राय, कौशल या सेवा प्रदान करना ऐसे संव्यवहार का सार है;

(ग) ऐसा व्यक्ति सम्मिलित नहीं है जो,—

(i) ऐसे उत्पाद के विक्रय के संबंध में केवल वित्तीय क्षमता में कार्य करता है;

(ii) कोई विनिर्माता, थोक विक्रेता, वितरक, खुदरा विक्रेता, सीधे विक्रेता या कोई इलैक्ट्रानिक सेवा प्रदाता नहीं है;

(iii) किसी उत्पाद को उस उत्पाद में त्रुटियों का निरीक्षण और उनका पता लगाए जाने के लिए युक्तियुक्त अवसर के बिना उसे किसी पट्टा करार के अधीन पट्टे पर देता है, जिसमें उत्पाद के चयन, कब्जे, अनुरक्षण और प्रचालन का नियंत्रण पट्टाकर्ता से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के पास है;

(38) किसी उत्पाद के संबंध में ''उत्पाद सेवा प्रदाता'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो ऐसे उत्पाद के संबंध में कोई सेवा प्रदान करता है;

(39) ''विनियम'' से, यथास्थिति, राष्ट्रीय आयोग या केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं;

(40) ''विनियामक'' से तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित कोई निकाय या कोई भी प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(41) ''प्रतिबंधित व्यापारिक व्यवहार'' से ऐसा व्यापारिक व्यवहार अभिप्रेत है जिसकी प्रवृत्ति माल या सेवाओं से संबंधित बाजार में कीमत में या उनके परिदान की स्थितियों में ऐसी रीति से व्यवहार कौशल दिखाने या प्रदायों के प्रवाह को प्रभावित करने की है जिससे उपभोक्ता पर अनुचित कीमतें या निर्बन्धन अधिरोपित किए जा सकें और इसके अंतर्गत—

(i) किसी व्यापारी द्वारा ऐसे माल के प्रदाय में या सेवाएं प्रदान कराने में करार पाई गई अवधि के परे विलंब, जिससे कीमत में वृद्धि हुई है या वृद्धि होने की संभावना हो;

(ii) ऐसा कोई व्यापारिक व्यवहार जो किसी उपभोक्ता से, यथास्थिति, किसी माल या सेवा का क्रय करने, भाड़े पर लेने या उसका उपभोग करने के लिए पुरोभाव्य शर्त के रूप में किसी अन्य माल या सेवा का क्रय करने, भाड़े पर लेने या उसका उपभोग करने की अपेक्षा करता है;

(42) ''सेवा'' से किसी भी प्रकार की ऐसी सेवा अभिप्रेत है जो उसके संभावित उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है और इसके अंतर्गत बैंककारी, वित्तपोषण, बीमा, परिवहन, प्रसंस्करण, विद्युत या अन्य ऊर्जा की पूर्ति, दूर संचार, भोजन या निवास अथवा दोनों, गृह निर्माण, मनोरंजन, आमोद-प्रमोद या समाचार या अन्य जानकारी पहुंचाना सम्मिलित है, किंतु इन तक ही सीमित नहीं है, किंतु इसके अंतर्गत निःशुल्क या व्यक्तिगत सेवा संविदा के अधीन सेवा का प्रदान किया जाना नहीं है;

(43) ''नकली माल'' से ऐसा माल अभिप्रेत है जिसका मिथ्या रूप से असली होने का दावा किया गया हैं;

(44) ''राज्य आयोग'' से धारा 42 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित राज्य उपभोक्ता प्रतितोष आयोग अभिप्रेत है;

(45) किसी माल के संबंध में ''व्यापारी'' से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो विक्रयार्थ किसी माल का विक्रय या वितरण करता है और इसके अंतर्गत उसका विनिर्माता भी है और जहां ऐसे माल का विक्रय या वितरण पैकेज के रूप में किया जाता है वहां इसके अंतर्गत इसका पैकर भी है;

(46) ''अनुचित संविदा'' से एक ओर विनिर्माता या व्यापारी या सेवा प्रदाता है दूसरी ओर किसी उपभोक्ता के बीच ऐसी संविदा अभिप्रेत है, जिसके ऐसे निबंधन हैं, जो ऐसे उपभोक्ता के अधिकारों में महत्वपूर्ण परिवर्तन करती हैं, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित हैं, अर्थात्:—

(i) संविदायी बाध्यताओं के पालन के लिए उपभोक्ता से स्पष्टत: अत्यधिक सुरक्षा जमा की अपेक्षा करना; या

(ii) संविदा के भंग के लिए उपभोक्ता पर कोई ऐसी शास्ति अधिरोपित करना, जो कि संविदा के अन्य पक्षकार को ऐसे भंग के कारण उद्भूत नुकसान से पूर्णतया अननुपातिक हो; या

(iii) लागू शास्ति के संदाय पर ऋणों के पूर्व पुन:संदाय को स्वीकार करने से इंकार करना; या

(iv) बिना युक्तियुक्त कारण के ऐसी संविदा में संविदा के पक्षकार को एकतरफा रूप से ऐसी संविदा को समाप्त करने के लिए हकदार बनाना; या

(v) किसी एक पक्षकार को संविदा को अन्य पक्षकार, जो उपभोक्ता है, की सहमति के बिना प्रतिकूल रूप से समनुदेशित करने के लिए अनुज्ञात करना या अनुज्ञात करने को प्रभावी करना; या

(vi) उपभोक्ता पर ऐसे अयुक्तियुक्त प्रभार, बाध्यता या शर्तें अधिरोपित करना, जो ऐस उपभोक्ता के प्रतिकूल हैं;

(47) ''अनुचित व्यापारिक व्यवहार'' से ऐसा व्यापारिक व्यवहार अभिप्रेत है जिसमें किसी माल के विक्रय, उपयोग या प्रदाय के संप्रवर्तन के प्रयोजन के लिए अथवा किसी सेवा की व्यवस्था के लिए कोई अनुचित पद्धति अथवा अनुचित या प्रवंचक व्यवहार अपनाया जाता है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित कोई व्यवहार भी है अर्थात्:—

(i) मौखिक रूप से या लिखित रूप में या दृश्यरूपेण द्वारा जिसके अन्तर्गत इलैक्ट्रानिक अभिलेख द्वारा भी है कोई ऐसा कथन, जिसमें,—

(क) यह मिथ्या व्यपदेशन किया जाता है कि माल किसी विशिष्ट स्तरमान, क्वालिटी, मात्रा, श्रेणी, संरचना, अधिमान या प्रकार का है;

(ख) यह मिथ्या व्यपदेशन किया जाता है कि सेवाएं किसी विशिष्ट स्तरमान, क्वालिटी या श्रेणी की हैं;

(ग) किसी पुनर्निर्मित, बरते हुए, नवीकृत दुरुस्त किए गए या पुराने माल के नया माल होने का मिथ्या व्यपदेशन किया गया है;

(घ) यह व्यपदेशन किया जाता है कि माल या सेवाओं को ऐसा प्रायोजन, अनुमोदन, कार्यकरण, लक्षण, उपसाधन, प्रयोग या फायदे प्राप्त हैं जो कि ऐसे माल या सेवाओं के नहीं हैं;

(ङ) यह व्यपदेशन किया जाता है कि विक्रेता या प्रदायकर्ता को ऐसा प्रायोजन या अनुमोदन या सहबद्धता प्राप्त है जो ऐसे विक्रेता या प्रदायकर्ता को प्राप्त नहीं है;

(च) किसी माल या सेवाओं की आवश्यकता या उपयोगिता से संबंधित कोई मिथ्या या भ्रामक व्यपदेशन किया जाता है;

(छ)जनता को किसी उत्पाद के या किसी माल के कार्यकरण, प्रभावकारिता या अस्तित्व की दीर्घता की, जो उसके यथायोग्य या समुचित परीक्षण पर आधारित नहीं है, कोई वारंटी या प्रत्याभूति दी जाती है:

परंतु जहां इस आशय की प्रतिरक्षा की जाती है कि ऐसी वारंटी या प्रत्याभूति पर्याप्त या समुचित परीक्षण पर आधारित है वहां ऐसी प्रतिरक्षा के सबूत का भार उस व्यक्ति पर होगा जो ऐसी प्रतिरक्षा ले रहा है;

(ज) जनता को इस रूप में व्यपदेशन किया जाता है जिसका तात्पर्य—

(क) किसी उत्पाद या किसी माल या सेवाओं की वारंटी या प्रत्याभूति है; या

(ख) किसी वस्तु या उसके किसी भाग को प्रतिस्थापित, अनुरक्षित करने या उसकी मरम्मत करने या किसी सेवा को दोहराने या तब तक जारी रखने का वचन है जब तक विनिर्दिष्ट परिणाम प्राप्त न कर लिया जाए,

यदि ऐसी तात्पर्यित वारंटी या प्रत्याभूति या वचन तात्त्विक रूप से भ्रामक हो या इस बात की युक्तियुक्त संभावना हो कि ऐसी वारंटी, प्रत्याभूति या वचन को पूरा नहीं किया जाएगा;

(झ) उस कीमत के बारे में जनता को तात्विक रूप से भुलावा दिया जाता है जिस पर किसी उत्पाद या वैसे ही उत्पाद या माल का मामूली तौर पर विक्रय किया जाता है अथवा सेवा प्रदान की जाती है, तथा इस प्रयोजन के लिए कीमत के बारे में किसी व्यपदेशन को इस कीमत के प्रतिनिर्देश करने वाला समझा जाएगा जिस पर सुसंगत बाजार में साधारणतया वह उत्पाद या माल विक्रेताओं द्वारा विक्रय किया गया है या सेवाएं प्रदायकर्ताओं द्वारा प्रदान की गई हैं, जब तक कि यह स्पष्टतया विनिर्दिष्ट न किया गया हो कि यह वह कीमत है, जिस पर वह उत्पाद उस व्यक्ति द्वारा विक्रय किया गया है, या सेवाएं प्रदान की गई हैं, जिसकी ओर से व्यपदेशन किया गया है;

(ञ) ऐसे मिथ्या या भ्रामक तथ्य दिए जाते हैं जो किसी अन्य व्यक्ति के माल, सेवाओं या व्यापार की अवमानना करते हैं।

स्पष्टीकरण—खंड (i) के प्रयोजनों के लिए, ऐसे कथन के बारे में, जो—

(अ) विक्रय के लिए प्रस्थापित या संप्रदर्शित किसी वस्तु पर या उसके रैपर या आधान पर अभिव्यक्ति है; या

(आ) विक्रय के लिए प्रस्थापित या संप्रदर्शित किसी वस्तु से संलग्न, उसमें रखी हुई या उसके साथ की किसी चीज पर या किसी ऐसी चीज पर, जिस पर वह वस्तु संप्रदर्शन या विक्रय के लिए मढ़ी हुई है, अभिव्यक्ति है; या

(इ) किसी ऐसी वस्तु में या उसके ऊपर अंतर्विष्ट है जो जनता को विक्रय की जाती है, भेजी

जाती है, परिदान की जाती है, पारेषित की जाती है या किसी भी अन्य रीति से उपलब्ध कराई जाती है,

यह समझा जाएगा कि वह ऐसा कथन है जो जनता को उस व्यक्ति द्वारा और केवल उस व्यक्ति द्वारा किया गया है जिसने इस कथन को इस प्रकार अभिव्यक्त, तैयार या अंतर्विष्ट कराया था;

(ii) ऐसे माल या सेवाओं के किसी रियायती कीमत पर विक्रय या प्रदाय के लिए, जो उस रियायती कीमत पर विक्रय या प्रदाय के लिए प्रस्थापित की जाने के लिए, आशयित नहीं है या ऐसी अवधि के लिए और उन मात्राओं में जो उसे बाजार के स्वरूप को, जिसमें कारबार किया जाता है, कारबार के स्वरूप और आकार को तथा विज्ञापन की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उचित नहीं है, किसी समाचारपत्र में या अन्यथा, जिसके अन्तर्गत इलैक्ट्रानिक अभिलेख के द्वारा भी है, किसी विज्ञापन के प्रकाशन की अनुज्ञा देता है।

स्पष्टीकरण—खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए, ''रियायती कीमत'' से—

(अ) ऐसी कीमत अभिप्रेत है जो किसी विज्ञापन में, मामूली कीमत के प्रति निर्देश से या अन्यथा रियायती कीमत बताई गई है; या

(आ) ऐसी कीमत अभिप्रेत है जो ऐसा व्यक्ति, जो उस विज्ञापन को पढ़ता, सुनता या देखता है, उन कीमतों को ध्यान में रखते हुए जिन पर विज्ञापित उत्पाद या वैसे ही उत्पाद मामूली तौर पर बेचे जाते हैं, युक्तियुक्त रूप से रियायती कीमत समझेगा;

(iii) (क) दान या इनामों या अन्य वस्तुओं का प्रस्ताव की जाने की अनुज्ञा देता है किंतु जिन्हें प्रस्ताव किए गए रूप में दिए जाने का कोई आशय नहीं होता है अथवा जिनसे यह धारणा उत्पन्न होती है कि कोई चीज मुफ्त दी जा रही है या दिए जाने का प्रस्ताव किया जा रहा है, जबकि उसकी कीमत पूर्णत: या भागत: उस रकम में आ जाती है जो उसे संपूर्ण संव्यवहार में प्रभारित की जाती है;

(ख) किसी उत्पाद अथवा किसी कारबार हित के विक्रय, उपयोग या प्रदाय का, प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: संवर्धन करने के प्रयोजन के लिए, सिवाय ऐसी प्रतियोगिता, लाटरी, संयोग प्रधान या कौशल प्रधान खेल, जो विहित किया जाए, किसी प्रतियोगिता, लाटरी, संयोग प्रधान या कौशल प्रधान खेल के संचालन की अनुज्ञा देता है;

(ग) दान, इनाम या मुफ्त में अन्य वस्तुएं प्रस्थापित करने वाली किसी स्कीम के भागीदारों से, उसके बंद हो जाने पर स्कीम के अंतिम परिणामों के बारे में जानकारी को रोकने की अनुज्ञा देता है।

स्पष्टीकरण—उपखंड (iii) के प्रयोजनों के लिए, किसी स्कीम के भागीदारों को स्कीम के अंतिम परिणामों की जानकारी दे दी गई वहां समझी जाएगी, जहां ऐसे परिणाम युक्तियुक्त समय के भीतर उसी समाचारपत्र में प्रमुख रूप से प्रकाशित कर दिए जाते हैं जिसमें स्कीम मूल रूप से विज्ञापित की गई थी;

(iv) ऐसे माल के विक्रय या प्रदाय की, जो उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने के लिए आशयित है या इस किस्म का है जो उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने के लिए संभाव्य है, यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए अनुज्ञा देता है कि वह माल, प्रयोग या कार्य प्रदर्शन, संरचना, अंतर्वस्तु, डिजाइन, संनिर्माण, परिरूप या पैक करने के संबंध में, जो माल का उपयोग करने वाले व्यक्ति की क्षति की जोखिम का निवारण करने या उसे कम करने के लिए आवश्यक है, उन स्तरमानों के अनुरूप नहीं है जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित किए गए हैं;

(v) माल की जमाखोरी या उसके नष्ट किए जाने की या माल के विक्रय किए जाने अथवा विक्रय के लिए उसके उपलब्ध कराए जाने या कोई सेवा प्रदान करने से इंकार करने की अनुज्ञा देता है, यदि ऐसी जमाखोरी या नष्ट किए जाने या इंकार किए जाने से उसका या अन्य समरूप माल या सेवाओं का दाम बढ़ जाता है या बढ़ने की ओर उसकी प्रवृत्ति होती है या वह बढ़ने के लिए आशयित होता है;

(vi) नकली माल के विनिर्मित या विक्रय के लिए ऐसे माल की प्रस्थापना करने या सेवाएं प्रदान करने में प्रवंचन व्यवहार अपनाता है;

(vii) विक्रय किए गए माल या दी गई सेवाओं के लिए बीजक या कैश मेमो या रसीद ऐसी रीति में जारी नहीं करता है, जो विहित की जाए;

(viii) माल का विक्रय करने या सेवा देने के पश्चात् त्रुटिपूर्ण मालों को वापस लेने या उनका प्रत्याहरण करने या कम दी गई सेवाओं को वापस लेने या बन्द करने तथा उनके लिए प्रतिफल का प्रतिदाय, यदि संदत्त किया गया हो, को बीजक या कैश मेमो या रसीद में उपदर्शित अवधि या ऐसे उपदर्शन के अभाव में तीस दिन की अवधि के भीतर प्रतिदाय करने तक इंकार कर देता है;

(ix) उपभोक्ता द्वारा विश्वासपूर्वक दी गई वैयक्तिक जानकारी को किसी अन्य व्यक्ति को प्रकट करता है, जब तक कि ऐसा प्रकटन तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों के अनुसार न किया गया हो।

अध्याय 2

उपभोक्ता संरक्षण परिषद्

3. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसी तारीख से जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, केंद्रीय परिषद् के नाम से ज्ञात केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् स्थापित करेगी। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद्।

(2) केंद्रीय परिषद् एक सलाहकार परिषद् होगी और यह निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:—

(क) केंद्रीय सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग का प्रभारी मंत्री, जो अध्यक्ष होगा, और

(ख) ऐसे हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले, उतने अन्य शासकीय या गैर-शासकीय सदस्य, जो विहित किए जाएं।

4. (1) केंद्रीय परिषद् की बैठक आवश्यकतानुसार होगी किंतु प्रत्येक वर्ष में परिषद् की कम से कम एक बैठक की जाएगी। केंद्रीय परिषद् की बैठकों की प्रक्रिया।

(2) केंद्रीय परिषद् की बैठक ऐसे समय और स्थान पर होगी, जो अध्यक्ष ठीक समझे और वह अपने कारबार के संव्यवहार की बाबत ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगी, जो विहित की जाए।

5. केंद्रीय परिषद् का उद्देश्य इस अधिनियम के अधीन उपभोक्ताओं के अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण पर सलाह देना होगा। केंद्रीय परिषद् के उद्देश्य।

6. (1) प्रत्येक राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसी तारीख से, जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, राज्य परिषद् के नाम से ज्ञात एक राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् की स्थापना करेगी। राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषदें।

(2) राज्य परिषद् एक सलाहकार परिषद् होगी और यह निम्नलिखित सदस्य से मिलकर बनेगी अर्थात्:—

(क) राज्य सरकार में उपभोक्ता मामलों का प्रभारी मंत्री, जो उसका अध्यक्ष होगा;

(ख) ऐसे हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले, उतने अन्य शासकीय या गैर-शासकीय सदस्य, जो विहित किए जाएं;

(ग) दस से अनधिक उतने अन्य शासकीय या गैर-शासकीय सदस्य, जो केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएं।

(3) राज्य परिषद् की बैठक आवश्यकतानुसार होगी किंतु प्रत्येक वर्ष में परिषद् की कम से कम दो बैठक की जाएंगी।

(4) राज्य परिषद् की बैठक ऐसे समय और स्थान पर होगी, जो अध्यक्ष ठीक समझे और वह अपने कारबार के संव्यहार की बाबत ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगी, जो विहित की जाए।

7. प्रत्येक राज्य परिषद् के उद्देश्य राज्य के भीतर इस अधिनियम के अधीन उपभोक्ता अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के संबंध में सलाह देना होगा। राज्य परिषद् के उद्देश्य।

जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद्।

8. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, प्रत्येक जिले में, ऐसी तारीख से, जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, जिला परिषद् के नाम से ज्ञात एक जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् की स्थापना करेगी।

(2) जिला परिषद् एक सलाहकार परिषद् होगी और यह निम्नलिखित सदस्य से मिलकर बनेगी, अर्थात्:—

(क) जिले का कलेक्टर (चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो), जो उसका अध्यक्ष होगा; और

(ख) ऐसे हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले उतने अन्य शासकीय या गैर-शासकीय सदस्य, जो विहित किए जाएं।

(3) जिला परिषद् की बैठक आवश्यकतानुसार होगी किंतु प्रत्येक वर्ष में परिषद् की कम से कम दो बैठकें की जाएंगी।

(4) जिला परिषद् की बैठक जिले में ऐसे समय और स्थान पर होगी, जो अध्यक्ष ठीक समझे और वह अपने कारबार के संव्यवहार की बाबत ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगी, जो विहित की जाए।

जिला परिषद् के उद्देश्य।

9. प्रत्येक जिला परिषद् का उद्देश्य जिले के भीतर, इस अधिनियम के अधीन उपभोक्ताओं के अधिकारों का संवर्धन और संरक्षण पर सलाह देना होगी।

अध्याय 3

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना।

10. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा ऐसी तारीख से, जो वह उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे, केंद्रीय प्राधिकरण के नाम से ज्ञात एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन उपभोक्ताओं के अधिकारों के अतिक्रमण से संबंधित विषयों, अनुचित व्यापार व्यवहारों और मिथ्या या भ्रामक विज्ञापनों, जो जनता और उपभोक्ताओं के हितों के प्रतिकूल हैं, का विनियमन करने और एक वर्ग के रूप में उपभोक्ताओं के अधिकारों का संवर्धन, संरक्षण और प्रवर्तन करने के लिए करेगी।

(2) केंद्रीय प्राधिकरण एक मुख्य आयुक्त और उतनी संख्या में, जो विहित की जाए, अन्य आयुक्तों से मिलकर बनेगा, जिनकी नियुक्ति, केंद्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करने के लिए की जाएगी।

(3) केंद्रीय प्राधिकरण का मुख्यालय दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र में ऐसे स्थान पर होगा और भारत में ऐसे स्थानों पर इसके प्रादेशिक और अन्य कार्यालय होंगे, जो केंद्रीय सरकार विनिश्चित करे।

मुख्य आयुक्त और आयुक्त और आयुक्तों की अर्हताएं, भर्ती की पद्धति, आदि।

11. केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा केंद्रीय प्राधिकरण के मुख्य आयुक्त और आयुक्तों की नियुक्ति के लिए अर्हताओं, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाने और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तों का उपबंध करने के लिए नियम बना सकेगी।

रिक्ति, आदि से केंद्रीय प्राधिकरण की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना।

12. केंद्रीय प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि,—

(क) केंद्रीय प्राधिकरण में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है; या

(ख) मुख्य आयुक्त या आयुक्त के रूप में कार्य कर रहे व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि; या

(ग) केंद्रीय प्राधिकरण की प्रक्रिया में कोई अनियमितता है, जो मामले के गुणागुण को प्रभावित नहीं कर रही है।

केंद्रीय प्राधिकरण के अधिकारियों, विशेषज्ञों, वृत्तिकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति।

13. (1) केंद्रीय सरकार, केंद्रीय प्राधिकरण को उतने अधिकारी और अन्य कर्मचारी उपलब्ध कराएगी, जो वह इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए आवश्यक समझे।

(2) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त केंद्रीय प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं।

(3) केंद्रीय प्राधिकरण विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार सत्यनिष्ठा और योग्यता रखने वाले उतने विशेषज्ञ और वृत्तिकों को, जिनके पास उपभोक्ता अधिकार और कल्याण, उपभोक्ता नीति, विधि, चिकित्सा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, इंजीनियरी, उत्पाद सुरक्षा, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सार्वजनिक मामले या प्रशासन के क्षेत्र में विशेष जानकारी और अनुभव है, को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में नियोजित कर सकेगी, जो वह ठीक समझे।

केंद्रीय प्राधिकरण की प्रक्रिया।

14. (1) केंद्रीय प्राधिकरण अपने कारबार के संव्यवहार और मुख्य आयुक्त तथा आयुक्तों के बीच कारबार के आबंटन को विनियमित करेगा और ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(2) मुख्य आयुक्त के पास केंद्रीय प्राधिकरण के सभी प्रशासनिक विषयों के संबंध में साधारण अधीक्षण, निदेश और नियंत्रण की शक्तियां होंगी:

परंतु मुख्य आयुक्त केंद्रीय प्राधिकरण के प्रशासनिक विषयों से संबंधित अपनी ऐसी शक्तियों को, जो वह ठीक समझे, किसी आयुक्त (जिसके अंतर्गत किसी प्रादेशिक कार्यालय का आयुक्त भी है) या केंद्रीय प्राधिकरण के किसी अन्य अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

अन्वेषण खंड।

15. (1) केंद्रीय प्राधिकरण के पास इस अधिनियम के अधीन ऐसी जांच या अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए, जैसा कि केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा निदेश दिया जाए, महानिदेशक की अध्यक्षता में एक अन्वेषण खंड होगा।

(2) केंद्रीय सरकार उन व्यक्तियों में से, जिनके पास अन्वेषण का अनुभव है और ऐसी अर्हता रखते हैं, ऐसी रीति में एक महानिदेशक और उतने अपर महानिदेशक, निदेशक संयुक्त निदेशक, उप निदेशक और सहायक निदेशक नियुक्त कर सकेगी, जो विहित किए जाएं।

(3) प्रत्येक अपर महानिदेशक, निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक और सहायक निदेशक अपनी शक्तियों का उपयोग और कृत्यों का निर्वहन महानिदेशक के साधारण नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निदेश के अधीन रहते हुए करेगा।

(4) महानिदेशक, इस अधिनियम के अधीन जांच या अन्वेषण करते समय अपनी सभी या किन्हीं शक्तियों को, यथास्थिति, अपर महानिदेशक या निदेशक या संयुक्त निदेशक या उप निदेशक या सहायक निदेशक को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(5) महानिदेशक द्वारा की गई जांचों या अन्वेषणों को ऐसे प्ररूप में, ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, केंद्रीय प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा।

जिला कलेक्टर की शक्ति।

16. जिला कलेक्टर (चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो), किसी परिवाद पर या केंद्रीय प्राधिकरण या प्रादेशिक कार्यालय के आयुक्त द्वारा उसे किए गए किसी निर्देश पर अपनी अधिकारिता के भीतर एक वर्ग के रूप में उपभोक्ता अधिकारों के अतिक्रमण से संबंधित विषयों पर, उपभोक्ताओं के अधिकारों के अतिक्रमण के संबंध में परिवादों की, अनुचित व्यापार व्यवहारों और मिथ्या या भ्रामक विज्ञापनों की जांच करेगा या अन्वेषण करेगा और अपनी रिपोर्ट को, यथास्थिति, केंद्रीय प्राधिकरण या प्रादेशिक कार्यालय के आयुक्त को प्रस्तुत करेगा।

प्राधिकारियों को शिकायतें।

17. उपभोक्ता अधिकारों के अतिक्रमण या अनुचित व्यापार व्यवहारों या मिथ्या या भ्रामक विज्ञापनों, जो एक वर्ग के रूप में उपभोक्ताओं के हितों के प्रतिकूल हैं, के संबंध में परिवाद को लिखित में या इलैक्ट्रानिक ढंग से किसी एक प्राधिकारी को अर्थात् जिला कलेक्टर या आयुक्त, प्रादेशिक कार्यालय या केंद्रीय प्राधिकरण को अग्रेषित किया जाएगा।

केंद्रीय प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य।

18. (1) केंद्रीय प्राधिकरण—

(क) एक वर्ग के रूप में उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण, संवर्धन और प्रवर्तन करेगा तथा इस अधिनियम के अधीन उपभोक्ताओं के अधिकारों के अतिक्रमण का निवारण करेगा;

(ख) अनुचित व्यापार व्यवहारों का निवारण करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि कोई व्यक्ति अनुचित व्यापार व्यवहारों में न लगे;

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि किन्हीं माल या सेवाओं का कोई ऐसा मिथ्या या भ्रामक विज्ञापन न किया जाए, तो इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों का अतिक्रमण करता है;

(घ) यह सुनिश्चित करेगा कि कोई व्यक्ति ऐसे किसी विज्ञापन के प्रकाशन में भाग न ले, जो मिथ्या या भ्रामक है।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना केंद्रीय प्राधिकरण पूर्वोक्त किसी भी प्रयोजन के लिए,—

(क) या तो स्वप्रेरणा से या प्राप्त शिकायत पर या केंद्रीय सरकार के निदेश पर उपभोक्ता अधिकारों के अतिक्रमण के लिए कोई जांच या अन्वेषण कर सकेगा या करा सकेगा;

(ख) इस अधिनियम के अधीन शिकायतों को, यथास्थापित, जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के समक्ष फाइल कर सकेगा;

(ग) यथास्थिति, जिला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के समक्ष उपभोक्ता अधिकारों के अतिक्रमण या अनुचित व्यापार व्यवहार के किसी अभिकथन के संबंध में किन्हीं कार्यवाहियों में मध्यक्षेप कर सकेगा;

(घ) उपभोक्ता अधिकारों का उपयोग करने से संबंधित मामलों और उनका उपभोग करने से रोकने वाले कारकों, जिसके अंतर्गत तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए उपबंधित सुरक्षोपाय भी हैं, का पुनर्विलोकन और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समुचित उपचारात्मक उपायों की सिफारिश कर सकेगा;

(ङ) उपभोक्ता अधिकारों के प्रभावी प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ता अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं और सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों को अंगीकार करने की सिफारिश कर सकेगा;

(च) उपभोक्ता अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान और उसका संवर्धन कर सकेगा;

(छ) उपभोक्ता अधिकारों पर जागरूकता का प्रसार और संवर्धन कर सकेगा;

(ज) उपभोक्ता अधिकारों के क्षेत्र में कार्य कर रहे गैर-सरकारी संगठनो और अन्य संस्थाओं को उपभोक्ता संरक्षण अभिकरणों के साथ सहयोग और कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सकेगा;

(झ) ऐसे माल में विशिष्ट और सार्वभौमिक माल पहचानकर्ताओं के उपयोग का आदेश कर सकेगा, जो अनुचित व्यापार व्यवहारों को निवारित करने और उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने के लिए आवश्यक हों;

(ञ) खतरनाक या परिसंकटमय या असुरक्षित माल या सेवाओं के विरुद्ध उपभोक्ताओं को सावधान करने के लिए सुरक्षा सूचनाएं जारी कर सकेगा;

(ट) केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के मंत्रालयों और विभागों को उपभोक्ता कल्याण उपायों पर सलाह दे सकेगा;

(ठ) अनुचित व्यापार व्यवहारों को निवारित करने के लिए और उपभोक्ताओं के हित के संरक्षण के लिए आवश्यक मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकेगा।

केंद्रीय प्राधिकरण की मामले को, अन्वेषण करने के लिए अन्य विनियामक को निर्दिष्ट करने की शक्ति।

19. (1) केंद्रीय प्राधिकरण, केंद्रीय सरकार से किसी सूचना या शिकायत या निदेश को प्राप्त करने के पश्चात् या स्वतः यह जांचने के लिए कि क्या प्रथमदृष्ट्या किसी व्यक्ति द्वारा उपभोक्ता अधिकारों के अतिक्रमण या किसी अनुचित व्यापार व्यवहार या किसी मिथ्या या भ्रामक विज्ञापन का कोई मामला विद्यमान है, जो लोक हित या उपभोक्ताओं के हितों के प्रतिकूल है, एक प्रारंभिक जांच करेगा या कराएगा और यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि प्रथमदृष्ट्या कोई मामला विद्यमान है तो वह महानिदेशक या जिला कलेक्टर द्वारा अन्वेषण कराएगा।

(2) जहां प्रारंभिक जांच के पश्चात् केंद्रीय प्राधिकरण की यह राय है कि इस मामले को तत्समय प्रवृत्त

किसी अन्य विधि के अधीन स्थापित विनियामक द्वारा निपटाया जाना चाहिए तो वह ऐसे मामले को अपनी रिपोर्ट के साथ संबंधित विनियामक को निर्दिष्ट कर सकेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए, केंद्रीय प्राधिकरण, महानिदेशक या जिला कलेक्टर उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति को बुला सकेगा और उसके कब्जे में किसी दस्तावेज या अभिलेख को प्रस्तुत करने की मांग कर सकेगा।

केंद्रीय प्राधिकरण की माल, आदि को वापस मंगाने की शक्ति।

20. जहां केंद्रीय प्राधिकरण का अन्वेषण के आधार पर यह समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति द्वारा उपभोक्ता अधिकारों के अतिक्रमण या अनुचित व्यापार व्यवहार को उपदर्शित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है तो वह ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो आवश्यक हो, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं—

(क) ऐसे माल का वापस लेना या ऐसी सेवाओं का प्रत्याहरण है जो खतरनाक, परिसंकटमय या असुरक्षित हैं;

(ख) ऐसे माल या सेवाओं के क्रेताओं को इस प्रकार वापस लिए गए माल या सेवाओं की कीमतों की प्रतिपूर्ति; और

(ग) ऐसे व्यवहारों को बंद करना, जो अनुचित हैं और उपभोक्ता के हितों के प्रतिकूल हैं:

परंतु केंद्रीय प्राधिकरण, इस धारा के अधीन कोई आदेश पारित करने से पूर्व व्यक्ति को सुने जाने का अवसर प्रदान करेगा।

केंद्रीय प्राधिकरण की मिथ्या या भ्रामक विज्ञापनों के विरुद्ध निदेश और शास्तियां जारी करने की शक्ति।

21. (1) जहां अन्वेषण के पश्चात् केंद्रीय प्राधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि कोई विज्ञापन मिथ्या या भ्रामक है और किसी उपभोक्ता के हित के प्रतिकूल है या उपभोक्ता अधिकारों के अतिक्रमण में है, वह आदेश द्वारा, यथास्थिति, संबंधित व्यापारी या विनिर्माता या पृष्ठांकक या विज्ञापनकर्ता या प्रकाशक को ऐसे विज्ञापन को बंद करने के लिए या उसे ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, उपांतरित करने का निदेश दे सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन पारित आदेश के होते हुए भी यदि केंद्रीय प्राधिकरण की यह राय है कि किसी विनिर्माता या किसी पृष्ठांकक द्वारा ऐसे मिथ्या या भ्रामक विज्ञापन के संबंध में शास्ति अधिरोपित करना आवश्यक है तो वह विनिर्माता या पृष्ठांकक पर कोई शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, जो दस लाख रुपए तक हो सकेगी:

परंतु केंद्रीय प्राधिकरण विनिर्माता या पृष्ठांकक द्वारा प्रत्येक पश्चात्वर्ती अतिक्रमण की दशा में ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, जो पचास लाख रुपए तक हो सकेगी।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन किसी आदेश के होते हुए भी, जहां केंद्रीय प्राधिकरण यह आवश्यक समझता है तो वह आदेश द्वारा किसी मिथ्या या भ्रामक विज्ञापन के पृष्ठांकक को किसी उत्पाद या सेवा का पृष्ठांकन करने से ऐसी अवधि के लिए, जो एक वर्ष तक की हो सकेगी, प्रतिषिद्ध कर सकेगा:

परंतु केंद्रीय प्राधिकरण प्रत्येक पश्चात्वर्ती अतिक्रमण के लिए ऐसे पृष्ठांकक को किसी उत्पाद या सेवा के संबंध में ऐसी अवधि के लिए पृष्ठांकन करने से प्रतिषिद्ध कर सकेगा, जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी।

(4) जहां केंद्रीय प्राधिकरण का अन्वेषण करने के पश्चात् यह समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति को किसी भ्रामक विज्ञापन का प्रकाशक या ऐसे प्रकाशन में पक्षकार पाया जाता है तो वह ऐसे व्यक्ति पर ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, जो दस लाख रुपए तक हो सकेगी।

(5) कोई भी पृष्ठांकक उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन शास्ति का दायी नहीं होगा, यदि उसने उसके द्वारा पृष्ठांकित किए जा रहे उत्पाद या सेवा के संबंध में विज्ञापन में किए गए दावों की सत्यता का सत्यापन करने के लिए सम्यक् तत्परता बरती है।

(6) कोई भी व्यक्ति ऐसी शास्ति के लिए दायी नहीं होगा यदि वह यह साबित कर देता है कि उसने ऐसे विज्ञापन के प्रकाशन को अपने कारबार के साधारण अनुक्रम में प्रकाशित किया था या प्रकाशन का प्रबंध किया था:

परंतु ऐसे व्यक्ति को ऐसा कोई बचाव उपलब्ध नहीं होगा यदि उसे केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा ऐसे विज्ञापन के प्रत्याहरण या उपांतरण के लिए पारित किए गए किसी पूर्ववर्ती आदेश की जानकारी थी।

(7) इस धारा के अधीन शास्ति के अवधारण करते समय निम्नलिखित का ध्यान रखा जाएगा, अर्थात्:—

(क) ऐसे अपराध द्वारा समाघात किए गए या प्रभावित क्षेत्र की जनसंख्या;

(ख) ऐसे अपराध की आवर्ती और अवधि;

(ग) ऐसे अपराध द्वारा प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभाव्यता वाले व्यक्तियों के वर्ग की भेद्यता; और

(घ) ऐसे अपराध द्वारा प्रभावित बिक्री से समग्र राजस्व।

(8) केंद्रीय प्राधिकरण इस धारा के अधीन कोई आदेश पारित करने से पूर्व व्यक्ति को सुने जाने का अवसर प्रदान करेगा।

तलाशी और अभिग्रहण।

22. (1) धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन आरंभिक जांच करने के पश्चात् कोई अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, महानिदेशक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी या जिला कलेक्टर यदि उसके पास यह विश्वास करने का कोई भी कारण है कि किसी व्यक्ति ने उपभोक्ता अधिकारों का अतिक्रमण किया है या कोई अनुचित व्यापार व्यवहार या कोई मिथ्या या भ्रामक विज्ञापन कराया है, तो वह,—

(क) किसी भी युक्तियुक्त समय पर ऐसे किसी भी परिसर में प्रवेश करेगा और किसी दस्तावेज या अभिलेख या चीज या किसी अन्य रूप के साक्ष्य के लिए तलाशी करेगा और ऐसे दस्तावेज, अभिलेख, चीज या ऐसे साक्ष्य का अभिग्रहण करेगा;

(ख) ऐसे अभिलेख या चीज को नोट करेगा या उसकी सूची बनाएगा; या

(ग) किसी व्यक्ति से किसी अभिलेख, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज या चीज को प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा।

(2) तलाशी और अभिग्रहण के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंध जहां तक हो सके इस अधिनियम के अधीन तलाशी और अभिग्रहण को लागू होंगे। 1974 का 2

(3) उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन अभिग्रहण किए गए या उस उपधारा के खंड (ग) के अधीन प्रस्तुत किए गए प्रत्येक दस्तावेज, अभिलेख या चीज को उस व्यक्ति को, जिससे उनका अभिग्रहण किया गया था या जिसने उन्हें प्रस्तुत किया था, यथास्थिति, ऐसे अभिग्रहण या प्रस्तुत करने की तारीख से बीस दिन के भीतर, उनकी, उस व्यक्ति द्वारा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रमाणित प्रतियों को या उनसे उद्धरणों को लेने के पश्चात् लौटा दिया जाएगा।

(4) जहां उपधारा (1) के अधीन अभिग्रहण की गई चीज शीघ्रतया या प्रक्रत्या क्षयशील है वहां महानिदेशक या अन्य अधिकारी उस चीज का ऐसी रीति में निपटान कर सकेगा, जो विहित की जाए।

(5) उपधारा (4) में निर्दिष्ट चीजों से भिन्न अन्य चीजों की दशा में धारा 38 की उपधारा (2) के खंड (ग) में अंतर्विष्ट उपबंध यथा आवश्यक उपांतरणों सहित किसी विश्लेषण या परीक्षण को लागू होंगे।

केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करने के लिए किसी कानूनी प्राधिकरण या निकाय का पदाभिधान।

23. केंद्रीय सरकार यदि आवश्यक समझे, तो अधिसूचना द्वारा, किसी भी कानूनी प्राधिकरण या निकाय को, धारा 10 में निर्दिष्ट केंद्रीय प्राधिकरण की शक्तियों का उपयोग करने और कृत्यों का पालन करने के लिए पदाभिहित कर सकेगी।

अपील।

24. धारा 20 और धारा 21 के अधीन केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर राष्ट्रीय आयोग को अपील फाइल कर सकेगा।

25. केंद्रीय सरकार, इस निमित्त विधि संसद् द्वारा सम्यक् विनियोग के पश्चात्, केंद्रीय प्राधिकरण को ऐसी धनराशियों का अनुदान कर सकेगी, जो केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के लिए आवश्यक समझे। केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदान।

26. (1) केंद्रीय प्राधिकरण उचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से विहित किया जाए, लेखाओं का एक वार्षिक विवरण तैयार करेगा। लेखे और संपरीक्षा।

(2) केंद्रीय प्राधिकरण के लेखाओं की भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, संपरीक्षा की जाएगी और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा उपगत कोई व्यय केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को संदेय होगा।

(3) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक और केन्द्रीय प्राधिकरण के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किए गए किसी व्यक्ति को उस संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे, जो सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के हैं और विशेष रूप से बहियों, लेखाओं, संबद्ध वाऊचरों तथा अन्य दस्तावेजों और कागज-पत्र पेश करने की मांग करने तथा केंद्रीय प्राधिकरण और उसके द्वारा स्थापित कार्यालयों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक या उसके द्वारा केन्द्रीय प्राधिकरण के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में नियुक्त किए गए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित केंद्रीय प्राधिकरण के लेखे उस पर संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक रूप से केंद्रीय सरकार को भेजे जाएंगे और वह सरकार उसे संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।

27. (1) केंद्रीय प्राधिकरण, प्रत्येक वर्ष ऐसे प्रारूप और ऐसे समय में, जो विहित किया जाए पूर्ववर्ष में अपने कार्यकलापों का पूर्ण लेखा देते हुए एक वार्षिक रिपोर्ट और अन्य ऐसी रिपोर्टें और विवरणियां तैयार करेगा, जो निदेश किया जाए और ऐसी रिपोर्ट और विवरणियों की प्रतियों को केंद्रीय सरकार को अग्रेषित किया जाएगा। वार्षिक रिपोर्टें, आदि का प्रस्तुत किया जाना।

(2) उपधारा (1) के अधीन वार्षिक रिपोर्ट की प्रति, उसके प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।

अध्याय 4

उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग

28. (1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा प्रत्येक राज्य में जिला आयोग के नाम से ज्ञात जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का गठन करेगी: जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की स्थापना।

परंतु राज्य सरकार यदि उचित समझे तो किसी जिले में एक से अधिक जिला आयोग स्थापित कर सकेगी।

(2) प्रत्येक जिला आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा,—

(क) अध्यक्ष; और

(ख) दो से अन्यून और ऐसी संख्या से अनधिक सदस्य, जो केंद्रीय सरकार के परामर्श से विहित किए जाएं।

29. केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हताओं, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, पदावधि, त्यागपत्र, पद से हटाने का उपबंध करने के लिए नियम बना सकेगी। जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हताएं, आदि।

30. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तों का उपबंध करने के लिए नियम बना सकेगी। जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें।

संक्रमणकालीन उपबंध।

31. इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पूर्व जिला आयोग का, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति, यथास्थिति, ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में अपनी ऐसी पदावधि के पूरे होने तक अपना पद धारण करेगा, जिसके लिए उसकी नियुक्ति की गई है।

जिला आयोग के सदस्य के पद की रिक्ति।

32. यदि किसी समय जिला आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के पद की रिक्ति होती है तो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा,—

(क) उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी अन्य जिला आयोग को उस जिले के संबंध में भी अधिकारिता का प्रयोग करने का निदेश दे सकेगी; या

(ख) उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी अन्य जिला आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को उस जिला आयोग के भी अध्यक्ष या सदस्य की शक्तियों का प्रयोग करने और कृत्यों का निर्वहन करने का निदेश दे सकेगी।

जिला आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी।

33. (1) राज्य सरकार, जिला आयोग को उतने अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी, जो जिला आयोग को उसके कृत्यों के निर्वहन करने में सहायता करने के लिए अपेक्षित हो।

(2) जिला आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी जिला आयोग के अध्यक्ष के साधारण अधीक्षण के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करेंगे।

(3) जिला आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं।

जिला आयोग की अधिकारिता।

34. (1) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, जिला आयोग को वहां परिवादों को ग्रहण करने की अधिकारिता होगी जहां वस्तुओं या सेवाओं के प्रतिफल के रूप में संदत्त मूल्य एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं होता है:

परंतु जहां केंद्रीय सरकार ऐसा करना आवश्यक समझती है, वहां वह ऐसा अन्य मूल्य विहित कर सकेगी, जो वह ठीक समझे।

(2) किसी जिला आयोग की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं में कोई परिवाद वहां संस्थित किया जाएगा, जहां,—

(क) परिवाद आरंभ करने के समय विरोधी पक्षकार या प्रत्येक विरोधी पक्षकार, जहां एक से अधिक है, साधारणतया निवास करता है या कारबार करता है या उसका शाखा कार्यालय है या अभिलाभ के लिए स्वयं कार्य करता है; या

(ख) परिवाद आरंभ करने के समय कोई विरोधी पक्षकार या प्रत्येक विरोधी पक्षकार, जहां एक से अधिक हैं, वास्तव में और स्वैच्छिक रूप से निवास करते हैं या अपना कारबार करते हैं या उनका कोई शाखा कार्यालय है या अभिलाभ के लिए स्वयं कार्य करते हैं, बशर्ते उस दशा में जिला आयोग ने अनुज्ञा दे दी है; या

(ग) वाद हेतुक पूर्णतया या भागतः उद्भूत होता है; या

(घ) परिवादी निवास करता है या लाभ के लिए स्वयं कार्य करता है।

(3) जिला आयोग, साधारणतया जिला मुख्यालय में कार्य करेगा और जिले में ऐसे अन्य स्थानों पर कार्य कर सकेगा, जो राज्य सरकार, राज्य आयोग के परामर्श से समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचित करे।

वह रीति, जिसमें परिवाद किया जाएगा।

35. (1) विक्रीत या परिदत्त या विक्रय या परिदान के लिए करार पाई गई किसी वस्तु अथवा प्रदान की गई या परिदान करने के लिए करार पाई गई किसी सेवा के संबंध में परिवाद को जिला आयोग के पास—

(क) उस उपभोक्ता द्वारा फाइल किया जा सकेगा,-

(i) जिसे ऐसे माल का विक्रय किया गया है या परिदान किया गया है या विक्रय करने का परिदान प्रदान करने का करार किया गया है या ऐसी सेवा प्रदान की गई है या प्रदान करने का करार किया गया है; या

(ii) जो ऐसे माल या सेवाओं के संबंध में अनुचित व्यापार व्यवहार का अभिकथन करता है;

(ख) किसी भी मान्यताप्राप्त उपभोक्ता संगम द्वारा फाइल किया जा सकेगा, चाहे वह उपभोक्ता, जिसे ऐसे माल का विक्रय किया गया है या परिदान किया गया है या ऐसे मालों का विक्रय करने या परिदान करने का करार किया गया है या ऐसी सेवा प्रदान की गई है या प्रदान करने का करार किया गया है या जो ऐसे माल या सेवाओं के संबंध में अनुचित व्यापार व्यवहार का अभिकथन करता है, ऐसे संगम का सदस्य है या नहीं;

(ग) जिला आयोग की अनुज्ञा से एक या एक से अधिक उपभोक्ता द्वारा इस प्रकार हितबद्ध सभी उपभोक्ताओं की ओर से या उनके फायदे के लिए वहां फाइल किया जा सकेगा, जहां अनेक ऐसे उपभोक्ता हैं, जिनका हित समान है; या

(घ) यथास्थिति, केंद्रीय सरकार, केंद्रीय प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा फाइल किया जा सकेगा:

परंतु इस उपधारा के अधीन परिवाद ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, इलैक्ट्रानिक रूप में फाइल किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए ''मान्यताप्राप्त उपभोक्ता संगम'' से तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कोई रजिस्ट्रीकृत स्वैच्छिक उपभोक्ता संगम अभिप्रेत है।

(2) उपधारा (1) के अधीन फाइल किए गए प्रत्येक परिवाद के साथ ऐसी फीस संलग्न होगी और ऐसी रीति में संदेय होगी, जो विहित किया जाए, जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक रूप भी है।

जिला आयोग के समक्ष कार्यवाहियां।

36. (1) जिला आयोग के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही उस आयोग के अध्यक्ष और कम से कम एक सदस्य द्वारा साथ बैठकर संचालित की जाएगी:

परंतु जहां किसी कारण से कोई सदस्य कार्यवाही को उसके पूरा किए जाने तक संचालित करने में असमर्थ हैं तो अध्यक्ष और अन्य सदस्य उस प्रक्रम से कार्यवाही को जारी रखेंगे, जिस पर उसकी पूर्ववर्ती सदस्य ने अंतिम सुनवाई की थी।

(2) धारा 35 के अधीन किसी परिवाद की प्राप्ति पर जिला आयोग, कार्यवाही करने के लिए परिवाद को ग्रहण करने या उसे अस्वीकार करने का आदेश कर सकेगा:

परंतु इस धारा के अधीन किसी परिवाद को तब तक अस्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक परिवादी को सुने जाने का अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता है:

परंतु यह और कि किसी परिवाद की साधारणतया ग्राह्यता का विनिश्चय उस तारीख से, जिसको परिवाद फाइल किया गया था, इक्कीस दिन के भीतर किया जाएगा।

(3) जहां जिला आयोग इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर परिवाद की ग्राह्यता के मुद्दे का विनिश्चय नहीं करता है तो उसे ग्रहण कर लिया गया समझा जाएगा।

मध्यकता को निर्देश।

37. (1) किसी परिवाद को ग्रहण करने के पश्चात् पहली सुनवाई पर या किसी पश्चात्वर्ती स्तर पर, यदि जिला आयोग को यह प्रतीत होता है कि समझौते के अनुकूल वातावरण है, जो पक्षकारों को स्वीकार्य हो सकता है, तो सिवाय ऐसे मामलों में, जो विहित किए जाएं, वह पक्षकारों को पांच दिन के भीतर, अध्याय 5 के उपबंधों के अनुसार मध्यकता द्वारा अपने विवाद को परिनिर्धारित करने के लिए लिखित सहमति देने के लिए निदेश कर सकेगा।

(2) जहां पक्षकार मध्यकता द्वारा परिनिर्धारण के लिए सहमत हो जाते हैं और अपनी लिखित सहमति दे देते हैं तो जिला आयोग, ऐसी सहमति की प्राप्ति के पांच दिन के भीतर मामले को मध्यकता को निर्दिष्ट करेगा और ऐसी दशा में मध्यकता से संबंधित अध्याय 5 के उपबंध लागू होंगे।

परिवाद के ग्रहण होने पर प्रक्रिया।

38. (1) जिला आयोग, किसी परिवाद को ग्रहण करने पर या मध्यकता द्वारा परिनिर्धारण के लिए असफल होने की दशा में मध्यकता के लिए निर्दिष्ट मामलों के संबंध में ऐसे परिवाद पर आगे कार्यवाही करेगा।

(2) जहां परिवाद किसी माल से संबंधित है वहां जिला आयोग,—

(क) ग्रहण किए गए परिवाद की एक प्रति उसके ग्रहण करने की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर परिवाद में वर्णित विरोधी पक्षकार को यह निदेश देते हुए निर्देशित करेगा कि वह तीस दिन की अवधि या पन्द्रह दिन से अनधिक ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर, जो मंजूर की जाए, अपने मामले का विवरण प्रस्तुत करे;

(ख) यदि विरोधी पक्षकार खंड (क) के अधीन उसकी निर्दिष्ट किसी परिवाद की प्राप्ति पर, परिवाद में अंतर्विष्ट अभिकथनों का प्रत्याख्यान करता है या उनका प्रतिवाद करता है या जिला आयोग द्वारा दिए गए समय के भीतर मामले में अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए कोई कार्रवाई करने का लोप करता है या करने में असफल रहता है वहां उपभोक्ता विवाद को खंड (ग) से खंड (छ) में विनिर्दिष्ट रीति में निपटाने के लिए कार्यवाही करेगा;

(ग) यदि परिवादी ने माल में किसी ऐसी त्रुटि का अभिकथन किया है, जिसका अवधारण माल के उचित विश्लेषण या परीक्षण के बिना नहीं किया जा सकता है वहां परिवादी से माल का नमूना अभिप्राप्त करेगा, उसे सीलबंद करेगा और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अधिप्रमाणित करेगा और इस प्रकार सीलबंद नमूने को इस निदेश के साथ समुचित प्रयोगशाला को निर्देशित करेगा कि ऐसी प्रयोगशाला यह पता लगाने की दृष्टि से ऐसे विश्लेषण या परीक्षण, जो भी आवश्यक हो, करे कि ऐसे माल में परिवाद में अभिकथित कोई त्रुटि है या नहीं अथवा माल में कोई अन्य त्रुटि है या नहीं और उस पर अपनी रिपोर्ट, जिला आयोग को निर्देश की प्राप्ति के पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर या ऐसी बढ़ी हुई अवधि के भीतर जो उसके द्वारा मंजूर की गई हो, भेजेगा;

(घ) खंड (ग) के अधीन किसी समुचित प्रयोगशाला को माल के किसी नमूने को निर्दिष्ट किए जाने से पूर्व, परिवादी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह प्रश्नगत माल के संबंध में आवश्यक विश्लेषण या परीक्षण करने के लिए समुचित प्रयोगशाला को संदाय के लिए ऐसी फीस, जो विनिर्दिष्ट की जाए, आयोग के जमा खाते में जमा करे;

(ङ) खंड (घ) के अधीन अपने जमा खाते में जमा की गई रकम को समुचित प्रयोगशाला को प्रेषित करेगा जिससे खंड (ग) में वर्णित विश्लेषण या परीक्षण करने के लिए उसे समर्थ बनाया जा सके और समुचित प्रयोगशाला से रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने पर विरोधी पक्षकार को ऐसी टिप्पणी, जो वह समुचित समझे, के साथ रिपोर्ट की एक प्रति अग्रेषित करेगा;

(च) यदि पक्षकारों में से कोई पक्षकार समुचित प्रयोगशाला के निष्कर्षों की शुद्धता पर विवाद करते हैं या समुचित प्रयोगशाला द्वारा अपनाई गई विश्लेषण या जांच की पद्धतियों की शुद्धता पर विवाद करते हैं तो विरोधी पक्षकार या परिवादी से यह अपेक्षा करेगा कि वह समुचित प्रयोगशाला द्वारा की गई रिपोर्ट के संबंध में अपने आक्षेप लिखित में प्रस्तुत करें;

(छ) समुचित प्रयोगशाला द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट की शुद्धता या अन्यथा के संबंध में परिवादी के साथ ही साथ विरोधी पक्षकार को सुने जाने का और खंड (च) के अधीन उसके संबंध में किए गए आक्षेप के बारे में भी युक्तियुक्त अवसर देगा और धारा 39 के अधीन समुचित आदेश पारित करेगा।

(3) यदि धारा 36 के अधीन जिला आयोग द्वारा ग्रहण किया गया परिवाद उस माल के संबंध में है जिनकी बाबत उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया जा सकता या परिवाद किन्हीं सेवाओं से संबंधित है, तो वह—

(क) विरोधी पक्षकार को ऐसे परिवाद की एक प्रति निर्दिष्ट करते हुए निदेश देगा कि वह तीस दिन की अवधि के भीतर या पन्द्रह दिन से अनधिक ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर, जो जिला आयोग द्वारा अनुदत की जाए, मामले का अपना कथन प्रस्तुत करे;

(ख) यदि विरोधी पक्षकार, खंड (क) के अधीन उसे निर्दिष्ट की गई परिवाद की प्रति के प्राप्त हो जाने पर, परिवाद में अन्तर्विष्ट अभिकथनों का प्रत्याख्यान करता है या उन पर विवाद करता है या जिला आयोग द्वारा प्रदान किए गए समय के भीतर अपने मामले का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए कोई कार्रवाई करने का लोप करता है या करने में असफल रहता है, तो उपभोक्ता विवाद का निपटान—

(i) उसकी जानकारी में परिवादी और विरोधी पक्षकार द्वारा लाए गए साक्ष्य के आधार पर करेगा यदि विरोधी पक्षकार परिवाद में अंतर्विष्ट अभिकथनों का प्रत्याख्यान करता है या उन पर विवाद करता है; या

(ii) जहां विरोधी पक्षकार आयोग द्वारा प्रदान किए गए समय के भीतर मामले के अपना पक्ष नहीं रखता है या रखने में असफल रहता है वहां परिवादी द्वारा उसकी जानकारी में लाए गए साक्ष्य के आधार पर एकपक्षीय कार्यवाही करेगा;

(ग) यदि परिवादी सुनवाई की तारीख को उपस्थित होने में असफल रहता है तो परिवाद का गुणावगुण के आधार पर विनिश्चय करेगा।

(4) उपधारा (2) और उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिए जिला आयोग, आदेश द्वारा, किसी इलैक्ट्रानिक सेवा प्रदाता से ऐसी सूचना, दस्तावेज या अभिलेख उपलब्ध कराने की अपेक्षा कर सकेगा, जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(5) उपधारा (1) और उपधारा (2) में अधिकथित प्रक्रिया का अनुपालन करने वाली कार्यवाहियों को किसी न्यायालय में इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के अनुपालन नहीं किया गया है।

(6) जिला आयोग द्वारा, प्रत्येक परिवाद की सुनवाई, शपथपत्र और अभिलेख पर रखे गए दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर की जाएगी:

परंतु जहां वैयक्तिक रूप से या वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से पक्षकारों की सुनवाई के लिए या परीक्षा के लिए कोई आवेदन किया जाता है वहां जिला आयोग, पर्याप्त हेतुक उपदर्शित करने पर और कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् वैसा करने को अनुज्ञात कर सकेगा।

(7) प्रत्येक परिवाद पर यथासंभव शीघ्र सुनवाई की जाएगी और विरोधी पक्षकार द्वारा सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर, जहां परिवाद में वस्तुओं के विश्लेषण या परीक्षण की अपेक्षा नहीं की जाती है और पांच मास के भीतर, जहां वस्तुओं के विश्लेषण या परीक्षण की अपेक्षा की जाती है, परिवाद का विनिश्चय करने का प्रयास किया जाएगा:

परंतु जिला आयोग द्वारा, कोई भी स्थगन मामूली तौर पर तब तक मंजूर नहीं किया जाएगा जब तक पर्याप्त हेतुक दर्शित न कर दिया गया हो और स्थगन की मंजूरी के कारणों को आयोग द्वारा लेखबद्ध न कर दिया गया हो:

परंतु यह और कि जिला आयोग स्थगन के कारण उपगत होने वाली लागतों के संबंध में ऐसे आदेश करेगा, जैसा कि विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए:

परंतु यह भी कि इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात् परिवाद का निपटान किए जाने की दशा में, जिला आयोग उक्त परिवाद के निपटान के समय, उसके कारणों को अभिलिखित करेगा।

(8) जहां जिला आयोग के समक्ष किसी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, आयोग को यह आवश्यक प्रतीत होता है तो वह ऐसा अंतरिम आदेश पारित कर सकेगा, जो मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायोचित और उचित हो।

(9) इस धारा के प्रयोजनार्थ जिला आयोग को वही शक्तियां होंगी जो निम्नलिखित विषयों की बाबत वाद
1908 का 5 का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात्:—

(क) किसी प्रतिवादी या साक्षी को समन करना तथा हाजिर कराना और शपथ पर साक्षी की परीक्षा करना;

(ख) साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज या अन्य तात्त्विक वस्तु के प्रकटीकरण और पेश करने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(घ) समुचित प्रयोगशाला से या किसी अन्य सुसंगत स्रोत से संबद्ध विश्लेषण या परीक्षण की रिपोर्ट की अपेक्षा करना;

(ङ) किसी साक्षी या दस्तावेज की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना; और

(च) कोई अन्य विषय, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए।

(10) जिला आयोग के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और धारा 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी और जिला आयोग दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनार्थ दांडिक न्यायालय समझा जाएगा। 1860 का 45 1974 का 2

(11) जहां परिवादी धारा 2 के खंड (5) के उपखंड (v) में निर्दिष्ट उपभोक्ता है, तो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की पहली अनुसूची के आदेश 1 के नियम 8 के उपबंध इस उपातंरण के अध्यधीन लागू होंगे कि किसी वाद या डिक्री के प्रति उसमें प्रत्येक निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह परिवाद या उस पर जिला आयोग के प्रति निर्देश है। 1908 का 5

(12) किसी परिवादी, जो उपभोक्ता है या विरोधी पक्षकार, जिसके विरुद्ध परिवाद फाइल किया गया है, की मृत्यु की दशा में, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की पहली अनुसूची के आदेश 22 के उपबंध इस उपातंरण के अध्यधीन लागू होंगे कि वादी और प्रतिवादी के प्रति उसमें किए गए प्रत्येक निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह, यथास्थिति, परिवादी या विरोधी पक्षकार के प्रति निर्देश है। 1908 का 5

जिला आयोग के निष्कर्ष।

39. (1) जहां जिला आयोग का यह समाधान हो जाता है कि जिस माल के विरुद्ध परिवाद किया गया है, वह परिवाद में विनिर्दिष्ट त्रुटियों में से किसी त्रुटि से ग्रस्त है या परिवाद में सेवाओं के बारे में अन्तर्विष्ट कोई अभिकथन या कोई अनुचित व्यापार व्यवहार या उत्पाद दायित्व के अधीन प्रतिकर का कोई दावा साबित हो गया है तो वह विरोधी पक्षकार को निम्नलिखित में एक या अधिक बातें करने का निदेश देने वाला आदेश जारी कर सकेगा, अर्थात्:—

(क) प्रश्नगत माल में से समुचित प्रयोगशाला द्वारा प्रकट की गई त्रुटि को दूर करना;

(ख) माल को उसी वर्णन के नए ऐसे माल से बदलना जिसमें कोई त्रुटि नहीं हो;

(ग) परिवादी द्वारा संदत्त, यथास्थिति, कीमत या प्रभारों को ऐसी कीमत या प्रभारों पर, जो विनिश्चित किए जाएं, ब्याज सहित परिवादी को वापस लौटाना;

(घ) ऐसी रकम का संदाय करना जो विरोधी पक्षकार की उपेक्षा के कारण उपभोक्ता द्वारा सहन की गई किसी हानि या क्षति के लिए उपभोक्ता को प्रतिकर के रूप में अधिनिर्णीत किया जाए:

परंतु जिला आयोग को ऐसी परिस्थितियों में, जो वह ठीक समझे, दंडात्मक नुकसानियों को मंजूर करने की शक्ति होगी;

(ङ) ऐसी रकम का संदाय, जो उसके द्वारा अध्याय 6 के अधीन किसी उत्पाद दायित्व कार्रवाई में प्रतिकर के रूप में अधिनिर्णीत की जाए;

(च) प्रश्नगत माल में त्रुटियों या सेवाओं में कमियों को दूर करना;

(छ) अनुचित व्यापारिक व्यवहार या प्रतिबंधित व्यापारिक व्यवहार को बंद करना और उनकी पुनरावृत्ति न करना;

(ज) परिसंकटमय या असुरक्षित माल की विक्रय के लिए प्रस्थापना न करना;

(झ) परिसंकटमय माल की विक्रय के लिए की गई प्रस्थापना को वापस लेना;

(ञ) परिसंकटमय माल के विनिर्माण को बंद करना और ऐसी सेवाओं की प्रस्थापना करने से प्रविरत रहना, जो परिसंकटमय प्रकृति की हैं;

(ट) यदि उसकी यह राय है कि भारी संख्या में ऐसे उपभोक्ताओं द्वारा, जिनकी सुविधापूर्वक पहचान नहीं की जा सकती, को हानि या क्षति उठानी पड़ी है तो ऐसी राशि का संदाय करना, जो उसके द्वारा अवधारित की जाए;

परंतु इस प्रकार संदेय राशि की कुल रकम, ऐसे उपभोक्ताओं को, यथास्थिति, ऐसे विक्रीत त्रुटिपूर्ण माल या प्रदान की गई सेवाओं के मूल्य का पच्चीस प्रतिशत से कम नहीं होगी;

(ठ) ऐसा भ्रामक विज्ञापन जारी करने के लिए जिम्मेदार विरोधी पक्षकार के खर्च पर भ्रामक विज्ञापन के प्रभाव को निष्प्रभावी करने के लिए सुधारात्मक विज्ञापन निकालना;

(ड) पक्षकारों के लिए पर्याप्त खर्चे का उपबंध करना; और

(ढ) कोई भ्रामक विज्ञापन निकालना बंद करना और उससे प्रविरत रहना।

(2) उपधारा (1) के अधीन अभिप्राप्त हुई कोई भी रकम ऐसी निधि में जमा की जाएगी और उसका ऐसी रीति में उपयोग किया जाएगा या जो विहित किया जाए।

(3) अध्यक्ष और किसी सदस्य द्वारा संचालित किसी कार्यवाही में, यदि उनका किसी मुद्दे या मुद्दों पर मतभेद है, तो वे उस मुद्दे या उन मुद्दों का कथन करेंगे जिन पर उनका मतभेद है और उसे ऐसे मुद्दे या मुद्दों पर सुनवाई के लिए किसी दूसरे सदस्य को निर्दिष्ट करेंगे तथा बहुमत की राय, जिला आयोग का आदेश होगा:

परंतु दूसरा सदस्य, उसको निर्दिष्ट ऐसे मुद्दे या मुद्दों पर ऐसे निर्देश की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर अपनी राय देगा।

(4) उपधारा (1) के अधीन जिला आयोग द्वारा किया गया प्रत्येक आदेश उसके अध्यक्ष और सदस्य द्वारा, जिन्होंने कार्यवाही संचालित की थी, हस्ताक्षरित किया जाएगा:

परंतु जहां आदेश उपधारा (1) के अधीन बहुमत की राय के अनुसार किया जाता है वहां ऐसा आदेश अन्य सदस्य द्वारा भी हस्ताक्षरित किया जाएगा।

कतिपय मामलों में जिला आयोग द्वारा पुनर्विलोकन।

40. जिला आयोग को उसके द्वारा पारित किसी भी आदेश का और यदि अभिलेख को देखते ही कोई स्पष्ट त्रुटि मिलती है तो वह स्वप्रेरणा से या पक्षकारों में से किसी भी पक्षकार द्वारा किए गए आवेदन पर ऐसे आदेश के तीस दिन के भीतर पुनर्विलोकन करने की शक्ति होगी।

जिला आयोग के आदेश के विरुद्ध अपील।

41. जिला आयोग द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर ऐसे प्रारूप और रीति में, जो विहित किया जाए, तथ्यों या विधि के आधारों पर राज्य आयोग को ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील कर सकेगा:

परंतु राज्य आयोग, पैंतालीस दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात्, अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उक्त अवधि के भीतर अपील फाइल न करने के लिए पर्याप्त हेतुक था:

परंतु यह और कि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिससे जिला आयोग के आदेश के निबंधनानुसार किसी रकम का संदाय करने की अपेक्षा की जाती है, कोई अपील राज्य आयोग द्वारा तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक अपीलार्थी ने, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उस रकम का पचास प्रतिशत जमा नहीं कर दिया हो:

परंतु यह भी कि धारा 80 के अधीन मध्यकता द्वारा समझौता के अनुसरण में जिला आयोग द्वारा धारा 81 की उपधारा (1) के अधीन पारित किसी भी आदेश से कोई अपील नहीं की जाएगी।

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की स्थापना।

42. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, राज्य में राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग नामक राज्य आयोग की स्थापना करेगी।

(2) राज्य आयोग साधारणत: राज्य की राजधानी में कार्य करेगा और ऐसे अन्य स्थानों पर अपने कृत्यों का पालन करेगा जो राज्य सरकार, राज्य आयोग के परामर्श से राजपत्र में अधिसूचित करे:

परंतु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे स्थानों पर, जो वह ठीक समझे, राज्य आयोग की प्रादेशिक शाखाएं स्थापित कर सकेगी।

(3) प्रत्येक राज्य आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा—

(क) एक अध्यक्ष; और

(ख) चार से अन्यून और उतनी संख्या से अनधिक सदस्य, जो केन्द्रीय सरकार के परामर्श से विहित की जाए।

राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हताएं, आदि।

43. केन्द्रीय सरकार, राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, पदावधि, उनके त्यागपत्र और उन्हें हटाए जाने का उपबंध करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें।

44. राज्य सरकार, राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्तों तथा सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों का उपबंध करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

संक्रमणकालीन उपबंध।

45. इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पूर्व राज्य आयोग के, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त कोई भी व्यक्ति, उसके कार्यकाल की समाप्ति तक, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में अपना पदधारण करेगा।

राज्य आयोग के अधिकारी और कर्मचारी।

46. (1) राज्य सरकार, राज्य आयोग को उसके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए अपेक्षित अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की प्रकृति और प्रवर्गों का अवधारण करेगी और वह आयोग को ऐसे अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जो वह ठीक समझे।

(2) राज्य आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी, अध्यक्ष के साधारण अधीक्षण के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करेंगे।

(3) राज्य आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन तथा भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं।

राज्य आयोग की अधिकारिता।

47. (1) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य आयोग को निम्नलिखित की अधिकारिता होगी—

(क) (i) उन परिवादों को ग्रहण करना, जिनमें प्रतिफल के रूप में संदत्त माल या सेवाओं का मूल्य एक करोड़ रुपए से अधिक है किन्तु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है:

परंतु जहां केंन्द्रीय सरकार ऐसा करना आवश्यक समझती है, वहां वह ऐसा अन्य मूल्य विहित कर सकेगी, जो वह ठीक समझे;

(ii) अनुचित संविदाओं के विरुद्ध परिवाद ग्रहण करना, जहां प्रतिफल के रूप में संदत्त माल या सेवाओं का मूल्य दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है;

(iii) राज्य के भीतर किसी जिला आयोग के आदेशों के विरुद्ध अपीलें; और

(ख) जहां राज्य आयोग को यह प्रतीत होता है कि ऐसे जिला आयोग ने ऐसी किसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो विधि द्वारा उसमें निहित नहीं है या जो इस प्रकार निहित अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहा है या उसने अपनी अधिकारिता का प्रयोग अवैध रूप से या तात्त्विक अनियमितता से किया है, वहां ऐसे किसी भी उपभोक्ता विवाद में, जो राज्य के भीतर किसी जिला आयोग के समक्ष लंबित है या जिसका विनिश्चय उसके द्वारा किया गया है, अभिलेखों को मंगाना और समुचित आदेश पारित करना।

(2) राज्य आयोग की अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग उसकी न्यायपीठों द्वारा किया जा सकेगा और न्यायपीठ का गठन अध्यक्ष द्वारा ऐसे एक या अधिक सदस्यों से किया जा सकेगा, जो अध्यक्ष ठीक समझे:

परंतु ज्येष्ठतम सदस्य न्यायपीठ की अध्यक्षता करेगा।

(3) जहां न्यायपीठ के सदस्यों में किसी मुद्दे पर राय पर मतभेद है वहां यदि बहुमत है तो मुद्दों पर बहुमत की राय के अनुसार विनिश्चय किया जाएगा, किंतु यदि सदस्य बराबर-बराबर बंटे हुए हैं, तब वे उस मुद्दे या उन

मुद्दों का कथन करेंगे जिन पर उनमें मतभेद हैं और अध्यक्ष को निर्देश करेंगे जो या तो मुद्दे या मुद्दों को स्वयं सुनेगा या ऐसे मुद्दे या मुद्दों पर सुनवाई के लिए मामलों को अन्य एक या अधिक सदस्य को निर्दिष्ट करेगा और ऐसे मुद्दे या मुद्दों पर उन सदस्यों के बहुमत की राय के अनुसार विनिश्चय किया जाएगा जिन्होंने मामले की सुनवाई की है जिसमें वे सदस्य भी हैं जिन्होंने उसकी पहले सुनवाई की थी:

परंतु, यथास्थिति, अध्यक्ष या अन्य सदस्य ऐसे निर्देश की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर इस प्रकार निर्दिष्ट मुद्दे या मुद्दों पर राय देगा या देंगे।

(4) परिवाद, ऐसे राज्य आयोग में संस्थित किया जाएगा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर—

(क) विरोधी पक्षकार या जहां एक से अधिक विरोधी पक्षकार हैं वहां विरोधी पक्षकारों में से प्रत्येक पक्षकार, परिवाद के संस्थित किए जाने के समय साधारणतया निवास करता है या कारबार करता है या शाखा कार्यालय रखता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है; या

(ख) जहां एक से अधिक विरोधी पक्षकार हैं वहां विरोधी पक्षकारों में से कोई भी विरोधी पक्षकार परिवाद के संस्थित किए जाने के समय वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है या कारबार करता है या शाखा कार्यालय रखता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है, परन्तु यह तब जब ऐसे मामले में राज्य आयोग ने अनुज्ञा प्रदान कर दी हो; या

(ग) वाद हेतुक पूर्णत: या भागत: उत्पन्न होता है; या

(घ) परिवादी निवास करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है।

मामलों का अंतरण।

48. राज्य आयोग, परिवादी के आवेदन किए जाने पर या स्वप्रेरणा से कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर राज्य के भीतर जिला आयोग के समक्ष लंबित किसी परिवाद का, यदि न्याय के हित में ऐसी अपेक्षा की जाती है, अंतरण कर सकेगा।

राज्य आयोग को लागू प्रक्रिया।

49. (1) धारा 35, धारा 36, धारा 37, धारा 38 और धारा 39 के अधीन परिवादों से संबंधित उपबंध ऐसे उपांतरणों सहित जो आवश्यक हों, राज्य आयोग द्वारा विवादों के निपटान को लागू होंगे।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य आयोग संविदा के किन्हीं ऐसे निबंधनों को जो किसी उपभोक्ता के प्रति अनुचित है, अकृत और शून्य भी घोषित कर सकेगा।

कतिपय मामलों में राज्य आयोग द्वारा पुनर्विलोकन।

50. राज्य आयोग को या तो स्वप्रेरणा से या ऐसे आदेश के तीस दिन के भीतर किसी पक्षकार द्वारा किए गए आवेदन पर उसके द्वारा पारित किसी आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति होगी, यदि अभिलेख के देखने से ही स्पष्ट त्रुटि दिखाई पड़ती है।

राष्ट्रीय आयोग को अपील।

51. (1) राज्य आयोग द्वारा धारा 47 की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (i) या (ii) द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति आदेश की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, राष्ट्रीय आयोग को अपील कर सकेगा:

परंतु यह कि राष्ट्रीय आयोग तीस दिन की उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् तब तक कोई अपील ग्रहण नहीं करेगा जब तक कि उसका यह समाधान नहीं हो जाता है कि उस अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण था:

परंतु यह और कि किसी व्यक्ति की, जिससे राज्य आयोग के आदेश के निबंधनों में किसी रकम का संदाय करने की अपेक्षा है, कोई अपील राष्ट्रीय आयोग द्वारा तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी, जब तक अपीलार्थी ने विहित रीति में उस रकम का पचास प्रतिशत जमा नहीं कर दिया है।

(2) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्यथा उपबंधित के सिवाय राज्य आयोग द्वारा अपील में पारित किसी आदेश से राष्ट्रीय आयोग में अपील तभी की जाएगी यदि राष्ट्रीय आयोग का यह समाधान हो जाता है कि मामले में विधि का सारवान् प्रश्न अंतर्वलित है।

(3) किसी ऐसी अपील में जिसमें विधि का प्रश्न अंतर्वलित है, अपील के ज्ञापन में अपील में अंतर्वलित विधि के सारवान् प्रश्न का ठीक-ठाक कथन होगा।

(4) जहां राष्ट्रीय आयोग का यह समाधान हो जाता है कि किसी मामले में विधि का सारवान् प्रश्न अंतर्वलित है वहां वह उस प्रश्न को तैयार करेगा और उस प्रश्न पर अपील की सुनवाई करेगा:

परंतु इस उपधारा में किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह विधि के किसी अन्य सारवान् प्रश्न पर अपील, उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, की सुनवाई करने के लिए राष्ट्रीय आयोग की शक्ति को छीनती है या न्यूनीकृत करती है, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि मामले में विधि का ऐसा प्रश्न अंतर्वलित है।

(5) राज्य आयोग द्वारा एकपक्षीय पारित आदेश से इस धारा के अधीन राष्ट्रीय आयोग को अपील की जा सकेगी।

अपील की सुनवाई।

52. यथास्थिति, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के समक्ष फाइल की गई अपील पर यथासंभव शीघ्र सुनवाई की जाएगी और अपील को उसके ग्रहण किए जाने की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर अन्तिम रूप से निपटान करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा:

परन्तु, यथास्थिति, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग द्वारा कोई स्थगन मामूली तौर पर तब तक मंजूर नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे आयोग द्वारा पर्याप्त कारण न दर्शाया गया हो और स्थगन की मंजूरी के लिए कारण अभिलिखित न किए गए हों:

परंतु यह और कि, यथास्थिति, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग स्थगन द्वारा उद्भूत खर्चों के बारे में ऐसे आदेश करेगा जो विनिर्दिष्ट किए जाएं:

परंतु यह भी कि इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात् अपील का निपटारा किए जाने की दशा में, यथास्थिति, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग उक्त अपील के निपटारे के समय उसके लिए कारण अभिलिखित करेगा।

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की स्थापना।

53. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय आयोग के नाम से ज्ञात राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की स्थापना करेगी।

(2) राष्ट्रीय आयोग मामूली तौर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कार्य करेगा और ऐसे अन्य स्थानों पर, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में राष्ट्रीय आयोग के परामर्श से अधिसूचित करें, अपने कृत्यों का पालन करेगा:

परंतु केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, राष्ट्रीय आयोग की क्षेत्रीय शाखाएं ऐसे स्थानों पर स्थापित कर सकेगी, जो वह ठीक समझे।

राष्ट्रीय आयोग की संरचना।

54. राष्ट्रीय आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा—

(क) अध्यक्ष; और

(ख) कम से कम चार और उतनी संख्या से अनधिक सदस्य, जो विहित की जाए।

राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हताएं, आदि।

55. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हताओं, नियुक्ति, पदावधि, वेतन और भत्ते, पद त्याग, हटाए जाने और सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों का उपबंध करने के लिए नियम बना सकेगी:

परंतु राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष और सदस्य, ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेंगे जो केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं किंतु ऐसी अवधि, ऐसी तारीख से, जिसको अपना पदग्रहण करते हैं, पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी और पुन: नियुक्ति के लिए पात्र होंगे:

परंतु यह और कि कोई अध्यक्ष या सदस्य उस रूप में ऐसी आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात्, जो केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए पद धारण नहीं करेगा जो,—

(क) अध्यक्ष की दशा में सत्तर वर्ष की आयु से अधिक नहीं होगी;

(ख) किसी अन्य सदस्य की दशा में सड़सठ वर्ष की आयु से अधिक नहीं होंगी।

(2) राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के न तो वेतन और भत्तों में और न ही उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तों में, उनकी नियुक्ति के पश्चात् उनके अलाभकारी रूप में परिवर्तन किया जाएगा।

2017 का 7 **56.** वित्त अधिनियम, 2017 की धारा 177 के प्रारंभ से ठीक पूर्व नियुक्त अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य संक्रमणकालीन
1986 का 68 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों द्वारा उसी प्रकार शासित होते रहेंगे उपबंध।
मानों यह अधिनियम प्रवृत्त नहीं हुआ था।

57. (1) केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष के परामर्श से राष्ट्रीय आयोग की उसके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए इतनी संख्या में अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को उपलब्ध कराएगी, जो वह ठीक समझे। राष्ट्रीय आयोग के अन्य अधिकारी और कर्मचारी।

(2) राष्ट्रीय आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष के साधारण अधीक्षण में अपने कृत्यों का निर्वहन करेंगे।

(3) राष्ट्रीय आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन तथा भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो विहित की जाएं।

58. (1) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, राष्ट्रीय आयोग को निम्नलिखित की अधिकारिता होगी— राष्ट्रीय आयोग की अधिकारिता।

(क) (i) उन परिवादों को ग्रहण करना जिनमें माल या सेवाओं का प्रतिफल के रूप में संदत्त मूल्य दस करोड़ रुपए से अधिक है:

परंतु जहां केन्द्रीय सरकार ऐसा करना आवश्यक समझती है वहां वह ऐसा अन्य मूल्य विहित कर सकेगी, जो वह ठीक समझे;

(ii) अनुचित संविदाओं के विरुद्ध परिवाद जहां माल या सेवाओं का प्रतिफल के रूप में संदत्त मूल्य दस करोड़ रुपए से अधिक है;

(iii) किसी राज्य आयोग के आदेशों के विरुद्ध अपीलें;

(iv) केन्द्रीय प्राधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपीलें; और

(ख) जहां राष्ट्रीय आयोग को यह प्रतीत होता है कि ऐसे राज्य आयोग ने ऐसी किसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो विधि द्वारा उसमें निहित नहीं है या जो इस प्रकार निहित अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहा है या उसने अपनी अधिकारिता का प्रयोग अवैध रूप से या तात्त्विक अनियमितता से किया है वहां किसी भी उपभोक्ता विवाद में, जो राज्य के भीतर किसी राज्य आयोग के समक्ष लंबित है या जिसका विनिश्चय उसके द्वारा किया गया है, अभिलेखों को मंगाना और समुचित आदेश पारित करना।

(2) राष्ट्रीय आयोग की अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग उसकी न्यायपीठों द्वारा किया जा सकेगा और न्यायपीठ का गठन अध्यक्ष द्वारा ऐसे एक या अधिक सदस्यों से किया जा सकेगा जो अध्यक्ष ठीक समझे:

परंतु न्यायपीठ का ज्येठतम सदस्य न्यायपीठ की अध्यक्षता करेगा।

(3) जहां न्यायपीठ के सदस्यों में किसी मुद्दे पर मतभेद है, वहां यदि बहुमत है, तो मुद्दे बहुमत की राय के अनुसार विनिश्चित किए जाएंगे, किन्तु यदि सदस्य बराबर-बराबर बंट जाते हैं तो वे उस मुद्दे या उन मुद्दों का कथन करेंगे जिन पर उनका मतभेद है और अध्यक्ष को निर्देश करेंगे जो या तो मुद्दे या मुद्दों को स्वयं सुनेगा या मामले को अन्य एक या अधिक सदस्यों द्वारा ऐसे मुद्दे या मुद्दों पर सुनवाई के लिए निर्दिष्ट करेगा और ऐसे मुद्दे या मुद्दों को उन सदस्यों की राय के अनुसार विनिश्चित किया जाएगा जिन्होंने मामले की सुनवाई की है जिनमें वे सदस्य भी हैं, जिन्होंने उसकी पहले सुनवाई की थी:

परंतु, यथास्थिति, अध्यक्ष या अन्य सदस्य ऐसे निर्देश की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर इस प्रकार निर्दिष्ट मुद्दे या मुद्दों पर राय देगा।

राष्ट्रीय आयोग को लागू प्रक्रिया।

59. (1) धारा 35, धारा 36, धारा 37, धारा 38 और धारा 39 के अधीन परिवादों से संबंधित उपबंध, ऐसे उपांतरणों सहित जो आवश्यक हों, राष्ट्रीय आयोग द्वारा विवादों के निपटान को लागू होंगे।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राष्ट्रीय आयोग, संविदा के किन्हीं ऐसे निबंधनों को, जो किसी उपभोक्ता के प्रति अनुचित है, अकृत और शून्य भी घोषित कर सकेगा।

कतिपय मामलों में राष्ट्रीय आयोग द्वारा पुनर्विलोकन।

60. राष्ट्रीय आयोग को या तो स्वप्रेरणा से या ऐसे आदेश के तीस दिन के भीतर किसी पक्षकार द्वारा किए गए आवेदन पर, उसके द्वारा पारित किसी आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति होगी, यदि अभिलेख के देखने से ही स्पष्ट त्रुटि दिखाई पड़ती है।

एकपक्षीय आदेशों को अपास्त करने की शक्ति।

61. जहां राष्ट्रीय आयोग द्वारा कोई आदेश एकपक्षीय पारित किया जाता है, वहां व्यथित पक्षकार, ऐसे आदेश को अपास्त करने के लिए आयोग को आवेदन कर सकेगा।

मामलों का अंतरण।

62. राष्ट्रीय आयोग, परिवादी के आवेदन पर या स्वप्रेरणा से न्याय हित में कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर एक राज्य के जिला आयोग के समक्ष लंबित किसी परिवाद को किसी अन्य राज्य के जिला आयोग को या एक राज्य आयोग के समक्ष लंबित किसी परिवाद को किसी अन्य राज्य आयोग को अंतरित कर सकेगा।

राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष के पद में रिक्ति।

63. जब राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त है या ऐसे पद को धारण करने वाला व्यक्ति, अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तब उन कर्तव्यों का पालन राष्ट्रीय आयोग के ज्येष्ठतम सदस्य द्वारा किया जाएगा:

परंतु जहां किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या ऐसा व्यक्ति जो न्यायिक सदस्य रहा है, राष्ट्रीय आयोग का सदस्य है, वहां ऐसा सदस्य या जहां ऐसे सदस्यों की संख्या एक से अधिक है, वहां ऐसे सदस्यों में से ज्येष्ठतम व्यक्ति उस आयोग के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रीय आयोग की अध्यक्षता करेगा।

रिक्तियों या नियुक्ति में त्रुटियों से आदेशों का अविधिमान्य न होना।

64. जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि इनके सदस्यों में से कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है।

सूचना की तामील, आदि।

65. (1) इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित सभी सूचनाओं की तामील, उस विरोधी पक्षकार को, जिसके विरुद्ध परिवाद किया जाता है, संबोधित सम्यक् रजिस्ट्रीकृत डाक अभिस्वीकृति द्वारा या परिवादी को स्पीड पोस्ट द्वारा या ऐसी कुरिअर सेवा द्वारा, जो, यथास्थिति, जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग द्वारा अनुमोदित हो, या दस्तावेजों के पारेषण के किसी अन्य ढंग द्वारा, जिसमें इलैक्ट्रानिक साधन भी हैं उनकी एक प्रति परिदत्त करके या पारेषित करके की जाएगी।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित सूचना, इलैक्ट्रानिक सेवा प्रदाता पर उस इलैक्ट्रानिक प्लेटफार्म पर उसके द्वारा दिए गए पते पर, जहां से वह उस रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करता है, तामील की जा सकेगी और इस प्रयोजन के लिए, इलैक्ट्रानिक सेवा प्रदाता ऐसी सूचनाओं को स्वीकार करने और उनको प्रक्रियागत करने के लिए नोडल अधिकारी पदाभिहित करेगा।

(3) जब, यथास्थिति, विरोधी पक्षकार या उसके अभिकर्ता या परिवादी द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई अभिस्वीकृति या कोई अन्य प्राप्ति, यथास्थिति, जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग द्वारा प्राप्त की जाती है या सूचना, वाली डाक वस्तु, यथास्थिति, ऐसे जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग द्वारा, उस डाक कर्मचारी या कुरिअर सेवा द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा इस प्रभाव के पृष्ठांकन के साथ प्राप्त की जाती है कि विरोधी पक्षकार या उसका अभिकर्ता या परिवादी ने सूचना वाली डाक वस्तु के परिदान को लेने से इंकार कर दिया था या उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किसी अन्य साधन द्वारा सूचना स्वीकार करने से इंकार कर दिया था जब वह उसे निविदत्त या पारेषित की गई थी, तब, यथास्थिति, जिला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग यह घोषणा करेगा कि सूचना, यथास्थिति, विरोधी पक्षकार पर या परिवादी पर सम्यक्तः तामील कर दी गई है:

परंतु जहां सूचना सम्यक्त: संबोधित की गई थी, पूर्व संदत्त थी और देय रजिस्ट्रीकृत डाक सम्यक् अभिस्वीकृति द्वारा सम्यक्त: भेजी गई थी, वहां इस उपधारा में निर्दिष्ट घोषणा इस तथ्य के होते हुए भी की जाएगी कि अभिस्वीकृति गुम हो गई है या खो गई है या किसी अन्य कारणवश, यथास्थिति, जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग द्वारा सूचना के जारी किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर प्राप्त नहीं की गई है।

(4) यथास्थिति, विरोधी पक्षकार या परिवादी को तामील की जाने वाली सभी सूचनाएं पर्याप्त रूप से तामील की हुई समझी जाएंगी, यदि विरोधी पक्षकार के मामले में उस स्थान को भेजी जाती है, जहां कारबार या व्यवसाय किया जाता है और परिवाद के मामले में उस स्थान पर भेजी जाती हैं, जहां ऐसा व्यक्ति वास्तविक रूप से और स्वेच्छया निवास करता है।

राष्ट्रीय आयोग या राज्य आयोग की विशेषज्ञों द्वारा सहायता।

66. जहां, यथास्थिति, राष्ट्रीय आयोग या राज्य आयोग किसी परिवादी द्वारा आवेदन किए जाने पर, या अन्यथा की यह राय है कि उसमें उपभोक्ताओं का बड़ा हित अंतर्वलित है तो वह, यथास्थिति, राष्ट्रीय आयोग या राज्य आयोग की सहायता करने के लिए किसी व्यक्ति या संगठन या विशेषज्ञ को निदेश दे सकेगा।

राष्ट्रीय आयोग के आदेश के विरुद्ध अपील।

67. धारा 58 की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (i) या उपखंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आयोग द्वारा किए गए आदेशों से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर ऐसे आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय को अपील कर सकेगा:

परंतु उच्चतम न्यायालय उक्त तीस दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस अवधि के भीतर इसे फाइल न करने का पर्याप्त कारण था:

परंतु यह और कि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा अपील, जिससे राष्ट्रीय आयोग के आदेश के निबंधनानुसार किसी रकम का संदाय करने के लिए अपेक्षा की जाती है, उच्चतम न्यायालय द्वारा तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी, जब तक उस व्यक्ति ने विहित रीति में उस रकम का पचास प्रतिशत जमा नहीं कर दिया हो।

आदेशों की अंतिमता।

68. यथास्थिति, जिला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग का प्रत्येक आदेश अंतिम होगा, यदि ऐसे आदेश के विरुद्ध राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग या उच्चतम न्यायालय में कोई अपील नहीं की गई है।

परिसीमा अवधि।

69. (1) जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग कोई परिवाद ग्रहण नहीं करेगा, यदि यह, उस तारीख से, जिसको वाद हेतुक उद्भूत हुआ है, दो वर्ष की अवधि के भीतर फाइल नहीं किया जाता है।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात् परिवाद तब तक ग्रहण किया जा सकेगा, यदि, परिवादी, यथास्थिति, जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग का यह समाधान कर देता है कि उसके पास ऐसी अवधि के भीतर परिवाद फाइल न करने का पर्याप्त कारण था:

परंतु ऐसा कोई परिवाद तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा, जब तक, राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग या जिला आयोग, ऐसे विलंब को माफ करने के कारणों को मामलों के संस्थित किए जाने, निपटाने और लंबित रहने तक लेखबद्ध नहीं कर देता।

प्रशासनिक नियंत्रण।

70. (1) राष्ट्रीय आयोग को, केन्द्रीय सरकार के परामर्श से समय-समय पर उपभोक्ताओं के हितों के बेहतर संरक्षण के लिए ऐसे पर्याप्त मानक अधिकथित करने का प्राधिकार होगा तथा उस प्रयोजन के लिए सभी राज्य आयोगों पर निम्नलिखित विषयों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा, अर्थात्:—

(क) मामलों के संस्थित किए जाने, निपटाने और लंबित रहने के संबंध में कालिक विवरणियां मंगाकर उनके निपटारे के निबंधनानुसार राज्य आयोगों के निष्पादन को मानीटर करना;

(ख) राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के विरुद्ध किन्हीं अभिकथनों का अन्वेषण करना और आवश्यक कार्रवाई के लिए केन्द्रीय सरकार को एक प्रति पृष्ठांकित करते हुए संबंधित राज्य सरकार को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना;

(ग) मामलों की सुनवाई में एक ही प्रक्रिया अंगीकार करने, एक पक्षकार द्वारा विरोधी पक्षकार को प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रतियों की पूर्व तामील, किसी भी भाषा में लेखबद्ध निर्णयों का अंग्रेजी अनुवाद करने, दस्तावेजों की प्रतियों को त्वरित अनुदत्त करने के संबंध में निदेश जारी करना;

(घ) राज्य आयोग या जिला आयोग के कृत्यों का या तो निरीक्षण द्वारा या किसी अन्य तरीके से, जो राष्ट्रीय आयोग समय-समय पर आदेश करे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस अधिनियम के उद्देश्य और प्रयोजन सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण हों और राष्ट्रीय आयोग द्वारा निश्चित किए गए मानक उनकी अर्धन्यायिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप किए बिना कार्यान्वित हों, सर्वेक्षण करना।

(2) प्रशासनिक दृष्टिकोण से राज्य आयोग के कृत्यों के सर्वेक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष द्वारा गठित की जाने वाली मानीटरी सैल होगी।

(3) राज्य आयोग उपधारा (1) में निर्दिष्ट सभी मामलों में इसकी अधिकारिता के भीतर सभी जिला आयोगों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा।

(4) राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोग केन्द्रीय सरकार को समय-समय पर या जब भी अपेक्षित हो, ऐसे प्ररूप या रीति में, जो विहित की जाए, कोई सूचना जिसके अन्तर्गत वाद का लंबन भी है, देगा।

(5) राज्य आयोग समय-समय पर या जब भी अपेक्षित हो, ऐसे प्ररूप या रीति में, जो विहित की जाए, कोई सूचना जिसके अन्तर्गत वाद का लंबन भी है, देगा।

जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग के आदेशों का प्रवर्तन।

71. जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग द्वारा किया गया प्रत्येक आदेश उसके द्वारा उसी रीति में प्रवर्तित किया जाएगा, मानो वह न्यायालय द्वारा उसके समक्ष किसी वाद में की गई डिक्री हो, और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की पहली अनुसूची के आदेश 21 के उपबंध, यथाशक्य इस उपांतरण के अधीन रहते हुए लागू होंगे कि डिक्री के प्रति उसमें प्रत्येक निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह इस अधिनियम के अधीन किए गए आदेश के प्रति निर्देश है। 1908 का 5

आदेश के अननुपालन के लिए शास्ति।

72. (1) जो कोई, यथास्थिति, जिला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग द्वारा किए गए किसी आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है, ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक मास से कम की नहीं होगी किंतु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से जो पच्चीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा किंतु जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा।

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग को उपधारा (1) के अधीन अपराधों के विचारण के लिए प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्ति होगी और ऐसी शक्तियों के प्रदत्त किए जाने पर, यथास्थिति, जिला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रयोजन के लिए प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट समझा जाएगा। 1974 का 2

(3) अन्यथा उपबंधित के सिवाय उपधारा (1) के अधीन अपराधों पर, यथास्थिति, जिला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग द्वारा संक्षिप्त रूप से विचारण किया जाएगा।

धारा 72 के अधीन पारित आदेशों के विरुद्ध अपील।

73. (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, जहां धारा 72 की उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश पारित किया जाता है, वहां तथ्य और विधि दोनों पर अपील,— 1974 का 2

(क) जिला आयोग द्वारा किए गए आदेश की राज्य आयोग को होगी;

(ख) राज्य आयोग द्वारा किए गए आदेश की राष्ट्रीय आयोग को होगी; और

(ग) राष्ट्रीय आयोग द्वारा किए गए आदेश की उच्चतम न्यायालय को होगी।

(2) उपधारा (1) में यथा उपबंधित के सिवाय, यथास्थिति, जिला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के किसी आदेश की अपील किसी भी न्यायालय में नहीं होगी।

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील, यथास्थिति, जिला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के आदेश की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर की जाएगी:

परंतु, यथास्थिति, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग या उच्चतम न्यायालय तीस दिन की उक्त अवधि के पश्चात् भी अपील की सुनवाई कर सकेंगे, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी के पास तीस दिन की अवधि के भीतर अपील नहीं करने का पर्याप्त कारण था।

अध्याय 5

मध्यकता

74. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उस राज्य के प्रत्येक जिला आयोग तथा राज्य आयोग से संलग्न की जाने वाली उपभोक्ता मध्यकता सैल की स्थापना करेगी। उपभोक्ता मध्यकता सैल की स्थापना।

(2) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय आयोग से संलग्न की जाने वाली एक राष्ट्रीय उपभोक्ता मध्यकता सैल की स्थापना करेगी।

(3) उपभोक्ता मध्यकता सैल, ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगी जो विहित किया जाए।

(4) प्रत्येक उपभोक्ता मध्यकता सैल—

(क) पैनलीकृत मध्यकों की सूची रखेगा;

(ख) सैल द्वारा निपटाए गए मामलों की सूची रखेगा;

(ग) कार्यवाहियों का अभिलेख रखेगा;

(घ) कोई अन्य जानकारी रखेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(5) प्रत्येक उपभोक्ता मध्यकता सैल, विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग, जिससे यह सम्बद्ध है, को त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

75. (1) मध्यकता के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, राष्ट्रीय आयोग या राज्य आयोग या जिला आयोग, उस आयोग के अध्यक्ष और सदस्य से मिलकर बनी चयन समिति की सिफारिश पर इससे संबद्ध उपभोक्ता मध्यकता सैल द्वारा रखे जाने वाला मध्यकों का एक पैनल तैयार करेगा। मध्यकों का पैनलीकरण।

(2) मध्यक के रूप में पैनलीकरण के लिए अपेक्षित अर्हताएं और अनुभव, पैनलीकरण के लिए प्रक्रिया, पैनलीकृत मध्यकों को प्रशिक्षित करने की रीति, पैनलीकृत मध्यकों को संदेय फीस, पैनलीकरण के लिए निबंधन और शर्तें, पैनलीकृत मध्यकों के लिए आचार संहिता, वे आधार जिन पर और रीति जिसमें, पैनलीकृत मध्यकों को हटाया जाएगा या पैनलीकरण को रद्द किया जाएगा और उनसे संबंधित अन्य विषय वे होंगे, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(3) उपधारा (1) के अधीन तैयार किए गए मध्यकों का पैनल पांच वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा और पैनलीकृत मध्यकों, ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, दूसरी अवधि के लिए पुन: पैनलीकरण के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र होंगे।

76. जिला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग, धारा 75 में निर्दिष्ट मध्यकों के पैनल से किसी व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट करते समय, अंतर्वलित उपभोक्ता विवाद को सुलझाने के लिए उसकी उपयुक्तता पर विचार करेगा। पैनल से मध्यकों का नामनिर्देशन।

77. मध्यक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह— कतिपय तथ्यों को प्रकट करने का मध्यक का कर्तव्य।

(क) उपभोक्ता विवाद के परिणाम में किसी निजी, वृत्तिक या वित्तीय हित का प्रकटन करे;

(ख) उन परिस्थितियों का प्रकटन करे, जिनसे उसकी स्वतंत्रता या निष्पक्षता के बारे में न्यायोचित शंका उत्पन्न हो; और

(ग) ऐसे अन्य तथ्य, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

78. जहां, यथास्थिति, जिला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग का, मध्यक द्वारा दी गई सूचना पर, या किसी अन्य व्यक्ति, जिसमें परिवाद का पक्षकार भी है, से प्राप्त सूचना पर और मध्यक को सुनने के पश्चात् समाधान हो जाता है, वहां ऐसे मध्यक के स्थान पर किसी अन्य मध्यक को रख सकेगा। कतिपय मामलों में मध्यक का प्रतिस्थापन।

79. (1) मध्यकता, यथास्थिति, जिला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग से संबंध उपभोक्ता मध्यकता सैल में आयोजित किया जाएगा। मध्यकता के लिए प्रक्रिया।

(2) जहां कोई उपभोक्ता विवाद, यथास्थिति, जिला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग द्वारा मध्यकता के लिए निर्दिष्ट किया जाता है, वहां ऐसे आयोग द्वारा नामनिर्दिष्ट मध्यक पक्षकारों के अधिकारों और बाध्यताओं, व्यापार की प्रथाओं, यदि कोई हों, उपभोक्ता विवाद को उत्पन्न करने वाली परिस्थितियां और ऐसे अन्य सुसंगत कारकों को, जो वह आवश्यक समझे, ध्यान में रखेगा और मध्यकता करते समय नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होगा।

(3) इस प्रकार नामनिर्दिष्ट मध्यक ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, मध्यकता संचालित करेगा।

मध्यकता के माध्यम से निपटान।

80. (1) मध्यकता के अनुसरण में, यदि उपभोक्ता विवाद में अंतर्वलित सभी मुद्दों के संबंध में या केवल कुछ मुद्दों के संबंध में पक्षकारों के बीच करार हो जाता है, तो ऐसे करार के निबंधनों को तदनुसार लेखबद्ध किया जाएगा और ऐसे विवाद के पक्षकारों या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।

(2) मध्यक निपटान की निपटान रिपोर्ट तैयार करेगा और संबद्ध आयोग को ऐसे रिपोर्ट के साथ हस्ताक्षरित करार अग्रेषित करेगा।

(3) जहां विनिर्दिष्ट समय के भीतर पक्षकारों के बीच कोई करार नहीं होता है या मध्यकता की यह राय है कि निपटान संभव नहीं है, वहां वह तदनुसार अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा और संबद्ध आयोग को प्रस्तुत करेगा।

निपटान को अभिलिखित किया जाना और आदेश का पारित किया जाना।

81. (1) यथास्थिति, जिला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग निपटान रिपोर्ट की प्राप्ति के सात दिन के भीतर, ऐसे उपभोक्ता विवाद के ऐसे निपटान को अभिलिखित करते हुए उपयुक्त आदेश पारित करेगा तथा तदनुसार मामले का निपटान किया जाएगा।

(2) जहां उपभोक्ता विवाद केवल भागत: निपटाया जाता है, वहां यथास्थिति, जिला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग ऐसे मुद्दों के निपटान को अभिलिखित करेगा, जो इस प्रकार निपटाए गए हैं और ऐसे उपभोक्ता विवाद में अंतर्वलित अन्य मुद्दों पर सुनवाई जारी रखेगा।

(3) जहां उपभोक्ता विवाद मध्यकता द्वारा नहीं निपटाया जा सका, वहां यथास्थिति, जिला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग ऐसे उपभोक्ता विवाद में अंतर्वलित सभी मुद्दों की सुनवाई जारी रखेगा।

अध्याय 6

उत्पाद दायित्व

अध्याय का लागू होना।

82. यह अध्याय उत्पाद विनिर्माता द्वारा विनिर्मित या उत्पाद सेवा प्रदाता द्वारा दी गई सेवा या उत्पाद विक्रेता द्वारा विक्रय किए किसी त्रुटिपूर्ण उत्पाद द्वारा कारित किसी अपहानि के लिए परिवादी द्वारा उत्पाद दायित्व कार्रवाई के अधीन प्रतिकर के लिए प्रत्येक दावे को लागू होगा।

उत्पाद दायित्व कार्रवाई।

83. उत्पाद दायित्व कार्रवाई किसी परिवादी द्वारा, त्रुटिपूर्ण उत्पाद के कारण उसको हुई किसी अपहानि के लिए, यथास्थिति, उत्पाद विनिर्माता या उत्पाद सेवा प्रदाता या उत्पाद विक्रेता के विरुद्ध की जा सकेगी।

उत्पाद विनिर्माता का दायित्व।

84. (1) उत्पाद विनिर्माता उत्पाद दायित्व कार्रवाई के दायित्वाधीन होगा, यदि—

(क) उत्पाद में कोई विनिर्माण त्रुटि है; या

(ख) उत्पादक डिजाइन में त्रुटि है; या

(ग) विनिर्माण विनिर्देशों से विचलन है; या

(घ) उत्पाद अभिव्यक्त वारंटी के अनुरूप नहीं है; या

(ङ) उत्पाद अनुचित या गलत प्रयोग के बारे में किसी अपहानि या किसी चेतावनी को रोकने के लिए सही प्रयोग के पर्याप्त अनुदेशों को अन्तर्विष्ट करने में असफल रहता है।

(2) उत्पाद विनिर्माता उत्पाद दायित्व कार्रवाई के दायित्वाधीन होगा भले ही वह यह साबित कर देता है कि वह उत्पाद की अभिव्यक्त वारंटी बनाने में वह अपेक्षावान या कपटी नहीं था।

85. उत्पाद सेवा प्रदाता उत्पाद दायित्व कार्रवाई के दायित्वाधीन होगा, यदि— उत्पाद सेवा प्रदाता का दायित्व।

(क) उसके द्वारा प्रदान की गई सेवा की क्वालिटी, निष्पादन की प्रकृति या रीति, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन या किसी संविदा के अनुसरण में या अन्यथा प्रदान किए जाने के लिए अपेक्षित थी त्रुटिपूर्ण या अनुचित या कमी वाली या अपर्याप्त थी; या

(ख) किसी सूचना के लोप या दिए जाने या उपेक्षा या विवेक सम्मत विधारण का कार्य हुआ था जिससे अपहानि हुई है; या

(ग) सेवा प्रदाता के किसी अपहानि को रोकने के लिए पर्याप्त अनुदेश या चेतावनियां जारी नहीं की; या

(घ) सेवा अभिव्यक्त वारन्टी या संविदा के निबंधनों तथा शर्तों के अनुरूप नहीं थी।

86. उत्पाद विक्रेता, जो एक उत्पाद विनिर्माता नहीं है, उत्पाद दायित्व कार्रवाई के दायित्वाधीन होगा, यदि— उत्पाद विक्रेताओं का दायित्व।

(क) उसने उत्पाद की डिजाइन, परीक्षण, विनिर्माण, पैकेजिंग या लेबलिंग के, जिसके कारण अपहानि हुई थी, सारभूत नियंत्रण किया है; या

(ख) उसने उत्पाद को परिवर्तित या उपांतरित किया था और ऐसा परिवर्तन या उपांतरण अपहानि होने के सारभूत कारण था; या

(ग) उत्पाद विक्रेता ने विनिर्माता द्वारा की गई किसी अभिव्यक्त वारंटी से अलग अभिव्यक्त वारंटी की है और ऐसा उत्पाद विक्रेता द्वारा की गई अभिव्यक्त वारंटी में असफल रहता है, जिससे अपहानि हुई थी; या

(घ) उत्पाद का उसके द्वारा विक्रय किया गया है और ऐसे उत्पाद के उत्पाद विनिर्माता की पहचान ज्ञात नहीं है या यदि ज्ञात है तो सूचना या प्रक्रिया या वारन्ट की तामील उस पर नहीं की जा सकती या वह उस विधि के अधीन नहीं है, जो भारत में प्रवृत्त है या पारित अथवा पारित किए जाने वाला आदेश, यदि कोई हों, उसके विरुद्ध प्रवृत्त नहीं किया जा सकता; या

(ङ) वह ऐसे उत्पाद के संमजन, निरीक्षण या अनुरक्षण करने में युक्तियुक्त सावधानी बरतने में असफल रहा है या अन्तर्वलित खतरों या ऐसे उत्पाद की विक्री करते समय उत्पाद विनिर्माता की चेतावनियों या अनुदेशों को उसने आगे प्रेषित नहीं किया था और ऐसी असफलता अपहानि का आसन्न कारण थी।

87. (1) उत्पाद दायित्व कार्रवाई किसी उत्पाद विक्रेता के विरुद्ध नहीं की जा सकती, यदि अपहानि के समय उत्पाद का दुरुपयोग किया गया था, उसे परिवर्तित किया गया था या उपांतरित किया गया था। उत्पाद दायित्व कार्रवाई के अपवाद।

(2) पर्याप्त चेतावनियां या अनुदेश उपलब्ध कराने की असफलता पर आधारित किसी उत्पाद दायित्व कार्रवाई में, उत्पाद विनिर्माता दायित्वाधीन नहीं होगा, यदि—

(क) उत्पाद कार्यस्थल पर उपयोग के लिए किसी नियोजक द्वारा क्रय किया गया था और उत्पाद विनिर्माता ने ऐसे नियोजन को चेतावनियां या अनुदेश उपलब्ध करा दिए थे;

(ख) उत्पाद किसी अन्य उत्पाद में प्रयुक्त किए जाने वाले संघटक या सामग्री के रूप में क्रय किया गया था और ऐसे संघटक या सामग्री के क्रेताओं को उत्पाद विनिर्माता द्वारा आवश्यक चेतावनियां या अनुदेश दिए गए थे किन्तु अंतिम उत्पाद, जिसमें ऐसा संघटक या सामग्री का प्रयोग किया गया था, के प्रयोग द्वारा परिवादी को अपहानि कारित हुई थी;

(ग) उत्पाद, एक ऐसा उत्पाद था जो वैध रूप से किसी विशेषज्ञ या विशेषज्ञों के वर्ग द्वारा ही या उसके या उनके पर्यवेक्षणाधीन प्रयोग किए जाने के लिए था या उसका प्रबंध किए जाने के लिए था और उत्पाद विनिर्माता ने ऐसे विशेषज्ञ या विशेषज्ञों के वर्ग को ऐसे उत्पाद के प्रयोग के लिए चेतावनियां या अनुदेश देने के लिए युक्तियुक्त साधनों का प्रयोग किया था;

(घ) परिवादी, ऐसे उत्पाद का प्रयोग करते समय, एल्कोहल या किसी नुस्खा औषधि के प्रभाव में था, जो नुस्खा चिकित्सा व्यवसायी द्वारा नहीं लिखा गया था।

(3) उत्पाद विनिर्माता ऐसे खतरे के बारे में अनुदेश देने या चेतावनी देने में असफलता के लिए दायी नहीं होगा जो ऐसे उत्पाद के उपयोक्ता या उपभोक्ता को स्पष्टत: सामान्यत: ज्ञात है या ऐसे उपयोक्ता या उपभोक्ता को ऐसे उत्पाद की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए जिसकी जानकारी होनी चाहिए थी।

अध्याय 7

अपराध और शास्तियां

केन्द्रीय प्राधिकरण के निदेश के अननुपालन के लिए शास्ति।

88. जो कोई, धारा 20 और धारा 21 के अधीन केन्द्रीय प्राधिकरण के किसी निदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है, ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो बीस लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

मिथ्या या भ्रामक विज्ञापन के लिए दंड।

89. कोई विनिर्माता या सेवा प्रदाता, जो ऐसे मिथ्या या भ्रामक विज्ञापन कराता है जो उपभोक्ताओं के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से, जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा और प्रत्येक पश्चात्वर्ती अपराध के लिए ऐसी अवधि के कारावास से, जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से, जो पचास लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा।

अपद्रव्य विक्रय वाले उत्पादों के लिए विनिर्माण या भंडारण, विक्रय या वितरण या आयात के लिए दंड।

90. (1) जो कोई, स्वयं या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी अपद्रव्य वाले किसी भी उत्पाद का विक्रय के लिए विनिर्माण करता है या भंडारण या विक्रय या आयात करता है, यदि—

(क) ऐसे कार्य के परिणामस्वरूप से उपभोक्ता को कोई क्षति नहीं होती है, ऐसे कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा और ऐसे जुर्माने से, जो तीन लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा;

(ख) ऐसे कार्य से ऐसी क्षति कारित होती है, जो उपभोक्ता को हुई घोर उपहति की कोटि में नहीं आती है, ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा और ऐसे जुर्माने से, जो तीन लाख रुपए तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा;

(ग) ऐसे कार्य से ऐसी क्षति कारित होती है, जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता को घोर उपहति हुई है, ऐसी अवधि के कारावास से, जो सात वर्ष तक का हो सकेगा और ऐसे जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा;

(घ) ऐसे कार्य के परिणामस्वरूप उपभोक्ता की मृत्यु हो गई है, ऐसी अवधि के कारावास से, जो सात वर्ष से कम का नहीं होगा किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और ऐसे जुर्माने से, जो दस लाख रुपए से कम का नहीं होगा, दंडनीय होगा।

(2) उपधारा (1) के खंड (ग) और खंड (घ) के अधीन अपराध संज्ञेय तथा अजमानतीय होंगे।

(3) उपधारा (1) के अधीन दंड के होते हुए भी, न्यायालय प्रथम बार की दोषसिद्धि के मामले में, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उस उपधारा में निर्दिष्ट व्यक्ति को जारी की गई किसी अनुज्ञप्ति को दो वर्ष तक की अवधि के लिए निलंबित कर सकेगा और दूसरी बार या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि के मामले में अनुज्ञप्ति को रदद् कर सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) ''अपद्रव्य'' से ऐसी कोई सामग्री, जिसके अन्तर्गत बाह्य पदार्थ भी है, अभिप्रेत है जिसके उत्पाद को असुरक्षित बनाने के लिए उपयोग या प्रयोग किया जाता है;

(ख) ''घोर उपहति'' का वही अर्थ होगा जो उसका भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 320 में है। 1860 का 45

नकली माल के विक्रय के लिए विनिर्माण या उनके भंडारण या विक्रय या वितरण या आयात के लिए दंड।

91. (1) जो कोई, स्वयं या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी नकली माल का विक्रय के लिए विनिर्माण करता है या भंडारण करता है या विक्रय करता है या वितरण करता है या उसका आयात करता है, यदि—

(क) ऐसे कार्य से ऐसी क्षति कारित होती है, जो उपभोक्ता को हुई घोर उपहति की कोटि में नहीं आती है, ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से, जो तीन लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा;

(ख) ऐसे कार्य से ऐसी क्षति कारित होती है, जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता को घोर उपहति हुई है, ऐसी अवधि के कारावास से, जो सात वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा;

(ग) ऐसे कार्य से ऐसी क्षति कारित होती है, जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता की मृत्यु हो गई है, ऐसी अवधि के कारावास से, जो सात वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से, जो दस लाख रुपए से कम का नहीं होगा, दंडनीय होगा।

(2) उपधारा (1) के खंड (ग) और खंड (घ) के अधीन अपराध संज्ञेय तथा अजमानतीय होंगे।

(3) उपधारा (1) के अधीन दंड के होते हुए भी, न्यायालय प्रथम बार की दोषसिद्धि के मामले में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उस उपधारा में निर्दिष्ट व्यक्ति को जारी की गई किसी अनुज्ञप्ति को दो वर्ष तक की अवधि के लिए निलंबित कर सकेगा और दूसरी बार या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि के मामले में अनुज्ञप्ति को रद्द कर सकेगा।

न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान।

92. धारा 88 और धारा 89 के अधीन किसी अपराध का संज्ञान किसी सक्षम न्यायालय द्वारा केन्द्रीय प्राधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा फाइल किए गए किसी परिवाद पर ही लिया जाएगा अन्यथा नहीं।

तंग करने वाली तलाशी।

93. धारा 22 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाला महानिदेशक या कोई अन्य अधिकारी, जिसको यह जानकारी है कि ऐसा करने के लिए कोई युक्तियुक्त आधार नहीं हैं, और फिर भी—

(क) किसी परिसर की तलाशी लेता है या तलाशी कराता है; या

(ख) किसी अभिलेख, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज या वस्तु का अभिग्रहण करता है,

ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए, ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा।

अध्याय 8

प्रकीर्ण

ई-वाणिज्य, प्रत्यक्ष विक्रय, आदि में अनुचित व्यापार पद्धतियों को रोकने के लिए उपाय।

94. ई-वाणिज्य, प्रत्यक्ष विक्रय में अनुचित व्यापार पद्धतियों को रोकने के प्रयोजनों के लिए और उपभोक्ताओं के हित और अधिकारों की संरक्षा करने के लिए भी केन्द्रीय सरकार ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे उपाय कर सकेगी।

अध्यक्ष, सदस्यों, मुख्य आयुक्त, आयुक्त और कतिपय अधिकारियों का लोक सेवक होना।

95. जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्य तथा उसके अधिकारी और अन्य कर्मचारी, केन्द्रीय प्राधिकरण के मुख्य आयुक्त और आयुक्त, केन्द्रीय प्राधिकरण के महानिदेशक, अपर महानिदेशक, निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक और सभी अन्य अधिकारी और कर्मचारी तथा इस अधिनियम के अधीन किसी कर्त्तव्य का पालन करने वाले अन्य व्यक्ति, इस अधिनियम के किसी उपबंध के अनुसरण में कार्य करते हुए या कार्य करने का तात्पर्य रखते हुए भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे।

1860 का 45

अपराधों का शमन।

96. (1) धारा 88 और धरा 89 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का, अभियोजन के संस्थित किए जाने के पहले या उसके पश्चात् ऐसी रकम के संदाय पर, जो विहित की जाए, शमन किया जा सकेगा:

परंतु ऐसे अपराध का कोई शमन उस न्यायालय की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा जिसके समक्ष धारा 92 के अधीन परिवाद फाइल किया गया है:

परंतु यह और कि ऐसी राशि किसी भी दशा में जुर्माने की उस अधिकतम रकम से अधिक नहीं होगी जो इस प्रकार शमन किए गए अपराध के लिए इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित की जा सके।

(2) केन्द्रीय प्राधिकरण या कोई अधिकारी, जिसे इस निमित्त उसके द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत किया जाए, उपधारा (1) के अधीन अपराधों का शमन कर सकेगा।

(3) उपधारा (1) में की कोई बात उस व्यक्ति को लागू नहीं होगी जिसने उस तारीख से, जिसको उसके द्वारा किए गए पहले अपराध का शमन किया गया था, तीन वर्ष की अवधि के भीतर वही या उसी प्रकार का अपराध किया था।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, उस तारीख से, जिसको पूर्व में अपराध का शमन किया गया था, तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् किया गया कोई दूसरा या पश्चात्वर्ती अपराध पहला अपराध समझा जाएगा।

(4) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का शमन किया गया है, वहां अपराधी के विरुद्ध यथास्थिति, कोई कार्रवाई या अगली कार्रवाई इस प्रकार शमन किए गए अपराध की बाबत नहीं की जाएगी।

(5) केन्द्रीय प्राधिकरण या इस निमित्त सशक्त किए गए केन्द्रीय प्राधिकरण के किसी अधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अनुसार अपराध के शमन करने के लिए धनराशि स्वीकार करने को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अर्थान्तर्गत दोषमुक्ति की कोटि में समझा जाएगा।

शास्ति जमा करने की रीति।

97. धारा 21 के अधीन संग्रहीत शास्ति और धारा 96 के अधीन संगृहीत रकम, ऐसी निधि में जमा की जाएगी, जो विहित की जाए।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

98. किसी ऐसे कार्य के लिए, जिसे इस अधिनियम के अनुसरण में या तद्धीन बनाए गए किसी नियम या किए गए आदेश के अधीन सद्भावपूर्वक किया गया है या किए जाने के लिए आशयित है इस अधिनियम के अधीन किसी कर्त्तव्य का पालन करने वाले जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों, मुख्य आयुक्त, आयुक्त, किसी अधिकारी या कर्मचारी और अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कोई वाद या अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं होंगी।

केन्द्रीय सरकार द्वारा निदेश देने की शक्ति।

99. (1) इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना केन्द्रीय प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए या अपने कृत्यों का पालन करते हुए नीति के प्रश्नों पर ऐसे निदेशों द्वारा आबद्धकर होगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर उसे लिखित में दे:

परंतु केन्द्रीय प्राधिकरण को, इस उपधारा के अधीन कोई निदेश दिए जाने से पूर्व अपने विचार अभिव्यक्त करने का यथासाध्य अवसर प्रदान किया जाएगा।

(2) केन्द्रीय सरकार का यह विनिश्चय कि कोई प्रश्न नीति का प्रश्न है या नहीं, अन्तिम होगा।

अधिनियम का किसी अन्य विधि में अल्पीकरण में न होना।

100. इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे न कि उनके अल्पीकरण में।

केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति।

101. (1) केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किन्हीं उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेंगे:—

(क) धारा 2 के खंड (19) के अधीन अन्य वर्ग या व्यक्तियों के वर्ग, जिनके अन्तर्गत लोक उपयोगिता अस्तित्व भी है;

(ख) प्रतियोगिता, लाटरी, कौशल प्रधान खेल, जिन्हें धारा 2 के खंड (47) के उपखंड (iii) की मद (ख) के अधीन छूट प्रदान की जानी है;

(ग) धारा 2 के खंड (47) के उपखंड (vii) के अधीन विक्रय किए गए माल या प्रदान की गई सेवाओं के लिए बिल या कैश मेमो या रसीद जारी करने की रीति;

(घ) धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन केन्द्रीय परिषद् के अन्य शासकीय या गैर-शासकीय सदस्यों की संख्या;

(ङ) धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय परिषद् की बैठक का समय और स्थान और उसके कारबार के संव्यवहार की प्रक्रिया;

(च) धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय प्राधिकरण में आयुक्तों की संख्या;

(छ) धारा 11 के अधीन केन्द्रीय प्राधिकरण के मुख्य आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, पदावधि, वेतन और भत्ते, उनके त्यागपत्र, उन्हें हटाया जाना और उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें;

(ज) धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें;

(झ) धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन महानिदेशक, अपर महानिदेशक, निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक और सहायक निदेशक की नियुक्ति के लिए अर्हताएं और नियुक्ति की रीति;

(ञ) धारा 22 की उपधारा (3) के अधीन व्यक्ति को वापस किए जाने से पूर्व अभिगृहीत या प्रस्तुत दस्तावेजों, अभिलेख या वस्तु की प्रतियां या उद्धरण लेने की रीति;

(ट) धारा 22 की उपधारा (4) के अधीन अधिकारी और उन वस्तुओं का व्ययन करने की रीति, जो शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयशील हैं;

(ठ) धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के परामर्श से केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा लेखाओं की वार्षिक विवरणी तैयार करने का प्ररूप और रीति;

(ड) वह प्ररूप, जिसमें और वह समय, जिसके भीतर धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा वार्षिक रिपोर्ट, अन्य रिपोर्ट और विवरणियां तैयार की जा सकेंगी;

(ढ) धारा 29 के अधीन जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति के लिए प्रक्रिया, पदावधि, उनके त्यागपत्र और उन्हें हटाया जाना;

(ण) ऐसे माल और सेवाओं का अन्य मूल्य, जिसके सम्बन्ध में जिला आयोग को धारा 34 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन परिवाद ग्रहण करने की अधिकारिता होगी;

(त) धारा 35 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन परिवाद इलैक्ट्रानिक रूप से फाइल करने की रीति;

(थ) धारा 35 की उपधारा (2) के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए फीस, फीस का संदाय करने का इलैक्ट्रानिक प्ररूप और रीति;

(द) वे मामले, जो धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन मध्यकता द्वारा निपटान के लिए निर्दिष्ट नहीं किए जा सकेंगे;

(ध) धारा 38 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन राष्ट्रीय आयोग के मामले में नमूने लिए गए माल के अधिप्रमाणन की रीति;

(न) कोई अन्य विषय जो धारा 38 की उपधारा (9) के खंड (च) के अधीन विहित किया जाए;

(प) वह निधि, जहां प्राप्त रकम धारा 39 की उपधारा (2) के अधीन जमा की जाए और ऐसी रकम के उपयोग की रीति;

(फ) वह प्ररूप और रीति, जिसमें धारा 41 के अधीन राज्य आयोग को अपील की जा सकेगी;

(ब) धारा 43 के अधीन राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति के लिए प्रक्रिया, पदावधि, उनके त्यागपत्र और उन्हें हटाया जाना;

(भ) ऐसे माल और सेवाओं का अन्य मूल्य, जिसके सम्बन्ध में राज्य आयोग को धारा 47 की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (i) के परंतुक के अधीन अधिकारिता होगी;

(म) धारा 51 की उपधारा (1) के अधीन राष्ट्रीय आयोग को अपील फाइल करने का प्ररूप और रीति तथा अपील फाइल करने से पूर्व पचास प्रतिशत रकम जमा करने की रीति;

(य) धारा 54 के खंड (ख) के अधीन राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों की संख्या;

(यक) धारा 55 की उपधारा (1) के अधीन राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, पदावधि, उनके वेतन और भत्ते, पदत्याग, उनको हटाया जाना तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें;

(यख) धारा 57 की उपधारा (3) के अधीन राष्ट्रीय आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें;

(यग) ऐसे माल और सेवाओं का अन्य मूल्य, जिसके सम्बन्ध में राष्ट्रीय आयोग को धारा 58 की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (प) के परंतुक के अधीन अधिकारिता होगी;

(यघ) धारा 67 के दूसरे परंतुक के अधीन पचास प्रतिशत रकम जमा करने की रीति;

(यङ) वह प्ररूप, जिसमें राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोग धारा 70 की उपधारा (4) के अधीन केन्द्रीय सरकार को सूचना प्रस्तुत करेंगे;

(यच) धारा 74 की उपधारा (3) के अधीन उपभोक्ता मध्यकता सैल में व्यक्ति;

(यछ) धारा 94 के अधीन ई-वाणिज्य, प्रत्यक्ष विक्रय में अनुचित व्यापार पद्धतियों को रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय;

(यज) धारा 96 की उपधारा (1) के अधीन अपराधों का शमन करने के लिए रकम;

(यझ) वह निधि, जिसमें संग्रहित शास्ति और रकम धारा 97 के अधीन जमा की जाएगी; और

(यञ) ऐसा कोई अन्य विषय, जिसे विहित किया जाना है या विहित किया जाए या जिसके सम्बन्ध में नियमों द्वारा उपबंध किए जाने हैं या किए जाएं।

राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति।

102. (1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी:

परंतु केंद्रीय सरकार उन सभी या किसी विषय के लिए आदर्श नियमों की विरचना कर सकेगी, जिनकी बाबत राज्य सरकार इस धारा के अधीन नियम बना सकेगी और जहां ऐसे किसी विषय की बाबत आदर्श नियमों की विरचना की गई है, वे राज्य को तब तक लागू होंगे जब तक उस विषय की बाबत राज्य सरकार द्वारा नियम नहीं बना लिए जाते हैं और ऐसे नियम बनाते हुए, जहां तक व्यवहार्य हों, वे आदर्श नियमों के अनुरूप होंगे।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 2 के खंड (19) के अधीन अन्य वर्ग या व्यक्तियों के वर्ग, जिनके अन्तर्गत लोक उपयोगिता अस्तित्व भी है;

(ख) प्रतियोगिता, लाटरी, कौशल प्रधान खेल, जिन्हें धारा 2 के खंड (47) के उपखंड (iii) की मद (ख) के अधीन छूट प्रदान की जानी है;

(ग) धारा 6 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन राज्य परिषद् के अन्य शासकीय या गैर-शासकीय सदस्यों की संख्या;

(घ) धारा 6 की उपधारा (4) के अधीन राज्य परिषद् की बैठक का समय और स्थान और उसके कारबार के संव्यवहार की प्रक्रिया;

(ङ) धारा 8 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन जिला परिषद् के अन्य शासकीय या गैर-शासकीय सदस्यों की संख्या;

(च) धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन जिला परिषद् की बैठक का समय और स्थान और उसके कारबार के संव्यवहार की प्रक्रिया;

(छ) धारा 28 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन जिला आयोग के सदस्यों की संख्या;

(ज) धारा 30 के अधीन जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें;

(झ) धारा 33 की उपधारा (3) के अधीन जिला आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें;

(ञ) धारा 38 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन राज्य आयोग और जिला आयोग द्वारा माल के लिए गए नमूने के अधिप्रमाणन की रीति;

(ट) धारा 41 के दूसरे परंतुक के अधीन अपील फाइल करने से पूर्व रकम का पचास प्रतिशत जमा करने की रीति;

(ठ) धारा 42 की उपधारा (3) के अधीन राज्य आयोग के सदस्यों की संख्या;

(ड) धारा 44 के अधीन राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें;

(ढ) धारा 46 की उपधारा (3) के अधीन राज्य आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें;

(ण) वह प्ररूप, जिसमें राज्य आयोग धारा 70 की उपधारा (5) के अधीन राज्य सरकार को सूचना प्रस्तुत करेगा;

(त) धारा 74 की उपधारा (3) के अधीन उपभोक्ता मध्यकता सैल में व्यक्ति;

(थ) ऐसा कोई अन्य विषय, जिसे विहित किया जाना है या विहित किया जाए या जिसके सम्बन्ध में नियमों द्वारा उपबंध किए जाने हैं या किए जाएं।

राष्ट्रीय आयोग की विनियम बनाने की शक्ति।

103. (1) राष्ट्रीय आयोग, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम से संगत विनियम उन सभी विषयों के लिए बना सकेगा, जिनके लिए इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए उपबंध करना आवश्यक या समीचीन है।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियम निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेंगे:—

(क) धारा 38 की उपधारा (7) के दूसरे परंतुक के अधीन जिला आयोग द्वारा स्थगन के लिए अधिरोपित किए जाने वाले खर्चे;

(ख) धारा 52 के दूसरे परंतुक के अधीन, यथास्थिति, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग द्वारा स्थगन के लिए अधिरोपित किए जाने वाले खर्चे;

(ग) धारा 74 की उपधारा (4) के अधीन उपभोक्ता मध्यकता सैल द्वारा किसी अन्य सूचना का रखा जाना;

(घ) धारा 74 की उपधारा (5) के अधीन जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग को उपभोक्ता मध्यकता सैल द्वारा त्रैमासिक रिपोर्ट के प्रस्तुत किए जाने की रीति;

(ङ) धारा 75 की उपधारा (2) के अधीन मध्यक के रूप में पैनलीकरण के लिए अपेक्षित अर्हताएं और अनुभव, पैनलीकरण के लिए प्रक्रिया, मध्यकों के प्रशिक्षण की रीति, पैनलीकरण मध्यकों को संदेय

फीस, पैनलीकरण के निबंध और शर्तें, पैनलीकृत मध्यकों के लिए आचार संहिता, ऐसे आधार, जिन पर और वह रीति, जिसमें पैनलीकृत मध्यकों को हटाया जाएगा और पैनलीकरण को रद्द किया जाएगा या उससे सम्बंधित अन्य विषय;

(च) धारा 75 की उपधारा (3) के अधीन किसी अन्य अवधि के लिए मध्यकों के पुन: पैनलीकरण के लिए शर्तें;

(छ) धारा 77 के खंड (ग) के अधीन मध्यकों द्वारा प्रकट किए जाने वाले अन्य तथ्य;

(ज) वह समय, जिसके भीतर और वह रीति जिसमें धारा 79 की उपधारा (3) के अधीन मध्यकता की जा सकेगी; और

(झ) ऐसा अन्य विषय, जिसके लिए विनियम द्वारा उपबंध किया जाना है या किया जाए।

केन्द्रीय प्राधिकरण की विनियम बनाने की शक्ति।

104. (1) केन्द्रीय प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए अधिसूचना द्वारा ऐसे विनियम बना सकेगी जो इस अधिनियम से असंगत न हों।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 13 की उपधारा (3) के अधीन विशेषज्ञों और वृत्तिकों को नियोजित करने की प्रक्रिया तथा ऐसे विशेषज्ञों और वृत्तिकों की संख्या;

(ख) धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन मुख्य आयुक्त और आयुक्त के कारबार के संव्यवहार की प्रक्रिया तथा कारबार का आबंटन;

(ग) वह प्ररूप, रीति और समय, जिसके भीतर महानिदेशक द्वारा किए गए जांच या अन्वेषण धारा 15 की उपधारा (5) के अधीन केन्द्रीय प्राधिकरण को प्रस्तुत किए जाएंगे;

(घ) ऐसे अन्य विषय, जिनके लिए विनियम द्वारा उपबंध किया जाना है या किया जाए।

नियमों और विनियमों का संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाना।

105. (1) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम और प्रत्येक विनियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखे जाएंगे यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

106. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो:

परंतु ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

निरसन और व्यावृत्ति।

107. (1) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 इसके द्वारा निरसित किया जाता है। 1986 का 68

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई बात या कार्रवाई, जहां तक वह इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं है, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

(3) उपधारा (2) में किन्हीं विशिष्ट विषयों का वर्णन, साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 को साधारणतया लागू होने के प्रतिकूल या उसको प्रभावित करने वाला नहीं माना जाएगा। 1897 का 10

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र (अप्राधिकृत कॉलोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता) अधिनियम, 2019

(2019 का अधिनियम संख्यांक 45)

[11 दिसम्बर, 2019]

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की अप्राधिकृत कॉलोनियों के निवासियों के पक्ष में, जो मुख्तारनामें, विक्रय करार, वसीयत, कब्जा पत्र या किन्हीं अन्य दस्तावेजों, जिनके अंतर्गत प्रतिफल संदाय के साक्ष्य के दस्तावेज भी हैं, के आधार पर ऐसी कॉलानियों में संपत्तियों पर कब्जा रखते हैं, स्वामित्व या अन्तरण अथवा बंधक के अधिकारों को सुनिश्चित करके संपत्ति अधिकारों को मान्यता प्रदान करने के लिए विशेष उपबंधों का और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

पिछले कुछ दशकों में प्रवास और अन्य कारकों से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की जनसंख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है किन्तु योजनाबद्ध आवासीय कॉलोनियों के विकास की गति जनसंख्या विस्फोट की अपेक्षा के अनुरूप नहीं रही है जिसका परिणाम अप्राधिकृत कॉलोनियों में वृद्धि हुई है;

और, दिल्ली विकास प्राधिकरण की भारत की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 24 मार्च, 2008 में प्रकाशित अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 683(अ), तारीख 24 मार्च, 2008 के अनुसरण में निवासी के अनुसरण में निवासी कल्याण संगमों द्वारा नियमितीकरण के लिए किए गए आवेदनों के आधार पर दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राजयक्षेत्र में अनेक अप्राधिकृत कॉलानियों की पहचान की जा चुकी है;

और, इन कॉलोनियों में संपत्तियों को रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारियों द्वारा रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जा रहा है और इससे निवासियों के पास ऐसी संपत्तियों के संबंध में कोई हकदारी दस्तावेज नहीं है और बैंक तथा वित्तीय संस्थाएं उक्त संपत्तियों के संबंध में कोई प्रत्यय सुविधाएं नहीं देती हैं;

और, अप्राधिकृत कॉलोनियों में संपत्तियों का स्वामित्व, रजिस्ट्रीकृत या अरजिस्ट्रीकृत या नोटरीकृत मुख्तारनामें, विक्रय करार, वसीयत, कब्जा पत्र और अन्य दस्तावेजों, जिनके अंतर्गत प्रतिफल के संदाय के साक्ष्य दस्तावेज भी हैं, के माध्यम से अनेक बार अंतरित किया गया है और इन बहु-संव्यवहारों पर स्टाम्प शुल्क का न तो निर्धारण किया गया है न ही संदत्त किया गया है;

और, यथास्थिति, हस्तांतरण विलेख या प्राधिकार पर्ची पर स्टाम्प शुल्क, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की संख्यांक एफ॰ 1 (953) आरईजीएन॰बी॰आर॰/डीआईवी॰ कॉम/एचक्यू/2014, तारीख 22 सितम्बर, 2014 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न्यूनतम दर (सर्किल दर) या, यथास्थिति, हस्तांतरण विलेख या प्राधिकार पर्ची में वर्णित विक्रय प्रतिफल, इनमें से जो भी उच्चतर हो, के अनुसार उद्ग्रहणीय होता है;

और, उच्चतम न्यायालय ने सूरज लैंप एंड इंडस्ट्रीज (पी) लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य और अन्य के मामले में तारीख 11 अक्तूबर, 2011 के अपने निर्णय में अभिनिर्धारित किया था कि विक्रय करार/साधारण मुख्तारनामा या वसीयत संव्यवहार ''अंतरण'' या ''विक्रय'' नहीं हैं और ऐसे संव्यवहारों को पूरे किए गए अंतरण या हस्तांतरण नहीं माना जा सकता है और उन्हें विक्रय के विद्यमान करार के रूप में माना जाना जारी रखा जा सकता है;

और, इन अप्राधिकृत कॉलोनियों के निवासियों की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों और जमीनी वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए, मुख्तारनामे, विक्रय करार, वसीयत, कब्जा पत्र और अन्य दस्तावेजों, जिनके अंतर्गत प्रतिफल के संदाय के साक्ष्य दस्तावेज भी हैं, के आधार पर ऐसी कॉलोनियों के निवासियों के स्वामित्व या अंतरण या बंधक अधिकारों को मान्यता देना और प्रदत्त करना तथा विकास या पुनर्विकास को सुकर बनाना वांछनीय है, जिससे विद्यमान अवसंरचना, नागरिक और सामाजिक सुख-सुविधाओं में सुधार हो सके जिससे जीवन की गुणवत्ता बेहतर हो सके;

और, यह समीचीन है कि अप्राधिकृत कॉलोनियों के निवासियों के स्वामित्व या अंतरण या बंधक अधिकारों को मान्यता देने और प्रदत्त करने के लिए एक बार विशेष उपाय के रूप में कोई विधि हो;

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और विस्तार।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र (अप्राधिकृत कॉलोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता) अधिनियम, 2019 है।

(2) इसका विस्तार दिल्ली राष्ट्रीय राज्यक्षेत्र पर है।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''निवासी'' से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो अप्राधिकृत कॉलोनियों में किसी संपत्ति के संबंध में रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख या नवीनतम मुख्तारनामे, विक्रय करार, वसीयत, कब्जा पत्र और अन्य दस्तावेजों, जिनके अंतर्गत प्रतिफल के संदाय के साक्ष्य दस्तावेज भी हैं, के आधार पर किसी संपत्ति पर भौतिक रूप से कब्जा रखता है और इसमें उनके विधिक वारिस सम्मिलित हैं किन्तु किराएदार, अनुज्ञप्तिधारी या अनुज्ञेय उपयोगकर्ता सम्मिलित नहीं हैं;

(ख) ''अप्राधिकृत कॉलोनी'' से कोई कॉलोनी या संलग्न क्षेत्र से मिलकर होने वाला कोई विकास अभिप्रेत है जहां किसी लेआउट योजना या भवन योजनाओं के अनुमोदन के लिए कोई अनुज्ञा अभिप्राप्त नहीं की गई है और जिसकी दिल्ली विकास प्राधिकरण की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3,

उपखंड (ii) तारीख 24 मार्च, 2008 में प्रकाशित अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 683(अ), तारीख 24 मार्च, 2008 के अनुसरण में ऐसी कॉलोनी के विनियमितीकरण के लिए पहचान की गई है।

1899 का 2
1908 का 16

संपत्ति के अधिकारों की मान्यता।

3. (1) केन्द्रीय सरकार, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी को यथा लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 या उनके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों या उपविधियों में और सूरज लैंप एंड इंडस्ट्रीज (पी) लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य और अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय के तारीख 11 अक्तूबर, 2011 के निर्णय में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी अप्राधिकृत कॉलोनी के निवासी के पक्ष में ऐसी स्थावर संपत्ति के संबंध में स्वामित्व या अंतरण अथवा बंधक का अधिकार प्रदान करने या मान्यता देने के लिए नवीनतम मुख्तारनामे, विक्रय करार, वसीयत, कब्जा पत्र और अन्य दस्तावेजों, जिसके अंतर्गत प्रतिफल के संदाय के साक्ष्य दस्तावेज भी हैं, के आधार पर स्थावर संपत्तियों के संव्यवहारों को विनियमित कर सकेगी।

(2) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना के प्रकाशन द्वारा ऐसी स्थावर संपत्ति के संबंध में किसी अप्राधिकृत कॉलोनी के निवासी के पक्ष में, यथास्थिति, किसी हस्तांतरण विलेख या प्राधिकरण पर्ची के माध्यम से स्वामित्व या अंतरण अथवा बंधक का अधिकार प्रदान करने या मान्यता देने के लिए नवीनतम मुख्तारनामे, विक्रय करार, वसीयत, कब्जा पत्र और अन्य दस्तावेजों जिनके अंतर्गत प्रतिफल के संदाय के साक्ष्य दस्तावेज भी हैं, के आधार पर स्थावर संपत्तियों के ऐसे संव्यवहारों के संदाय पर प्रभार नियत कर सकेगी।

1899 का 2

(3) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 27 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रीकरण प्रभार, यथास्थिति, हस्तांतरण विलेख या प्राधिकार पर्ची में उल्लिखित रकम पर संदेय होंगे।

(4) किसी अप्राधिकृत कॉलोनी का कोई निवासी, जिसके पास रजिस्ट्रीकृत या अरजिस्ट्रीकृत या नोटरीकृत मुख्तारनामा, विक्रय करार, वसीयत, कब्जा पत्र और अन्य दस्तावेज हैं जिनके अंतर्गत प्रतिफल का संदाय करने के साक्ष्य दस्तावेज भी हैं, यथास्थिति, किसी हस्तांतरण विलेख या प्राधिकार पर्ची के माध्यम से उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रभारों का संदाय करने पर स्वामित्व या अंतरण अथवा बंधक के अधिकार के लिए पात्र होंगे।

(5) उपधारा (4) में निर्दिष्ट किसी संव्यवहार से पूर्व किए गए किन्हीं पूर्ववर्ती विक्रय संव्यवहारों पर कोई स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रीकरण प्रभार संदेय नहीं होंगे।

(6) किराएदार, अनुज्ञप्तिधारी या अनुज्ञेय उपयोगकर्ताओं पर इस अधिनियम के अधीन किन्हीं संपत्ति अधिकारों को प्रदत्त करने या मान्यता देने पर विचार नहीं किया जाएगा।

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020

(2020 का अधिनियम संख्यांक 5)

[25 मार्च, 2020]

संस्कृत में शिक्षण और अनुसंधान के लिए, संस्कृत संवर्धन के सर्वसमावेशी क्रियाकलापों के विकास के लिए विश्वविद्यालयों की स्थापना और निगमन के लिए तथा उससे संबंधित या उससे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 है। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए सभी परिनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।

(क) ''विद्या परिषद्'' से विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् अभिप्रेत है;

(ख) ''शैक्षणिक कर्मचारिवृंद'' से ऐसे प्रवर्गों के कर्मचारिवृंद अभिप्रेत हैं जो परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के रूप में अभिहित किए जाते हैं;

(ग) ''अध्ययन बोर्ड'' से विश्वविद्यालय का अध्ययन बोर्ड अभिप्रेत है;

(घ) ''कैंपस'' से संस्कृत में शिक्षण, अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण का इंतजाम करने के लिए भारत में या भारत के बाहर किसी स्थान पर विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या गठित कोई भी इकाई अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित कोई विद्यमान कैंपस भी है;

(ङ) ''कुलाधिपति'' और ''कुलपति'' से विश्वविद्यालय के क्रमश: कुलाधिपति और कुलपति अभिप्रेत हैं;

(च) ''महाविद्यालय'' से विश्वविद्यालय द्वारा मान्यताप्राप्त या उससे सहबद्ध या उसके द्वारा चलाए जाने वाला कोई महाविद्यालय अभिप्रेत है;

(छ) (i) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के रूप में ज्ञात सोसाइटी के संबंध में ''तत्स्थानी विश्वविद्यालय'' और ''डीम्ड विश्वविद्यालय होने'' से वर्ष 1970 में स्थापित राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली अभिप्रेत है, जिसे वर्ष 2002 में डीम्ड विश्वविद्यालय होने की प्रास्थिति प्रदत्त की गई है;

(ii) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली के रूप में ज्ञात सोसाइटी के संबंध में '' तत्स्थानी विश्वविद्यालय'' और ''डीम्ड विश्वविद्यालय होने'' से वर्ष 1962 में स्थापित श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली अभिप्रेत है, जिसे वर्ष 1987 में डीम्ड विश्वविद्यालय होने की प्रास्थिति प्रदत्त की गई है;

(iii) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति के रूप में ज्ञात सोसाइटी के संबंध में ''तत्स्थानी विश्वविद्यालय'' और ''डीम्ड विश्वविद्यालय होने'' से वर्ष 1961 में स्थापित राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति अभिप्रेत है, जिसे वर्ष 1987 में डीम्ड विश्वविद्यालय होने की प्रास्थिति प्रदत्त की गई है;

(ज) ''सभा'' से विश्वविद्यालय की सभा अभिप्रेत है;

(झ) ''विभाग'' से कोई अध्ययन विभाग अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत कोई अध्ययन केन्द्र भी है;

(ञ) ''निदेशक'' से विश्वविद्यालय के किसी कैंपस या किसी दूरस्थ शिक्षा प्रणाली या कार्यकारी परिषद् द्वारा यथा अनुमोदित और परिनियमों द्वारा विहित अध्ययन की किसी अन्य विद्या शाखा का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ट) ''दूरस्थ शिक्षा प्रणाली'' से शिक्षा की नियमित प्रणाली के सिवाय संचार के किसी भी साधन के माध्यम से, जैसे प्रसारण, टेलीविजन प्रसारण, इंटरनेट, पत्राचार पाठ्यक्रम, सेमिनार, संपर्क कार्यक्रम, अनौपचारिक पद्धति या ऐसे एक या अधिक साधनों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की प्रणाली अभिप्रेत है;

(ठ) ''कर्मचारी'' से विश्वविद्यालय द्वारा नियमित आधार पर नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारिवृंद भी हैं किन्तु इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी मात्रा में सहायता प्राप्त अनुदान, जिस भी नाम से हो, प्राप्त करने वाली या उससे सहबद्ध या उसके द्वारा मान्यताप्राप्त कोई भी संस्था या महाविद्यालय या विद्यालय का कोई कर्मचारी नहीं आता है;

(ड) ''कार्य परिषद्'' से विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् अभिप्रेत है;

(ढ) ''संकाय'' से विश्वविद्यालय का संकाय अभिप्रेत है;

(ण) ''छात्र निवास'' से विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाने वाले या प्राधिकृत किसी कैंपस या महाविद्यालय या संस्था या केन्द्र या विभाग का छात्रों, प्राधिकारियों, अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए निवास या सामूहिक जीवन, जो छात्रावास हो या अन्यथा हो, की कोई इकाई अभिप्रेत है;

(त) ''संस्था'' से कोई ऐसी शैक्षणिक संस्था अभिप्रेत है, जो विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या चलाई जाने वाली या उससे सहबद्ध या उसके द्वारा मान्यताप्राप्त कोई कैंपस या महाविद्यालय नहीं है;

(थ) ''प्राचार्य'' से किसी महाविद्यालय या विद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या चलाई जाने वाली किसी संस्था का प्रधान अभिप्रेत है;

(द) ''विनियम'' से विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी द्वारा तत्समय प्रवृत्त इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियम अभिप्रेत है;

(ध) ''संस्कृत'' से संस्कृत भाषा के अतिरिक्त आधुनिक, शास्त्रीय या पुरातन रूप में संस्कृत भाषा और उसमें उपलब्ध या उससे संबंधित ज्ञान अभिप्रेत है;

(न) ''अनुसूची'' से इस अधिनियम से उपाबद्ध कोई अनुसूची अभिप्रेत है;

(प) ''विद्यालय'' से माध्यमिक, प्राथमिक और प्रारंभिक स्तर पर या उसके समतुल्य के लिए विश्वविद्यालय द्वारा मान्यताप्राप्त या उससे सहबद्ध या उसके द्वारा चलाए जाने वाला विद्यालय अभिप्रेत है;

(फ) ''विद्यापीठ'' से विश्वविद्यालय की कोई विद्यापीठ अभिप्रेत है;

1860 का 21

(ब) ''सोसाइटी'' से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत निम्नलिखित कोई भी सोसाइटी अभिप्रेत है, अर्थात्: —

(i) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली (1970-71 का रजिस्ट्रीकरण सं॰ एस/4694);

(ii) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली (1987 का रजिस्ट्रीकरण सं॰ एस/17454);

(iii) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति (1986 का रजिस्ट्रीकरण सं॰ 345);

(भ) ''परिनियम'' और ''अध्यादेश'' से तत्समय प्रवृत्त विश्वविद्यालय के क्रमश: परिनियम और अध्यादेश अभिप्रेत हैं;

(म) ''विश्वविद्यालय के शिक्षक'' से विश्वविद्यालय में या विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे किसी महाविद्यालय या किसी संस्था में शिक्षण देने या अनुसंधान देने के लिए आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य और ऐसे अन्य व्यक्ति, जो नियुक्त किए जाएं और जो अध्यादेशों द्वारा शिक्षकों के रूप में अभिहित हैं, अभिप्रेत हैं किंतु इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी मात्रा में सहायता अनुदान, जिस भी नाम से हो, प्राप्त करने वाले या विश्वविद्यालय के साथ सहबद्ध या उसके द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था या किसी महाविद्यालय या विद्यापीठ के शैक्षणिक कर्मचारिवृंद नहीं आते हैं;

(य) ''विश्वविद्यालय'' से इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित और निगमित कोई विश्वविद्यालय अभिप्रेत है।

विश्वविद्यालयों की स्थापना।

3. (1) निम्नलिखित डीम्ड विश्वविद्यालयों की स्थापना निम्नलिखित तीन पृथक् केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में की जाएगी—

(क) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली की, प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट इसके कैंपसों सहित, स्थापना ''केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय'' के नाम से इस अधिनियम के अधीन किसी निगमित निकाय के रूप में की जाएगी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में होगा;

(ख) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली की स्थापना ''श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय'' के नाम से इस अधिनियम के अधीन किसी निगमित निकाय के रूप में की जाएगी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में होगा;

(ग) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति की स्थापना ''राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय'' के नाम से इस अधिनियम के अधीन किसी निगमित निकाय के रूप में की जाएगी, जिसका मुख्यालय तिरुपति में होगा।

(2) प्रत्येक विश्वविद्यालय का कुलाधिपति, कुलपति और कार्य परिषद् तथा विद्या परिषद् के सदस्य और वे सभी व्यक्ति, जो इसके पश्चात् ऐसे अधिकारी या सदस्य हों, जब तक वे ऐसा पद या सदस्यता धारण करते रहें, एतद्द्वारा विश्वविद्यालय के नाम से एक निगमित निकाय का गठन करते हैं।

(3) विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी सामान्य मुद्रा होगी तथा उक्त नाम से वह वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा।

विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रभाव।

4. इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से ही,—

(क) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली और राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति नामक सोसाइटियों का विघटन हो जाएगा;

(ख) किसी भी विधि (इस अधिनियम से भिन्न) या किसी भी संविदा या अन्य लिखत में किसी सोसाइटी या डीम्ड विश्वविद्यालय के प्रतिनिर्देश को इस अधिनियम के अधीन स्थापित और निगमित तत्स्थानी विश्वविद्यालय के प्रति निर्देश समझा जाएगा;

(ग) किसी सोसाइटी या किसी डीम्ड विश्वविद्यालय की या उससे संबंधित स्थावर और जंगम सभी संपत्तियां इस अधिनियम के अधीन स्थापित और निगमित तत्स्थानी विश्वविद्यालय में निहित हो जाएंगी;

(घ) किसी सोसाइटी या डीम्ड विश्वविद्यालय के सभी अधिकार और दायित्व इस अधिनियम के अधीन स्थापित और निगमित तत्स्थानी विश्वविद्यालय को अंतरित हो जाएंगे और उसके अधिकार और दायित्व होंगे;

(ङ) ऐसे प्रारंभ से ठीक पूर्व किसी सोसाइटी या किसी डीम्ड विश्वविद्यालय द्वारा नियोजित प्रत्येक व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन स्थापित और निगमित तत्स्थानी विश्वविद्यालय में उसी पदावधि के लिए उसी पारिश्रमिक पर उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर तथा पेंशन, छुट्टी, उपदान, भविष्य निधि और अन्य विषयों के बारे में उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ पद धारण करेंगे और सेवा में रहेंगे, जो वे धारण करते, यदि इस अधिनियम को अधिनियमित नहीं किया जाता और ऐसा तब तक करते रहेंगे, जब तक उनका नियोजन समाप्त नहीं कर दिया जाता या जब तक ऐसी पदावधि, पारिश्रमिक और निबंधनों तथा शर्तों को कार्य परिषद् या परिनियमों द्वारा सम्यक् रूप से परिवर्तित नहीं कर दिया जाता:

परंतु यदि इस प्रकार किया गया परिवर्तन ऐसे कर्मचारी को स्वीकार्य नहीं है तो विश्वविद्यालय द्वारा उसका नियोजन, कर्मचारी के साथ की गई संविदा के निबंधनानुसार और यदि इस निमित्त उसमें कोई उपबंध नहीं किया गया है तो विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी कर्मचारी की दशा में तीन मास के पारिश्रमिक और अन्य कर्मचारियों की दशा में एक मास के पारिश्रमिक के समतुल्य प्रतिकर का संदाय करके समाप्त किया जा सकेगा:

परंतु यह और कि इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व नियोजित प्रत्येक व्यक्ति, धारा 34 के अधीन संविदा के निष्पादन के लंबित रहते, इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के संगत किसी संविदा के उपबंधों के अनुसार नियुक्त किया गया समझा जाएगा:

परंतु यह भी कि तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में या किसी भी संविदा या अन्य दस्तावेज में डीम्ड विश्वविद्यालय के कुलपति के प्रति किसी भी निर्देश का, चाहे शब्दों के किसी भी रूप में हो, अर्थ इस अधिनियम के अधीन स्थापित और निगमित तत्स्थानी विश्वविद्यालय के कुलपति के प्रतिनिर्देश के रूप में लगाया जाएगा;

(च) इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व नियुक्त और इस रूप में पद धारण करने वाले डीम्ड विश्वविद्यालय के कुलपति को इस अधिनियम के अधीन तत्स्थानी विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया समझा जाएगा;

(छ) डीम्ड विश्वविद्यालय के सहबद्ध या उसके विशेषाधिकार प्राप्त या उसके द्वारा चलाए जाने वाले सभी महाविद्यालय, संस्थाएं, विद्यापीठ और विभाग इस अधिनियम के अधीन स्थापित और निगमित तत्स्थानी विश्वविद्यालय से सहबद्ध या उसके विशेषाधिकार प्राप्त या उसके द्वारा चलाए जाने वाले समझे जाएंगे।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य।

5. विश्वविद्यालय के उद्देश्य संस्कृत भाषा और शिक्षण की ऐसी अन्य शाखाओं के संवर्धन के लिए, जो वह ठीक समझे, शैक्षणिक, अनुसंधान और विस्तार सुविधाएं उपलब्ध कराकर उसका प्रसार और ज्ञान की वृद्धि करना होगा; अपने शैक्षणिक कार्यक्रमों में मानविकी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में एकीकृत पाठ्यक्रमों के लिए विशेष उपबंध करना; शिक्षण-विद्या प्रक्रिया और अंतर विद्या शाखा अध्ययनों और अनुसंधान में नवप्रवर्तनों को

प्रोन्नत करने के लिए समुचित उपाय करना; संस्कृत और संस्कृत के पारंपरिक विषयों के क्षेत्र में समय विकास, संवर्धन, परिरक्षण और अनुसंधान के लिए जनशक्ति को शिक्षित और प्रशिक्षित करना।

विश्वविद्यालय की शक्तियां।

6. (1) विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:—

(i) शिक्षण की ऐसी शाखाओं में, जिसके अंतर्गत संस्कृत और संस्कृत के ऐसे पारंपरिक विषय भी हैं, जो परिनियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं या जो विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर अवधारित किए जाएं, शिक्षण के लिए उपबंध करना और अनुसंधान और ज्ञान की वृद्धि और प्रसार के लिए उपबंध करना;

(ii) ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो विश्वविद्यालय अवधारित करे, डिप्लोमा या प्रमाणपत्र प्रदान करना और परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की किसी अन्य पद्धति के आधार पर व्यक्तियों को डिग्रियां या अन्य विद्या संबंधी उपाधियां प्रदत्त करना और अच्छे और पर्याप्त कारण से किसी ऐसे डिप्लोमा, प्रमाणपत्र, डिग्री या अन्य विद्या संबंधी उपाधियों को वापस लेना;

(iii) संस्कृत शिक्षा के संवर्धन के लिए प्राकारबाह्य अध्ययनों, प्रशिक्षण, विस्तार सेवाओं और ऐसे अन्य उपाय सुव्यवस्थित करना;

(iv) परिनियमों द्वारा विहित रीति से मानद डिग्रियां या अन्य विद्या संबंधी उपाधियां प्रदत्त करना;

(v) दूरस्थ शिक्षा प्रणाली या आनलाइन पद्धति, जो वह अवधारित करें, के माध्यम से शिक्षण और विद्या की सुविधाएं उपलब्ध कराना;

(vi) ज्ञान की ऐसी विभिन्न शाखाओं में, जो उचित समझी जाएं, उत्कर्ष और नवप्रवर्तनों के लिए न केवल विश्वविद्यालय या महाविद्यालय स्तर पर शिक्षा उपलब्ध कराना बल्कि विश्वविद्यालय से पहले ही से सहबद्ध विद्यापीठों को भी शिक्षा उपलब्ध कराना या जारी रखना;

(vii) विद्या की ऐसी शाखाओं में, जिसके अंतर्गत भारतीय दर्शन, पाली-प्राकृत, संस्कृत साहित्य, योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा में ऐसी उच्चतर शिक्षा के लिए, जो विश्वविद्यालय अवधारित करे, सुविधाएं उपलब्ध कराना;

(viii) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित प्राचार्य पद, आचार्य पद, सह आचार्य पद, सहायक आचार्य पद और अन्य अध्यापन या शैक्षणिक पद संस्थित करना तथा ऐसे प्राचार्य पदों, आचार्य पदों, सह आचार्य पदों, सहायक आचार्य पदों या अन्य अध्यापन या शैक्षणिक पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति करना;

(ix) ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो विश्वविद्यालय अवधारित करे, उच्चतर शिक्षा की किसी संस्था को मान्यता प्रदान करना और ऐसी मान्यता को वापस लेना;

(x) किसी अन्य विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्था में कार्य करने वाले व्यक्तियों को परिनियमों के अनुसार विश्वविद्यालय के शिक्षकों के रूप में नियुक्त करना;

(xi) प्रशासनिक, अनुसचिवीय और अन्य पदों को सृजित करना और नियमित आधार के साथ ही साथ परिनियमों के अनुसार अल्पकाल के आधार पर उन पर नियुक्तियां करना;

(xii) उच्चतर शिक्षा के किसी अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकरण या संस्था, जिसके अंतर्गत देश से बाहर स्थित अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकरण या संस्था भी है, के साथ ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो विश्वविद्यालय अवधारित करे, सहकार या सहयोग करना या सहयुक्त होना;

(xiii) अनुसंधान और शिक्षण के लिए महाविद्यालयों, संस्थाओं और ऐसे केन्द्रों और विशेषीकृत प्रयोगशालाओं या अन्य इकाइयों की स्थापना करना, उन्हें चलाना, सहबद्ध करना और मान्यता प्रदान करना, जो विश्वविद्यालय की राय में उसके उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हैं;

(xiv) अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, अध्ययनवृत्ति, पदक और पुरस्कार संस्थित करना और प्रदान करना;

(xv) अनुसंधान और परामर्शी या सलाहकारी सेवाओं के लिए उपबंध करना तथा उस प्रयोजन के लिए अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थाओं, या निकायों के साथ ऐसे ठहराव करना, जो विश्वविद्यालय आवश्यक समझे;

(xvi) शिक्षकों, मूल्यांककों, अन्य शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, कर्मशालाएं, सेमिनार और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन और संचालन करना;

(xvii) अभ्यागत आचार्यों, प्रतिष्ठित आचार्यों, परामर्शदाताओं, वृत्तिकों, अधिवक्ताओं, काउंसेलों, विशेषज्ञों और ऐसे अन्य व्यक्तियों को संविदा पर या अन्यथा नियुक्त करना, जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की अभिवृद्धि में योगदान दे सकें;

(xviii) यथास्थिति, किसी महाविद्यालय या किसी संस्था या किसी विभाग को परिनियमों के अनुसार स्वायत्त प्रास्थिति प्रदत्त करना;

(xix) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए मानक और पात्रताएं अवधारित करना जिसके अंतर्गत परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की कोई अन्य पद्धति हो सकेगी;

(xx) परिनियमों के अनुसार फीस और अन्य प्रभारों के संदाय की मांग करना और उन्हें प्राप्त करना;

(xxi) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों, संकाय और छात्रों के आवास का पर्यवेक्षण करना या पर्यवेक्षण कराना और उनके स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण की अभिवृद्धि के लिए इंतजाम करना;

(xxii) सभी प्रवर्ग के कर्मचारियों की सेवा शर्त अधिकथित करना, जिसके अंतर्गत उनकी आचार संहिता भी है;

(xxiii) विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों में अनुशासन का विनियमन करना और उसका पालन कराना तथा इस संबंध में ऐसे अनुशासनिक उपाय करना जो विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझे जाएं;

(xxiv) महिलाओं, बालकों और दिव्यांग व्यक्तियों के संबंध में ऐसे विशेष इंतजाम करना, जो विश्वविद्यालय वांछनीय समझे;

(xxv) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए नकद रूप में या वस्तु रूप में उपकृति, संदान और दान ग्रहण करना और केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए किसी जंगम या स्थावर संपत्ति को, जिसके अंतर्गत न्यास और विन्यास संपत्ति भी है, अर्जित करना, धारण करना और उसका प्रबंध और व्ययन करना;

(xxvi) केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय की संपत्ति की प्रतिभूति पर धन उधार लेना;

(xxvii) केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा से, उसके द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार विश्वविद्यालय के भारत में नए कैंपस और अपतट कैंपस या केन्द्र भी स्थापित करना;

(xxviii) ऐसे अन्य सभी कार्य और बातें करना जो विश्वविद्यालय के सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपनी शक्तियों के प्रयोग में विश्वविद्यालय, अखिल भारतीय छवि और अध्यापन तथा अनुसंधान के उच्च मानक बनाए रखने का प्रयास करेगा और विश्वविद्यालय ऐसे अन्य उपायों के साथ, जो उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक हों, विशिष्टतया निम्नलिखित उपाय करेगा, अर्थात्:—

(i) छात्रों का प्रवेश और संकाय की भर्ती अखिल भारतीय आधार पर की जाएगी;

(ii) छात्रों को प्रवेश या तो विश्वविद्यालय द्वारा व्यक्तिगत रूप से या अन्य विश्वविद्यालयों के सहयोजन से आयोजित की गई सामान्य प्रवेश परीक्षा के माध्यम से योग्यता के आधार पर दिया जाएगा या जहां छात्रों की संख्या सीमित है, वहां ऐसे पाठ्यक्रमों में अर्हता परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों के आधार पर दिया जाएगा;

(iii) संकाय की वहनीय पेंशन सहित अंतर विश्वविद्यालय गतिशीलता और ज्येष्ठता के संरक्षण को प्रोत्साहन दिया जाएगा;

(iv) सेमेस्टर प्रणाली, निरंतर मूल्यांकन, विकल्प आधारित प्रत्यय प्रणाली या कोई अन्य पुरातन, पारंपरिक या आधुनिक ऐसी उचित प्रणाली, जिसे ठीक और उचित समझा जाए, लागू की जाएगी और विश्वविद्यालय प्रत्यय अंतरण और सहयुक्त डिग्री कार्यक्रमों के लिए अन्य विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं के साथ ठहराव करेगी;

(v) ऐसे क्षेत्रों में और शर्तों पर, जो कार्य परिषद् द्वारा अवधारित की जाएं, पुरातन, पारंपरिक अध्यापन प्रणाली, जिसके अंतर्गत गुरुकुल और वेदशाला भी है, अपनाई जाएगी।

विश्वविद्यालय का सभी जातियों, पंथों, मूलवंशों या वर्गों के लिए खुला होना।

7. विश्वविद्यालय प्रत्येक लिंग, जाति, पंथ, मूलवंश या वर्ग के सभी व्यक्तियों के लिए खुला होगा और विश्वविद्यालय के लिए यह विधिपूर्ण नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में नियुक्ति का हकदार बनाने या उसमें कोई अन्य पद धारण करने या विश्वविद्यालय में छात्र के रूप में प्रवेश लेने या स्नातक होने या उसके किसी अन्य विशेषाधिकार का उपभोग या प्रयोग करने के लिए किसी धार्मिक विश्वास या मान्यता संबंधी मानदंड अपनाएं या उन पर अधिरोपित करें:

परंतु इस धारा की कोई बात विश्वविद्यालय को महिलाओं, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त या समाज के दुर्बल वर्गों और विशिष्टतया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के नागरिकों तथा अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से दुर्बल व्यक्तियों के नियोजन या प्रवेश के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अनुबद्ध विशेष उपबंध करने से निवारित करने वाली नहीं समझी जाएगी।

कुलाध्यक्ष।

8. (1) भारत का राष्ट्रपति विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष होगा।

(2) कुलाध्यक्ष, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यापीठों और उसके द्वारा चलाई जाने वाली संस्थाओं के कार्य और प्रगति का पुनर्विलोकन करने के लिए और उस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय-समय पर एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगा और कुलाध्यक्ष, उस रिपोर्ट की प्राप्ति पर, रिपोर्ट में निपटाए जाने वाले किन्हीं मामलों पर कुलपति के माध्यम से कार्य परिषद् के विचार अभिप्राप्त करने के पश्चात् ऐसी कार्यवाही कर सकेगा और ऐसे निदेश जारी कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे और विश्वविद्यालय ऐसी कार्रवाई का पालन करेगा और ऐसे निदेशों का पालन करने के लिए आबद्धकर होगा।

(3) कुलाध्यक्ष को ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें वह निदेश दे, विश्वविद्यालय, उसके भवनों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं तथा उपस्कर का और विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाने वाले किसी केन्द्र, विभाग, विद्यापीठ, महाविद्यालय या संस्था का और विश्वविद्यालय द्वारा संचालित की गई परीक्षाओं, दिए गए शिक्षण और अन्य कार्य का भी निरीक्षण कराने का और विश्वविद्यालय, केन्द्र, विभाग या संस्था या सहबद्ध अथवा मान्यताप्राप्त महाविद्यालय या विद्यापीठ के प्रशासन या वित्त से संबंधित किसी मामले की बाबत उसी रीति से जांच कराने का अधिकार होगा।

(4) कुलाध्यक्ष, उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्रत्येक मामले में विश्वविद्यालय को निरीक्षण करवाने या जांच किए जाने के अपने आशय की सूचना देगा और विश्वविद्यालय को कुलाध्यक्ष को ऐसे अभ्यावेदन करने का अधिकार होगा, जो वह आवश्यक समझे।

(5) विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अभ्यावेदनों, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात् कुलाध्यक्ष ऐसा निरीक्षण या जांच करवा सकेगा, जो उपधारा (3) में निर्दिष्ट है।

(6) जहां कुलाध्यक्ष द्वारा कोई निरीक्षण या जांच कराई जाती है वहां विश्वविद्यालय एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार होगा जिसे ऐसे निरीक्षण या जांच में उपस्थित होने और सुने जाने का अधिकार होगा।

(7) कुलाध्यक्ष, यदि विश्वविद्यालय या उसके द्वारा चलाए गए किसी महाविद्यालय या विद्यापीठ या संस्था की बाबत निरीक्षण या जांच की जाती है, तो ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम और उस पर की जाने वाली कार्रवाई की बाबत ऐसे विचारों और सलाह सहित, जो कुलाध्यक्ष प्रस्थापित करे, कुलपति को लिख सकेगा और कुलाध्यक्ष द्वारा संबोधन किए जाने की प्राप्ति पर कुलपति, कुलाध्यक्ष के विचारों और उस पर की जाने वाली कार्रवाई पर ऐसी सलाह, जो कुलाध्यक्ष प्रस्थापित करे, कार्य परिषद् को संसूचित करेगा।

(8) कार्य परिषद्, ऐसी कार्रवाई, यदि कोई हो, जो ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणामों पर करने के लिए वह प्रस्थापना करता है या उसके द्वारा की गई है, कुलपति के माध्यम से कुलाध्यक्ष को संसूचित करेगी।

(9) जहां कार्य परिषद्, युक्तियुक्त समय के भीतर कुलाध्यक्ष के समाधानप्रद रूप में कार्रवाई नहीं करती है, वहां कुलाध्यक्ष कार्य परिषद् द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण या किए गए अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् ऐसे निदेश जारी कर सकेगा, जो वह उचित समझे और कार्य परिषद् ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगी।

(10) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कुलाध्यक्ष लिखित आदेश द्वारा विश्वविद्यालय की किसी ऐसी कार्रवाई को निष्प्रभाव कर सकेगा, जो इस अधिनियम या परिनियमों या अध्यादेशों से संगत नहीं हो:

परंतु ऐसा कोई आदेश करने से पहले कुलाध्यक्ष, कुलसचिव को यह कारण बताने के लिए कहेगा कि क्यों न ऐसा आदेश किया जाए और यदि युक्तियुक्त समय के भीतर कोई कारण बताया जाता है तो वह उस पर विचार करेगा।

(11) कुलाध्यक्ष को ऐसी अन्य शक्तियां होंगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं।

विश्वविद्यालय के अधिकारी।

9. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात्:—

(1) कुलाधिपति;

(2) कुलपति;

(3) विद्यापीठ का संकायाध्यक्ष;

(4) कुलसचिव;

(5) वित्त अधिकारी;

(6) परीक्षा नियंत्रक;

(7) पुस्तकालयाध्यक्ष; और

(8) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किए जाएं।

कुलाधिपति।

10. (1) कुलाधिपति, कुलाध्यक्ष के द्वारा, ऐसी रीति से जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए, नियुक्त किया जाएगा।

(2) कुलाधिपति, अपने पदाभिधान से, विश्वविद्यालय का प्रधान होगा और यदि वह उपस्थित है तो डिग्रियां प्रदान करने के लिए आयोजित विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोहों और सभा के अधिवेशनों में पीठासीन होगा।

(3) कुलाधिपति, उन मामलों में अपील प्राधिकारी होगा, जहां अनुशासनिक प्राधिकारी कार्य परिषद् है।

कुलपति।

11. (1) कुलपति की नियुक्ति कुलाध्यक्ष द्वारा ऐसी रीति से की जाएगी, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए।

(2) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर साधारण पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकारियों के विनिश्चयों को कार्यान्वित करेगा।

(3) यदि कुलपति की यह राय है कि किसी मामले में तुरंत कार्रवाई आवश्यक है तो वह किसी ऐसी शक्ति का प्रयोग कर सकेगा जो विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त है और अपने द्वारा उस मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट अगले अधिवेशन में उस प्राधिकारी को देगा:

परंतु यदि संबंधित प्राधिकारी की यह राय है कि ऐसी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी तो वह ऐसा मामला कुलाध्यक्ष को निर्देशित कर सकेगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा:

परंतु यह और कि विश्वविद्यालय में सेवारत ऐसे व्यक्ति को, जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई से व्यथित है, यह अधिकार होगा कि जिस तारीख को ऐसी कार्रवाई का विनिश्चय उसे संसूचित किया जाता है उससे तीन मास के भीतर वह उस कार्रवाई के विरुद्ध अभ्यावेदन, कार्य परिषद् को करे और तब कार्य परिषद्, कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई को पुष्ट, उपांतरित कर सकेगा या उसे उलट सकेगा।

(4) यदि कुलपति की यह राय है कि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का कोई विनिश्चय इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के उपबंधों द्वारा प्रदत्त प्राधिकारी की शक्तियों के बाहर है या किया गया विनिश्चय विश्वविद्यालय के हित में नहीं है तो वह संबंधित प्राधिकारी से अपने विनिश्चय का ऐसे विनिश्चय के साठ दिन के भीतर पुनर्विलोकन करने के लिए कह सकेगा और यदि वह प्राधिकारी उस विनिश्चय का पूर्णत: या भागत: पुनर्विलोकन करने से इंकार करता है या उसके द्वारा उक्त साठ दिन की अवधि के भीतर कोई विनिश्चय नहीं किया जाता है तो वह मामला कुलाध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

(5) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं।

विद्यापीठों के संकायाध्यक्ष।

12. विद्यापीठ के प्रत्येक संकायाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

कुलसचिव।

13. (1) कुलसचिव की नियुक्ति ऐसी रीति से तथा सेवा के ऐसे निबंधनों और शर्तों पर की जाएगी जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

(2) कुलसचिव को विश्वविद्यालय की ओर से करार करने, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और अभिलेखों को अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

परिसर का निदेशक।

14. कैंपस के प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

वित्त अधिकारी।

15. वित्त अधिकारी की नियुक्ति, ऐसी रीति से की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

परीक्षा नियंत्रक।

16. परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति, ऐसी रीति से की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

पुस्तकालयाध्यक्ष।

17. पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति, ऐसी रीति से और सेवा के ऐसे निबंधनों और शर्तों पर की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

अन्य अधिकारी।

18. विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति और उनकी शक्तियां और कर्तव्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे।

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी।

19. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, अर्थात्:—

(i) सभा;

(ii) कार्य परिषद्;

(iii) विद्या परिषद्;

(iv) अध्ययन बोर्ड;

(v) वित्त समिति;

(vi) योजना और मानीटरी बोर्ड; और

(vii) ऐसे अन्य प्राधिकारी, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किए जाएं।

सभा।

20. (1) सभा का गठन तथा उसके सदस्यों की पदावधि वह होगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए:

परंतु इतनी संख्या में सदस्य, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए, विश्वविद्यालय के शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों में से निर्वाचित किए जाएंगे।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन सभा की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात्:—

(क) विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना तथा विश्वविद्यालय के सुधार और विकास के लिए उपाय सुझाना;

(ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखाओं पर तथा ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और संकल्प पारित करना;

(ग) कुलाध्यक्ष को किसी ऐसे मामले की बाबत सलाह देना जो उसे सलाह के लिए निर्दिष्ट किया जाए; और

(घ) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

कार्य परिषद्।

21. (1) कार्य परिषद्, विश्वविद्यालय की प्रधान कार्यपालक निकाय होगी।

(2) कार्य परिषद् का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि तथा उसकी शक्तियां और कृत्य वे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

विद्या परिषद्।

22. (1) विद्या परिषद्, विश्वविद्यालय की प्रधान शैक्षणिक निकाय होगी और इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों के साथ समन्वय और उन पर साधारण पर्यवेक्षण रखेगी।

(2) विद्या परिषद् का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियां और कृत्य वे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

अध्ययन बोर्ड।

23. अध्ययन बोर्ड का गठन, उनकी शक्तियां और कृत्य वे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

वित्त समिति।

24. वित्त समिति का गठन, उनकी शक्तियां और कृत्य वे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

योजना और मानीटरी बोर्ड।

25. योजना और मानीटरी बोर्ड का गठन, उनकी शक्तियां और कृत्य वे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारी।

26. अन्य ऐसे प्राधिकारियों का, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किए जाएं, गठन उनकी शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

परिनियम बनाने की शक्ति।

27. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, परिनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों और अन्य निकायों का, जो समय-समय पर गठित किए जाएं, गठन, उनकी शक्तियां और कृत्य;

(ख) उक्त प्राधिकारियों और निकायों के सदस्यों का निर्वाचन और उनका पदों पर बने रहना, सदस्यों के पदों की रिक्तियों का भरा जाना तथा उन प्राधिकारियों और अन्य निकायों से संबंधित अन्य सभी विषय, जिनके लिए उपबंध करना आवश्यक या वांछनीय हो;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियां और कर्तव्य तथा उनकी उपलब्धियां;

(घ) विश्वविद्यालय के शिक्षकों, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, उनकी उपलब्धियां और सेवा की शर्तें;

(ङ) किसी संयुक्त परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में काम करने वाले शिक्षकों, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद की विनिर्दिष्ट अवधि के लिए नियुक्ति;

(च) कर्मचारियों की सेवा की शर्तें, जिसके अंतर्गत पेंशन, बीमा और भविष्य निधि के उपबंध तथा सेवा समाप्ति और अनुशासनिक कार्रवाई की रीति भी है;

(छ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा में ज्येष्ठता को शासित करने वाले सिद्धांत;

(ज) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों या छात्रों और विश्वविद्यालय के बीच विवाद के मामलों में माध्यस्थम् की प्रक्रिया;

(झ) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी की कार्रवाई के विरुद्ध किसी कर्मचारी या छात्र द्वारा कार्य परिषद् को अपील करने की प्रक्रिया;

(ञ) किसी महाविद्यालय या किसी संस्था या किसी विभाग या विद्यापीठ या केन्द्र को स्वायत्त प्रास्थिति प्रदान करना;

(ट) कैंपसों, महाविद्यालयों, संस्थाओं, विद्यापीठों, केन्द्रों या छात्र-निवासों की स्थापना या समाप्ति;

(ठ) सम्मानिक डिग्रियों का प्रदान किया जाना;

(ड) डिग्रियों, डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों और अन्य विद्या संबंधी उपाधियों का वापस लिया जाना;

(ढ) विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित महाविद्यालयों तथा संस्थाओं का प्रबंध;

(ण) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन;

(त) कर्मचारियों और छात्रों में अनुशासन बनाए रखना; और

(थ) ऐसे सभी अन्य विषय जो इस अधिनियम के अनुसार परिनियमों द्वारा उपबंधित किए जाने हैं या किए जा सकेंगे।

परिनियम किस प्रकार बनाए जाएंगे।

28. (1) विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम वे हैं जो इस अधिनियम की दूसरी अनुसूची में उपवर्णित हैं।

(2) कार्य परिषद् समय-समय पर नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगी या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगी:

परन्तु कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की प्रास्थिति, शक्तियों या गठन पर प्रभाव डालने वाले कोई परिनियम तब तक नहीं बनाएगी, उनका संशोधन नहीं करेगी या उनका निरसन नहीं करेगी जब तक उस प्राधिकारी को प्रस्थापित परिवर्तनों पर अपनी राय लिखित रूप में अभिव्यक्त करने का अवसर नहीं दे दिया गया हो और इस प्रकार अभिव्यक्त किसी राय पर कार्य परिषद् द्वारा विचार किया जाएगा।

(3) प्रत्येक नए परिनियम या विद्यमान परिनियम को संशोधित या निरसित करने वाले परिनियमों को कुलाध्यक्ष की अनुमति अपेक्षित होगी, जो उस पर अनुमति दे सकेगा या अनुमति को रोक सकेगा या उसे पुनर्विचार के लिए कार्य परिषद् को प्रतिप्रेषित कर सकेगा।

(4) कोई नया परिनियम या विद्यमान परिनियम को संशोधित या निरसित करने वाला कोई परिनियम तब तक विधिमान्य नहीं होगा, जब तक उस पर कुलाध्यक्ष द्वारा अनुमति न दे दी जाए।

(5) पूर्वगामी उपधाराओं में किसी बात के होते हुए भी, कुलाध्यक्ष इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक बाद की तीन वर्ष की अवधि के दौरान नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगा:

परन्तु कुलाध्यक्ष, तीन वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति पर, ऐसी समाप्ति की तारीख से एक वर्ष के भीतर ऐसे विस्तृत परिनियम, जो वह आवश्यक समझे, बना सकेगा और ऐसे विस्तृत परिनियम संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाएंगे।

(6) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, कुलाध्यक्ष अपने द्वारा विनिर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में परिनियमों में उपबंध करने के लिए विश्वविद्यालय को निदेश दे सकेगा और यदि कार्य परिषद् किसी ऐसे निदेश को उसकी प्राप्ति के साठ दिन के भीतर कार्यान्वित करने में असमर्थ रहती है तो कुलाध्यक्ष कार्य परिषद् द्वारा ऐसे निदेश का अनुपालन करने में उसकी असमर्थता के लिए संसूचित कारणों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात्, यथोचित रूप से परिनियमों को बना सकेगा या उन्हें संशोधित कर सकेगा।

अध्यादेश बनाने की शक्ति।

29. (1) इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अध्यादेशों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और उस रूप में उनका नाम दर्ज किया जाना;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी डिग्रियों, डिप्लोमाओं और प्रमाणपत्रों के लिए अधिकथित किए जाने वाले पाठ्यक्रम और उनकी अवधि;

(ग) शिक्षण और परीक्षा का माध्यम;

(घ) डिग्रियों (जिसके अंतर्गत सम्मानिक डिग्रियां भी हैं), डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों और अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियों का प्रदान किया जाना, उनके लिए अर्हताएं और उन्हें प्रदान करने और प्राप्त करने के बारे में किए जाने वाले उपाय;

(ङ) विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के लिए और विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं, डिग्रियों, डिप्लोमाओं और प्रमाणपत्रों में प्रवेश के लिए प्रभारित की जाने वाली फीस;

(च) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, पदक और पुरस्कार प्रदान किए जाने की शर्तें;

(छ) परीक्षाओं का संचालन, जिसके अंतर्गत परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों की पदावधि और नियुक्ति की रीति और उनके कर्तव्य भी हैं;

(ज) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास, कक्षा, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, सभा भवनों, क्रीड़ा स्थलों और अन्य सुख-सुविधाओं की शर्तें;

(झ) छात्राओं के निवास और अध्यापन के लिए किए जाने वाले विशेष इंतजाम, यदि कोई हों, और उनके लिए विशेष अध्ययन पाठ्यक्रम विहित करना;

(ञ) अध्ययन केन्द्रों, अध्ययन बोर्डों, अंतर विद्या शाखा अध्ययनों, विशेष केन्द्रों, विशेषित प्रयोगशालाओं और अन्य समितियों की स्थापना;

(ट) विश्वविद्यालयों, संस्थाओं और अन्य अभिकरणों के साथ, जिनके अंतर्गत विद्वत् निकाय या संगम भी है, सहकार और सहयोग करने की रीति;

(ठ) किसी अन्य ऐसे निकाय का, जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन में सुधार के लिए आवश्यक समझा जाए, सृजन, संरचना और उसके कृत्य;

(ड) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, अध्ययनवृत्तियों, पदकों और पुरस्कारों को संस्थित करना;

(ढ) कर्मचारियों और छात्रों की शिकायतों को दूर करने के लिए किसी तंत्र की स्थापना; और

(ण) अन्य सभी विषय जो इस अधिनियम या परिनियमों के अनुसार अध्यादेशों द्वारा उपबंधित किया जाना है या किया जाए।

(2) प्रथम अध्यादेश, कार्य परिषद् के पूर्व अनुमोदन से, कुलपति द्वारा बनाए जाएंगे, और इस प्रकार बनाए गए अध्यादेश, परिनियमों द्वारा विहित रीति से कार्य परिषद् द्वारा किसी भी समय संशोधित या निरसित किए जा सकेंगे या उनमें वृद्धि की जा सकेगी।

विनियम।

30. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी, स्वयं अपने और अपने द्वारा नियुक्त समितियों के, यदि कोई हों, कार्य संचालन के लिए जिसका इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा उपबंध नहीं किया गया है, परिनियमों द्वारा विहित रीति से ऐसे विनियम बना सकेंगे, जो इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों से संगत हैं।

वार्षिक रिपोर्ट।

31. (1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, कार्य परिषद् के निदेशों के अधीन तैयार की जाएगी जिसमें, अन्य विषयों के साथ-साथ, विश्वविद्यालय द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए गए उपाय होंगे और वह सभा को उस तारीख को या उसके पश्चात् भेजी जाएगी, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए और सभी अपने वार्षिक अधिवेशन में उस रिपोर्ट पर विचार करेगी।

(2) सभा, अपनी टीका-टिप्पणी सहित, यदि कोई हो, वार्षिक रिपोर्ट कुलाध्यक्ष को भेजेगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रति केन्द्रीय सरकार को भी भेजी जाएगी, जो यथाशीघ्र उसे संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी।

वार्षिक लेखे।

32. (1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और तुलन-पत्र, कार्य परिषद् के निदेशों के अधीन तैयार किए जाएंगे और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा या ऐसे व्यक्तियों द्वारा जिन्हें वह इस निमित्त प्राधिकृत करे, प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार और पन्द्रह मास से अनधिक के अंतरालों पर उनकी संपरीक्षा की जाएगी।

(2) वार्षिक लेखाओं की एक प्रति, उन पर संपरीक्षा रिपोर्ट और कार्य परिषद् के संप्रेक्षणों सहित, यदि कोई हो, सभा और कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत की जाएगी।

(3) वार्षिक लेखाओं पर कुलाध्यक्ष द्वारा किए गए संप्रेक्षण सभा के ध्यान में लाए जाएंगे और सभा के संप्रेक्षण, यदि कोई हों, कार्य परिषद् द्वारा विचार किए जाने के पश्चात् कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत किए जाएंगे।

(4) वार्षिक लेखाओं की प्रति कुलाध्यक्ष को यथा प्रस्तुत संपरीक्षा रिपोर्ट सहित केन्द्रीय सरकार को भी भेजी जाएगी, जो उसे यथाशीघ्र संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी।

(5) संपरीक्षित वार्षिक लेखे संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने के पश्चात् राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे।

विवरणी और सूचना।

33. विश्वविद्यालय, केन्द्रीय सरकार को ऐसी अवधि के भीतर, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अपनी संपत्ति या क्रियाकलापों से संबंधित ऐसे विवरण और अन्य सूचना देगा, जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर अपेक्षा करे।

कर्मचारियों, इत्यादि की सेवा की शर्तें।

34. (1) विश्वविद्यालय के प्रत्येक कर्मचारी की नियुक्ति लिखित संविदा के अधीन की जाएगी, जो विश्वविद्यालय के पास रखी जाएगी तथा उसकी एक प्रति संबंधित कर्मचारी को दी जाएगी।

(2) विश्वविद्यालय और किसी कर्मचारी के बीच संविदा से उद्भूत होने वाला कोई विवाद, कर्मचारी के अनुरोध पर, माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसमें कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त एक सदस्य, संबंधित कर्मचारी द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य और कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त एक अधिनिर्णायक होगा।

(3) अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा और अधिकरण द्वारा विनिश्चित मामलों के संबंध में किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद नहीं होगा:

परंतु इस उपधारा की कोई बात कर्मचारी को संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के अधीन उपलब्ध न्यायिक उपचार का उपभोग करने से निवारित नहीं करेगी।

(4) उपधारा (2) के अधीन कर्मचारी द्वारा किया गया प्रत्येक ऐसा अनुरोध माध्यस्थम् और सुलह
1996 का 26 अधिनियम, 1996 के अर्थ में इस धारा के निबंधनों पर माध्यस्थम् के लिए निवेदन समझा जाएगा।

(5) अधिकरण के कार्य को विनियमित करने की प्रक्रिया परिनियमों द्वारा विहित की जाएगी।

छात्रों के विरुद्ध अनुशासनिक मामलों में अपील और माध्यस्थम् की प्रक्रिया।

35. (1) कोई छात्र या परीक्षार्थी, जिसका नाम विश्वविद्यालय की नामावली से, यथास्थिति, कुलपति, अनुशासन समिति या परीक्षा समिति के आदेशों या संकल्प द्वारा हटाया गया है और जिसे विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में बैठने से एक वर्ष से अधिक के लिए विवर्जित किया गया है, वह ऐसे आदेशों की या ऐसे संकल्प की प्रति की प्राप्ति की तारीख से दस दिन के भीतर कार्य परिषद् को अपील कर सकेगा और कार्य परिषद्, यथास्थिति, कुलपति या समिति के विनिश्चय को पुष्ट या उपांतरित कर सकेगी या उलट सकेगी।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा किसी छात्र के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाई से उद्भूत होने वाला कोई विवाद उस छात्र के अनुरोध पर, माध्यस्थम् अधिकरण को निर्देशित किया जाएगा और धारा 34 की उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5) के उपबंध, इस उपधारा के अधीन किए गए निर्देश को यथाशक्य लागू होंगे।

अपील करने का अधिकार।

36. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे किसी महाविद्यालय या किसी संस्था के प्रत्येक कर्मचारी या छात्र को, यथास्थिति, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी अथवा किसी महाविद्यालय या संस्था के प्राचार्य या प्रबंध तंत्र के किसी विनिश्चय के विरुद्ध ऐसे समय के भीतर, जो परिनियमों द्वारा विहित किया जाए, कार्य परिषद् को अपील करने का अधिकार होगा और तब कार्य परिषद् उस विनिश्चय को, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्ट या उपांतरित कर सकेगी या उलट सकेगी।

भविष्य निधि और पेंशन निधि।

37. (1) विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के फायदे के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं, ऐसी भविष्य निधि या पेंशन निधि का गठन करेगा या ऐसी बीमा स्कीमों और अन्य कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा उपायों की व्यवस्था करेगा जो वह ठीक समझे।

(2) जहां ऐसी भविष्य निधि या पेंशन निधि का इस प्रकार गठन किया गया है वहां केन्द्रीय सरकार यह
1925 का 19 घोषित कर सकेगी कि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के उपबंध ऐसी निधि को इस प्रकार लागू होंगे मानो वह सरकारी भविष्य निधि हो।

प्राधिकारियों और निकायों के गठन के बारे में विवाद।

38. यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक् रूप से निर्वाचित या नामनिर्देशित या नियुक्त किया गया है या उसका सदस्य होने का हकदार है तो वह मामला कुलाध्यक्ष को निर्देशित किया जाएगा, जिसका उस पर विनिश्चिय अंतिम होगा।

आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना।

39. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्यों (पदेन सदस्यों से भिन्न) में सभी आकस्मिक रिक्तियां, यथाशीघ्र, सुविधानुसार ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा भरी जाएंगी। जिसने उस सदस्य को, जिसका स्थान रिक्त हुआ है, निर्वाचित, नामनिर्देशित, नियुक्त या सहयोजित किया था और आकस्मिक रिक्ति में नियुक्त, निर्वाचित, नामनिर्देशित या सहयोजित व्यक्ति, ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य उस शेष अवधि के लिए होगा, जिस तक वह व्यक्ति, जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य रहता।

प्राधिकारियों या निकायों की कार्यवाहियों का रिक्तियों के कारण अविधिमान्य न होना।

40. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि उसके सदस्यों में कोई रिक्ति या रिक्तियां हैं।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

41. इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के उपबंधों में से किसी उपबंध के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियां विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी।

विश्वविद्यालय के अभिलेखों को साबित करने का ढंग।

42. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, 1872 का 1
विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही या संकल्प या विश्वविद्यालय के कब्जे में किसी अन्य दस्तावेज या विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक् रूप से रखे गए किसी रजिस्टर की किसी प्रविष्टि की प्रतिलिपि, यदि कुलसचिव द्वारा प्रमाणित कर दी जाती है, तो उस दशा में, जिसमें उसकी मूल प्रति पेश किए जाने पर साक्ष्य में ग्राह्य होती, उस रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज के या रजिस्टर में प्रविष्टि के अस्तित्व के प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के रूप में ले ली जाएगी और उससे संबंधित मामलों और संव्यवहारों के साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जाएगी।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

43. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस आदेश में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह आदेश नहीं बनाया जाना चाहिए तो, तत्पश्चात् वह, यथास्थिति, ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा या निष्प्रभाव हो जाएगा। तथापि, आदेश के ऐसे उपांतरित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का राजपत्र में प्रकाशित किया जाना और संसद् के समक्ष रखा जाना।

44. (1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश या विनियम राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश या विनियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस परिनियम, अध्यादेश या

विनियम में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह परिनियम, अध्यादेश या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह, यथास्थिति, ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा या निष्प्रभाव हो जाएगा। तथापि, परिनियम, अध्यादेश या विनियम के ऐसे उपांतरित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(3) परिनियम, अध्यादेश या विनियम बनाने की शक्ति के अंतर्गत परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों या उनमें से किसी को उस तारीख से, जो इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पूर्वतर न हो, भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति भी होगी किन्तु किसी परिनियम, अध्यादेश या विनियम को भूतलक्षी प्रभाव इस प्रकार नहीं दिया जाएगा जिससे कि किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसको ऐसा परिनियम, अध्यादेश या विनियम लागू हो, हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

संक्रमणकालीन उपबंध।

45. (1) इस अधिनियम और परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से ठीक पहले पद धारण करने वाले डीम्ड विश्वविद्यालय के कुलपति, उप कुलपति और अन्य अधिकारी ऐसे प्रारंभ से ही अपनी शेष अवधि के लिए अपने क्रमिक पद उसी समयावधि के लिए उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर धारण करते रहेंगे, जो वे ऐसे प्रारंभ से ठीक पूर्व धारण किए हुए थे;

(ख) इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पूर्व प्रत्येक डीम्ड विश्वविद्यालय की कार्य परिषद्, विद्या परिषद्, वित्त समिति, योजना और मानीटरी बोर्ड और संकाय के इस रूप में नियुक्त किए गए सदस्य ऐसे प्रारंभ से ही अपनी शेष पदावधि के लिए इस अधिनियम के अधीन उसी हैसियत में नियुक्त किए गए समझे जाएंगे और इस अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी की सभी शक्तियों का प्रयोग और सभी कृत्यों का पालन करते रहेंगे;

(ग) प्रथम सभा में इकतीस से अनधिक सदस्य होंगे, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे और तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे:

परन्तु यदि खंड (क) और खंड (ख) में निर्दिष्ट पदों या प्राधिकरणों में कोई रिक्ति होती है तो वह, यथास्थिति, कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्ति करके या केन्द्रीय सरकार के नामनिर्देशन द्वारा भरी जाएगी और इस प्रकार नियुक्त या नामनिर्दिष्ट व्यक्ति तब तक पद धारण करेगा जब तक वह अधिकारी या सदस्य, जिसके स्थान पर उसकी नियुक्ति या नामनिर्देशन किया गया है, यदि ऐसी रिक्ति नहीं हुई होती तो, पद धारण करता:

परंतु यह और कि इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले खंड (क) और खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी प्राधिकरण के लिए नियुक्त कोई भी पदेन सदस्य, यदि ऐसी नियुक्ति इस अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप नहीं है तो ऐसे प्राधिकरण का सदस्य नहीं रहेगा।

(2) इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पहले पद धारण करने वाले डीम्ड विश्वविद्यालय के सभी अन्य अधिकारी और कर्मचारी, ऐसे प्रारंभ से ही अपने क्रमिक पद उसी पदावधि के लिए तथा उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर धारण करते रहेंगे, जो उन्होंने इस अधिनियम के ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले धारण किए हुए थे।

(3) इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पहले डीम्ड विश्वविद्यालय के किसी कार्यक्रम या पाठ्यक्रम में प्रवेश दिए गए सभी छात्र उन्हीं निबंधनों और शर्तों के अधीन तत्स्थानी विश्वविद्यालय के उसी कार्यक्रम या पाठ्यक्रम के अधीन प्रवर्जित किए गए समझे जाएंगे, जो वे ऐसे प्रारंभ से ठीक पूर्व थे।

(4) इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पहले डीम्ड विश्वविद्यालय द्वारा की गई कोई भी बात या की गई कोई भी कार्रवाई या प्रदत्त कोई भी डिग्री या अन्य विद्या संबंधी उपाधि, इस अधिनियम द्वारा सभा, कार्य परिषद्, विद्या परिषद्, वित्त समिति, योजना और मानीटरी बोर्ड, संकायों और अन्य अधिकारियों के परामर्श से, किए गए किसी परिवर्तन के होते हुए भी इस प्रकार विधिमान्य रहेगी मानो की गई ऐसी बात या की गई कार्रवाई या प्रदत्त डिग्री या विद्या संबंधी उपाधि इस अधिनियम के अधीन थी।

(5) इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले बनाए गए विनियम, उपविधियां या आदेश, यदि कोई हों, जहां तक वे धारा 30 में वर्णित विषयों से संबंधित हैं, तब तक लागू होते रहेंगे, जब तक इस अधिनियम के अधीन विनियम, उपविधियां या आदेश नहीं बना दिए जाते।

(6) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और यदि वह ऐसा करना आवश्यक और समीचीन समझती है, तो अधिसूचना द्वारा ऐसे उपाय कर सकेगी, जो डीम्ड विश्वविद्यालय को तत्स्थानी विश्वविद्यालय को निर्विघ्न अंतरण के लिए आवश्यक है।

विश्वविद्यालय की परिषदें, बोर्ड, स्थायी समितियां और प्रकोष्ठ।

46. विश्वविद्यालय अपने कृत्यों को अग्रसर करने में ऐसी परिषदें, बोर्ड, स्थायी समितियां और प्रकोष्ठ गठित कर सकेगी, जो वह आवश्यक समझे।

समितियों का गठन।

47. जहां विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण को इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा समितियां नियुक्त करने की शक्ति दी गई है, वहां ऐसी समिति में अन्यथा उपबंधित के सिवाय प्राधिकरण के सदस्य और ऐसा अन्य व्यक्ति होगा, जो प्राधिकरण, प्रत्येक मामले में ठीक समझे।

पहली अनुसूची

[धारा 3(1)(क) देखिए]

क्र०सं०	राज्य का नाम	कैंपस का नाम
1.	जम्मू-कश्मीर	श्री रणबीर कैंपस
2.	उत्तर प्रदेश	(क) लखनऊ कैंपस
		(ख) गंगानाथ झा कैंपस
3.	कर्नाटक	श्री राजीव गांधी कैंपस
4.	राजस्थान	जयपुर कैंपस
5.	ओडिशा	श्री सदाशिव कैंपस
6.	केरल	गुरुवयूर कैंपस
7.	मध्य प्रदेश	भोपाल कैंपस
8.	महाराष्ट्र	के०जे० सोमैय्या कैंपस
9.	हिमाचल प्रदेश	वेद व्यास कैंपस
10.	त्रिपुरा	एकलव्य कैंपस
11.	उत्तराखंड	श्री रघुनाथ कीर्ति कैंपस

दूसरी अनुसूची

(धारा 28 देखिए)

विश्वविद्यालय के परिनियम

कुलाधिपति। 1. (1) मानव संसाधन विकास मंत्रालय का भारसाधक मंत्री केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली का पदेन कुलाधिपति होगा।

(2) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली और राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, तिरुपति के कुलाधिपति की नियुक्ति, देश के विद्या संबंधी या सार्वजनिक जीवन के विख्यात व्यक्तियों में से कार्य परिषद् द्वारा सिफारिश किए गए तीन से अन्यून व्यक्तियों के पैनल में से कुलाध्यक्ष द्वारा की जाएगी:

परन्तु यदि कुलाध्यक्ष इस प्रकार सिफारिश किए गए व्यक्तियों में से किसी का अनुमोदन न करे तो वह कार्य परिषद् से नई सिफारिशें मांग सकेगा।

(3) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली और राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, तिरुपति के कुलाधिपति पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे:

परन्तु कुलाधिपति अपनी पदावधि के अवसान होने पर भी तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक उनका उत्तरवर्ती अपना पदग्रहण न कर ले।

(4) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली और राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, तिरुपति के कुलाधिपति की आयु उस वर्ष, जिसके दौरान रिक्ति उत्पन्न हुई है, की 1 जनवरी को सत्तर वर्ष से अधिक नहीं होगी।

कुलपति। **2.** (1) कुलपति की नियुक्ति, खंड (3) के अधीन गठित समिति द्वारा सिफारिश किए गए तीन नामों के पैनल में से कुलाध्यक्ष द्वारा की जाएगी:

परन्तु यदि कुलाध्यक्ष पैनल में सम्मिलित व्यक्तियों में से किसी का अनुमोदन न करे तो वह नए नामों का नया पैनल मंगा सकेगा।

(2) कुलपति संस्कृत और सहबद्ध विषयों के क्षेत्र में विख्यात विद्वान होगा और उसकी अर्हताएं वह होगी जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) के अधीन इस निमित्त बनाए गए विनियमों में यथाविनिर्दिष्ट है।

(3) खंड (1) में निर्दिष्ट समिति में पांच ऐसे व्यक्ति होंगे, जिनमें से दो कार्य परिषद् द्वारा और दो कुलाध्यक्ष द्वारा तथा एक केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे तथा कुलाध्यक्ष का एक नामनिर्देशिती, समिति का संयोजक होगा:

परन्तु समिति का कोई भी सदस्य, उस विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा पोषित किसी महाविद्यालय या संस्था का कर्मचारी या उस विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का सदस्य नहीं होगा।

(4) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

(5) कुलपति अपना पद ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण करेगा:

परन्तु कुलाध्यक्ष यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा कोई कुलपति, जिसकी पदावधि समाप्त हो गई है, कुल मिलाकर एक वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि तक, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, इस बात के अध्यधीन रहते हुए कि उसकी आयु सत्तर वर्ष से अधिक न हो, पद पर बना रहेगा।

(6) खंड (5) में किसी बात के होते हुए भी कुलाध्यक्ष, कुलपति द्वारा अपना पद ग्रहण करने के पश्चात् किसी समय लिखित आदेश द्वारा कुलपति को अक्षमता, कदाचार या कानूनी उपबंधों के अतिक्रमण के आधारों पर पद से हटा सकेगा:

परंतु कुलाध्यक्ष द्वारा ऐसा कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कुलपति को उसके विरुद्ध किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के विरोध में हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो:

परंतु यह और कि कुलाध्यक्ष ऐसा आदेश करने से पूर्व कुलपति से भी परामर्श करेगा:

परंतु यह भी कि कुलाध्यक्ष ऐसा आदेश करने से पूर्व किसी समय जांच के लंबित रहने के दौरान उक्त कुलपति को निलंबनाधीन रख सकेगा।

(7) कुलपति की परिलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें निम्नलिखित होंगी—

(i) कुलपति को केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर नियत दर से मासिक वेतन और मकान किराया भत्ता से भिन्न भत्ते दिए जाएंगे और वह अपनी पदावधि के दौरान बिना किराया दिए सुसज्जित निवास-स्थान का उपयोग करने का हकदार होगा तथा ऐसे निवास-स्थान के अनुरक्षण की बाबत कुलपति को कोई प्रभार नहीं देना होगा;

(ii) कुलपति ऐसे सेवांत फायदों और भत्तों का हकदार होगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर नियत किए जाएं:

परंतु जहां विश्वविद्यालय या उसके द्वारा पोषित किसी महाविद्यालय या संस्था का अथवा किसी अन्य विश्वविद्याालय या ऐसे अन्य विश्वविद्यालय द्वारा पोषित या विशेषाधिकार दिए गए किसी संस्था का कर्मचारी कुलपति नियुक्त किया जाता है, वहां उसे ऐसी भविष्य निधि में, जिसका वह सदस्य है, अभिदाय करते रहने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा और विश्वविद्यालय उस भविष्य निधि में उस व्यक्ति के खाते में उसी दर से अभिदाय करेगा, जिससे वह व्यक्ति कुलपति के रूप में अपनी नियुक्ति के ठीक पहले अभिदाय कर रहा था:

परंतु यह और कि जहां ऐसा कर्मचारी किसी पेंशन स्कीम का सदस्य रहा था, वहां विश्वविद्यालय ऐसी स्कीम में आवश्यक अभिदाय करेगा;

(iii) कुलपति ऐसी दरों से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर नियत की जाएं, यात्रा भत्ते के लिए हकदार होगा;

(iv) कुलपति किसी कलेंडर वर्ष में तीस दिन की दर से पूर्ण वेतन पर छुट्टी का हकदार होगा और छुट्टी, पन्द्रह दिन की दो अर्धवार्षिक किस्तों में प्रत्येक वर्ष जनवरी तथा जुलाई के प्रथम दिन को अग्रिम रूप से उसके खाते में जमा कर दी जाएगी:

परंतु यदि कुलपति किसी आधे वर्ष के चालू रहने के दौरान कुलपति का पदभार ग्रहण करता है या पदत्याग करता है तो अनुपातत: सेवा के प्रत्येक संपूरित मास के लिए अढ़ाई दिन की दर से छुट्टी को जमा किया जाएगा;

(v) कुलपति, उपखंड (iv) में निर्दिष्ट छुट्टी के अतिरिक्त, सेवा के प्रत्येक संपूरित वर्ष के लिए बीस दिन की दर से अर्धवेतन छुट्टी का भी हकदार होगा और इस अर्धवेतन छुट्टी का उपभोग चिकित्सीय प्रमाणपत्र के आधार पर पूर्ण वेतन पर परिवर्तित छुट्टी के रूप में भी किया जा सकेगा:

परंतु जब ऐसी परिवर्तित छुट्टी का उपभोग किया जाता है तो अर्धवेतन छुट्टी की दुगुनी मात्रा बाकी अर्धवेतन छुट्टी से विकलित की जाएगी।

(8) यदि कुलपति का पद मृत्यु, पदत्याग के कारण या अन्यथा रिक्त हो जाता है, अथवा यदि वह अस्वस्थता के कारण या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तो ज्येष्ठतम आचार्य, कुलपति के कर्तव्यों का पालन करेगा।

कुलपति की शक्तियां और कर्तव्य।

3. (1) कुलपति, कार्य परिषद्, विद्या परिषद्, वित्त समिति और योजना तथा मानीटरी बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होगा और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में उपाधियां प्रदान करने के लिए आयोजित दीक्षांत समारोहों और सभा के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा।

(2) कुलपति, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के किसी अधिवेशन में उपस्थित रहने

और उसे संबोधित करने का हकदार होगा किन्तु वह उसमें मत देने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक वह ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य न हो।

(3) यह देखना कुलपति का कर्तव्य होगा कि इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का सम्यक् रूप से पालन किया जाता है और उसे ऐसा पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सभी शक्तियां प्राप्त होंगी।

(4) कुलपति को विश्वविद्यालय में समुचित अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी शक्तियां होंगी और वह किन्हीं ऐसी शक्तियों को किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को, जिन्हें वह ठीक समझे, प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(5) कुलपति को कार्य परिषद्, विद्या परिषद्, वित्त समिति और योजना तथा मानीटरी बोर्ड के अधिवेशन बुलाने या बुलवाने की शक्ति होगी।

विद्यापीठों के संकायाध्यक्ष।

4. (1) प्रत्येक विद्यापीठ के संकायाध्यक्ष की नियुक्ति, कुलपति द्वारा उस विद्यापीठ के आचार्यों में से ज्येष्ठता के क्रम में चक्रानुक्रम से तीन वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी:

परंतु यदि विद्यापीठ में केवल एक आचार्य है या कोई आचार्य नहीं है तो तत्समय संकायाध्यक्ष की नियुक्ति विद्यापीठ के आचार्य, यदि कोई हों और सह-आचार्यों में से ज्येष्ठता के क्रम में चक्रानुक्रम से की जाएगी:

परंतु यह और कि संकायाध्यक्ष पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर उस रूप में पद पर नहीं रहेगा।

(2) जब संकायाध्यक्ष का पद रिक्त है या जब संकायाध्यक्ष, रुग्णता, अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तो उसके पद के कर्तव्यों का पालन, यथास्थिति, विद्यापीठ के ज्येष्ठतम आचार्य द्वारा किया जाएगा।

(3) संकायाध्यक्ष, विद्यापीठ का अध्यक्ष होगा और विद्यापीठ में अध्यापन और अनुसंधान के संचालन तथा उनका स्तर बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा और उसके ऐसे अन्य कृत्य भी होंगे जो अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं।

(4) संकायाध्यक्ष को, यथास्थिति, अध्ययन बोर्डों या विद्यापीठ की समितियों के किसी अधिवेशन में उपस्थित होने और बोलने का अधिकार होगा, किन्तु जब तक वह उसका सदस्य नहीं है तब तक उसे उसमें मत देने का अधिकार नहीं होगा।

कुलसचिव।

5. (1) कुलसचिव की नियुक्ति, इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर कार्य परिषद् द्वारा की जाएगी और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

(2) कुलसचिव की नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी और वह ऐसी प्रक्रिया का जो ऐसी नियुक्ति के लिए अधिकथित की जाए और अनुसरण करने के पश्चात् पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

(3) कुलसचिव की परिलब्धियां तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं:

परंतु कुलसचिव बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा।

(4) जब कुलसचिव का पद रिक्त है या जब कुलसचिव रुग्णता, अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तब उस पद के कर्तव्यों का पालन उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे कुलपति उस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे।

(5) (क) कुलसचिव को, अध्यापकों और शैक्षणिक कर्मचारिवृंद को छोड़कर ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने की शक्ति होगी जो कार्य परिषद् के आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं तथा जांच होने तक उन्हें निलंबित करने, उन्हें चेतावनी देने या उन पर परिनिंदा की या वेतनवृद्धि रोकने की शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति होगी:

परंतु ऐसी कोई शास्ति तब तक अधिरोपित नहीं की जाएगी जब तक व्यक्ति को उसके संबंध में की जाने के लिए प्रतिस्थापित कार्रवाई के विरुद्ध कारण बताने का उचित अवसर नहीं दे दिया गया हो;

(ख) उपखंड (क) में विनिर्दिष्ट कोई शास्ति अधिरोपित करने के कुलसचिव के आदेश के विरुद्ध अपील कुलपति को होगी;

(ग) ऐसे मामले में, जहां जांच से यह प्रकट हो कि कुलसचिव की शक्ति के बाहर का कोई दंड अपेक्षित है वहां, कुलसचिव, जांच के पूरा होने पर, कुलपति को अपनी सिफारिशों सहित एक रिपोर्ट देगा:

परंतु शास्ति अधिरोपित करने के कुलपति के आदेश के विरुद्ध अपील कार्य परिषद् को होगी।

(6) कुलसचिव, कार्य परिषद् और विद्या परिषद् का पदेन सचिव होगा, किंतु यह इन प्राधिकारियों में से किसी भी प्राधिकारी का सदस्य नहीं समझा जाएगा और वह सभा और योजना तथा मानीटरी बोर्ड का पदेन सदस्य-सचिव होगा।

(7) कुलसचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह—

(क) विश्वविद्यालय के अभिलेख, सामान्य मुद्रा और ऐसी अन्य संपत्ति को, जो कार्य परिषद् उसके भारसाधन में सौंपे, अभिरक्षा में रखे;

(ख) सभा, कार्य परिषद्, विद्या परिषद्, योजना तथा मानीटरी बोर्ड और उन प्राधिकारियों द्वारा नियुक्त किन्हीं समितियों के अधिवेशन बुलाने की सभी सूचनाएं निकाले;

(ग) सभा, कार्य परिषद्, विद्या परिषद्, योजना तथा मानीटरी बोर्ड और उन प्राधिकारियों द्वारा नियुक्त किन्हीं समितियों के सभी अधिवेशनों के कार्यवृत्त रखे;

(घ) सभा, कार्य परिषद्, विद्या परिषद् और योजना तथा मानीटरी बोर्ड के शासकीय पत्र-व्यवहार का संचालन करे;

(ङ) कुलाध्यक्ष को विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के अधिवेशनों की कार्य सूची की प्रतियां, जैसे ही वे जारी की जाएं और इन अधिवेशनों के कार्यवृत्त दे;

(च) विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध वादों या कार्यवाहियों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करे, मुख्तारनामों पर हस्ताक्षर करे तथा अभिवचनों को सत्यापित करे या इस प्रयोजन के लिए अपनी प्रतिनिधि प्रतिनियुक्त करे; और

(छ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे, जो परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं अथवा जिनकी कार्य परिषद् या कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाए।

6. (1) वित्त अधिकारी इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त किया जाएगा और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा। वित्त अधिकारी।

(2) वित्त अधिकारी की नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी और वह ऐसी प्रक्रिया का जो ऐसी नियुक्ति के लिए अधिकथित की जाए अनुसरण करने के पश्चात् पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

(3) वित्त अधिकारी की उपलब्धियां तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं:

परंतु वित्त अधिकारी बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा।

(4) जब वित्त अधिकारी का पद रिक्त है या जब वित्त अधिकारी रुग्णता, अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद से कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तब उस पद के कर्तव्यों का पालन उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, जिसे कुलपति उस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे।

(5) वित्त अधिकारी, वित्त समिति का पदेन सदस्य सचिव होगा।

(6) वित्त अधिकारी—

(क) विश्वविद्यालय की निधि का साधारण पर्यवेक्षण करेगा और उसकी वित्तीय नीति के संबंध में उसे सलाह देगा; और

(ख) ऐसे अन्य वित्तीय कृत्यों का पालन करेगा जो उसे कार्य परिषद् द्वारा सौंपे जाएं या जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं।

(7) कार्य परिषद् के नियंत्रण के अधीन रहते हुए वित्त अधिकारी—

(क) विश्वविद्यालय की संपत्ति और विनिधानों को, जिनके अंतर्गत न्यास और विन्यास की संपत्ति भी है, धारण करेगा और उनका प्रबंध करेगा;

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य परिषद् द्वारा एक वर्ष के लिए नियत आवर्ती और अनावर्ती व्यय की सीमाओं से अधिक व्यय न किया जाए और सभी धन का व्यय उसी प्रयोजन के लिए किया जाए, जिनके लिए वह मंजूर या आबंटित किया गया है;

(ग) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा और बजट तैयार किए जाने और उनको कार्य परिषद् को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा;

(घ) नकद और बैंक अतिशेषों तथा विनिधानों की स्थिति पर बराबर नजर रखेगा;

(ङ) राजस्व के संग्रहण की प्रगति पर नजर रखेगा और संग्रहण करने के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों के विषय में सलाह देगा;

(च) यह सुनिश्चित करेगा कि भवन, भूमि, फर्नीचर और उपस्कर के रजिस्टर अद्यतन रखे जाएं तथा सभी कार्यालयों, विभागों, केन्द्रों और विशेषित प्रयोगशालाओं के उपस्कर तथा अन्य उपयोज्य सामग्री के स्टाक की जांच की जाए;

(छ) अप्राधिकृत व्यय या अन्य वित्तीय अनियमितताओं को कुलपति की जानकारी में लाएगा तथा व्यतिक्रमी व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई का सुझाव देगा;

(ज) विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे किसी कार्यालय, विभाग, केन्द्र, प्रयोगशाला, महाविद्यालय, विद्या शाखा या संस्था से कोई ऐसी जानकारी या विवरणियां मांगेगा जो वह अपने कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक समझे।

(8) वित्त अधिकारी की या कार्य परिषद् द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति या व्यक्तियों की विश्वविद्यालय को संदेय किसी धन के बारे में रसीद, उस धन के संदाय के लिए पर्याप्त उन्मोचन होगी।

परीक्षा नियंत्रक।

7. (1) परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर कार्य परिषद् द्वारा की जाएगी और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

(2) परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी और वह ऐसी प्रक्रिया का जो ऐसी नियुक्ति के लिए अधिकथित की जाए अनुसरण करने के पश्चात् पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

(3) परीक्षा नियंत्रक की परिलब्धियां तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं:

परन्तु परीक्षा नियंत्रक बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत हो जाएगा।

(4) जब परीक्षा नियंत्रक का पद रिक्त है या जब परीक्षा नियंत्रक रूग्णता, अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तब उस पद के कर्तव्यों का पालन उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे कुलपति उस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे।

(5) परीक्षा नियंत्रक, अध्यादेशों द्वारा विहित रीति में विश्वविद्यालय की परीक्षाएं करवाएगा और उनका अधीक्षण करेगा।

पुस्तकालयाध्यक्ष।

8. (1) पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति कार्य परिषद् द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

(2) पुस्तकालयाध्यक्ष, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे कार्य परिषद् द्वारा सौंपे जाएं।

9. (1) परिसर का निदेशक ज्येष्ठतम आचार्य होगा और विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा ऐसी शर्तों और निबंधनों पर जो अध्यादेश द्वारा विहित किया जाए, नियुक्त किया जाएगा। परिसर का निदेशक।

(2) परिसर का निदेशक ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे कुलपति द्वारा समनुदेशित की जाए।

10. (1) सभा का वार्षिक अधिवेशन, उस दशा के सिवाय जब किसी वर्ष के संबंध में सभा द्वारा कोई अन्य तारीख नियत की हो, कार्य परिषद् द्वारा नियत तारीख को होगा। सभा के अधिवेशन।

(2) सभा के वार्षिक अधिवेशन में, पूर्ववर्ष के दौरान विश्वविद्यालय के कार्यकरण की रिपोर्ट, प्राप्तियों और व्यय के विवरण यथा संपरीक्षित तुलनपत्र और अगले वर्ष के लिए वित्तीय प्राक्कलनों सहित, प्रस्तुत की जाएगी।

(3) खंड (2) में निर्दिष्ट प्राप्तियों और व्यय का विवरण, तुलनपत्र और वित्तीय प्राक्कलनों के प्रति सभा के प्रत्येक सदस्य को वार्षिक अधिवेशन की तारीख से कम से कम सात दिन पूर्व भेजी जाएगी।

(4) सभा के विशेष अधिवेशन, कार्य परिषद् या कुलपति द्वारा या यदि कोई कुलपति नहीं है तो कुलसचिव द्वारा बुलाए जा सकेंगे।

(5) सभा के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति सभा के ग्यारह सदस्यों से होगी।

11. (1) कार्य परिषद् निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:— कार्य परिषद्।

(क) कुलपति उसका अध्यक्ष होगा;

(ख) ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम द्वारा विद्यापीठों के दो संकायाध्यक्ष;

(ग) ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम द्वारा संकायाध्यक्ष से भिन्न एक आचार्य;

(घ) ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम द्वारा एक सह-आचार्य;

(ङ) सभा के दो सदस्य जिनमें से कोई भी विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय से संबद्ध या मान्यताप्राप्त महाविद्यालय या संस्था का कर्मचारी नहीं होगा;

(च) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक प्रतिनिधि;

(छ) कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन प्रख्यात शिक्षाविद्;

(ज) कुलपति की सिफारिशों पर केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले संस्कृत और सहबद्ध विषयों के क्षेत्र में दो विख्यात शिक्षाविद;

(झ) विश्वविद्यालय की देख-रेख करने वाला मानव संसाधन विकास मंत्रालय का संयुक्त सचिव;

(ञ) विश्वविद्यालय का कुलसचिव कार्य परिषद् का सचिव होगा।

(2) कार्य परिषद् के पदेन सदस्यों से भिन्न सभी सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

(3) कार्य परिषद् के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति, कार्य परिषद् के सात सदस्यों से होगी और उसका अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम तीन बार होगा।

12. (1) कार्य परिषद् को विश्वविद्यालय के राजस्व और संपत्ति के प्रबंध और प्रशासन की तथा विश्वविद्यालय के सभी ऐसे प्रशासनिक कार्यकलापों के, जिनके लिए अन्यथा उपबंध नहीं किया गया है, संचालन की शक्ति होगी। कार्य परिषद् की शक्तियां और कृत्य।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों, परिनियमों और अध्यादेशों के अधीन रहते हुए, कार्य परिषद् को, उसमें निहित अन्य सभी शक्तियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी, अर्थात्:—

(i) अध्यापन और अन्य शैक्षणिक पदों का, जिसके अंतर्गत अध्यक्ष भी है, सृजन करना, ऐसे पदों की संख्या तथा उसकी परिलब्धियां अवधारित करना और आचार्यों, सह-आचार्यों, सहायक आचार्यों, तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के कर्तव्यों और सेवा की शर्तों को परिनिश्चित करना:

परंतु अध्यापकों ओर शैक्षणिक कर्मचारिवृंद की संख्या और अर्हता के संबंध में कोई कार्रवाई कार्य परिषद् द्वारा विद्या परिषद् की सिफारिश पर विचार किए बिना नहीं की जाएगी;

(ii) उतने आचार्यों, सह-आचार्यों, सहायक आचार्यों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद को, जिसके अंतर्गत अध्यक्ष भी है, जितने आवश्यक हों, इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्त करना तथा उनमें अस्थायी रिक्तियों को भरना;

(iii) विभिन्न विद्यापीठों, विभागों और केंद्रों में अध्यापन कर्मचारिवृंद की संयुक्त नियुक्तियां करके अंतरापृष्ठीय अनुसंधान का संवर्धन करना;

(iv) प्रशासनिक, अनुसचिवीय और अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना तथा उनके कर्तव्य और उनकी सेवा की शर्तें परिनिश्चित करना और अध्यादेशों द्वारा विहित रीति में उन पर नियुक्तियां करना;

(v) कुलाधिपति और कुलपति से भिन्न विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी को अनुपस्थिति छुट्टी देना तथा ऐसे अधिकारी की अनुपस्थिति में उसके कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक व्यवस्था करना;

(vi) परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार कर्मचारियों में अनुशासन का विनियमन करना और उसका पालन कराना;

(vii) विश्वविद्यालयों के वित्त, लेखाओं, विनिधानों, संपत्ति, कामकाज तथा सभी अन्य प्रशासनिक कार्यकलापों का प्रबंध तथा विनियमन करना और उस प्रयोजन के लिए उतने अभिकर्ताओं की नियुक्ति करना, जितने वह ठीक समझे;

(viii) वित्त समिति की सिफारिशों पर वर्ष भर के कुल आवर्ती और कुल अनावर्ती व्यय की सीमाएं नियत करना;

(ix) विश्वविद्यालय के धन को, जिसके अंतर्गत कोई अनुपयोजित आय भी है, समय-समय पर ऐसे स्टाकों, निधियों, शेयर या प्रतिभूतियों में, जो वह ठीक समझे या भारत में स्थावर संपत्ति के क्रय में विनिहित करना, जिसके अन्तर्गत ऐसे विनिधान में समय-समय पर परिवर्तन करने की शक्ति भी है;

(x) विश्वविद्यालय की ओर से किसी जंगम या स्थावर संपत्ति का अंतरण करना या अंतरण स्वीकार करना;

(xi) विश्वविद्यालय के कार्य को चलाने के लिए आवश्यक भवनों, परिसरों, फर्नीचर, साधित्रों और अन्य साधनों की व्यवस्था करना;

(xii) विश्वविद्यालय की ओर से संविदाएं करना, उनमें परिवर्तन करना, उन्हें कार्यान्वित और रद्द करना;

(xiii) विश्वविद्यालय के ऐसे कर्मचारियों और छात्रों की, जो किसी कारण से, व्यथित अनुभव करें, किन्हीं शिकायतों को ग्रहण करना, उनका न्यायनिर्णयन करना और यदि ठीक समझा जाता है तो उन शिकायतों को दूर करना;

(xiv) परीक्षकों और अनुसीमकों को नियुक्त करना और यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाना तथा उनकी फीसें, परिलब्धियां और यात्रा भत्ते तथा अन्य भत्ते विद्या परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, नियत करना;

(xv) विश्वविद्यालय के लिए सामान्य मुद्रा का चयन करना और ऐसी मुद्रा के उपयोग की व्यवस्था करना;

(xvi) ऐसे विशेष इंतजाम करना, जो छात्राओं के निवास के लिए आवश्यक हों;

(xvii) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, पदक और पुरस्कार संस्थित करना;

(xviii) अभ्यागत आचार्यों, प्रतिष्ठित आचार्यों, परामर्शदाताओं तथा विद्वानों की नियुक्ति का उपबंध करना और ऐसी नियुक्तियों के निबंधनों और शर्तों का अवधारण करना;

(xix) उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र और अन्य शैक्षणिक अभिधान और उपाधियां प्रदत्त, प्रदान करने के लिए परीक्षाओं और परीक्षणों के परिणाम के आधार पर उपाधियां या डिप्लोमा प्रदान करने को अनुमोदित करना;

(xx) विश्वविद्यालय की किन्हीं संपत्तियों और आस्तियों पर निधिक या आधारित बंधपत्र, बंधक, वचनपत्र या अन्य बाध्यताओं या प्रतिभूतियों पर या किन्हीं प्रतिभूतियों के बिना तथा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जैसा वह उचित समझे, धन जुटाना और उधार लेना और विश्वविद्यालयों की निधियों, धन जुटाने और किसी उधार लिए गए धन के प्रतिसंदाय तथा मोचन के आनुषंगिक सभी व्ययों को अदा करना;

(xxi) ज्ञान की वृद्धि के लिए उद्योग और गैर-सरकारी अभिकरणों के साथ भागीदारी करना और ऐसी भागीदारी के लाभों से एक समग्र निधि स्थापित करना; और

(xxii) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो इस अध्यादेश या परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त किए जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं।

13. (1) विद्या परिषद् निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:— विद्या परिषद्।

(क) कुलपति उसका अध्यक्ष होगा;

(ख) विद्यापीठों के संकायाध्यक्ष;

(ग) विभागाध्यक्ष और केंद्रों के निदेशक;

(घ) कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले विभागाध्यक्ष से भिन्न दो आचार्य;

(ङ) कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले विश्वविद्यालय के दो शिक्षक जिसमें से कम से कम एक सह-आचार्य होगा;

(च) प्रत्येक विद्यापीठ और केंद्रों से मद (ख), मद (ग), मद (घ) और मद (ङ) में निर्दिष्ट से भिन्न एक सदस्य;

(छ) विद्या परिषद् की सिफारिशों पर कुलपति द्वारा उनके विशेष ज्ञान के लिए नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले तीन व्यक्ति जो विश्वविद्यालय के कर्मचारी न हों;

(ज) सभा के दो सदस्य, जिनमें से कोई भी विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय या संस्था का कर्मचारी नहीं होगा।

(2) विश्वविद्यालय का कुलसचिव, विद्या परिषद् का सचिव होगा।

(3) विद्या परिषद् के पदेन सदस्यों से भिन्न सभी सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे और वे कम से कम दो वर्ष की कूलिंग ऑफ अवधि के पश्चात् पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

(4) विद्या परिषद् के अधिवेशनों की गणपूर्ति विद्या परिषद् की स्वीकृत संख्या का आधा होगी।

14. इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के अधीन रहते हुए, विद्या परिषद् को, उसमें निहित अन्य सभी शक्तियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:— विद्या परिषद् की शक्तियां और कृत्य।

(क) विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों का साधारण पर्यवेक्षण करना और शिक्षण के तरीकों, महाविद्यालयों और संस्थाओं में अध्यापन का समन्वय करने, अनुसंधान के मूल्यांकन या शैक्षणिक स्तरों में सुधार के बारे में निदेश देना;

(ख) विद्यापीठों के बीच समन्वय स्थापित करना और बढ़ावा तथा ऐसी समितियों या बोर्डों की स्थापना या नियुक्ति करना जो इस प्रयोजन के लिए आवश्यक समझी जाएं;

(ग) साधारण शैक्षणिक अभिरुचि के विषयों पर स्वप्रेरणा से या किसी विद्यापीठ या कार्य परिषद् द्वारा निर्देश किए जाने पर विचार करना और उन पर समुचित कार्रवाई करना; और

(घ) परिनियमों और अध्यादेशों से संगत ऐसे विनियम और नियम बनाना जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यकरण, अनुशासन, निवास, प्रवेश, अध्येतावृत्तियों और अध्ययनवृत्तियों के दिए जाने और छात्रवृत्तियां, फीस, रियायतों, सामूहिक जीवन और हाजिरी के संबंध में हों;

(ङ) विश्वविद्यालय की प्रमुख उपाधियों और डिप्लोमाओं के लिए अध्ययन के पाठ्यक्रम विहित करना; और

(च) निम्नलिखित मामलों पर कार्य परिषद् को सिफारिश करना:—

(i) शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान के मानकों में सुधार के लिए उपाय करना;

(ii) अध्येतावृत्तियां, यात्रा छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, पदक और पुरस्कार संस्थित करना;

(iii) केंद्रों या विभागों के स्थापन या उत्सादन के बारे में सिफारिशें करना।

योजना और मानीटरी बोर्ड।

15. (1) योजना और मानीटरी बोर्ड निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगा, अर्थात्:—

(i) कुलपति उसका अध्यक्ष होगा;

(ii) कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले तीन आंतरिक सदस्य;

(iii) कार्यकारी परिषद् द्वारा नियुक्त किए जाने वाले विश्वविद्यालय योजना का विशेष ज्ञान रखने वाले तीन विख्यात शिक्षाविद्;

(iv) वित्त अधिकारी;

(v) कुलसचिव, जो सदस्य-सचिव होगा।

(2) योजना और मानीटरी बोर्ड के पदेन सदस्यों के सिवाय अन्य सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी और वह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

(3) योजना और मानीटरी बोर्ड के अधिवेशनों के लिए गणपूर्ति पांच होगी।

(4) योजना और मानीटरी बोर्ड एक वर्ष में कम से कम दो बार अधिवेशन आयोजित करेगा।

योजना और मानीटरी बोर्ड की शक्तियां और कृत्य।

16. (1) योजना और मानीटरी बोर्ड कार्य परिषद् के पर्यवेक्षण के अध्यधीन रहते हुए निम्नलिखित करेगा—

(i) विश्वविद्यालय की संपूर्ण परिप्रेक्ष्य योजना और विकास के लिए उसके उद्देश्यों के अनुरूप उत्तरदायी होगा;

(ii) विश्वविद्यालय के उत्कर्ष का क्षेत्र अवधारित करेगा और अनुसंधान पर जोर वाले क्षेत्रों की पहचान करेगा;

(iii) कार्य परिषद् और विद्या परिषद् को उनके विचार-विमर्श और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले विभिन्न संकायों और विभागों से प्राप्त विकास के प्रस्तावों की परीक्षा करेगा, उन्हें युक्तिसंगत करेगा, उनका समन्वय करेगा;

(iv) विश्वविद्यालय की अनुमोदित योजना के क्रियान्वयन को मानीटर करेगा;

(v) अध्ययन की विद्या शाखा और पाठ्यक्रमों के लिए विद्या परिषद् और कार्य परिषद् को योजना प्रस्तुत करेगा;

(vi) विद्या शाखा और संकाय को पाठ्यक्रमों की पुन:संरचना के संबंध में उपायों और अध्ययन विभागों के मध्य अंतर शिक्षाशाखा अन्योन्यक्रिया के पुर:स्थापन का प्रस्ताव करेगा;

(vii) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो उसे कार्य परिषद् द्वारा समनुदेशित या प्रत्यायोजित की जाए।

(2) शैक्षणिक योजना के संबंध में योजना और मानीटरी बोर्ड तथा विद्या परिषद् के मध्य भिन्न राय होने की दशा में वह मामला कार्य परिषद् को निर्दिष्ट किया जाएगा जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(3) योजना और मानीटरी बोर्ड उसके संपूर्ण पर्यवेक्षण में उसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए योजना सेल की स्थापना करेगा और ऐसी कई समितियों की नियुक्ति करेगा जो वह ऐसे प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे:

परंतु ऐसी समिति के दो–तिहाई सदस्य विश्वविद्यालय के शिक्षकों में से होंगे।

17. (1) विश्वविद्यालय में उतनी विद्यापीठें होंगी, जितनी परिनियमों में विनिर्दिष्ट की जाएं। विद्यापीठें और विभाग।

(2) प्रत्येक विद्यापीठ का एक विद्यापीठ बोर्ड होगा और प्रथम विद्यापीठ बोर्ड के सदस्य, कार्य परिषद् द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

(3) विद्यापीठ बोर्ड की संरचना, शक्तियां और उसके कृत्य अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएंगे।

(4) विद्यापीठ बोर्ड के अधिवेशनों का संचालन और ऐसे अधिवेशनों के लिए अपेक्षित गणपूर्ति अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएगी।

(5)(क) प्रत्येक विद्यापीठ में उतने विभाग होंगे जितने अध्यादेशों द्वारा उसे समनुदेशित किए जाएं:

परंतु कार्य परिषद्, विद्या परिषद् की सिफारिश पर, ऐसे अध्ययन केन्द्र स्थापित कर सकेगी, जिनमें विश्वविद्यालय के उतने शिक्षक लगाए जाएंगे, जितने कार्य परिषद् आवश्यक समझे।

(ख) प्रत्येक विभाग में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

(i) विभाग के शिक्षक;

(ii) विभाग में अनुसंधान करने वाले व्यक्ति;

(iii) विद्यापीठ का संकायाध्यक्ष;

(iv) विभाग से संलग्न मानद आचार्य, यदि कोई हों; और

(v) ऐसे अन्य व्यक्ति, जो अध्यादेशों के उपबंधों के अनुसार विभाग के सदस्य हों।

18.(1) प्रत्येक विभाग में एक अध्ययन बोर्ड होगा। अध्ययन बोर्ड।

(2) अध्ययन बोर्ड का गठन और उसके सदस्यों की पदावधि अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएगी।

(3) विद्या परिषद् के पूर्ण नियंत्रण और अधीक्षण के अधीन रहते हुए अध्ययन बोर्ड के कृत्य विभिन्न उपाधियों के लिए अनुसंधानार्थ विषयों और अनुसंधान उपाधियों की अन्य अपेक्षाओं का अनुमोदन करना तथा संबद्ध विद्यापीठ बोर्ड को ऐसी रीति से, जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाए, निम्नलिखित के बारे में सिफारिश करना—

(क) अध्ययन पाठ्यक्रम और ऐसे पाठ्यक्रमों के लिए, जिसमें अनुसंधान उपाधि नहीं है, परीक्षकों की नियुक्ति;

(ख) अनुसंधान पर्यवेक्षकों की नियुक्ति; और

(ग) अध्यापन और अनुसंधान के स्तर में सुधार के लिए उपाय:

परंतु अध्ययन बोर्ड के उपर्युक्त कृत्यों का पालन, अधिनियम के प्रारंभ के शीघ्र पश्चात् तीन वर्ष की अवधि के दौरान विभाग द्वारा किया जाएगा।

19. (1) वित्त समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:— वित्त समिति।

(i) कुलपति;

(ii) सभा द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक व्यक्ति;

(iii) कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन व्यक्ति जिनमें से कम से कम एक कार्य परिषद् का सदस्य होगा; और

(iv) मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक प्रतिनिधि;

(v) वित्त अधिकारी, उसका सदस्य-सचिव होगा।

(2) वित्त समिति के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति उसके पांच सदस्यों से होगी।

(3) वित्त समिति के पदेन सदस्यों से भिन्न सभी सदस्य तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे।

(4) यदि वित्त समिति का कोई सदस्य उसके किसी विनिश्चय से सहमत नहीं है तो उसे विसम्मति का कार्यवृत्त अभिलिखित करने का अधिकार होगा।

(5) लेखाओं की परीक्षा और व्यय की प्रस्थापनाओं की संवीक्षा करने के लिए वित्त समिति का अधिवेशन प्रत्येक वर्ष में कम से कम दो बार होगा।

(6) पदों के सृजन से संबंधित सभी प्रस्थापनाओं की और उन मदों की, जो बजट में सम्मिलित नहीं की गई हैं, कार्य परिषद् द्वारा उन पर विचार किए जाने से पूर्व, वित्त समिति द्वारा परीक्षा की जाएगी।

(7) वित्त अधिकारी द्वारा तैयार किए गए विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और वित्तीय प्राक्कलन, वित्त समिति के समक्ष विचार तथा टीका-टिप्पणी के लिए रखे जाएंगे और तत्पश्चात् कार्य परिषद् के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे।

(8) वित्त समिति वर्ष के लिए कुल आवर्ती व्यय और कुल अनावर्ती व्यय के लिए सीमाओं की सिफारिश करेगी जो उस विश्वविद्यालय की आय और उसके साधनों पर आधारित होगी (जिनके अंतर्गत, उत्पादक कार्यों की दशा में, उधारों के आगम भी हो सकेंगे)।

चयन समितियां।

20. (1) आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य, कुलसचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, पुस्तकालयाध्यक्ष तथा विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाने वाले महाविद्यालयों और संस्थाओं के प्राचार्यों के पदों पर नियुक्ति के लिए कार्य परिषद् को सिफारिश करने के लिए चयन समितियां होंगी।

(2) (क) नीचे की सारणी के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिए चयन समिति में कुलपति, केंद्रीय सरकार का एक नामनिर्देशिती और उक्त सारणी के स्तंभ 2 में की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट व्यक्ति होंगे:—

सारणी

1	2
आचार्य	(i) विद्यापीठ का संकायाध्यक्ष। (ii) विभागाध्यक्ष, यदि वह आचार्य है। (iii) तीन व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, कार्य परिषद् द्वारा उन नामों के पैनल में से नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे, जिनकी सिफारिश विद्या परिषद् द्वारा उस विषय में, जिससे आचार्य का संबंध होगा, उनके विशेष ज्ञान या रुचि के कारण की गई हो।
सह-आचार्य/सहायक आचार्य	(i) विद्यापीठों का संकायाध्यक्ष। (ii) विभागाध्यक्ष, यदि वह एक आचार्य है। (iii) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट एक आचार्य। (iv) दो व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, कार्य परिषद् द्वारा उन नामों के पैनल में से नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे, जिनकी सिफारिश विद्या परिषद् द्वारा उस विषय में जिससे सह आचार्य या सहायक आचार्य का संबंध होगा, उनके विशेष ज्ञान या रुचि के कारण की गई हो।

कुलसचिव/वित्त अधिकारी/ परीक्षा नियंत्रक	(i) कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट उसके दो सदस्य। (ii) कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट ऐसा एक व्यक्ति जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हो।
पुस्तकालयाध्यक्ष	(i) कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट दो व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, जिन्हें पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय प्रशासन के विषय का विशेष ज्ञान हो। (ii) परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट एक व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हो।

(ख) कर्मचारियों, परामर्शियों, रिटेनरों और अन्य गैर-शैक्षिक पदों पर नियुक्ति के लिए कुलपति को सिफारिश करने के लिए एक चयन समिति होगी और नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पद पर नियुक्ति के लिए चयन समिति स्तंभ 2 में उल्लिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:—

सारणी

1	2
समूह क, ख और ग के गैर-अध्यापन कर्मचारिवृंद	तीन से पांच सदस्यों की एक समिति जिसमें कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले विश्वविद्यालय के एक से तीन ज्येष्ठ अधिकारी और शिक्षक सम्मिलित होंगे और कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले सुसंगत क्षेत्र में विशेषज्ञता वाले दो बाह्य सदस्य होंगे।

टिप्पण 1—जहां नियुक्ति अंतर अनुशासनिक परियोजना के लिए की जा रही हो, वहां परियोजना का प्रधान संबंधित विभाग का अध्यक्ष समझा जाएगा।

टिप्पण 2—कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला आचार्य उस विशिष्ट विषय से संबद्ध आचार्य होगा, जिसके लिए चयन किया जा रहा है और कुलपति, किसी आचार्य को नामनिर्दिष्ट करने से पूर्व विभागाध्यक्ष और विद्यापीठ के संकायाध्यक्ष से परामर्श करेगा।

(3) कुलपति या उसकी अनुपस्थिति में, ज्येष्ठतम आचार्य चयन समिति के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा:

परंतु चयन समिति की कार्यवाहियां तब तक विधिमान्य नहीं होंगी, जब तक—

(क) जहां केंद्रीय सरकार के नामनिर्देशिती और कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों की कुल संख्या चार है, वहां उनमें से कम से कम तीन अधिवेशन में भाग न लें; और

(ख) जहां केंद्रीय सरकार के नामनिर्देशिती और कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों की कुल संख्या तीन है, वहां उनमें से कम से कम दो अधिवेशन में भाग न लें।

(4) चयन समिति द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया अध्यादेशों में अधिकथित की जाएगी।

(5) यदि कार्य परिषद् चयन समिति द्वारा की गई सिफारिशें स्वीकार करने में असमर्थ हो तो वह अपने कारण अभिलिखित करेगी और मामले को अंतिम आदेश के लिए कुलाध्यक्ष को भेजेगी।

(6) अस्थायी पदों पर नियुक्तियां नीचे उपदर्शित रीति में की जाएंगी—

(i) यदि अस्थायी रिक्ति एक शैक्षणिक सत्र से अधिक की अवधि के लिए हो तो वह पूर्वगामी खंडों में उपदर्शित प्रक्रिया के अनुसार चयन समिति की सलाह से भरी जाएगी:

परंतु यदि कुलपति का यह समाधान हो जाता है कि काम के हित में रिक्ति का भरा जाना आवश्यक है तो नियुक्ति उपखंड (ii) में निर्दिष्ट स्थानीय चयन समिति की सलाह से केवल अस्थायी आधार पर छह मास से अनधिक अवधि के लिए की जा सकेगी;

(ii) यदि अस्थायी रिक्ति एक वर्ष से कम की अवधि के लिए है तो ऐसी रिक्ति पर नियुक्ति स्थानीय

चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी जिसमें परिसर का निदेशक या संबद्ध विद्यापीठ का संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष और कुलपति का एक नामनिर्देशिती होगा:

परंतु यदि एक ही व्यक्ति संकायाध्यक्ष और विभागाध्यक्ष का पद धारण करता है तो चयन समिति में कुलपति के दो नामनिर्देशिती हो सकेंगे:

परंतु यह और कि मृत्यु के कारण या अन्य किसी कारण अध्यापन पदों में हुई अचानक आकस्मिक रिक्ति की दशा में, संकायाध्यक्ष संबंधित विभागाध्यक्ष के परामर्श से एक मास के लिए अस्थायी नियुक्ति कर सकेगा और ऐसी नियुक्ति की रिपोर्ट कुलपति और कुलसचिव को देगा;

(iii) यदि परिनियमों के अधीन अस्थायी तौर पर नियुक्त किए गए किसी शिक्षक की सिफारिश नियमित चयन समिति द्वारा नहीं की जाती है तो वह तब तक ऐसे अस्थायी नियोजन पर सेवा में नहीं बना रहेगा जब तक, यथास्थिति, अस्थायी या स्थायी नियुक्ति के लिए स्थानीय चयन समिति या नियमित चयन समिति द्वारा बाद में उसका चयन नहीं कर लिया जाता।

नियुक्ति का विशेष ढंग।

21. (1) परिनियम 20 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कार्य परिषद् विद्या संबंधी उच्च विशेष उपाधि और वृत्तिक योग्यता वाले व्यक्ति को ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, विश्वविद्यालय में, आचार्य या सह-आचार्य का पद अथवा कोई अन्य शैक्षणिक पद स्वीकार करने के लिए आमंत्रित कर सकेगी और उस व्यक्ति के ऐसा करने के लिए सहमत होने पर वह उसे उस पद पर नियुक्त कर सकेगी:

परंतु कार्य परिषद् ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अधिसंख्य पदों का सृजन भी कर सकेगी:

परंतु यह और कि इस प्रकार सृजित अधिसंख्य पदों की संख्या विश्वविद्यालय में कुल पदों के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(2) कार्य परिषद्, अध्यादेशों में अधिकथित रीति के अनुसार किसी संयुक्त परियोजना का जिम्मा लेने के लिए किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्य करने वाले किसी शिक्षक या अन्य शैक्षणिक कर्मचारी को नियुक्त कर सकेगी।

नियत अवधि के लिए नियुक्ति।

22. कार्य परिषद् परिनियम 20 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार चयन किए गए किसी व्यक्ति को एक नियत अवधि के लिए ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, नियुक्त कर सकेगी।

समितियां।

23. (1) विश्वविद्यालय का कोई प्राधिकारी, उतनी समितियां स्थापित कर सकेगा जितनी वह ठीक समझे और ऐसी समितियों में उन व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगा, जो उस प्राधिकारी के सदस्य नहीं हैं।

(2) उपखंड (1) के अधीन नियुक्त समिति किसी ऐसे विषय में कार्यवाही कर सकेगी जो उसे प्रत्यायोजित की जाए, किंतु वह नियुक्त करने वाले प्राधिकारी द्वारा बाद में पुष्टि के अधीन होगी।

शिक्षकों की सेवा के निबंधन और शर्तें तथा आचार संहिता, आदि।

24. (1) विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद, तत्प्रतिकूल किसी करार के अभाव में, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों में विनिर्दिष्ट सेवा के निबंधनों और शर्तों तथा आचार संहिता द्वारा शासित होंगे।

(2) शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्यों की उपलब्धियां वे होंगी जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएं।

(3) विश्वविद्यालय का प्रत्येक शिक्षक और शैक्षणिक कर्मचारिवृंद का सदस्य लिखित संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाएगा, जिसका प्ररूप अध्यादेशों द्वारा विहित किया जाएगा।

(4) खंड (3) में निर्दिष्ट प्रत्येक संविदा की एक प्रति कुलसचिव के पास रखी जाएगी।

अन्य कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें तथा आचार संहिता।

25. (1) शिक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद से भिन्न विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारी, तत्प्रतिकूल किसी संविदा के अभाव में, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों में यथाविनिर्दिष्ट सेवा के निबंधनों और शर्तों तथा आचार संहिता द्वारा शासित होंगे।

(2) शिक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद से भिन्न कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति और परिलब्धियां वे होंगी, जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाए।

26. (1) जब कभी, इन परिनियमों के अनुसार, किसी व्यक्ति को ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से विश्वविद्यालय का कोई पद धारण करना है या उसके किसी प्राधिकारी का सदस्य होना है, तो उस ज्येष्ठता का अवधारण उस व्यक्ति के, उसके ग्रेड में लगातार सेवाकाल और ऐसे अन्य सिद्धांतों के अनुसार होगा, जो कार्य परिषद् समय-समय पर, विहित करे। ज्येष्ठता सूची।

(2) कुलसचिव का यह कर्तव्य होगा कि जिन व्यक्तियों को इन परिनियमों के उपबंध लागू होते हैं उनके प्रत्येक वर्ग की बाबत एक संपूर्ण और अद्यतन जयेष्ठता सूची खंड (1) के उपबंधों के अनुसार तैयार करे और बनाए रखे।

(3) यदि दो या अधिक व्यक्तियों का किसी विशिष्ट ग्रेड में लगातार सेवाकाल बराबर हो अथवा किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों की सापेक्ष ज्येष्ठता के विषय में अन्यथा संदेह हो तो कुलसचिव स्वप्रेरणा से वह मामला कार्य परिषद् को प्रस्तुत कर सकेगा और यदि वह व्यक्ति ऐसा अनुरोध करता है तो वह मामला कार्य परिषद् को प्रस्तुत करेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

27. (1) जहां विश्वविद्यालय के किसी शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के किसी सदस्य या किसी अन्य कर्मचारी के विरुद्ध किसी अवचार का अभिकथन हो वहां शिक्षक या शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य के मामले में कुलपति और अन्य कर्मचारी के मामले में नियुक्ति करने के लिए सक्षम प्राधिकारी (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियुक्ति प्राधिकारी कहा गया है) लिखित आदेश द्वारा, यथास्थिति, ऐसे शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य या अन्य कर्मचारी को निलंबित कर सकेगा और कार्य परिषद् को उन परिस्थितियों की तुरन्त रिपोर्ट देगा, जिनमें वह आदेश किया गया था: विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का हटाया जाना।

परंतु यदि कार्य परिषद् की यह राय है कि मामले की परिस्थितियां ऐसी नहीं हैं कि शिक्षक या शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य का निलंबन होना चाहिए तो वह उस आदेश को प्रतिसंहृत कर सकेगी।

(2) कर्मचारियों की नियुक्ति की संविदा के निबंधनों में या सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों में किसी बात के होते हुए भी, शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के संबंध में कार्य परिषद् और अन्य कर्मचारियों के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी को, यथास्थिति, शिक्षक या शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य अथवा अन्य कर्मचारी को अवचार के आधार पर हटाने की शक्ति होगी।

(3) यथापूर्वोक्त के सिवाय, यथास्थिति, कार्य परिषद् या नियुक्ति प्राधिकारी किसी शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य या अन्य कर्मचारी को हटाने के लिए तभी हकदार होगा, जब उसके लिए उचित कारण हो, और उसे तीन मास की सूचना दे दी गई हो या सूचना के बदले में तीन मास के वेतन का संदाय किया गया हो, अन्यथा नहीं।

(4) किसी शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य या अन्य कर्मचारी को खंड (2) या खंड (3) के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा, जब तक उसे उसके बारे में की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

(5) शिक्षक, शैक्षिक कर्मचारिवृंद के सदस्य और किसी अन्य नियमित नियुक्त कर्मचारी को हटाने के लिए कार्य परिषद् के उपस्थित और मतदान करने वाले दो-तिहाई सदस्यों का बहुमत अपेक्षित होगा और वह उस तारीख से प्रभावी होगा जिस तारीख को ऐसे हटाए जाने का आदेश प्रभावी होता है:

परंतु जहां कोई शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद का सदस्य या अन्य कर्मचारी हटाए जाने के समय निलंबित है, वहां उसका हटाया जाना उस तारीख से प्रभावी होगा, जिसको वह निलंबित किया गया था।

(6) इस परिनियम के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, कोई शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचरिवृंद का सदस्य या अन्य कर्मचारी,—

(क) यदि वह स्थायी कर्मचारी है तो, यथास्थिति, कार्य परिषद् या नियुक्ति प्राधिकारी को तीन मास की लिखित सूचना देने या उसके बदले में तीन मास का वेतन देने के पश्चात् ही पद त्याग सकेगा;

(ख) यदि वह स्थायी कर्मचारी नहीं है तो, यथास्थिति, कार्य परिषद् या नियुक्ति प्राधिकारी को एक मास की लिखित सूचना देने या उसके बदले में एक मास का वेतन देने के पश्चात् ही पद त्याग सकेगा:

परंतु ऐसा त्यागपत्र केवल उस तारीख से प्रभावी होगा, जिसको, यथास्थिति, कार्य परिषद् या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा वह त्यागपत्र स्वीकार किया जाता है।

मानद उपाधि।

28. (1) कार्य परिषद्, विद्या परिषद् की सिफारिश पर और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा कुलाध्यक्ष से मानद उपाधियां प्रदान करने की प्रस्थापना कर सकेगी:

परंतु आपातस्थिति की दशा में, कार्य परिषद् स्वप्रेरणा से ऐसी प्रस्थापना कर सकेगी।

(2) कार्य परिषद्, उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, कुलाध्यक्ष की पूर्व मंजूरी से, विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त किसी मानद उपाधि को वापस ले सकेगी।

उपाधियों, आदि का वापस लिया जाना।

29. कार्य परिषद्, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित विशेष संकल्प द्वारा किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कोई उपाधि या विद्या संबंधी विशेष उपाधि या दिए गए किसी प्रमाणपत्र या डिप्लोमा को उचित और पर्याप्त कारण से वापस ले सकेगी:

परंतु इस आशय का कोई संकल्प तभी पारित किया जाएगा, जब उस व्यक्ति को ऐसे समय के भीतर, जो उस सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, यह हेतुक दर्शित करने की लिखित सूचना न दे दी जाए कि ऐसा संकल्प क्यों न पारित कर दिया जाएगा और जब तक कार्य परिषद् द्वारा उसके आक्षेपों पर, यदि कोई हो, और किसी ऐसे साक्ष्य पर, जो वह उनके समर्थन में प्रस्तुत करे, विचार नहीं कर लिया जाता है।

विश्वविद्यालयों के छात्रों में अनुशासन बनाए रखना।

30. (1) विश्वविद्यालय के छात्रों के संबंध में अनुशासन बनाए रखने और अनुशासनिक कार्रवाई संबंधी सभी शक्तियां कुलपति में निहित होंगी।

(2) खंड (1) में निर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करने में कुलपति की सहायता करने के लिए विश्वविद्यालय का एक कुलानुशासक होगा जिसकी अध्यादेशों द्वारा विहित रीति में आचार्यों और सह-आचार्यों में से कार्य परिषद् द्वारा नियुक्ति की जाएगी।

(3) कुलपति, खंड (1) में निर्दिष्ट सभी शक्तियां या उनमें से कोई, जो वह उचित समझे, कुलानुशासक और ऐसे अन्य अधिकारियों को, जिन्हें वह इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(4) कुलपति, अनुशासन बनाए रखने की तथा ऐसी कार्रवाई करने की, जो उसे अनुशासन बनाए रखने के लिए समुचित प्रतीत हो, अपनी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी शक्तियों के प्रयोग में आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि किसी छात्र या किन्हीं छात्रों को किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए निकाला या निष्कासित किया जाए अथवा विश्वविद्यालय के किसी महाविद्यालय, संस्था, विभाग या विद्यापीठ में किसी पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों में कथित अवधि के लिए प्रवेश न दिया जाए अथवा उसे उतने जुर्माने का दंड दिया जाए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट है अथवा उसे विश्वविद्यालय या महाविद्यालय, संस्था या विभाग या किसी विद्यापीठ द्वारा संचालित परीक्षा या परीक्षाओं में सम्मिलित होने से एक या अधिक वर्षों के लिए विवर्जित किया जाए अथवा संबंधित छात्र या छात्रों का, किसी परीक्षा या किन्हीं परीक्षाओं का, जिसमें वह या वे सम्मिलित हुआ है या हुए हैं, परीक्षाफल रोक लिया जाए या रद्द कर दिया जाए।

(5) परिसर, संस्थाओं के निदेशकों, विद्यापीठों के संकायाध्यक्षों तथा विश्वविद्यालय में अध्यापन विभागों के अध्यक्षों को यह प्राधिकार होगा कि वे अपने-अपने महाविद्यालयों, परिसरों, संस्थाओं, विद्यापीठों और विश्वविद्यालय में अध्यापन विभागों में छात्रों पर ऐसी सभी अनुशासनिक शक्तियों का प्रयोग करें, जो उन महाविद्यालयों, परिसरों, संस्थाओं, विद्यापीठों और विभागों में अध्यापन के उचित संचालन के लिए आवश्यक हों।

(6) कुलपति तथा प्राचार्यों और खंड (5) में विनिर्दिष्ट अन्य व्यक्तियों की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अनुशासन और उचित आचरण संबंधी विस्तृत नियम विश्वविद्यालय द्वारा बनाए जाएंगे और महाविद्यालयों, संस्थाओं के प्राचार्य, विद्यापीठों के संकायाध्यक्ष और विश्वविद्यालय के अध्यापन विभागों के अध्यक्ष ऐसे अनुपूरक नियम बना सकेंगे, जो वे इसमें कथित प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझें।

(7) प्रवेश के समय, प्रत्येक छात्र से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह इस आशय की घोषणा पर हस्ताक्षर करे कि वह अपने को कुलपति की तथा विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों की अनुशासनिक अधिकारिता के अधीन अर्पित करता है।

31. उपाधियां प्रदान करने या अन्य प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह उस रीति से किए जाएंगे, जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएं। दीक्षांत समारोह।

32. जहां विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी की किसी समिति के अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए किसी अध्यक्ष या सभापति का उपबंध नहीं किया गया है अथवा जिस अध्यक्ष या सभापति के लिए इस प्रकार का उपबंध किया गया है वह अनुपस्थित है तो उपस्थित सदस्य ऐसे अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए अपने में से एक सदस्य को निर्वाचित कर लेंगे। अधिवेशनों का कार्यकारी अध्यक्ष।

33. सभा, कार्य परिषद्, विद्या परिषद् या विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी की किसी समिति के पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य कुलसचिव को संबोधित पत्र द्वारा पद त्याग कर सकेगा और ऐसा पत्र कुलसचिव को प्राप्त होते ही पदत्याग प्रभावी हो जाएगा। त्यागपत्र।

34. (1) कोई भी व्यक्ति विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों में से किसी का सदस्य चुने जाने और होने या किसी अधिकारी के रूप में चुने जाने या होने के लिए निरर्हित होगा, यदि— निरर्हता।

(i) वह विकृतचित है;

(ii) वह अनुन्मोचित दिवालिया है;

(iii) वह किसी ऐसे अपराध के लिए किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है, जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है और उसकी बाबत छह मास से अन्यून कारावास से दंडादिष्ट किया गया है।

(2) यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति खंड (1) में वर्णित निरर्हताओं में से किसी एक के अधीन है या रहा है तो वह प्रश्न कुलाध्यक्ष को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा और ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद या अन्य कार्यवाही नहीं होगी।

35. परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी, ऐसा कोई व्यक्ति, जो भारत में मामूली तौर पर निवासी नहीं है, विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं होगा। सदस्यता और पद के लिए निवास की शर्तें।

36. परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति जो विश्वविद्यालय में कोई पद धारण करता है या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय का किसी विशिष्ट प्राधिकारी या निकाय के सदस्य की अपनी हैसियत में सदस्य है या कोई विशिष्ट नियुक्ति धारित करता है, ऐसा पद तब तक धारण करेगा या सदस्य तब तक ही रहेगा जब तक वह, यथास्थिति, उस विशिष्ट प्राधिकारी या निकाय का सदस्य बना रहता है या उस विशिष्ट नियुक्ति को धारित करता रहता है। अन्य निकायों की सदस्यता के आधार पर प्राधिकारियों की सदस्यता।

37. (1) विश्वविद्यालय का एक पूर्वछात्र संगम होगा। पूर्वछात्र संगम।

(2) पूर्वछात्र संघ का सदस्य अभिदाय अध्यादेशों द्वारा विहित किया जाएगा।

(3) पूर्वछात्र संघ का कोई भी सदस्य तब तक मत देने का या निर्वाचन में खड़े होने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि वह निर्वाचन तारीख से कम से कम एक वर्ष पहले से संघ का सदस्य नहीं हो और विश्वविद्यालय की कम से कम पांच वर्ष की अवधि की डिग्री का धारक न हो:

परंतु यह कि पहले निर्वाचन की दशा में एक वर्ष की सदस्यता अवधि की शर्त लागू नहीं होगी।

38. (1) प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिए विश्वविद्यालय में एक विद्यार्थी परिषद् गठित की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे— विद्यार्थी परिषद्।

(i) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष, जो विद्यार्थी परिषद् का अध्यक्ष होगा;

(ii) बीस विद्यार्थी, जो अध्ययन, खेलकूद, पाठ्येतर गतिविधियों और व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में योग्यता के आधार पर नामित किए जाएंगे; और

(iii) विद्यार्थियों के प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित बीस छात्र:

परंतु यह कि विश्वविद्यालय के किसी विद्यार्थी को, यदि अध्यक्ष द्वारा अनुज्ञात किया जाए तो विद्यार्थी परिषद् के समक्ष विश्वविद्यालय से संबंधित कोई मुद्दा लाने का अधिकार होगा और जब किसी बैठक में उस मुद्दे पर विचार किया जाए तो उसे विचार-विमर्श में भाग लेने का अधिकार होगा।

(2) विद्यार्थी परिषद् के ये कृत्य होंगे कि वह विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारियों को अध्ययन के कार्यक्रमों, छात्र कल्याण और अन्य महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में सामान्यतया विश्वविद्यालय के कार्य करने की बाबत सुझाव दे और ऐसे सुझाव मतैक्यता के आधार पर दिए जाएंगे।

(3) विद्यार्थी परिषद् शैक्षणिक वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करेगी और परिषद् की पहली बैठक शैक्षणिक-सत्र के प्रारंभ में होगी।

अध्यादेश कैसे बनाए जाएंगे।

39. (1) धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन बनाए गए प्रथम अध्यादेश, कार्य परिषद् द्वारा निम्नलिखित खंडों में विनिर्दिष्ट रीति से किसी भी समय संशोधित, निरसित या परिवर्धित किए जा सकेंगे।

(2) धारा 29 की उपधारा (1) में प्रगणित मामलों के संबंध में कार्य परिषद् द्वारा कोई अध्यादेश तब तक नहीं बनाया जाएगा, जब तक कि ऐसे अध्यादेश का प्रारूप विद्या परिषद् द्वारा प्रस्थापित नहीं किया गया हो।

(3) कार्य परिषद् को इस बात की शक्ति नहीं होगी कि वह विद्या परिषद् द्वारा खंड (2) के अधीन प्रस्थापित किसी अध्यादेश के प्रारूप का संशोधन करे, किंतु वह प्रस्थापना को नामंजूर कर सकेगी या विद्या परिषद् के पुनर्विचार के लिए उस संपूर्ण प्रारूप को या उसके किसी भाग को उन किन्हीं संशोधनों सहित, जिनका सुझाव कार्य परिषद् दे, वापस भेज सकेगी।

(4) जहां कार्य परिषद् ने विद्या परिषद् द्वारा प्रस्थापित किसी अध्यादेश के प्रारूप को नामंजूर कर दिया है या उसे वापस कर दिया है, वहां विद्या परिषद् उस प्रश्न पर नए सिरे से विचार कर सकेगी और उस दशा में जब मूल प्रारूप उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई और विद्या परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या के आधे से अधिक बहुमत से पुन: अभिपुष्ट कर दिया जाता है तब प्रारूप, कार्य परिषद् को वापस भेजा जा सकेगा जो या तो उसे मान लेगी या उसे कुलाध्यक्ष को निर्देशित कर देगी, जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(5) कार्य परिषद् द्वारा बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश तुरन्त प्रभावी होगा।

(6) कार्य परिषद् द्वारा बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश उसके अंगीकार किए जाने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाएगा।

(7) कुलाध्यक्ष को, विश्वविद्यालय को यह निदेश देने की शक्ति होगी कि वह किसी अध्यादेश के प्रवर्तन को निलंबित कर दे।

(8) कुलाध्यक्ष, कार्य परिषद् को खंड (7) में निर्दिष्ट अध्यादेश पर अपने आक्षेप के बारे में सूचित करेगा और विश्वविद्यालय से टिप्पणी प्राप्त कर लेने के पश्चात् वह या तो अध्यादेश का निलंबन करने वाले आदेश को वापस ले लेगा या अध्यादेश को नामंजूर कर देगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

विनियम।

40. (1) विश्वविद्यालय के प्राधिकारी निम्नलिखित विषयों के बारे में इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों से संगत विनियम बना सकेंगे, अर्थात्:—

(i) उनके अधिवेशनों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया अधिकथित करना और गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या;

(ii) उन सभी विषयों के लिए उपबंध करना, जिनका विनियमों द्वारा विहित किया जाना इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा अपेक्षित है; और

(iii) ऐसे सभी अन्य विषयों के लिए उपबंध करना, जो केवल ऐसे प्राधिकारियों या उनके द्वारा नियुक्त समितियों से संबंधित हो और जिनके लिए इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा उपबंध न किया गया हो।

(2) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकारी ऐसे प्राधिकारी के सदस्यों को अधिवेशनों की तारीखों और उन अधिवेशनों में विचारार्थ कार्य की सूचना देने और अधिवेशनों की कार्यवाही का अभिलेख रखने के लिए विनियम बनाएगा।

(3) कार्य परिषद् इन परिनियमों के अधीन बनाए गए किसी विनियम का ऐसी रीति से, जो वह विनिर्दिष्ट करे, संशोधन या किसी ऐसे विनियम के निष्प्रभाव किए जाने का निदेश दे सकेगी।

भारत में और भारत के बाहर परिसर का स्थापन।

41. (1) परिसर का स्थापन और उसका उत्सादन इन परिनियमों द्वारा शासित होगा परंतु उस पर कुलाध्यक्ष की सहमति प्राप्त की जाएगी।

(2) परिसर के स्थापन और उत्सादन के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, अध्यादेशों में यथाविहित होगी।

दूरस्थ शिक्षा प्रणाली।

42. (1) इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए विश्वविद्यालय अध्यादेशों में यथाविहित एक दूरस्थ शिक्षा प्रणाली रखेगा।

(2) दूरस्थ शिक्षा प्रणाली की संरचना, शक्तियां और कृत्य वे होंगे जो अध्यादेशों में विहित किए जाएं।

शक्तियों का प्रत्यायोजन।

43. इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी या प्राधिकारी अपनी कोई शक्ति, अपने या उसके नियंत्रण में के किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी या व्यक्ति को इस शर्त के अधीन रहते हुए प्रत्यायोजित कर सकेगा कि इस प्रकार प्रत्यायोजित शक्तियों के प्रयोग का संपूर्ण उत्तरदायित्व ऐसी शक्तियों का प्रत्यायोजन करने वाले अधिकारी या प्राधिकारी में निहित बना रहेगा।

कुलाध्यक्ष के साथ पत्राचार।

44. विश्वविद्यालय या उसके प्राधिकारियों अथवा अधिकारियों द्वारा कुलाध्यक्ष से सभी पत्राचार केंद्रीय सरकार के माध्यम से किए जाएंगे।

आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2020

(2020 का अधिनियम संख्यांक 16)

[21 सितम्बर, 2020]

आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान की स्थापना और उसे आयुर्वेद और सहबद्ध शाखाओं शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण की क्वालिटी तथा उत्कृष्टता के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में घोषित करने तथा उससे सम्बद्ध और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2020 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबन्धों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान को राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में घोषित किया जाना।

2. यह घोषित किया जाता है कि इस अधिनियम के अधीन निगमित आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान राष्ट्रीय महत्व की एक संस्था होगी।

परिभाषाएं।

3. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(**क**) ''पूर्ववर्ती संस्था'' से आयुर्वेद स्नातकोत्तर शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, जामनगर, श्री गुलाबकुंवरबा आयुर्वेद महाविद्यालय, जामनगर और भारतीय आयुर्वेद भेषज विज्ञान संस्थान, जामनगर अभिप्रेत हैं;

(**ख**) ''स्वास्थ्यवृत्त विभाग'' से संस्थान के विभाग के रूप में स्थापित किया जाने वाला महर्षि पंतजलि योग प्राकृतिक चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, जामनगर अभिप्रेत है जो गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय का घटक संस्थान है;

(**ग**) ''निदेशक'' से धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त संस्थान का निदेशक अभिप्रेत है;

(घ) ''निधि'' से धारा 15 के अधीन अनुरक्षित संस्थान की निधि अभिप्रेत है;

(ङ) ''शासी निकाय'' से धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन गठित निकाय अभिप्रेत है;

(**च**) ''गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय'' से गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम, 1965 के अधीन स्थापित तथा निगमित विश्वविद्यालय अभिप्रेत है; 1965 का गुजरात अधिनियम 40

(**छ**) ''भारतीय आयुर्वेद भेषज विज्ञान संस्थान, जामनगर'' से गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय द्वारा आयुर्वेद में भेषज पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए स्थापित संस्था अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत संस्थान के चिकित्सालय में प्रयोग के लिए आयुर्वेदिक औषधि तैयार करने के लिए स्थापित भेषजी इकाई भी है;

(**ज**) ''संस्थान'' से समूहबद्ध किए गए पूर्ववर्ती संस्थानों द्वारा स्थापित और धारा 4 के अधीन निगमित आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान अभिप्रेत है;

(**झ**) ''आयुर्वेद स्नातकोत्तर शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, जामनगर'' से भारत सरकार द्वारा स्थापित और वित्तपोषित, किन्तु भारत सरकार और विश्वविद्यालय के बीच हुए पट्टा करार के अधीन गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित आयुर्वेद में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए कोई राष्ट्रीय संस्थान अभिप्रेत है;

(ञ) ''सदस्य'' से संस्थान का कोई सदस्य अभिप्रेत है;

(**ट**) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(**ठ**) ''विनियम'' से संस्थान द्वारा बनाया गया कोई विनियम अभिप्रेत है;

(**ड**) ''श्री गुलाबकुंवरबा आयुर्वेद महाविद्यालय जामनगर'' से आयुर्वेद में स्नातक पूर्व पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय का घटक संस्थान अभिप्रेत है।

अध्याय 2

संस्थान

पूर्ववर्ती संस्थानों की आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान के रूप में स्थापना और निगमन।

4. (1) पूर्ववर्ती संस्थान अर्थात्, आयुर्वेद स्नातकोत्तर शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, जामनगर, श्री गुलाबकुंवरबा आयुर्वेद महाविद्यालय, जामनगर और भारतीय आयुर्वेद भेषज विज्ञान संस्थान, जामनगर को इस अधिनियम के अधीन एक निगमित निकाय के रूप में समूहबद्ध और स्थापित किया जाता है और ऐसे निगमन पर इन्हें आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान कहा जाएगा।

(2) संस्थान का शाश्वत् उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी और उसे जंगम तथा स्थावर दोनों ही प्रकार की संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने तथा संविदा करने की शक्ति होगी और वह उस नाम से वाद ला सकेगा या उस पर वाद लाया जा सकेगा।

पूर्ववर्ती संस्थानों के आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान के रूप में निगमन का प्रभाव।

5. इस अधिनियम के प्रारम्भ से ही,—

(क) इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि में या किसी संविदा या अन्य लिखत में पूर्ववर्ती संस्थान के प्रति किसी निर्देश के बारे में यह समझा जाएगा कि वह संस्थान के प्रति निर्देश है;

(ख) पूर्ववर्ती संस्थानों की सभी जंगम और स्थावर संपत्ति या वस्तुएं संस्थान में निहित होंगी;

(ग) पूर्ववर्ती संस्थानों के सभी अधिकार और दायित्व संस्थान को अंतरित हो जाएंगे और संस्थान के अधिकार और दायित्व होंगे;

(घ) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो ऐसे प्रारम्भ के ठीक पहले पूर्ववर्ती संस्थान में नियोजित है, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संस्थान का कर्मचारी हो जाएगा और उसमें अपना पद या सेवा, उसी अवधि तक, उसी पारिश्रमिक पर और उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर तथा पेंशन, छुट्टी, उपदान, भविष्य निधि और अन्य मामलों के संबंध में उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों सहित उसी प्रकार धारण करेगा, जैसा वह तब धारण करता, यदि यह अधिनियम पारित न हुआ होता और ऐसा पद तब तक धारण करता रहेगा, जब तक उसका नियोजन समाप्त नहीं कर दिया जाता है या जब तक ऐसी सेवाधृति, पारिश्रमिक तथा निबंधन और शर्तें सम्यक् रूप से परिवर्तित नहीं कर दी जाती हैं:

परंतु यदि इस प्रकार किया गया परिवर्तन ऐसे कर्मचारी को स्वीकार्य नहीं है तो उसका नियोजन संस्थान द्वारा उस कर्मचारी के साथ की गई संविदा के निबंधनों के अनुसार या यदि उस निमित्त, उसमें कोई उपबंध नहीं किया गया है तो संस्थान द्वारा उसके स्थायी कर्मचारियों की दशा में, कम से कम तीन मास के पारिश्रमिक और अन्य कर्मचारियों की दशा में, कम से कम एक मास के पारिश्रमिक के समतुल्य प्रतिकर के संदाय पर उनका नियोजन समाप्त किया जा सकेगा;

(ङ) आयुर्वेद स्नातकोत्तर शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, जामनगर के निदेशक को इस अधिनियम के अधीन संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया समझा जाएगा और वह ऐसे प्रारंभ से पांच वर्ष की अवधि के लिए या उसके पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा;

(च) श्री गुलाबकुंवरबा आयुर्वेद महाविद्यालय, जामनगर और भारतीय आयुर्वेद भेषज विज्ञान संस्थान, जामनगर के निदेशकों को इस अधिनियम के अधीन क्रमशः उपनिदेशक (स्नातक पूर्व) और उपनिदेशक (भेषज) के रूप में नियुक्त किया गया समझा जाएगा और वे ऐसे प्रारंभ से पांच वर्ष की अवधि के लिए या उनके पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेंगे;

(छ) ऐसे प्रारंभ से पूर्व पूर्ववर्ती संस्थान में कोई विद्या संबंधी या अनुसंधान पाठ्यक्रम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को संस्थान के पाठ्यक्रम के उसी स्तर पर संस्थान में प्रव्रजित और रजिस्ट्रीकृत समझा जाएगा;

(ज) ऐसे प्रारंभ के ठीक पूर्व पूर्ववर्ती संस्थानों द्वारा या उनके विरुद्ध संस्थित या संस्थित किए जा सकने वाले ऐसे सभी वाद और अन्य विधिक कार्यवाहियां, संस्थान द्वारा या उसके विरुद्ध चालू या संस्थित रखी जाएंगी।

संस्थान की संरचना।

6. (1) संस्थान निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात्:—

(क) आयुष मंत्रालय का भारसाधक मंत्री, पदेन;

(ख) सचिव, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, पदेन;

(ग) सचिव, स्वास्थ्य विभाग, गुजरात सरकार, पदेन;

(घ) संस्थान का निदेशक, पदेन;

(ङ) आयुष मंत्रालय में आयुर्वेद का तकनीकी प्रधान जो सलाहकार (आयुर्वेद) की पंक्ति से नीचे का न हो, पदेन;

(च) सचिव, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, भारत सरकार अथवा उसका नामनिर्देशिती, (जो संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो), पदेन;

(छ) गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर का कुलपति,पदेन;

(ज) केन्द्रीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद् का महानिदेशक, पदेन;

(झ) सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, भारत सरकार या उसका नामनिर्देशिती (जो संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो), पदेन;

(ञ) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले शिक्षा, उद्योग और अनुसंधान के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाले तीन आयुर्वेद के विशेषज्ञ;

(ट) संसद् के तीन सदस्य, जिनमें से दो लोक सभा के सदस्यों द्वारा अपने में से और एक राज्य सभा के सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित किए जाएंगे।

(2) यह घोषित किया जाता है कि संस्थान के सदस्य का पद उसके धारक को संसद् के किसी सदन के सदस्य के रूप में चुने जाने या होने के लिए निरर्हित नहीं करेगा।

सदस्यों की पदावधि और उनके बीच होने वाली रिक्तियां।

7. (1) इस धारा में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, सदस्य जिसके अंतर्गत संस्थान के नामनिर्देशित और निर्वाचित सदस्य भी हैं, की पदावधि उसके नामनिर्देशन या निर्वाचन की तारीख से पांच वर्ष होगी।

(2) धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (ट) के अधीन निर्वाचित सदस्य की पदावधि, जैसे ही वह कोई मंत्री या राज्य मंत्री या उप मंत्री या लोक सभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अथवा राज्य सभा का उप सभापति बन जाता है या उस सदन का, जिससे वह निर्वाचित किया गया था, सदस्य नहीं रह जाता है, समाप्त हो जाएगी।

(3) पदेन सदस्य की पदावधि तब तक बनी रहेगी जब तक वह उस पद को धारण किए रहता है जिसके आधार पर वह ऐसा सदस्य है।

(4) आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नामनिर्देशित या निर्वाचित सदस्य की पदावधि उस सदस्य की शेष अवधि के लिए होगी, जिसके स्थान पर वह नामनिर्देशित या निर्वाचित किया गया है।

(5) पद छोड़ने वाला कोई सदस्य, जब तक केन्द्रीय सरकार अन्यथा निदेश न दे, उसके स्थान पर सदस्य के रूप में किसी अन्य व्यक्ति के नामनिर्देशित या निर्वाचित किए जाने तक, पद पर बना रहेगा।

(6) सदस्य, केन्द्रीय सरकार को संबोधित और स्वहस्ताक्षरित पत्र द्वारा, अपना पद त्याग सकेगा किन्तु वह अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक सरकार उसका त्यागपत्र स्वीकार नहीं कर लेती।

(7) सदस्यों के मध्य रिक्तियां भरने की रीति वह होगी जो विहित की जाए।

संस्थान का सभापति।

8. (1) संस्थान का एक सभापति होगा, जो संस्थान के निदेशक से भिन्न उसके सदस्यों में से केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(2) सभापति ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो इस अधिनियम में अधिकथित किए जाएं या जो विहित किए जाएं।

(3) सभापति और अन्य सदस्य संस्थान से ऐसे भत्ते प्राप्त करेंगे जो विहित किए जाएं।

संस्थान की बैठकें।

9. संस्थान अपनी पहली बैठक ऐसे समय और स्थान पर करेगा जो केन्द्रीय सरकार नियत करे और पहली बैठक में कारबार के संव्यवहार के संबंध में प्रक्रिया के उन नियमों का पालन करेगा जो उस सरकार द्वारा अधिकथित किए जाएं; और तत्पश्चात्, संस्थान ऐसे समयों और स्थानों पर अपनी बैठक करेगा और अपनी बैठकों में गणपूर्ति सहित कारबार के संव्यवहार के संबंध में प्रक्रिया के उन नियमों का पालन करेगा जो विनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

संस्थान का शासी निकाय और अन्य समितियां।

10. (1) संस्थान का एक शासी निकाय होगा जिसका गठन संस्थान द्वारा ऐसी रीति से किया जाएगा जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(2) शासी निकाय, संस्थान की कार्यकारिणी समिति होगा और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो संस्थान, इस निमित्त बनाए गए विनियमों द्वारा उसे प्रदत्त या उस पर अधिरोपित करे।

(3) संस्थान का सभापति शासी निकाय का अध्यक्ष होगा और उसके अध्यक्ष के रूप में वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(4) शासी निकाय द्वारा अपनी शक्तियों के प्रयोग और अपने कृत्यों के निर्वहन में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया तथा शासी निकाय के सदस्यों की पदावधि और उनके मध्य रिक्तियों को भरने की रीति वह होगी जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(5) ऐसे नियंत्रण और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, संस्थान उतनी स्थायी समितियां और उतनी तदर्थ समितियां गठित कर सकेगा जितनी वह संस्थान की किसी शक्ति का प्रयोग या किसी कृत्य का निर्वहन करने के लिए या किसी ऐसे मामले में जो संस्थान उन्हें निर्दिष्ट करे, ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, जांच करने अथवा उसके संबंध में रिपोर्ट या सलाह देने के लिए ठीक समझे।

(6) शासी निकाय के अध्यक्ष और सदस्य तथा किसी स्थायी समिति या तदर्थ समिति के अध्यक्ष और सदस्य ऐसे भत्ते प्राप्त करेंगे, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

संस्थान के कर्मचारिवृन्द।

11. (1) संस्थान का एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा जो संस्थान के निदेशक के रूप में अभिहित किया जाएगा और ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए जाएं, संस्थान द्वारा नियुक्त किया जाएगा:

परंतु आयुर्वेद स्नातकोत्तर शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, जामनगर के निदेशक को संस्थान के प्रथम निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया समझा जाएगा।

(2) निदेशक उस तारीख से, जिसको वह अपना पदग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, अपना पद धारण करेगा।

(3) निदेशक ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो विनियमों द्वारा विहित किए जाएं या जो उसे संस्थान या संस्थान के सभापति द्वारा या शासी निकास या शासी निकाय के अध्यक्ष द्वारा प्रत्यायोजित किए जाएं।

(4) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाएं, संस्थान उप-निदेशक (स्नातकपूर्व), उप निदेशक (स्नातकोत्तर) और उप निदेशक (भेषज) तथा उतनी संख्या में अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगा जितने उसकी शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक हों और ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के पदनाम और श्रेणियां वह होंगी जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं:

परंतु श्री गुलाबकुंवरबा आयुर्वेद महाविद्यालय, जामनगर के निदेशक को संस्थान के प्रथम उप-निदेशक (स्नातकपूर्व) के रूप में नियुक्त किया गया समझा जाएगा:

परंतु यह और कि भारतीय आयुर्वेद भेषज विज्ञान संस्थान, जामनगर के निदेशक को संस्थान के प्रथम उप-निदेशक (भेषज) के रूप में नियुक्त किया गया समझा जाएगा।

(5) संस्थान के निदेशक, उप निदेशक (स्नातकपूर्व), उप निदेशक (स्नातकोत्तर) और उप-निदेशक (भेषज) तथा अन्य अधिकारी और कर्मचारी ऐसे वेतन और भत्तों के हकदार होंगे और छुट्टी, पेंशन, भविष्य निधि तथा अन्य मामलों के संबंध में सेवा की शर्तों से शासित होंगे जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

संस्थान के उद्देश्य।

12. संस्थान के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे,—

(क) आयुर्वेद और भेषज संबंधी आयुर्विज्ञान शिक्षण में स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर शिक्षण के स्वरूपों को इस प्रकार विकसित करना जिसमें कि भारत में सभी चिकित्सा महाविद्यालयों और अन्य सहबद्ध आयुर्वेद संस्थाओं के लिए ऐसे आयुर्विज्ञान शिक्षण का एक ऊंचा स्तर निदर्शित हो;

(ख) भेषज सहित आयुर्वेद की सभी महत्वपूर्ण शाखाओं में कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए उच्चतम कोटि की शिक्षा सुविधाएं एक स्थान पर एकत्र करना;

(ग) आयुर्वेद में विशेषज्ञों और आयुर्विज्ञान अध्यापकों की देश के लिए आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्नातकोत्तर शिक्षा में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना; और

(घ) आयुर्वेद के क्षेत्र में गहन अध्ययन और अनुसंधान करना।

संस्थान के कृत्य।

13. संस्थान, धारा 12 में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के संवर्धन की दृष्टि से,—

(क) भेषज सहित आयुर्वेद में स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर प्रशिक्षण का उपबंध कर सकेगा;

(ख) भेषज सहित आयुर्वेद की विभिन्न शाखाओं में अनुसंधान के लिए सुविधाओं को प्रदान कर सकेगा;

(ग) भेषज सहित आयुर्वेद में स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर दोनों के लिए पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम विहित कर सकेगा;

(घ) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी—

(i) स्वास्थ्यवृत्त और ऐसे अन्य विभागों सहित, जो आयुर्वेद के वैज्ञानिक अनुसमर्थन, लोक स्वास्थ्य में आयुर्वेद के सिद्धांतों और परिकल्पनाओं के कार्यान्वयन और आधुनिक वैज्ञानिक उन्नतियों की सहायता से आष्टांग आयुर्वेद का और विस्तार करने के लिए आवश्यक समझे जाएं, विभिन्न विभागों वाले एक या अधिक आयुर्वेद आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जिसमें भेषज विज्ञान सहित स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक शिक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त कर्मचारिवृन्द और पर्याप्त रूप से सज्जित;

(ii) एक या अधिक सुसज्जित चिकित्सालयों;

(iii) नर्स, भेषजज्ञ, पंचकर्म तकनीशियन या चिकित्सा विज्ञानी, जैसे सहायक कर्मचारिवृन्द के लिए आयुर्वेद महाविद्यालय और ऐसे छात्रों के प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त रूप से कर्मचारिवृन्द से युक्त और सुसज्जित आयुर्वेद की ऐसी अन्य सहबद्ध विद्या शाखाओं;

(iv) ग्रामीण और नगरीय स्वास्थ्य संगठनों, जो आयुर्वेद में क्षेत्र-प्रशिक्षण देने के लिए और सामुदायिक स्वास्थ्य समस्याओं में अनुसंधान करने के लिए केन्द्रों का गठन करेंगे; और

(v) भौतिक चिकित्सा विज्ञानियों, व्यवसायिक चिकित्सा विज्ञानियों और अनेक प्रकार के आयुर्वेदिक चिकित्सा तकनीशियन, जैसे विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षणार्थ अन्य संस्थाओं की स्थापना और उनका अनुरक्षण कर सकेगा;

(ङ) भारत के विभिन्न आयुर्वेद महाविद्यालयों के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित कर सकेगा;

(च) आयुर्वेद और भेषज विज्ञान में स्नातकपूर्व तथा स्नातकोत्तर शिक्षा में परीक्षाएं संचालित करना (जिसके अंतर्गत प्रवेश देना भी है) और ऐसी उपाधियां, डिप्लोमा तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्ट उपाधियां और पदवियां दे सकेगा जो विनियमों में अधिकथित की जाएं;

(छ) आचार्य पद, उपाचार्य पद, प्राध्यापक पद और किसी अन्य पद को विनियमों के अनुसार संस्थित कर सकेगा और उन पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकेगा;

(ज) सरकार से अनुदान प्राप्त कर सकेगा तथा यथास्थिति, संदाताओं, उपकारियों, वसीयतकर्ताओं या अंतरकों द्वारा दान, संदान, उपकृतियों, वसीयतों तथा जंगम और स्थावर, दोनों प्रकार की संपत्ति के अंतरणों को प्राप्त कर सकेगा;

(झ) संस्थान की या उसमें निहित किसी संपत्ति के विषय में ऐसी किसी रीति में संव्यवहार करेगा जो धारा 12 में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के संवर्धन के लिए आवश्यक समझी जाए;

(ञ) ऐसी फीस तथा अन्य प्रभारों की मांग कर सकेगा और उन्हें प्राप्त कर सकेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं;

(ट) अपने कर्मचारिवृन्द के लिए आवासगृहों का निर्माण कर सकेगा और ऐसे आवासगृहों को, ऐसे विनियमों के अनुसार जो इस निमित्त बनाए जाएं, कर्मचारिवृन्द को आबंटित कर सकेगा;

(ठ) छात्रों के आवास के लिए छात्र निवासों और छात्रावासों की स्थापना, उनका अनुरक्षण और प्रबंध कर सकेगा;

(ड) संस्थान के छात्रों के आवास का पर्यवेक्षण और नियंत्रण कर सकेगा और उनमें अनुशासन को विनियमित कर सकेगा तथा उनके स्वास्थ्य, साधारण कल्याण और सांस्कृतिक तथा कॉरपोरेट जीवन के संवर्धन के लिए व्यवस्था कर सकेगा;

(ढ) अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, छात्र-सहायतावृत्ति, पुरस्कार और मेडल को संस्थित और प्रदान कर सकेगा;

(ण) केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, संस्थान की संपत्ति की प्रतिभूति पर, धन उधार ले सकेगा;

(त) ऐसे अन्य सभी कार्य कर सकेगा जो संस्थान के सभी या किन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आनुषंगिक या प्रासंगिक हों।

संस्थान को संदाय।

14. केन्द्रीय सरकार, इस निमित संसद् द्वारा विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् संस्थान को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसी धनराशि ऐसी रीति से दे सकेगी जो इस अधिनियम के अधीन उसकी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक समझा जाए।

संस्थान की निधि।

15. (1) संस्थान एक निधि रखेगा; जिसमें निम्नलिखित जमा किए जाएंगे:—

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गयी सभी धनराशियां;

(ख) संस्थान द्वारा प्राप्त सभी फीस तथा अन्य प्रभार;

(ग) अनुदान, दान, संदान, उपकृति, वसीयत अथवा अंतरणों के रूप में संस्थान को प्राप्त सभी धनराशियां; और

(घ) किसी अन्य रीति से या किसी अन्य स्रोत से संस्थान को प्राप्त सभी धनराशियां।

(2) निधि में जमा की गई सभी धनराशियां ऐसे बैंकों में जमा की जाएंगी या ऐसी रीति से विनिहित की जाएंगी जो संस्थान, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, विनिश्चित करे।

(3) निधि का उपयोग, संस्थान के व्ययों की, जिनके अन्तर्गत धारा 13 के अधीन उसकी शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों के निर्वहन में उपगत व्यय भी हैं, पूर्ति के लिए किया जाएगा।

संस्थान का बजट।

16. संस्थान प्रतिवर्ष एक बजट, आगामी वित्तीय वर्ष की बाबत, ऐसे प्रारूप में और ऐसे समय पर तैयार करेगा और जिसमें संस्थान की प्राक्कलित प्राप्तियां और व्यय दिखाए जाएंगे और केन्द्रीय सरकार को उसकी उतनी प्रतियां भेजेगा जितनी विहित की जाएं।

लेखा और लेखापरीक्षा।

17. (1) संस्थान उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का एक वार्षिक विवरण, जिसके अन्तर्गत तुलनपत्र भी है, ऐसे प्ररूप में, जो केन्द्रीय सरकार नियमों द्वारा विहित करे और ऐसे साधारण निदेशों के अनुसार तैयार करेगा जो केन्द्रीय सरकार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी करे।

(2) संस्थान के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाएगी और ऐसी लेखापरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा किया गया कोई भी व्यय संस्थान द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को संदेय होगा।

(3) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक तथा संस्थान के लेखाओं की लेखापरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के ऐसे लेखापरीक्षा के संबंध में वैसे ही अधिकार, विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सरकारी लेखाओं की परीक्षा के संबंध में होते हैं और विशिष्टतया उसे बहियां, लेखा, संबद्ध वाउचर तथा अन्य दस्तावेजों और कागजपत्रों को पेश किए जाने की मांग करने तथा संस्थान के कार्यालयों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित संस्थान के लेखे, उनकी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट सहित, प्रतिवर्ष केन्द्रीय सरकार को भेजे जाएंगे और वह सरकार उन्हें संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी।

वार्षिक रिपोर्ट।

18. संस्थान प्रत्येक वर्ष के लिए, उस वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी तारीख को या उसके पूर्व जो विहित की जाए, केन्द्रीय सरकार को भेजेगा और इस रिपोर्ट की एक प्रति उसकी प्राप्ति के एक मास के भीतर संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाएगी।

पेंशन और भविष्य-निधि।

19. (1) संस्थान अपने अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विनियमों द्वारा विहित की जाएं, ऐसी पेंशन और भविष्य-निधि गठित करेगा जो वह ठीक समझे :

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व पूर्ववर्ती संस्थान द्वारा गठित पेंशन और भविष्य निधि को इस धारा के अधीन पेंशन और भविष्य-निधि समझा जाएगा।

(2) जहां ऐसी कोई भविष्य-निधि स्थापित की गई है वहां केन्द्रीय सरकार यह घोषणा कर सकेगी कि भविष्य-निधि अधिनियम, 1925 के उपबंध उस निधि को वैसे ही लागू होंगे मानो वह सरकारी भविष्य निधि हो। 1925 का 19

संस्थान के आदेशों और लिखतों का अधिप्रमाणन।

20. संस्थान के सभी आदेश और विनिश्चय निदेशक द्वारा या इस निमित्त संस्थान द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य सदस्य द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे और अन्य सभी लिखतें निदेशक या संस्थान द्वारा ऐसे अन्य अधिकारी के, जिसे इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित की जाएंगी।

कार्यों और कार्यवाहियों का रिक्तियों, आदि के कारण अविधिमान्य न होना।

21. संस्थान, शासी निकाय या किसी अन्य स्थायी या तदर्थ समिति द्वारा इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही केवल इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि संस्थान, शासी निकाय या ऐसी किसी स्थायी या तदर्थ समिति में कोई रिक्ति थी या उसके गठन में कोई त्रुटि रह गई थी।

संस्थान द्वारा उपाधियां, डिप्लोमा, आदि प्रदान किया जाना।

22. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, संस्थान को इस अधिनियम के अधीन चिकित्सा उपाधियां, डिप्लोमा और विद्या संबंधी अन्य विशिष्ट उपाधियां और पदवियां प्रदान करने की शक्ति होगी।

संस्थान द्वारा प्रदत्त आयुर्विज्ञान अर्हताओं की मान्यता।

23. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1970 का 49
1956 में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन संस्थान द्वारा प्रदत्त आयुर्विज्ञान, उपाधियां या 1956 का 3
डिप्लोमा, पूर्वोक्त अधिनियमों के प्रयोजनों के लिए मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हताएं होंगी और उन्हें संबंधित अधिनियमों की अनुसूची में सम्मिलित किया गया समझा जाएगा।

केन्द्रीय सरकार द्वारा नियंत्रण।

24. संस्थान ऐसे निदेशों का पालन करेगा जो इस अधिनियम के दक्ष प्रशासन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे समय-समय पर जारी किए जाएं।

मतभेदों का समाधान।

25. यदि संस्थान द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग और अपने कृत्यों का निर्वहन करने में या उसके संबंध में, संस्थान और केन्द्रीय सरकार के बीच कोई विवाद या मतभेद उद्भूत होता है तो उस पर केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

विवरणियां और जानकारी।

26. संस्थान, केन्द्रीय सरकार को ऐसी रिपोर्टें, विवरणियां और अन्य जानकारी देगा जिनकी वह सरकार समय-समय पर अपेक्षा करे।

नियम बनाने की शक्ति।

27. (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इन नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) धारा 7 की उपधारा (7) के अधीन संस्थान के सदस्यों के बीच रिक्तियों को भरने की रीति;

(ख) धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन संस्थान के सभापति द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां और निर्वहन किए जाने वाले कृत्य;

(ग) धारा 8 की उपधारा (3) के अधीन संस्थान के सभापति और सदस्यों को संदेय भत्ते, यदि कोई हों;

(घ) धारा 10 की उपधारा (5) के अधीन स्थायी समितियों और तदर्थ समितियों के गठन के संबंध में नियंत्रण और निर्बन्धन;

(ङ) वह प्ररूप जिसमें और वह समय जब संस्थान की प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय को दर्शित करने वाला बजट संस्थान द्वारा तैयार किया जाएगा और उसकी प्रतियों की संख्या जो धारा 16 के अधीन केन्द्रीय सरकार को भेजी जाएंगी;

(च) वह प्ररूप, जिसमें वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और वह तारीख, जिसके पूर्व ऐसी रिपोर्ट को धारा 18 के अधीन केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा;

(छ) कोई अन्य विषय जिसे विहित किया जाना है या जो विहित किया जाए।

विनियम बनाने की शक्ति।

28. (1) संस्थान, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए विनियम, जो इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों से संगत हों, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगा और इस शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इन विनियमों में निम्नलिखित के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा—

(क) धारा 9 के अधीन संस्थान की पहली बैठक को छोड़कर शेष बैठकों का बुलाया जाना तथा आयोजित किया जाना, वह समय और स्थान जहां ऐसी बैठकें की जाएंगी और ऐसी बैठकों में कार्य संचालन और गणपूर्ति के लिए आवश्यक सदस्य संख्या;

(ख) धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन शासी निकाय के गठन की रीति;

(ग) धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन शासी निकाय द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां और निर्वहन किए जाने वाले कृत्य;

(घ) धारा 10 की उपधारा (3) के अधीन संस्थान के सभापति द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां और निर्वहन किए जाने वाले कृत्य;

(ङ) धारा 10 की उपधारा (4) के अधीन शासी निकाय द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, शासी निकाय के सदस्यों की पदावधि और उनके बीच रिक्तियों को भरने की रीति;

(च) धारा 10 की उपधारा (5) के अधीन स्थायी समितियों तथा तदर्थ समितियों के गठन की रीति;

(छ) धारा 10 की उपधारा (6) के अधीन शासी निकाय और स्थायी समिति तथा तदर्थ समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को दिए जाने वाले भत्ते, यदि कोई हों;

(ज) धारा 11 की उपधारा (3) के अधीन संस्थान के निदेशक द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां और निर्वहन किए जाने वाले कृत्य;

(झ) धारा 11 की उपधारा (4) के अधीन अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के पदनाम और श्रेणी;

(ञ) धारा 11 की उपधारा (5) के अधीन संस्थान के निदेशक, उप निदेशक (स्नातकपूर्व), उपनिदेशक (स्नातकोत्तर) और उप निदेशक (भेषज) और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें;

(ट) धारा 13 के खंड (च) के अधीन परीक्षाएं, जो आयोजित की जा सकेंगी तथा उपाधियां, डिप्लोमा तथा विद्या सम्बन्धी अन्य विशिष्ट उपाधियां और पदवियां, जो प्रदान की जा सकेंगी;

(ठ) धारा 13 के खंड (छ) के अधीन आचार्य पद, उपाचार्य पद, प्राध्यापक पद तथा अन्य पद जो संस्थित किए जाएं और ऐसे आचार्य पदों, उपाचार्य पदों, प्राध्यापक पदों तथा अन्य पदों पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति;

(ड) धारा 13 के खंड (ञ) के अधीन संस्थान द्वारा मांगी जा सकने वाली और उसे प्राप्त होने वाली फीस तथा अन्य प्रभार;

(ढ) धारा 13 के खंड (ट) के अधीन कर्मचारिवृन्द के लिए आवासों का सन्निर्माण और ऐसे आवास का आबंटन;

(ण) धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन वह रीति जिसमें और वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए संस्थान के अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिए पेंशन और भविष्य निधि का गठन किया जाए;

(त) कोई अन्य विषय जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन विनियमों द्वारा उपबन्ध किया जाए।

(2) इस अधिनियम के अधीन संस्थान के स्थापित किए जाने तक कोई विनियम जो उपधारा (1) के अधीन बनाया जाए, केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया जा सकेगा और इस प्रकार बनाए गए किसी विनियम में संस्थान द्वारा उपधारा (1) के अधीन उसकी शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिवर्तन या विखंडन किया जा सकेगा।

संसद् के समक्ष नियमों और विनियमों का रखा जाना।

29. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और विनियम उनके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा जो अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों को पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन, यथास्थिति, उस नियम या विनियम में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा, यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि, यथास्थिति, वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा तथा नियम या विनियम के ऐसे उपांतरित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

30. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परंतु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

संक्रमणकालीन उपबंध।

31. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पहले पूर्ववर्ती संस्थानों का शासी बोर्ड या कोई अन्य शासी प्रणाली उसी रूप में तब तक कार्य करती रहेगी, जब तक इस अधिनियम के अधीन संस्थान के लिए शासी निकाय का गठन नहीं कर दिया जाता है किन्तु इस अधिनियम के अधीन नए शासी निकाय के गठन पर ऐसे गठन के पहले पदधारण करने वाले बोर्ड के सदस्य, इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ऐसे पद धारण करने से प्रविरत हो जाएंगे;

(ख) इस अधिनियम के प्रारम्भ से पहले पूर्ववर्ती संस्थानों के सम्बन्ध में गठित समितियों को संस्थान के लिए नई समितियों के गठित किए जाने तक इस अधिनियम के अधीन गठित किया गया समझा जाएगा।

राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020

(2020 का अधिनियम संख्यांक 31)

[28 सितम्बर, 2020]

राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के रूप में ज्ञात संस्था को राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में स्थापित और घोषित करने के लिए तथा उसके निगमन और उससे संबद्ध तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में घोषित किया जाना।

2. राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के उद्देश्य ऐसे हैं, जो उसे एक राष्ट्रीय महत्व की संस्था बनाते हैं, इसलिए यह घोषित किया जाता है कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय एक राष्ट्रीय महत्व की संस्था है।

परिभाषाएं।

3. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) ''विद्या परिषद्'' से धारा 17 में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् अभिप्रेत है;

(ख) ''संबद्ध महाविद्यालय'' से इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए परिनियमों के अनुसार कार्य परिषद् द्वारा इस रूप में मान्यताप्राप्त कोई संस्था अभिप्रेत है;

(ग) ''महाविद्यालय'' से विश्वविद्यालय द्वारा चलाई जाने वाली या उसके विशेषाधिकार प्राप्त कोई संस्था अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत संबद्ध महाविद्यालय भी है;

(घ) ''संकायाध्यक्ष'' से धारा 25 के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय का संकायाध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ङ) ''विभाग'' से विश्वविद्यालय का कोई शैक्षणिक विभाग अभिप्रेत है;

(च) ''दूरस्थ शिक्षा प्रणाली'' से संसूचना के साधन जैसे प्रसारण, टेलीविजन प्रसारण, इंटरनेट, पत्राचार पाठ्यक्रम, सेमिनार, संपर्क कार्यक्रम या ऐसे दो या अधिक प्रकारों के संयोजन के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की प्रणाली अभिप्रेत है;

(छ) ''कर्मचारी'' से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय के शिक्षक, अन्य शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारिवृंद भी हैं;

(ज) ''कार्य परिषद्'' से धारा 16 के अधीन गठित विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् अभिप्रेत है;

(झ) ''वित्त समिति'' से धारा 19 के अधीन गठित विश्वविद्यालय की वित्त समिति अभिप्रेत है;

(ञ) ''निधि'' से धारा 31 में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय की निधि अभिप्रेत है;

(ट) ''शासी निकाय'' से धारा 13 के अधीन गठित विश्वविद्यालय का शासी निकाय अभिप्रेत है;

(ठ) ''अधिसूचना'' से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(ड) ''प्रतिकुलपति'' से धारा 23 के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय का प्रतिकुलपति अभिप्रेत है;

(ढ) ''कुलसचिव'' से धारा 24 के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय का कुलसचिव अभिप्रेत है;

(ण) ''विद्यापीठ'' से विश्वविद्यालय की विद्या शाखा अभिप्रेत है;

(त) ''परिनियमों'' और ''अध्यादेशों'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विश्वविद्यालय के क्रमश: परिनियम और अध्यादेश अभिप्रेत हैं;

(थ) ''छात्र'' से विश्वविद्यालय का छात्र अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति भी है, जो विश्वविद्यालय में किसी अध्ययन पाठ्यक्रम को करने के लिए नामांकित किया गया है;

(द) ''शिक्षक'' से विश्वविद्यालय में शिक्षण प्रदान करने के प्रयोजन के लिए या अनुसंधान के लिए मार्गदर्शन देने के लिए या विश्वविद्यालय में छात्रों को किसी अध्ययन पाठ्यक्रम को करने में सहायता देने के लिए परिनियमों द्वारा इस रूप में नियुक्त या मान्यताप्राप्त आचार्य, सह-आचार्य और सहायक आचार्य अभिप्रेत हैं;

(ध) ''विश्वविद्यालय'' से धारा 4 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय अभिप्रेत है;

(न) ''कुलपति'' से धारा 22 के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय का कुलपति अभिप्रेत है।

अध्याय 2

विश्वविद्यालय की स्थापना

विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन।

4. (1) रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के अधीन गुजरात राज्य में स्थापित रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के नाम से इस अधिनियम के अधीन एक निगमित निकाय के रूप में स्थापना की जाएगी।

2009 का गुजरात अधिनियम सं॰ 14

(2) राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा, जिसका अपना शाश्वत्, उत्तराधिकार और अपनी सामान्य मुद्रा होगी और उसे इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन जंगम और स्थावर, दोनों प्रकार की संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने और संविदा करने की शक्ति होगी और वह उस नाम से वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा।

(3) विश्वविद्यालय का मुख्यालय गुजरात राज्य के गांधीनगर में होगा।

(4) विश्वविद्यालय भारत में या भारत के बाहर ऐसे अन्य स्थानों पर, जो वह ठीक समझे, केंद्रों और कैंपसों की स्थापना कर सकेगा और उन्हें चला सकेगा।

विश्वविद्यालय के निगमन का प्रभाव।

5. इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से ही,—

(क) किसी संविदा या अन्य लिखत में रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के प्रति किसी निर्देश को विश्वविद्यालय के प्रति निर्देश के रूप में समझा जाएगा;

(ख) रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की या उससे संबंधित समस्त स्थावर और जंगम संपत्ति विश्वविद्यालय में निहित होगी;

(ग) रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के सभी अधिकार और दायित्व विश्वविद्यालय को अंतरित हो जाएंगे और उसके अधिकार और दायित्व होंगे;

(घ) इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पहले रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय द्वारा नियोजित प्रत्येक व्यक्ति विश्वविद्यालय में उसी पदावधि के लिए उसी पारिश्रमिक पर उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर तथा पेंशन, छुट्टी, उपदान, भविष्य निधि और अन्य विषयों के बारे में उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ पद धारण करेंगे और सेवा में रहेंगे, जो वे धारण करते, यदि इस अधिनियम को अधिनियमित नहीं किया जाता और ऐसा तब तक करते रहेंगे, जब तक उनका नियोजन समाप्त नहीं कर दिया जाता या जब तक ऐसी पदावधि, पारिश्रमिक और निबंधनों तथा शर्तों को परिनियमों द्वारा सम्यक् रूप से परिवर्तित नहीं कर दिया जाता:

परंतु यदि इस प्रकार किया गया परिवर्तन ऐसे कर्मचारी को स्वीकार्य नहीं है तो विश्वविद्यालय द्वारा उसका नियोजन, कर्मचारी के साथ की गई संविदा के निबंधनानुसार और यदि इस निमित्त उसमें कोई उपबंध नहीं किया गया है तो विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी कर्मचारी की दशा में तीन मास के पारिश्रमिक और अन्य कर्मचारियों की दशा में एक मास के पारिश्रमिक के समतुल्य प्रतिकार का संदाय करके समाप्त किया जा सकेगा:

परंतु यह और कि इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व नियोजित प्रत्येक व्यक्ति संविदा के निष्पादन के लंबित रहते हुए इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के संगत किसी संविदा के उपबंधों के अनुसार नियुक्त किया गया समझा जाएगा:

परंतु यह भी कि तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में या किसी भी लिखत या अन्य दस्तावेज में रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के कुलपति के प्रति किसी भी निर्देश का अर्थ विश्वविद्यालय के कुलपति के प्रति-निर्देश के रूप में लगाया जाएगा;

(ङ) इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पूर्व रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के प्रत्येक विद्यमान संस्थान या विभाग में किसी शैक्षणिक या अनुसंधान पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, ऐसे प्रारंभ पर तत्स्थानी संस्थान या विभाग में विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम के उसी स्तर पर प्रवर्जित और रजिस्ट्रीकृत समझा जाएगा, जिससे ऐसा व्यक्ति प्रवर्जित हुआ और विश्वविद्यालय में ऐसे शैक्षणिक या अनुसंधान पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन जारी रखेगा;

(च) रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पूर्व संस्थित सभी वाद और अन्य विधिक कार्यवाहियां विश्वविद्यालय के द्वारा या उसके विरुद्ध जारी या संस्थित रहेंगी;

(छ) रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के सहबद्ध या उसके विशेषाधिकार प्राप्त या उसके द्वारा चलाए जाने वाले सभी महाविद्यालय, संस्थाएं, संकाय और विभाग विश्वविद्यालय से सहबद्ध या उसके विशेषाधिकार प्राप्त रहेंगे या उसके द्वारा चलाए जाएंगे।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य।

6. विश्वविद्यालय के उद्देश्य वैश्विक मानकों का संवर्धन करना और—

(क) शिक्षण और अनुसंधान के गतिशील और उच्च मानक के लिए उपबंध करना;

(ख) पुलिस व्यवस्था के क्षेत्र, जिसके अंतर्गत तटीय पुलिस व्यवस्था, सुरक्षा, विधि प्रवर्तन, दांडिक न्याय, साइबर सुरक्षा, साइबर अपराध, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आंतरिक सुरक्षा के संबंधित क्षेत्र भी हैं, में शिक्षा, अनुसंधान, प्रशिक्षण की अभिवृद्धि और प्रसार को समर्पित कार्यकारी वातावरण तथा उच्चतम गुणता की छात्रवृत्ति के लिए उपबंध करना; और

(ग) महिलाओं, कमजोर वर्गों और अल्पसंख्यकों के विशेष संदर्भ सहित, जो आवश्यक बौद्धिक कुशाग्रता से संपन्न हैं, नागरिकता और नागरिक केन्द्रिक सेवाओं के उच्चतम आदर्श रखने वाली मानव पूंजी को बनाने की दृष्टि से लोक सुरक्षा, नैतिक प्रतिबद्धता और मुक्त समाज में अपराध, न्याय और लोक सुरक्षा की चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए वृत्तिक सक्षमता के लिए उपबंध करना।

विश्वविद्यालय की शक्तियां और कृत्य।

7. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन, विश्वविद्यालय निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात्:—

(क) पुलिस विज्ञान, जिसके अंतर्गत तटीय पुलिस व्यवस्था, सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर अपराध, जोखिम प्रबंधन और लैंगिक संवेदीकरण, अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्गों, किशोर न्याय तथा सरकार के साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर के लिए सुसंगत ऐसे अन्य विषयों सहित सामाजिक विज्ञान की ऐसी शाखाओं में, जो विश्वविद्यालय ठीक समझे, संबंधित अध्ययन भी हैं, शिक्षण और अनुसंधान की व्यवस्था करना और ऐसी शाखाओं में शिक्षण, अनुसंधान और ज्ञान के प्रसार का उपबंध करना;

(ख) अध्ययन पाठ्यक्रमों जैसे डिग्रियां, डिप्लोमा और प्रमाणपत्र, जिसके अंतर्गत दीर्घ और लघु अवधि के सेवागत पाठ्यक्रम भी हैं, की योजना बनाना और विहित करना;

(ग) अपने सहबद्ध महाविद्यालयों के माध्यम से एकीकृत पाठ्यक्रमों को, जिसके अंतर्गत पुलिस व्यवस्था से संबंधित या सहबद्ध विषयों में पश्च मैट्रिकुलेशन भी है, डिजाइन करने और संचालित करने का प्रयास करना;

(घ) परीक्षाएं आयोजित करना और डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र और अन्य विद्या संबंधी उपाधियां प्रदान करना;

(ङ) सम्मानिक डिग्रियां और अन्य उपाधियां प्रदत्त करना;

(च) ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो विश्वविद्यालय अवधारित करे, डिप्लोमा या प्रमाणपत्र प्रदान करना और परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की किसी अन्य पद्धति के आधार पर व्यक्तियों को डिग्रियां या अन्य विद्या संबंधी उपाधियां प्रदत्त करना और अच्छे और पर्याप्त कारण से किसी ऐसे डिप्लोमा, प्रमाणपत्र, डिग्री या अन्य विद्या संबंधी उपाधियों को वापस लेना;

(छ) ऐसे व्यक्तियों को, जो वह अवधारित करे, दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से सुविधाएं प्रदान करना;

(ज) सेमेस्टर प्रणाली, निरंतर मूल्यांकन और विकल्प आधारित प्रत्यय प्रणाली को लागू करना तथा अन्य विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं से प्रत्यय अंतरण और संयुक्त डिग्री कार्यक्रमों के लिए करार करना;

(झ) राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद् या किसी अन्य प्रत्यायन अभिकरण से प्रत्यायन अभिप्राप्त करना;

(ञ) प्रभावी प्रबंध सूचना प्रणाली सहित ई-प्रशासन लागू करना;

(ट) फीस और अन्य प्रभारों को नियत करना, उनकी मांग करना और उन्हें प्राप्त करना;

(ठ) अन्य राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में महाविद्यालयों, संस्थाओं और छात्र-निवासों तथा छात्रों के निवास के लिए छात्रावासों की स्थापना करना, उन्हें चलाना और उनका प्रबंध करना;

(ड) ऐसे केन्द्र और विशेषीकृत प्रयोगशालाएं या अनुसंधान और शिक्षण के लिए अन्य इकाइयां स्थापित करना, जो विश्वविद्यालय की राय में उसके उद्देश्यों का अग्रसर करने के लिए आवश्यक हैं;

(ढ) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना और अनुशासन को विनियमित करना तथा उनके स्वास्थ्य, सामान्य कल्याण, संस्कृति और सामुदायिक जीवन के संवर्धन के लिए इंतजाम करना;

(ण) ऐसे शैक्षणिक और अन्य पद संस्थित करना और उन पर (कुलपति की दशा के सिवाय) नियुक्तियां करना, जो शिक्षण प्रदान करने और विश्वविद्यालय के सभी कार्यकलापों का प्रबंध करने के लिए आवश्यक हों;

(त) किसी अन्य विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्था में कार्य करने वाले व्यक्ति को किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विश्वविद्यालय के शिक्षक के रूप में नियुक्त करना, जिसके अंतर्गत वे संस्थाएं भी हैं, जो देश से बाहर स्थित हैं;

(थ) सार्वजनिक और प्राइवेट शैक्षिक और अन्य संस्थाओं के साथ शिक्षकों और विद्वानों के आदान-प्रदान द्वारा और सामान्यतया ऐसी रीति में, जो उनके सामान्य उद्देश्यों के लिए सहायक हों, सहकार, सहयोग या भागीदारी करना या सहयुक्त होना, जिसके अंतर्गत वे संस्थाएं भी हैं, जिनके उद्देश्य पूर्णत: या भागत: विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के समान हैं;

(द) अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, छात्र सहायतावृत्ति, पुरस्कार और पदक संस्थित करना और प्रदान करना;

(ध) शिक्षण संबंधी सामग्री की तैयारी के लिए उपबंध करना, जिसके अंतर्गत संबंधित साफ्टवेयर और अन्य श्रव्य-दृश्य सहायक सामग्री भी है;

(न) विश्वविद्यालय की अभ्यंतर सक्षमता के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए उपबंध करना;

(प) संविदाएं करना, उनको कार्यान्वित करना, उनमें फेरफार करना या उन्हें रद्द करना;

(फ) छात्रों और सभी प्रवर्ग के कर्मचारियों में अनुशासन की व्यवस्था, नियंत्रण करना और उसे बनाए रखना तथा ऐसे कर्मचारियों की सेवा की शर्तें अधिकथित करना, जिसके अंतर्गत उनकी आचार संहिता भी है;

(ब) ऐसी अवसंरचना स्थापित करना और उसे बनाए रखना, जो आवश्यक हो;

(भ) आवश्यकतानुसार, देश भर में कैंपस स्थापित करना और अपतट कैंपस स्थापित करना;

(म) ऐसी रीति में, जो परिनियमों में अधिकथित की जाएं, विदेशी छात्रों, भारत के कार्ड धारक विदेशी नागरिकों, भारतीय मूल के व्यक्तियों, अनिवासी भारतीय, खाड़ी और दक्षिणी-पूर्वी एशियाई देशों में भारतीय कर्मकारों की संतानों को प्रवेश देना;

(य) ऐसी सभी बातें करना, जो विश्वविद्यालय के सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी भी स्थावर संपत्ति का किसी भी रूप में व्ययन नहीं करेगा।

विश्वविद्यालय की अधिकारिता।

8. विश्वविद्यालय की अधिकारिता संपूर्ण भारत पर होगी।

विश्वविद्यालय का सभी मूलवंशों, पंथों और वर्गों के लिए खुला होना।

9. (1) विश्वविद्यालय, लिंग, मूलवंश, जाति, पंथ, निर्योग्यता, अधिवास, धार्मिक विश्वास, सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि पर विचार किए बिना सभी व्यक्तियों के लिए खुला होगा।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी संपत्ति की ऐसी वसीयत, संदान या अंतरण स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिसमें कार्य परिषद् की राय में इस धारा की भावना और उद्देश्य के विपरीत शर्तें या बाध्यताएं अंतर्वलित हैं।

(3) विश्वविद्यालय में अध्ययन के प्रत्येक शैक्षणिक कार्यक्रम में प्रवेश, विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश की प्रक्रिया के प्रारंभ से पहले प्रकट किए गए पारदर्शी और युक्तियुक्त मानदंड के माध्यम से निर्धारित योग्यता पर आधारित होगा:

परंतु विश्वविद्यालय, केन्द्रीय शिक्षा संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 के प्रयोजनों के लिए 2007 का 5
केन्द्रीय शैक्षिक संस्था होगी।

छात्रों का प्रवेश।

10. (1) विश्वविद्यालय का यह प्रयास होगा कि वह शिक्षण और अनुसंधान के अखिल भारतीय स्वरूप और उच्च मानक बनाए रखने के लिए आवश्यक उपाय करे।

(2) विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों का प्रवेश ऐसी रीति में, जो अध्यादेशों में विनिर्दिष्ट की जाए, अखिल भारतीय आधार पर किया जाएगा।

(3) अंतरराष्ट्रीय आधार पर छात्रों को प्रवेश ऐसी रीति में दिया जा सकेगा, जो परिनियमों और इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी निदेशों या अनुदेशों या मार्गदर्शक सिद्धांतों में अधिकथित की जाए।

विश्वविद्यालय में अध्यापन।

11. विश्वविद्यालय में समस्त अध्यापन इस निमित्त बनाए गए परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार किया जाएगा।

अध्याय 3

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण।

12. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे, अर्थात्:—

(क) शासी निकाय;

(ख) कार्य परिषद;

(ग) विद्या परिषद्;

(घ) वित्त समिति; और

(ङ) ऐसे अन्य प्राधिकरण, जिन्हें परिनियमों में विश्वविद्यालय के प्राधिकरण के रूप में अधिकथित किया जाए।

शासी निकाय।

13. (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसी तारीख से, जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करे, विश्वविद्यालय के शासी निकाय का गठन कर सकेगी।

(2) शासी निकाय में अध्यक्ष सहित पन्द्रह से अनधिक सदस्य होंगे, जिसमें अधिकतर सदस्य केन्द्रीय सरकार द्वारा शिक्षा, उद्योग और सुसंगत वृत्तिक क्षेत्रों से नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं, अर्थात्:—

(क) अध्यक्ष;

(ख) विश्वविद्यालय का कुलपति, पदेन;

(ग) गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव की पंक्ति से अनिम्न का एक प्रतिनिधि, पदेन;

(घ) भारतीय विधिक सेवा का संयुक्त सचिव की पंक्ति से अनिम्न का एक अधिकारी, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाए, पदेन;

(ङ) गुजरात सरकार के दो प्रतिनिधि, जो उस सरकार में सचिव की पंक्ति से अनिम्न अधिकारी हों;

(च) राज्य पुलिस विश्वविद्यालयों का चक्रानुक्रम से एक प्रतिनिधि;

(छ) शैक्षणिक या शिक्षा के क्षेत्र से ख्यातिप्राप्त एक व्यक्ति;

(ज) उद्योग या कारपोरेट सेक्टर से ख्यातिप्राप्त या विशेषज्ञ एक व्यक्ति;

(झ) एक व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों से सुसंगत क्षेत्र से वैश्विक ख्याति का विशेषज्ञ हो;

(ञ) तीन से अनधिक व्यक्ति, जिनकी रक्षा, पुलिस व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा और सहबद्ध क्षेत्रों में विशेषज्ञता हो।

(3) केन्द्रीय सरकार, ऐसी राज्य सरकारों के परामर्श से, जो वह ठीक समझे, शासी निकाय का अध्यक्ष नियुक्त कर सकेगी, जो शैक्षणिक, रक्षा, सुरक्षा, विधि प्रवर्तन या आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र से कोई ख्यातिप्राप्त व्यक्ति होगा।

शासी निकाय के सदस्यों की पदावधि, रिक्तियां और उनको संदेय भत्ते।

14. (1) इस धारा में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, शासी निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न किसी सदस्य की पदावधि नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी।

(2) किसी पदेन सदस्य की पदावधि तब तक जारी रहेगी, जब तक वह उस पद को धारण करता है, जिसके कारण वह सदस्य है।

(3) किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नामनिर्देशित किसी सदस्य की पदावधि उस सदस्य की शेष अवधि तक रहेगी, जिसके स्थान पर उसे नामनिर्देशित किया गया है।

(4) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, पद छोड़ने वाला कोई सदस्य, जब तक कि शासी निकाय अन्यथा निदेश न दे, तब तक पद पर बना रहेगा, जब तक उसके स्थान पर सदस्य के रूप में दूसरे व्यक्ति को नामनिर्देशित नहीं कर दिया जाता है।

(5) शासी निकाय के सदस्य ऐसे यात्रा और अन्य भत्तों के हकदार होंगे, जो परिनियमों में अधिकथित किए जाएं, किन्तु कोई भी सदस्य इस उपधारा के कारण किसी भी वेतन का हकदार नहीं होगा।

शासी निकाय की शक्तियां और कृत्य।

15. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन, विश्वविद्यालय का शासी निकाय, साधारण नीति निर्माण, विश्वविद्यालय के कार्यों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होगा तथा विश्वविद्यालय की उन सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा अन्यथा उपबंधित नहीं की गई हैं और विद्या परिषद् के कार्यों का पुनर्विलोकन करने की शक्ति रखेगा।

(2) शासी निकाय का, विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों में समन्वय करने का साधारण कर्त्तव्य होगा।

(3) उपधारा (2) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, शासी निकाय निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात्:—

(क) विश्वविद्यालय की विस्तृत नीतियों और कार्यक्रमों को बनाना और उनका पुनर्विलोकन करना और विश्वविद्यालय के विकास के लिए उपाय सुझाना;

(ख) विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त किए जाने वाले पाठ्यक्रमों, डिग्रियों और अन्य विद्या संबंधी उपाधियों की अवधि से संबंधित मामलों, प्रवेश मानक और अन्य शैक्षणिक मामलों पर सलाह देना;

(ग) कर्मचारियों के काडर, भर्ती की पद्धति, सेवा की शर्तों, छात्रवृत्तियों और अध्येतावृत्तियों के संस्थान, फीस के उद्ग्रहण तथा सामान्य हित के अन्य मामलों की बाबत नीति अधिकथित करना;

(घ) विश्वविद्यालय की विकास योजनाओं की परीक्षा करना और उनमें से ऐसी योजनाओं का अनुमोदन करना, जो आवश्यक समझी जाती हैं तथा ऐसी अनुमोदित योजनाओं की वित्तीय विवक्षाओं को भी विस्तृत रूप से उपदर्शित करना;

(ङ) विश्वविद्यालय के वार्षिक बजट प्राक्कलनों की परीक्षा करना तथा केन्द्रीय सरकार को उस प्रयोजन के लिए नीतियों के आबंटन की सिफारिश करना;

(च) नीति अधिकथित करना तथा विश्वविद्यालय के प्रशासन और कार्यकरण से संबंधित नीति के प्रश्नों पर विनिश्चय करना;

(छ) अध्ययन पाठ्यक्रम संस्थित करना;

(ज) परिनियम बनाना;

(झ) शैक्षणिक के साथ ही साथ अन्य पद संस्थित करना और उन पर व्यक्तियों की नियुक्ति करना;

(ञ) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने वाले मामलों में आवश्यक सिफारिश करना;

(ट) अध्यादेशों को संशोधित या निरसित करने के लिए विचार करना और विद्या परिषद् को निदेश देना;

(ठ) कार्य परिषद् और विद्या परिषद् द्वारा अगले वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक लेखाओं और बजट प्राक्कलनों पर इसकी विकास योजनाओं के विवरण सहित विचार करना और ऐसे संकल्प पारित करना, जो वह ठीक समझे;

(ड) अपनी किसी भी शक्ति को कार्य परिषद्, कुलपति, प्रतिकुलपतियों, संकायाध्यक्षों, कुलसचिव या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या समिति या विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी को प्रत्यायोजित करना;

(ढ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करना, जो उसको इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा प्रदत्त किए जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं।

(4) शासी निकाय के पास, इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग और अपने कर्त्तव्यों के पालन के लिए ऐसी समितियां नियुक्त करने की, जो वह आवश्यक समझे, शक्ति होगी।

कार्य परिषद्।

16. (1) कार्य परिषद्, विश्वविद्यालय की प्रधान कार्यकारी निकाय होगी।

(2) कुलपति, कार्य परिषद् का पदेन अध्यक्ष होगा।

(3) कार्य परिषद् का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि, उसकी शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों में अधिकथित किए जाएं:

परंतु इतनी संख्या में सदस्य, जो परिनियमों में अधिकथित किए जाएं, शासी निकाय के सदस्यों में से होंगे।

विद्या परिषद्।

17. विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

(क) कुलपति, विद्या परिषद् का पदेन अध्यक्ष होगा;

(ख) शिक्षण प्रदान करने के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त या इस रूप में मान्यता प्राप्त आचार्य;

(ग) तीन व्यक्ति, जो शासी निकाय द्वारा विश्वविद्यालय के उद्देश्यों से सुसंगतता वाले उद्योग या शिक्षा में राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय ख्याति वाले व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाएंगे;

(घ) दो व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय के कर्मचारी न हों, जो विख्यात शिक्षाविदों में से कुलपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे;

(ङ) राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों से चक्रानुक्रम से पुलिस व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा में व्यापक अनुभव रखने वाला एक व्यक्ति, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा; और

(च) अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों से दो व्यक्ति, जिन्हें शासी निकाय द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा।

विद्या परिषद् के कृत्य।

18. विद्या परिषद्, विश्वविद्यालय का प्रधान शैक्षणिक निकाय होगी और इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए परिनियमों और अध्यादेशों के अध्यधीन, विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों का समन्वय करेगी और उस पर नियंत्रण तथा साधारण पर्यवेक्षण करेगी और विश्वविद्यालय में विद्या, शिक्षा, शिक्षण, मूल्यांकन और

परीक्षाओं के मानकों को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगी और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगी, जो उसे परिनियमों द्वारा प्रदत्त किए जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं।

वित्त समिति।

19. वित्त समिति का गठन, शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों में अधिकथित किए जाएं।

सहबद्धता और मान्यता बोर्ड।

20. (1) सहबद्धता और मान्यता बोर्ड, महाविद्यालयों और संस्थाओं को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) सहबद्धता और मान्यता बोर्ड का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि तथा उसकी शक्तियां और कर्त्तव्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों में अधिकथित किए जाएं।

विश्वविद्यालय के अधिकारी।

21. विश्वविद्यालय के अधिकारी निम्नलिखित होंगे, अर्थात्:—

(क) कुलपति;

(ख) प्रतिकुलपति;

(ग) कुलसचिव;

(घ) संकायाध्यक्ष;

(ङ) वित्त अधिकारी; और

(च) ऐसे अन्य अधिकारी, जिन्हें विश्वविद्यालय के अधिकारी होना परिनियमों में अधिकथित किया जाए।

कुलपति।

22. (1) केन्द्रीय सरकार, ऐसी राज्य सरकारों के परामर्श से, जो वह ठीक समझे, विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्ति कर सकेगी, जो सर्वोत्तम स्तर की सक्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिकता और सांस्थानिक प्रतिबद्धता, अधिमानत: पुलिस प्रशिक्षण और आंतरिक सुरक्षा में व्यापक अनुभव रखने वाला व्यक्ति, जिसके पास पुलिस व्यवस्था या अनुसंधान या प्रशासन या सामाजिक विज्ञान में व्यापक अनुभव हो या कोई प्रख्यात शिक्षाविद्, जो विख्यात अनुसंधान या शैक्षिक संगठनों में न्यूतनतम दस वर्ष का अनुभव रखने वाला व्यक्ति होगा।

(2) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रधान शैक्षिक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा तथा विश्वविद्यालय के उचित प्रशासन के लिए और अनुदेश प्रदान करने के लिए और उसमें अनुशासन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) कुलपति शासी निकाय को वार्षिक रिपोर्ट और लेखा प्रस्तुत करेगा।

(4) शासी निकाय के विनिश्चयों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना कुलपति का कर्त्तव्य होगा।

(5) कुलपति साधारणतया शैक्षिक परिषद् की बैठकों और विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(6) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करेगा, जो उसे अधिनियम द्वारा सौंपे जाएं या परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा अधिकथित किए जाएं।

प्रतिकुलपति।

23. विश्वविद्यालय का प्रतिकुलपति ऐसी रीति में, ऐसी परिलब्धियों और सेवा की अन्य शर्तों पर नियुक्त किया जाएगा और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों में अधिकथित किए जाएं।

कुलसचिव।

24. (1) विश्वविद्यालय के कुलसचिव की नियुक्ति ऐसी रीति में और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर की जाएंगी, जो परिनियमों में अधिकथित की जाएं।

(2) कुलसचिव विश्वविद्यालय के अभिलेखों, सामान्य मुद्रा, निधियों और ऐसी अन्य संपत्ति का अभिरक्षक होगा, जो शासी निकाय उसके प्रभार में सौंपे।

(3) कुलसचिव, शासी निकाय, कार्य परिषद, शैक्षिक परिषद् और ऐसी अन्य समितियों के सचिव के रूप में कार्य करेगा, जो परिनियमों में विहित की जाएं।

(4) कुलसचिव अपने कृत्यों के समुचित पालन के लिए कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा।

(5) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करेगा, जो उसे अधिनियम या परिनियमों या कुलपति द्वारा उसे सौंपे जाएं।

संकायाध्यक्ष।

25. विश्वविद्यालय का संकायाध्यक्ष ऐसी रीति में, ऐसी परिलब्धियों और सेवा की अन्य शर्तों पर नियुक्त किया जाएगा और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों में अधिकथित किए जाएं।

वित्त अधिकारी।

26. वित्त अधिकारी की नियुक्ति ऐसी रीति में और ऐसी परिलब्धियों तथा सेवा की अन्य शर्तों पर की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा अधिकथित किए जाएं।

अन्य प्राधिकरण और अधिकारी।

27. इसमें इसके पूर्व वर्णित से भिन्न विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों और अधिकारियों की शक्तियां और कर्त्तव्य, जिसके अंतर्गत सेवा के निबंधन और शर्तें भी हैं, ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा अधिकथित किए जाएं।

केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदान।

28. केंद्रीय सरकार, विश्वविद्यालय को इस अधिनियम के अधीन उसके कर्त्तव्यों का दक्षता से निर्वहन करने में समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए संसद् द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा सम्यक् विनियोग करने के पश्चात् विश्वविद्यालय को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसी धनराशियों का, ऐसी रीति में, जो वह ठीक समझे, संदाय करेगी।

राज्य सरकारों द्वारा अनुदान।

29. विश्वविद्यालय, किसी भी राज्य सरकार से वार्षिक सहायता अनुदान के रूप में या एकमुश्त अनुदान के रूप में धन की ऐसी राशियां प्राप्त कर सकेंगी।

अध्याय 4

लेखा और लेखापरीक्षा

विश्वविद्यालय का निधि संग्रह।

30. विश्वविद्यालय के निधि संग्रह के अनुरक्षण और प्रचालन के लिए, विश्वविद्यालय, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या अन्य स्रोतों से निधियां प्राप्त कर सकेगा और अपनी निधियों का उपयोग कर सकेगा।

निधि।

31. (1) विश्वविद्यालय की एक निधि होगी, जिसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा,—

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा संदत्त समस्त धन;

(ख) राज्य सरकारों से प्राप्त समस्त धन;

(ग) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त सभी फीसें और अन्य प्रभार;

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा अनुदानों, दानों, संदानों, उपकृतियों, वसीयतों या अंतरणों के माध्यम से प्राप्त समस्त धन; और

(ङ) विश्वविद्यालय द्वारा किसी अन्य रीति या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त समस्त धन।

(2) विश्वविद्यालय की निधि में प्रत्यय किए गए समस्त धन को ऐसे बैंक में जमा किया जाएगा या उसका ऐसी रीति में विनिधान किया जाएगा, जो विश्वविद्यालय केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से विनिश्चित करे।

(3) विश्वविद्यालय की निधि का उपयोजन इस अधिनियम के अधीन उसके व्ययों को चुकाने के लिए किया जाएगा, जिसके अंतर्गत उसकी शक्तियों के प्रयोग और उसके कर्त्तव्यों के पालन में उपगत व्यय भी हैं।

लेखा और संपरीक्षा।

32. (1) विश्वविद्यालय उचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का एक वार्षिक विवरण, जिसके अंतर्गत तुलनपत्र भी है, ऐसे प्ररूप और लेखांकन मानक में, जो केंद्रीय सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के परामर्श से अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, तैयार करेगा।

(2) विश्वविद्यालय के लेखाओं की भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा संपरीक्षा की जाएगी और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा उपगत कोई व्यय भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को संदेय होगा।

(3) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक और उसके द्वारा विश्वविद्यालय के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के ऐसी संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे, जो भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के सरकारी लेखाओं के संबंध में होते हैं और विशिष्टतया उसको लेखा बहियां, संबंधित वाउचर और अन्य दस्तावेज तथा कागज पत्रों को प्रस्तुत करने की मांग करने का और विश्वविद्यालय के कार्यालयों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित विश्वविद्यालय के लेखाओं को वार्षिक रूप से केंद्रीय सरकार को अग्रेषित किया जाएगा और केंद्रीय सरकार उन्हें संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।

पेंशन और भविष्य निधि।

33. (1) विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के फायदे के लिए ऐसी भविष्य निधि या पेंशन निधि का गठन करेगा या ऐसी बीमा स्कीम का ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं, व्यवस्था करेगा जो वह ठीक समझे।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी भविष्य निधि का गठन किया गया है, वहां केंद्रीय सरकार यह घोषित कर सकेगी कि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के उपबंध ऐसी निधि को इस प्रकार लागू होंगे मानो वह एक सरकारी भविष्य निधि हो।

1925 का 19

अध्याय 5

वार्षिक रिपोर्ट और नियुक्तियां

विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट।

34. (1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट कार्य परिषद् द्वारा तैयार की जाएगी और इसके अंतर्गत, अन्य विषयों के साथ, विश्वविद्यालय द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए गए उपाय तथा उसके द्वारा किए गए अनुसंधान के निर्धारण पर आधारित परिणाम सम्मिलित होंगे तथा उसे शासी निकाय को उस तारीख को या उससे पूर्व, जो विनिर्दिष्ट की जाए, प्रस्तुत किया जाएगा तथा शासी निकाय अपनी वार्षिक बैठक में रिपोर्ट पर विचार करेगा।

(2) शासी निकाय द्वारा यथा अनुमोदित वार्षिक रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाएगा और विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर रखा जाएगा।

(3) कार्य परिषद् प्रत्येक वर्ष, पूर्ववर्ष में विश्वविद्यालय के कार्यकरण के संबंध में, वित्तीय वर्ष के समापन से नौ मास की समाप्ति पर या उससे पहले अंग्रेजी और हिन्दी में एक रिपोर्ट तैयार करेगी और उसे जारी करेगी तथा उसकी एक प्रति पूर्ववर्ष में आय और व्यय दर्शाने वाले लेखाओं के संपरीक्षित विवरण सहित उस नियत समय के भीतर केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगी और उसे संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाया जा सकेगा।

नियुक्तियां।

35. कुलपति की नियुक्ति के सिवाय, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां परिनियमों द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार,—

(क) शासी निकाय द्वारा की जाएगी, यदि शैक्षिक कर्मचारिवृंद की सहायक आचार्य या उससे ऊपर के पद पर नियुक्ति की जानी है या यदि नियुक्ति गैर-शैक्षिक कर्मचारिवृंद में समूह 'क' के समतुल्य और उससे ऊपर के पद पर की जानी है;

(ख) किसी अन्य दशा में कुलपति द्वारा की जाएगी।

अध्याय 6

परिनियम और अध्यादेश

परिनियम।

36. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, परिनियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे:—

(क) कार्य परिषद् द्वारा संबद्ध महाविद्यालय के रूप में किसी संस्था को मान्यता देने की रीति;

(ख) विश्वविद्यालय की अनुशासनिक समिति और परीक्षा समिति सहित प्राधिकरणों और अन्य निकायों, जिनका समय-समय पर गठन किया जाए, का गठन, शक्तियां और कृत्य;

(ग) उक्त प्राधिकरणों और निकायों के सदस्यों की नियुक्ति और पद पर बने रहना, सदस्यों की रिक्तियों का भरना तथा इन प्राधिकरणों और अन्य निकायों से संबंधित अन्य विषय, जिनके लिए उपबंध करना आवश्यक या वांछनीय हो;

(घ) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियां और कर्त्तव्य तथा उनकी परिलब्धियां;

(ङ) विश्वविद्यालय के शिक्षकों, शैक्षिक कर्मचारिवृंद और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, उनकी परिलब्धियां तथा सेवा शर्तें;

(च) किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्य कर रहे शिक्षकों और शैक्षिक कर्मचारिवृंद की किसी संयुक्त परियोजना को हाथ में लेने के लिए किसी विशिष्ट अवधि के लिए नियुक्ति;

(छ) कर्मचारियों की सेवा शर्तें, जिसके अंतर्गत पेंशन, बीमा, भविष्य निधि,सेवा समाप्ति की रीति और अनुशासनिक कार्रवाई के लिए उपबंध हैं;

(ज) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा में ज्येष्ठता को प्रशासित करने वाले सिद्धांत;

(झ) विश्वविद्यालय और कर्मचारियों या विद्यार्थियों के बीच विवादों के मामलों में माध्यस्थम् की प्रक्रिया;

(ञ) किसी कर्मचारी या छात्र द्वारा विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकरण द्वारा की गई कार्रवाई के विरुद्ध शासी निकाय को अपील करने की प्रक्रिया;

(ट) किसी महाविद्यालय या किसी संस्था या किसी विभाग को स्वायत्त प्रास्थिति प्रदान करना;

(ठ) विद्यालयों, विभागों, केन्द्रों, सभागारों, महाविद्यालयों और संस्थाओं को स्थापित करना और उनका उत्सादन करना;

(ड) अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थाओं और अन्य अभिकरणों, जिसके अंतर्गत शिक्षण निकाय, संगम और प्राइवेट सेक्टर है, के साथ सहयोग और मिलकर कार्य करने की रीति;

(ढ) मानद उपाधियां प्रदान करना;

(ण) डिग्रियों, डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों और अन्य शैक्षिक उपाधियों को वापस लेना;

(त) विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित महाविद्यालयों और संस्थाओं का प्रबंधन;

(थ) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन;

(द) कर्मचारियों और विद्यार्थियों के बीच अनुशासन बनाए रखना; और

(ध) कोई अन्य विषय, जो इस अधिनियम द्वारा उपबंधित किए जाने हैं या परिनियमों द्वारा अधिकथित किए जाएं।

परिनियम किस प्रकार बनाए जाएंगे।

37. (1) विश्वविद्यालय का प्रथम परिनियम शासी निकाय द्वारा केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से बनाया जाएगा और उसकी एक प्रति उसके बनाए जाने के पश्चात् यथासंभवशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।

(2) शासी निकाय, समय-समय पर, नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगा:

परन्तु शासी निकाय, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण की प्रास्थिति, शक्तियों या उसके गठन पर प्रभाव डालने वाला कोई परिनियम तब तक नहीं बनाएगा, उसका संशोधन नहीं करेगा और उसका निरसन नहीं करेगा जब तक ऐसे प्राधिकरण को प्रस्तावित परिवर्तनों पर अपनी राय लिखित रूप में अभिव्यक्त करने का अवसर नहीं दे दिया गया है और इस प्रकार अभिव्यक्त किसी राय पर शासी निकाय विचार करेगा।

38. इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अध्यादेशों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:— अध्यादेश।

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और उस रूप में उसका नामांकन;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी डिग्रियों, डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों के अध्ययन के लिए अधिकथित किए जाने वाले वाले पाठ्यक्रम;

(ग) अनुदेश और परीक्षा का माध्यम;

(घ) डिग्रियों, डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों और अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं का प्रदान किया जाना, उनके लिए अर्हताएं तथा उन्हें अनुदत्त और अभिप्राप्त करने के लिए अपनाए जाने वाले साधन;

(ङ) विश्वविद्यालय में अध्ययन पाठ्यक्रम के लिए और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, डिग्रियों और डिप्लोमाओं में प्रवेश के लिए प्रभारित की जाने वाली फीस;

(च) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, अध्ययनवृत्तियों, पदकों और पुरस्कारों को संस्थित और प्रदान करने के लिए शर्तें;

(छ) परीक्षा का संचालन, जिसके अंतर्गत परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों की पदावधि भी है;

(ज) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के निवास की शर्तें;

(झ) विशेष प्रबंध, यदि कोई हों, जो महिला विद्यार्थियों के निवास और शिक्षण के लिए किया जा सकता है तथा उनके लिए विशेष पाठ्यक्रमों को विनिर्दिष्ट करना;

(ञ) अध्ययन केंद्रों, अध्ययन बोर्डों, विशेषीकृत प्रयोगशालाओं और अन्य समितियों की स्थापना;

(ट) किसी अन्य निकाय का सृजन, संरचना और कृत्य, जो विश्वविद्यालय के शैक्षिक जीवन में सुधार करने के लिए आवश्यक समझा जाता है;

(ठ) कर्मचारियों और विद्यार्थियों की शिकायतों का निपटान करने के लिए तंत्र की स्थापना;

(ड) कोई अन्य विषय, जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा या अध्यादेशों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाता है या किया जाए।

39. (1) इस धारा में अन्यथा उपबंधित के सिवाय अध्यादेश कार्य परिषद् द्वारा बनाए जाएंगे। अध्यादेश किस प्रकार बनाए जाएंगे।

(2) कार्य परिषद् द्वारा बनाए गए सभी अध्यादेश उस तारीख से प्रभावी होंगे, जो वह निदेश दे किंतु इस प्रकार बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश, यथासंभवशीघ्र शासी परिषद् को प्रस्तुत किया जाएगा और उस पर शासी परिषद् द्वारा अगली उत्तरवर्ती बैठक में विचार किया जाएगा।

(3) शासी निकाय के पास संकल्प द्वारा ऐसे किसी अध्यादेश का अनुमोदन करने की, उपांतरित करने की या रद्द करने की शक्ति होगी और ऐसा अध्यादेश ऐसे संकल्प की तारीख से तदनुसार यथास्थिति, उपांतरित या रद्द समझा जाएगा।

अध्याय 7

माध्यस्थम् अधिकरण

40. (1) विश्वविद्यालय के प्रत्येक कर्मचारी की नियुक्ति एक लिखित संविदा के अधीन की जाएगी, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिधारित किया जाएगा और उसकी एक प्रति संबंधित कर्मचारी को दी जाएगी। कर्मचारियों के लिए माध्यस्थम् अधिकरण।

(2) विश्वविद्यालय और किसी कर्मचारी के बीच संविदा से उद्भूत विवाद कर्मचारी के अनुरोध पर कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त एक सदस्य और संबंधित कर्मचारी द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य से मिलकर बनने वाले और शासी परिषद् द्वारा नियुक्त अधिनिर्णायक की अध्यक्षता वाले माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) माध्यस्थम् अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा और उक्त अधिकरण द्वारा विनिश्चय किए गए विषयों के संबंध में किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद नहीं लाया जाएगा:

परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी कर्मचारी को संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के अधीन उपलब्ध न्यायिक उपचारों का लाभ उठाने से निवारित नहीं करेगी।

(4) उपधारा (2) के अधीन कर्मचारी द्वारा किए गए प्रत्येक अनुरोध को इस धारा के निबंधनों में माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 के अर्थांतर्गत माध्यस्थम् की स्वीकृति समझा जाएगा। 1996 का 26

(5) अधिकरण के कार्य को विनियमित करने की प्रक्रिया परिनियमों में अधिकथित की जाएगी।

छात्रों का परीक्षा से विवर्जन और उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के लिए निवारण।

41. (1) किसी परीक्षा का कोई छात्र या अभ्यर्थी, जिसके नाम को, यथास्थिति, अनुशासनिक समिति या परीक्षा समिति की सिफारिश पर कुलपति के आदेश से विश्वविद्यालय की नामावली से हटा दिया गया है और जिसे विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में एक वर्ष से अधिक के लिए उपस्थित होने से विवर्जित कर दिया गया है, उसके द्वारा ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से दस दिन के भीतर वह शासी निकाय को अपील कर सकेगा और शासी निकाय कुलपति के विनिश्चय को पुष्ट, उपांतरित कर सकेगा या उसे उलट सकेगा।

(2) छात्र के विरुद्ध विश्वविद्यालय द्वारा की गई किसी अनुशासनिक कार्रवाई से उद्भूत विवाद को ऐसे छात्र के अनुरोध पर माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा और धारा 40 की उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5) के उपबंध इस उपधारा के अधीन किए गए निर्देश को लागू होंगे।

अध्याय 8

प्रकीर्ण

प्राधिकरणों और निकायों के गठन के बारे में विवाद।

42. यदि इस बारे में कोई प्रश्न उद्भूत होता है कि क्या किसी व्यक्ति का सम्यक्तः चयन या नियुक्ति की गई है या वह विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय का सदस्य बनने का हकदार है, तो ऐसे मामले को केंद्रीय सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा और सरकार का उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

केन्द्रीय सरकार की, शासी निकाय से संबंधित विषयों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति।

43. (1) केन्द्रीय सरकार पूर्व प्रकाशन के पश्चात् शासी निकाय से संबंधित प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) शासी निकाय के सदस्यों की रिक्तियों को भरने की रीति;

(ख) शासी निकाय का सदस्य चुने जाने और बनने के लिए निरर्हताएं;

(ग) वे परिस्थितियां, जिनमें और वह प्राधिकारी, जिसके द्वारा सदस्यों को हटाया जा सकेगा;

(घ) शासी निकाय की बैठकें और कारबार के संचालन की प्रक्रिया;

(ङ) शासी निकाय के सदस्यों को संदेय यात्रा और अन्य भत्ते; और

(च) वह रीति, जिसमें शासी निकाय के कृत्यों का निर्वहन किया जा सकेगा।

रिक्तियों, आदि के कारण कार्यों और कार्यवाहियों का अविधिमान्य नहीं होना।

44. इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन गठित शासी निकाय या किसी अन्य निकाय का कोई कार्य, केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगा कि,—

(क) उसमें कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है; या

(ख) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के निर्वाचन, नामनिर्देशन या नियुक्ति में कोई त्रुटि है;

(ग) उसकी प्रक्रिया में कोई अनियमितता है जिससे मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं पड़ता हो।

2005 का 22

45. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबंध विश्वविद्यालय को ऐसे लागू होंगे, मानो यह उस अधिनियम की धारा 2 के खंड (ज) में परिभाषित कोई लोक प्राधिकरण हो। विश्वविद्यालय का, सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन लोक प्राधिकरण होना।

46. (1) केन्द्रीय सरकार, विश्वविद्यालय, जिसके अंतर्गत उसके द्वारा प्रशासित महाविद्यालय और संस्थाएं भी हैं, द्वारा किए गए कार्य और की गई प्रगति का पुनर्विलोकन करने के लिए और उसकी जांच करने के लिए तथा उन पर ऐसी रीति में, जो केन्द्रीय सरकार निदेश दे, रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय-समय पर एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगी। केन्द्रीय सरकार की, किए गए कार्य और की गई प्रगति का पुनर्विलोकन करने की तथा जांच करने की शक्ति।

(2) केन्द्रीय सरकार, ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर, कुलपति के माध्यम से शासी निकाय के विचार अभिप्राप्त करने के पश्चात् ऐसी कार्रवाई कर सकेगी और ऐसे निदेश दे सकेगी, जो वह रिपोर्ट में उठाए गए किसी भी मुद्दे के संबंध में आवश्यक समझे तथा विश्वविद्यालय ऐसे निदेशों का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा।

47. इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के उपबंधों में से किसी उपबंध के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियां विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होंगी। सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

48. (1) शासी निकाय को विश्वविद्यालय से संबंधित किसी ऐसे विषय का,जिसका इस अधिनियम में विशिष्ट रूप से उपाय नहीं किया गया है, निपटारा करने का प्राधिकार होगा। अवशिष्ट उपबंध।

(2) ऐसे सभी विषयों पर शासी निकाय का विनिश्चय केन्द्रीय सरकार द्वारा पुनरीक्षण के अधीन रहते हुए अंतिम होगा।

49. विश्वविद्यालय ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के दक्ष प्रशासन के लिए समय-समय पर उसे जारी किए जाएं। केन्द्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति।

50. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, उसे उपबंध कर सकेगी या ऐसे निदेश दे सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों: कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से दो वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

51. (1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, परिनियम या अध्यादेश और जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी। नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों और अधिसूचनाओं का रखा जाना।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, परिनियम या अध्यादेश बनाए जाने के पश्चात् तथा प्रत्येक अधिसूचना, जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा और यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम, परिनियम, अध्यादेश या अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो, तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम, परिनियम या अध्यादेश नहीं बनाया जाना चाहिए या अधिसूचना जारी नहीं की जानी चाहिए, तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा/जाएगी। किंतु नियम, परिनियम, अध्यादेश या अधिसूचना के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

संक्रमणकालीन उपबंध।

52. (1) रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, गुजरात में कार्यरत विद्यमान शासी बोर्ड, वित्त समिति और अन्य समितियों का उस समय तक कार्य करना जारी रहेगा, जब तक विश्वविद्यालय इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्राधिकरणों या समितियों का गठन नहीं कर लेता।

(2) रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, गुजरात के विद्यमान अधिकारियों, जैसे कुलपति, कुलसचिव या वित्त अधिकारी का उस समय तक कार्य करना जारी रहेगा, जब तक इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अधिकारियों की नियुक्ति नहीं कर ली जाती।

2009 के गुजरात अधिनियम 14 का निरसन।

53. (1) रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 को निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी—

(क) रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के अधीन की गई सभी नियुक्तियां, जारी किए गए सभी आदेश, प्रदत्त सभी डिग्रियां और अन्य विद्या संबंधी उपाधियां, प्रदान किए गए डिप्लोमा और सर्टिफिकेट, मंजूर विशेषाधिकार या की गई अन्य बातें इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन क्रमश: की गई, जारी की गई, प्रदत्त, मंजूर या की गई समझी जाएंगी और इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा या उनके अधीन यथा उपबंधित के सिवाय तब तक प्रवृत्त रहेंगी, जब तक उन्हें इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन किसी आदेश द्वारा अधिक्रांत नहीं कर दिया जाता; और

(ख) शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति या प्रोन्नति के लिए, चयन समिति या किसी अन्य प्राधिकरण, यदि कोई हो, की सभी कार्यवाहियों, जो इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले की गई थी तथा ऐसी चयन समिति या प्राधिकरण, यदि कोई हो, की सिफारिशों के संबंध में संबंधित प्राधिकरणों की सभी कार्रवाइयां, जहां इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले उसके आधार पर नियुक्ति का कोई आदेश पारित नहीं किया गया हो, इस बात के होते हुए भी कि चयन की प्रक्रिया इस अधिनियम द्वारा उपांतरित की गई है, विधिमान्य होना समझा जाएगा, किंतु ऐसे लंबित चयनों के संबंध में आगे की कार्यवाहियां इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार की जाएंगी और उस प्रक्रम से जारी रहेंगी, जहां से वे ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले थीं, इस बात के सिवाय कि संबंधित प्राधिकरण इसके प्रतिकूल कोई विनिश्चय लेता है।

कराधान और अन्य विधि (कतिपय उपबंधों का शिथिलीकरण और संशोधन) अधिनियम, 2020

(2020 का अधिनियम संख्यांक 38)

[29 सितम्बर, 2020]

कतिपय अधिनियमों के उपबंधों को शिथिल करने और उनके संशोधन का उपबंध करने के लिए और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कराधान और अन्य विधि (कतिपय उपबंधों का शिथिलीकरण और संशोधन) अधिनियम, 2020 है।

(2) यह अन्यथा उपबंधित के सिवाय, 31 मार्च, 2020 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

परिभाषाएं। 2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''अधिसूचना'' से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(ख) ''विनिर्दिष्ट अधिनियम'' से—

(i) धन-कर अधिनियम, 1957; 1957 का 27

(ii) आय-कर अधिनियम, 1961; 1961 का 43

(iii) बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम, 1988; 1988 का 45

(iv) वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 का अध्याय 7; 2004 का 22

(v) वित्त अधिनियम, 2013 का अध्याय 7; 2013 का 17

(vi) काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015; 2015 का 22

(vii) वित्त अधिनियम, 2016 का अध्याय 8; या 2016 का 28

(viii) प्रत्यक्ष-कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020, अभिप्रेत है। 2020 का 3

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु, यथास्थिति, विनिर्दिष्ट अधिनियम, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 या वित्त अधिनियम, 1994 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो क्रमशः उस अधिनियम में उनके हैं। 1944 का 1 1962 का 52 1975 का 51 1994 का 32

अध्याय 2

विनिर्दिष्ट अधिनियम के कतिपय उपबंधों का शिथिलीकरण

विनिर्दिष्ट अधिनियम के कतिपय उपबंधों का शिथिलीकरण।

3. (1) जहां विनिर्दिष्ट अधिनियम में कोई ऐसी समय-सीमा विनिर्दिष्ट या उसके अधीन विहित या अधिसूचित की गई है, जो 20 मार्च, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक की या 31 दिसम्बर, 2020 के पश्चात् ऐसी किसी अन्य तारीख तक की, जो केन्द्रीय सरकार ऐसी किसी कार्रवाई को पूरा करने या उसके अनुपालन के लिए, इस निमित्त, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, अवधि के दौरान आती है, जैसे—

(क) विनिर्दिष्ट अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी प्राधिकरण, आयोग या अधिकरण द्वारा, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, किसी कार्यवाही को पूरा करना या कोई आदेश पारित करना या कोई सूचना, संसूचना, अधिसूचना, मंजूरी या अनुमोदन जारी करना या ऐसी कोई अन्य कार्रवाई करना, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो;

(ख) विनिर्दिष्ट अधिनियम के उपबंधों के अधीन कोई अपील, प्रत्युत्तर या आवेदन फाइल करना या कोई रिपोर्ट, दस्तावेज, विवरणी, कथन या ऐसा कोई अन्य अभिलेख, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, प्रस्तुत करना; या

(ग) उस दशा में, जहां विनिर्दिष्ट अधिनियम आय-कर अधिनियम, 1961 है,— 1961 का 43

(i) (I) धारा 54 से धारा 54छख में या अध्याय 6क के ''ख-कतिपय संदायों की बाबत कटौतियां'' शीर्षक के अधीन किन्हीं उपबंधों के अधीन; या

(II) ऐसी शर्तों को, जो केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, पूरा करने के अधीन रहते हुए, उस अधिनियम के ऐसे अन्य उपबंधों में, अंतर्विष्ट उपबंधों के किसी कटौती, छूट या मोक का दावा करने के प्रयोजनों के लिए निवेश, निक्षेप, संदाय, अर्जन, क्रय, सन्निर्माण या कोई ऐसी अन्य कार्रवाई, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, करना; या

(ii) ऐसी दशा में, जहां विशेष आर्थिक जोन अधिनियम , 2005 के उपबंधों के अनुसार जारी किए जाने के लिए अपेक्षित अनुमोदन पत्र, 31 मार्च, 2020 को या इससे पूर्व जारी किया गया है, वहां उस अधिनियम की धारा 10कक में निर्दिष्ट वस्तुओं या चीजों का विनिर्माण या उत्पादन आरंभ करना या कोई सेवा प्रदान करना, 2005 का 28

और जहां ऐसी कार्रवाई को ऐसे समय के भीतर पूरा नहीं किया गया है या उसका अनुपालन नहीं किया गया है, तब ऐसी कार्रवाई को पूरा करने या उसके अनुपालन के लिए समय-सीमा, विनिर्दिष्ट अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, 31 मार्च, 2021 तक या 31 मार्च, 2021 के पश्चात् ऐसी अन्य तारीख तक, जो केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, विस्तारित हो जाएगी:

परंतु केन्द्रीय सरकार,भिन्न-भिन्न कार्रवाइयों को पूरा करने या उनके अनुपालन के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें विनिर्दिष्ट कर सकेगी:

परंतु यह और कि ऐसी कार्रवाई के अंतर्गत उपधारा (2) में यथा निर्दिष्ट किसी रकम का संदाय सम्मिलित नहीं है:

1961 का 43 परंतु यह भी कि जहां विनिर्दिष्ट अधिनियम, आय-कर अधिनियम, 1961 है और अनुपालन,—

(i) उसकी धारा 139 के अधीन,—

(क) 1 अप्रैल, 2019 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए विवरणी देने के संबंध में है, वहां इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानों "31 मार्च, 2021" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "30 सितम्बर, 2020" अंक और शब्द रखे गए हों;

(ख) 1 अप्रैल, 2020 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए विवरणी देने के संबंध में हैं, वहां इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो "31 मार्च, 2021" अंकों और शब्द के स्थान पर, "30 नवंबर, 2020" अंक और शब्द रखे गए हों;

(ii) यथास्थिति, फरवरी या मार्च, 2020 मास के लिए या 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए, उस अधिनियम की धारा 200 की उपधारा (2क) के अधीन स्रोत पर कर की कटौती का विवरण या उसकी धारा 206ग की उपधारा (3क) के अधीन स्रोत पर कर के संग्रहण का विवरण परिदत्त करने के संबंध में है, वहां इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो "31 मार्च, 2021" अंकों और शब्द के स्थान पर, "15 जुलाई, 2020" अंक और शब्द रखे गए हों;

(iii) यथास्थिति, फरवरी या मार्च, 2020 मास के लिए या 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए, उस अधिनियम की धारा 200 की उपधारा (3) के अधीन स्रोत पर कर की कटौती का विवरण या उसकी धारा 206ग की उपधारा (3) के परंतुक के अधीन स्रोत पर कर के संग्रहण का विवरण परिदत्त करने के संबंध में है, वहां इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो "31 मार्च, 2021" अंकों और शब्द के स्थान पर, "31 जुलाई, 2020" अंक और शब्द रखे गए हों;

(iv) 1 अप्रैल, 2019 को आरंभ होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए, उस अधिनियम की धारा 192 के अधीन कर की कटौती या संदाय के संबंध में उसकी धारा 203 के अधीन प्रमाणपत्र देने के संबंध में है, वहां इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो "31 मार्च, 2021" अंकों और शब्द के स्थान पर, "15 अगस्त, 2020" अंक और शब्द रखे गए हों;

(v) खंड (ग) के उपखंड (i) की मद (I) या उक्त खंड के उपखंड (ii) में निर्दिष्ट उस अधिनियम की धारा 54 से धारा 54छख के संबंध में है, वहां इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो,—

(क) पूरा करने या अनुपालन हेतु समय-सीमा के लिए, "31 दिसम्बर, 2020" अंकों और शब्द के स्थान पर, "29 सितम्बर, 2020" अंक और शब्द रखे गए हों; और

(ख) ऐसे पूरा करने या अनुपालन करने हेतु, "31 मार्च, 2021" अंकों और शब्द के स्थान पर, "30 सितम्बर, 2020" अंक और शब्द रखे गए हों;

(iv) खंड (ग) के उपखंड (i) की मद (I) में निर्दिष्ट उस अधिनियम के अध्याय 6क के "ख-कतिपय संदायों की बाबत कटौतियां" शीर्षक के अधीन किन्हीं उपबंधों के संबंध में है, वहां इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो,—

(क) पूरा करने या अनुपालन हेतु समय सीमा के लिए, "31 दिसम्बर, 2020" अंकों और शब्द के स्थान पर, "30 जुलाई, 2020" अंक और शब्द रखे गए हों; और

(ख) ऐसे पूरा करने या अनुपालन करने हेतु, ''31 मार्च, 2021'' अंकों और शब्द के स्थान पर, ''31 जुलाई, 2020'' अंक और शब्द रखे गए हों;

(vii) 1 अप्रैल, 2020 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए, उसके किसी उपबंध के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट देने के संबंध में है, वहां इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानों ''31 मार्च, 2021'' अंकों और शब्द के स्थान पर, ''31 अक्तूबर, 2020'' अंक और शब्द रखे गए हों:

परंतु यह भी कि तीसरे परंतुक के खंड (i) के उपखंड (ख) में यथा निर्दिष्ट तारीख का विस्तार, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 234क के स्पष्टीकरण को उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां कुल आय पर कर की 1961 का 43
ऐसी रकम, जो उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (i) से खंड (vi) में यथा विनिर्दिष्ट रकम द्वारा कम कर दी गई है, एक लाख रुपए से अधिक है:

परंतु यह और भी कि चौथे परंतुक के प्रयोजनों के लिए, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 207 की 1961 का 43
उपधारा (2) में निर्दिष्ट भारत में निवासी किसी व्यष्टि की दशा में, उस अधिनियम में उपबंधित देय तारीख (विस्तारित किए जाने से पूर्व) के भीतर उस अधिनियम की धारा 140क के अधीन उसके द्वारा संदत्त कर को अग्रिम कर समझा जाएगा:

परन्तु यह भी कि जहां विनिर्दिष्ट अधिनियम प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 है, इस 2020 का 3
उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो,—

(क) कार्रवाई को पूरा करने या उसके अनुपालन हेतु समय-सीमा के लिए, ''31 दिसंबर, 2020'' अंकों और शब्द के स्थान पर, ''30 दिसंबर, 2020'' अंक और शब्द रखे गए हों; और

(ख) ऐसे पूरा किए जाने या अनुपालन करने के लिए, ''31 मार्च, 2021'' अंकों और शब्द के स्थान पर, ''31 दिसंबर, 2020'' अंक और शब्द रखे गए हों।

(2) जहां विनिर्दिष्ट अधिनियम में, कर या उद्ग्रहण के मद्दे, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, किसी रकम का संदाय करने के लिए कोई ऐसी नियत तारीख विनिर्दिष्ट या विहित या अधिसूचित की गई है, जो 20 मार्च 2020 से 29 जून, 2020 या 29 जून, 2020 के पश्चात् किसी ऐसी तारीख तक की अवधि के दौरान आती है, जो केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट कर और यदि ऐसी रकम का संदाय उस तारीख तक नहीं किया गया है, किन्तु 30 जून, 2020 को या उसके पहले या 30 जून, 2020 के पश्चात् ऐसी अन्य तारीख को, जो केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, किया गया है तब विनिर्दिष्ट अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) ऐसी रकम की बाबत विलंब की अवधि के लिए संदेय ब्याज की दर, यदि कोई है, प्रत्येक मास या उसके किसी भाग के लिए तीन-चौथाई प्रतिशत से अधिक नहीं होगी;

(ख) ऐसी रकम की बाबत विलंब की अवधि के लिए कोई शास्ति उद्गृहीत नहीं की जाएगी और किसी अभियोजन की स्वीकृति नहीं दी जाएगी।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए ''विलंब की अवधि'' से नियत तारीख और उस तारीख के बीच, जिसको रकम का संदाय किया गया है, की अवधि अभिप्रेत है।

अध्याय 3

आय-कर अधिनियम, 1961 का संशोधन

1961 के अधिनियम सं॰ 43 का संशोधन।

4. आय-कर अधिनियम, 1961 में,— 1961 का 43

(I) धारा 6 में, 1 अप्रैल, 2021 से,—

(क) खंड (1) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ख) में, ''भारतीय मूल के ऐसे नागरिक या व्यक्ति की दशा में'' शब्दों के स्थान पर, ''ऐसे व्यक्ति की दशा में'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खंड (1क) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि यह खंड किसी ऐसे व्यष्टि की दशा में लागू नहीं होगा, जिसे खंड (1) के अधीन पूर्ववर्ष में भारत में निवासी कहा गया है।'';

(ग) खंड (6) के स्पष्टीकरण के अंत में, ''और जिसे भारत में प्रोद्‌भूत या उद्‌भूत नहीं समझा जाता है'' शब्द जोड़े जाएंगे;

(II) धारा 10 में,—

(क) खंड (4घ) में, 1 अप्रैल, 2021 से,—

(i) ''ऐसे संव्यवहार के लिए प्रतिफल को संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में, किसी अनिवासी द्वारा धारित इकाइयों के संबंध में व्युत्पन्न या उद्‌भूत या प्राप्त ऐसी आय की सीमा तक संदत्त किया गया है या संदेय है'' शब्दों के स्थान पर, ''ऐसे संव्यवहार के लिए प्रतिफल या किसी अनिवासी द्वारा (जो भारत में किसी अनिवासी का स्थायी स्थापन नहीं है) जारी प्रतिभूतियों के (भारत में निवासी कंपनी में के शेयरों से भिन्न) अंतरण के परिणामस्वरूप या उसके द्वारा जारी प्रतिभूति से कोई आय संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में संदत्त की गई है या संदेय है और जहां ऐसी आय भारत में अन्यथा प्रोद्‌भूत या उद्‌भूत नहीं हुई है या प्रतिभूतिकरण न्यास से कोई आय, जो ''कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ'' शीर्ष के अधीन उस सीमा तक प्रभार्य है, जिसे ऐसी आय, विहित रीति में संगणित अनिवासी (जो भारत में किसी अनिवासी का स्थायी स्थापन नहीं है) द्वारा धारित इकाइयों से प्रोद्‌भूत या उद्‌भूत है या प्राप्त की गई मानी जा सकती है'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) स्पष्टीकरण के खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्—

'(खक) ''स्थायी स्थापन'' का वही अर्थ होगा, जो उसका धारा 92च के खंड (iiiक) में है;

1956 का 42　(खख) ''प्रतिभूतियों'' का वही अर्थ होगा, जो उसका प्रतिभूति संविदा (विनियमन)अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (ज) में है और इसके अंतर्गत ऐसी अन्य प्रतिभूतियां या लिखतें भी हैं, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचित किया जाए;

(खग) ''प्रतिभूतिकरण न्यास'' का वही अर्थ होगा,जो उसका धारा 115 नगक के नीचे स्पष्टीकरण के खंड (घ) में है;';

(ख) खंड (23ग) में,—

(i) उपखंड में, ''कोष'' शब्द के पश्चात् ''या आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष (पीएम केयर्स फंड)'' शब्द और कोष्ठक अंत:स्थापित किए जाएंगे और 1 अप्रैल, 2020 से अंत:स्थापित किए गए समझे जाएंगे;

(ii) पहले और दूसरे परन्तुक के स्थान पर,—

(अ) 1 जून, 2020 से निम्नलिखित परन्तुक रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे अर्थात्:—

''परन्तु उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (viक) में निर्दिष्ट कोई निधि या न्यास या संस्था या कोई विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या कोई अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था विहित प्राधिकारी को उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (viक) के अधीन छूट अनुदत्त करने या उसे जारी रखने के प्रयोजन के लिए विहित प्ररूप और रीति में आवेदन करेगा:

परन्तु यह और कि विहित प्राधिकारी उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (viक) के अधीन किसी निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था का अनुमोदन करने से पूर्व, यथास्थिति, ऐसी निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था से ऐसे दस्तावेजों (जिसके अंतर्गत वार्षिक संपरीक्षित लेखे भी हैं) या जानकारी की मांग कर सकेगा जिसे वह, यथास्थिति, ऐसी निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था के क्रियाकलापों की वास्तविकता के बारे में और यथास्थिति, ऐसी निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि की ऐसी अपेक्षाओं का, जो उसके उद्देश्यों की पूर्ति के प्रयोजन के लिए सारवान् हो, पालन करने के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिए आवश्यक समझे और विहित प्राधिकारी ऐसी जांच भी कर सकेगा, जो वह इस निमित्त आवश्यक समझे:'';

(आ) 1 अप्रैल, 2021 से निम्नलिखित परन्तुक रखे जाएंगे, अर्थात्—

''परन्तु उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (viक) में निर्दिष्ट निधि या न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था को, संबंधित उपखंडों के अधीन छूट तब तक उपलब्ध नहीं होगी जब तक ऐसी निधि या न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था प्रधान आयुक्त या आयुक्त को विहित प्ररूप और रीति में अनुमोदन मंजूर करने के लिए हैं,—

(i) जहां ऐसी निधि या न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था को दूसरे परन्तुक के अधीन [जैसा वह उसके कराधान और अन्य विधियां (कतिपय उपबंधों का शिथिलीकरण और संशोधन) अधिनियम, 2020 द्वारा उसका संशोधन किए जाने से पूर्व विद्यमान था] 1 अप्रैल, 2021 से तीन मास के भीतर आवेदन नहीं करती है;

(ii) जहां ऐसी निधि या न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था को मंजूर किया जाता है और ऐसे अनुमोदन की अवधि का अवसान होने वाला है, वहां उक्त अवधि के अवसान के कम से कम छह मास पूर्व आवेदन नहीं करती है;

(iii) जहां ऐसी निधि या न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था को अनंतिम रूप से अनुमोदन मंजूर किया जाता है, वहां ऐसे अनंतिम अनुमोदन के अवसान से कम से कम छह मास पूर्व या उसके क्रियाकलापों के प्रारंभ होने के छह मास के भीतर, इनमें से जो भी पूर्वत्तर हो, आवेदन नहीं करती है;

(iv) किसी अन्य दशा में, उस निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के प्रारंभ होने से कम से कम एक मास पूर्व जिससे उक्त अनुमोदन की ईप्सा की गई है,

और उक्त निधि या न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था दूसरे परन्तुक के अधीन अनुमोदित है:

परन्तु यह और कि प्रधान आयुक्त या आयुक्त पहले परन्तुक के अधीन किए गए किसी आवेदन की प्राप्ति पर,—

(i) जहां आवेदन उक्त परन्तुक के खंड (i) के अधीन किया गया है वहां उसका पांच वर्ष की अवधि के लिए अनुमोदन मंजूर करते हुए लिखित आदेश पारित करेगा;

(ii) जहां आवेदन उक्त परन्तुक के खंड (ii) या खंड (iii) के अधीन किया गया है, वहां,—

(क) वह स्वयं का,—

(अ) ऐसी निधि या न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था के क्रियाकलापों की वास्तविकता के बारे में; और

(आ) उसके द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि की ऐसी अपेक्षाओं के अनुपालन के बारे में जो उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए महत्वपूर्ण हों समाधान करने के लिए उससे ऐसे दस्तावेज या जानकारी की मांग करेगा या ऐसी जांच करेगा जो वह आवश्यक समझे; और

(ख) उपखंड (क) की मद (अ) के अधीन उसके उद्देश्यों और क्रियाकलापों की वास्तविकता के बारे में और मद (आ) के अधीन अपेक्षाओं के अनुपालन के बारे में स्वयं का समाधान करने के पश्चात्,—

(अ) पांच वर्ष की अवधि के लिए उसका अनुमोदन मंजूर करते हुए लिखित में आदेश पारित करेगा;

(आ) यदि उसका समाधान नहीं होता है तो वह उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात् ऐसा आवेदन नामंजूर करते हुए और साथ ही अपने अनुमोदन को भी रद्द करते हुए लिखित में आदेश पारित करेगा;

(iii) जहां उक्त परन्तुक के खंड (iv) के अधीन आवेदन किया जाता है वहां उस निर्धारण वर्ष से, जिससे रजिस्ट्रीकरण की ईप्सा की गई है तीन वर्ष की अवधि के लिए अनंतिम रूप से इसका अनुमोदन मंजूर करते हुए लिखित में एक आदेश पारित करेगा और ऐसे आदेश की एक प्रति निधि या न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल अथवा अन्य आयुर्विज्ञान संस्था या अस्पताल अथवा अन्य आयुर्विज्ञान संस्था को भेजेगा;'';

(iii) आठवें और नौंवें परन्तुक के स्थान पर,—

(अ) 1 जून, 2020 से निम्नलिखित परन्तुक रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे, अर्थात्:—

''परन्तु यह भी कि केन्द्रीय सरकार द्वारा उस तारीख से पूर्व, जिसको कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2006 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, उपखंड (iv) या उपखंड (v) के अधीन जारी कोई अधिसूचना, किसी एक समय पर, तीन निर्धारण वर्षों से अनधिक ऐसे निर्धारण वर्ष या वर्षों के लिए (जिसके अंतर्गत उस तारीख से पूर्व, जिसको ऐसी अधिसूचना जारी की जाती है, आरंभ होने वाला या वाले निर्धारण वर्ष भी है या हैं) प्रभावी होगी, जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए:

परन्तु यह भी कि जहां पहले परन्तुक के अधीन कोई आवेदन उस तारीख को या उसके पश्चात् जिसको कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2006 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, किया जाता है वहां उस मास के अंत से जिसमें ऐसा आवेदन प्राप्त हुआ था, बारह मास की अवधि के भीतर उपखंड (iv) या उपखंड (v) के अधीन प्रत्येक अधिसूचना जारी की जाएगी या उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (viक) के अधीन अनुमोदन मंजूर किया जाएगा अथवा आवेदन को नामंजूर करते हुए आदेश पारित किया जाएगा;'';

(आ) 1 अप्रैल, 2021 से निम्नलिखित परन्तुक रखे जाएंगे, अर्थात्:—

''परन्तु यह भी कि दूसरे परन्तुक के अधीन मंजूर किया गया कोई अनुमोदन ऐसी निधि या न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था की आय के संबंध में,—

(i) जहां आवेदन, पहले परन्तुक के खंड (i) के अधीन किया गया वहां उस निर्धारण वर्ष से जिससे इसे पहले मंजूर किया गया था, लागू होगा;

(ii) जहां आवेदन, पहले परन्तुक के खंड (iii) के अधीन किया गया है वहां उन निर्धारण वर्षों के पहले निर्धारण वर्ष से जिसके लिए उसे अनंतिम अनुमोदन मंजूर किया गया था;

(iii) किसी अन्य दशा में उस वित्तीय वर्ष जिसमें ऐसा आवेदन किया गया है, ठीक पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष से लागू होगा:

परन्तु यह भी कि दूसरे परन्तुक के खंड (i), खंड (ii) के उपखंड (ख) और खंड (iii) के अधीन आदेश क्रमश: तीन मास, छह मास और एक मास की अवधि के अवसान से पूर्व ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, पारित किया जाएगा जिसकी संगणना उस मास के अंत से की जाएगी जिसमें आवेदन प्राप्त हुआ था;'';

(iv) बारहवें परन्तुक में ''धारा 12कक'' शब्द, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, ''धारा 12कक या धारा 12 कख'' शब्द, अंक और अक्षर 1 अप्रैल, 2021 से रखे जाएंगे;

(v) पंद्रहवें परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक 1 जून, 2020 से अंत:स्थापित किया जाएगा और अंत:स्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्:—

''परन्तु यह भी कि यदि पहले परन्तुक में निर्दिष्ट निधि या न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान

संस्था छूट देने या उसे जारी रखने के प्रयोजनों के लिए 1 जून, 2006 को या उसके पश्चात्, आवेदन करती है तो ऐसा आवेदन उस सुसंगत निर्धारण वर्ष के, जिससे छूट की ईप्सा की गई है, 30 सितम्बर को या उसके पूर्व किया जाएगा;'';

(vi) 1अप्रैल, 2021 से इस प्रकार अंत:स्थापित सोलहवें परन्तुक का लोप किया जाएगा;

(vii) अठारहवें परन्तुक के स्थान पर,—

(अ) निम्नलिखित परन्तुक 1 जून, 2020 से अंत:स्थापित किया जाएगा और अंत:स्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्:—

''परंन्तु यह भी कि ऐसे सभी लंबित आवेदन, जिन पर 1 जून, 2007 के पूर्व उपखंड (iv) या उपखंड (v) के अधीन कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है, उस दिन को विहित प्राधिकारी को अंतरित हो जाएंगे और विहित प्राधिकारी ऐसे आवेदनों पर उन उपखंडों के अधीन उस प्रक्रम से जिस पर वे उस दिन थे, कार्रवाई कर सकेगा;'';

(आ) 1 अप्रैल, 2021 से निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु यह भी कि पहले परन्तुक [जैसा वह कराधान और अन्य विधि (कतिपय उपबंधों का शिथिलीकरण और संशोधन) अधिनियम, 2020 द्वारा उसके संशोधन के पूर्व विद्यमान था] के अधीन किए गए सभी आवेदनों को, जो प्रधान आयुक्त या आयुक्त के समक्ष लंबित है और जिनके संबंध में 1 अप्रैल, 2021 के पूर्व कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, उस तारीख को पहले परन्तुक के खंड (iv) के अधीन किए गए आवेदनों के रूप में समझा जाएगा;'';

(ग) खंड (23चखख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड, 1 अप्रैल, 2021 से अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(23चखग) किसी विनिर्दिष्ट निधि से या किसी विनिर्दिष्ट निधि में इकाइयों के अंतरण पर, किसी इकाई धारक को प्रोद्भूत या उद्भूत या उसके द्वारा प्राप्त की गई कोई आय।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(क) ''विनिर्दिष्ट निधि'' पद का वही अर्थ होगा,जो उसका खंड (4घ) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) में है;

(ख) ''इकाई'' पद से निधि में किसी विनिधानकर्त्ता का फायदाप्रद हित अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत शेयर या भागीदारी हित भी है;';

(घ) खंड (23चङ) के स्पष्टीकरण में, 1 अप्रैल, 2021 से,—

(i) खंड (क) के उपखंड (ii) में, ''संयुक्त अरब अमीरात'' शब्दों के स्थान पर, ''आबू धाबी'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (ख) के उपखंड (vi) में, ''इस प्रयोजन के लिए'' शब्दों के पश्चात् ''और ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के लिए'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(iii) खंड (ग) के उपखंड (iv) में, ''इस प्रयोजन के लिए'' शब्दों के स्थान पर, ''इस प्रयोजन के लिए और ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के लिए'' शब्द रखे जाएंगे;

(III) धारा 11 में,—

(क) उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2 में, ''धारा 12कक'' शब्द, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, '',यथास्थिति, धारा 12कक या धारा 12कख'' शब्द, अंक और अक्षर 1 अप्रैल, 2021 से रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (7) में,—

(i) ''धारा 12कक या धारा 12कख के अधीन'' शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, ''धारा 12कक की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन'' शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे और 1 जून, 2020 से रखे गए समझे जाएंगे;

(ii) ''धारा 12कक की उपधारा (1) खंड (ख) के अधीन'' शब्दों, अंकों, अक्षरों और कोष्ठकों के स्थान पर, ''धारा 12कक या धारा 12कख के अधीन'' शब्द, अंक और अक्षर 1 अप्रैल, 2021 से रखे जाएंगे;

(iii) दूसरे परन्तुक में,—

(अ) ''धारा 12कख के अधीन'' शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, ''धारा 12कक के अधीन'' शब्द, अंक और अक्षर 1 जून, 2020 से रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे;

(आ) ''धारा 12कक के अधीन'' शब्दों, अंकों और अक्षरों के पश्चात्, ''या धारा 12कख'' शब्द,, अंक और अक्षर 1 अप्रैल, 2021 से अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(IV) धारा 12क में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) 1 जून, 2020 से खंड (कग) का लोप किया जाएगा और लोप किया गया समझा जाएगा;

(ii) खंड (कख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2021 से अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''(कग) खंड (क) से खंड (कख) में किसी बात के होते हुए भी, आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति ने न्यास या संस्था के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रधान आयुक्त या आयुक्त को विहित प्ररूप और रीति में वहां आवेदन किया है,—

(i) जहां न्यास या संस्था को, 1 अप्रैल, 2021 से तीन मास के भीतर धारा 12क के अधीन [जैसी वह वित्त (सं० 2) अधिनियम, 1996 द्वारा 1996 का 33
उसके संशोधन से पूर्व विद्यमान थी] या धारा 12कक के अधीन [जैसी वह कराधान और अन्य विधि (कतिपय उपबंधों का शिथिलीकरण और संशोधन) अधिनियम, 2020 द्वारा उसके संशोधन से पूर्व विद्यमान थी] रजिस्ट्रीकृत किया जाता है;

(ii) जहां न्यास या संस्था धारा 12कख के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और उक्त रजिस्ट्रीकरण की अवधि उक्त अवधि की समाप्ति से कम से कम छह मास पूर्व समाप्त होने वाली है;

(iii) जहां न्यास या संस्था को धारा 12कख के अधीन अनंतिम रूप से रजिस्ट्रीकरण की अवधि की समाप्ति से कम से कम छह मास पूर्व या उसके क्रियाकलापों के प्रारंभ के छह मास के भीतर, इसमें जो भी पूर्वतर हो अनंतिम रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया है;

(iv) जहां न्यास या संस्था का रजिस्ट्रीकरण, उस निर्धारण वर्ष के, जिससे उक्त रजिस्ट्रीकरण को प्रवर्तनीय बनाने की ईप्सा की गई है प्रारंभ से कम से कम छह मास पूर्व धारा 11 की उपधारा (7) के पहले परंतुक के कारण अप्रवर्तनीय हो गई है;

(v) जहां न्यास या संस्था ने ऐसे उद्देश्यों को, जो रजिस्ट्रीकरण की शर्तों के अनुरूप नहीं हैं, उक्त अंगीकार या उपांतरण की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, अंगीकृत या उपांतरित किया है;

(vi) किसी अन्य दशा में ऐसे निर्धारण वर्ष से, जिसमें उक्त रजिस्ट्रीकरण की ईप्सा की गई है, सुसंगत पूर्ववर्ष के प्रारंभ से कम से कम एक मास पूर्व,

और ऐसा न्यास या संस्था धारा 12कख के अधीन रजिस्ट्रीकृत है;

(ख) उपधारा (2) में,—

(अ) 1 जून, 2020 से,—

(i) पहले परंतुक का लोप किया जाएगा और लोप किया गया समझा जाएगा;

(ii) दूसरे परंतुक में ''परंतु यह और कि जहां रजिस्ट्रीकरण धारा 12कक या धारा 12कख के अधीन न्यास या संस्था को मंजूर किया गया है'' शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर ''परंतु जहां रजिस्ट्रीकरण धारा 12कक के अधीन न्यास या संस्था को मंजूर किया गया है'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे;

(iii) तीसरे परंतुक में, ''परंतु यह भी कि'' शब्दों के स्थान पर ''परंतु यह और कि'' शब्द रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे;

(iv) चौथे परंतुक में, ''धारा 12कक या धारा 12कख'' शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, ''धारा 12कक शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे;

(आ) 1 अप्रैल, 2021 से,—

(i) पहले परंतुक में ''परंतु जहां रजिस्ट्रीकरण धारा 12कक के अधीन न्यास या संस्था को मंजूर किया गया है'' शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌:—

''परंतु किसी न्यास या संस्था को धारा 11 और धारा 12 के उपबंध, जहां आवेदन,—

(क) उपधारा (1) के खंड (कग) के उपखंड (i) के अधीन किया गया है, वहां उस निर्धारण वर्ष से, जिससे ऐसे न्यास या संस्था को पहले रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया गया था, लागू होंगे;

(ख) उपधारा (1) के खंड (कग) के उपखंड (iii) के अधीन किया गया है वहां ऐसे निर्धारण वर्ष के उस प्रथम निर्धारण वर्ष से, जिसके लिए उसे अनंतिम रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया था, लागू होंगे:

परंतु यह और कि जहां रजिस्ट्रीकरण धारा 12कक या धारा 12कख के अधीन न्यास या संस्था को मंजूर किया गया है;'';

(ii) दूसरे परंतुक में ''परंतु यह और कि'' शब्दों के स्थान पर ''परंतु यह भी कि'' शब्द रखे जाएंगे;

(iii) चौथे परंतुक में ''धारा 12कक'' शब्द, अंकों और अक्षरों के स्थान पर ''धारा 12कक या धारा 12कख'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(V) धारा 12कक, में,—

(क) उपधारा (5) का लोप किया जाएगा और 1 जून, 2020 से लोप किया गया समझा जाएगा;

(ख) उपधारा (4) के पश्चात् निमनलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2021 से अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(5) इस धारा की कोई बात 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् लागू नहीं होगी।'';

(VI) धारा 12कख का लोप किया जाएगा और 1 जून, 2020 से लोप किया गया समझा जाएगा;

(VII) धारा 12कक के पश्चात् निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2021 से अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

नए सिरे से रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रक्रिया।

''12कख. (1) प्रधान आयुक्त या आयुक्त, धारा 12क की उपधारा (1) के खंड (कग) के अधीन किए गए आवेदन की प्राप्ति पर—

(क) जहां आवेदन, उक्त खंड के उपखंड (i) के अधीन किया गया है वहां पांच वर्ष की अवधि के लिए न्यास या संस्था को रजिस्ट्रीकृत करते हुए एक लिखित आदेश पारित करेगा;

(ख) जहां आवेदन उक्त खंड के उपखंड (ii) या उपखंड (iii) या उपखंड (iv) या उपखंड (v) के अधीन किया गया है,—

(i) वहां न्यास या संस्था से ऐसे दस्तावेज या जानकारी की मांग करेगा या ऐसी जांच करेगा, जो वह—

(अ) न्यास या संस्था के क्रियाकलापों की वास्तविकता के बारे में; और

(आ) न्यास या संस्था द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि की ऐसी अपेक्षाओं के अनुपालन के बारे में जो उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए महत्वपूर्ण हो;

(ii) वहां उपखंड (i) की मद (अ) के अधीन न्यास और संस्था के उद्देश्यों और क्रियाकलापों की वास्तविकता और मद (आ) के अधीन अपेक्षाओं के अनुपालन के बारे में स्वयं का समाधान करने के पश्चात्—

(अ) पांच वर्ष की अवधि के लिए न्यास या संस्था को रजिस्ट्रीकृत करते हुए एक लिखित आदेश पारित करेगा; या

(आ) यदि उसका इस प्रकार समाधान नहीं होता है, तो सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् ऐसे आवेदन को नामंजूर करते हुए और रजिस्ट्रीकरण को भी रद्द करते हुए एक लिखित आदेश पारित करेगा;

(ग) जहां कोई आवेदन उक्त खंड के उपखंड (vi) के अधीन किया गया है, वहां उस निर्धारण वर्ष से, जिससे रजिस्ट्रीकरण की ईप्सा की गई है, तीन वर्ष की अवधि के लिए न्यास या संस्था को अनंतिम रूप से रजिस्ट्रीकृत करते हुए लिखित आदेश पारित करेगा,

और ऐसे आदेश की एक प्रति न्यास या संस्था को भेजेगा।

(2) प्रधान आयुक्त या आयुक्त के समक्ष लंबित ऐसे सभी आवेदनों को, जिस पर धारा 12कक की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन उस तारीख के पूर्व जिसको यह धारा प्रवृत्त हुई है कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, उस तारीख को धारा 12क की उपधारा (1) के खंड (कग) के उपखंड (vi) के अधीन किया गया आवेदन समझा जाएगा।

(3) उपधारा (1) के खंड (क), खंड (ख) के उपखंड (ii) और खंड (ग) के अधीन कोई आदेश, उस मास के, जिसको आवेदन प्राप्त हुआ था, अन्त से संगणित क्रमश: तीन मास, छह मास और एक मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व ऐसे प्ररूप और रीति में पारित किया जाएगा जो विहित की जाए।

(4) जहां किसी न्यास या संस्था का रजिस्ट्रीकरण उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन मंजूर किया गया है और तपश्चात् प्रधान आयुक्त या आयुक्त का यह समाधान हो जाता है, यथास्थिति, ऐसे न्यास या संस्था के क्रियाकलाप वास्तविक नहीं हैं या न्यास या संस्था के उद्देश्यों के अनुसार नहीं किए जा रहे हैं, वहां वह सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ऐसे न्यास या संस्था का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए लिखित आदेश पारित करेगा।

(5) उपधारा (4) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां न्यास या संस्था का रजिस्ट्रीकरण उपधारा (1) के खंड के खंड (ख) के अधीन मंजूर किया गया है और तत्पश्चात् यह अपेक्षा की गई है कि—

(क) न्यास या संस्था के क्रियाकलाप ऐसी रीति में किए जा रहे हैं जिससे धारा 13 की उपधारा (1) के प्रचालन के कारण ऐसे न्यास या संस्था की संपूर्ण आय या उसके किसी भाग को अपवर्जित करते हुए धारा 11 और धारा 12 के उपबंध लागू नहीं होते हैं; या

(ख) न्यास या संस्था ने उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (i) की मद (आ) में यथानिर्दिष्ट किसी अन्य विधि की अपेक्षा का अनुपालन नहीं किया है और आदेश, निदेश या डिक्री, चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, यह अभिनिर्धारित किया है कि ऐसा अननुपालन हुआ है, जो या तो विवादग्रस्त नहीं है या उसने अंतिमता प्राप्त कर ली है,

वहां प्रधान आयुक्त या आयुक्त युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् लिखित आदेश द्वारा ऐसे न्यास या संस्था का रजिस्ट्रीकरण र्द्द कर सकेगा।'';

(VIII) धारा 13 के स्पष्टीकरण 1 में, ''12क'' अंकों और अक्षर के पश्चात् ''12कक, 12कख'' अंक और अक्षर, 1 अप्रैल, 2021 से अंत:स्थपित किए जाएंगे;

(IX) धारा 35 में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) खंड (iii) के स्पष्टीकरण में, 1 जून, 2020 से,—

(अ) ''खंड (ii) या खंड (iii) या कोई कंपनी जिसे खंड (ii क) लागू होता है'' शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, ''खंड (ii) या खंड (iii) लागू होता है'' शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे;

(आ) ''खंड (ii) या खंड (iii) में निर्दिष्ट संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था को या खंड (iiक) में निर्दिष्ट किसी कंपनी को'' शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, ''खंड (ii) या खंड (iii) में निर्दिष्ट संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था को'' शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे;

(ii) उपखंड (iii) के स्पष्टीकरण में, 1 अप्रैल, 2021 से,—

(अ) ''जिसे खंड (ii) या खंड (iii) लागू होता है'' शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, ''खंड (ii) या (iii) या कोई कंपनी जिसे खंड (ii क) लागू होता है'' शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(आ) ''खंड (ii) या खंड (iii) में निर्दिष्ट संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्‌यालय या अन्य संस्था को'' के स्थान पर ''खंड (ii) या खंड (iii) में निर्दिष्ट संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था को या खंड (iiक) में निर्दिष्ट किसी कंपनी को'' शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(iii) खंड (iv) के पश्चात् आने वाले पांचवें और छठे परंतुक का लोप किया जाएगा और 1 जून, 2020 से लोप किया गया समझा जाएगा;

(iv) खंड (iv) के पश्चात् आने वाले चौथे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक 1 अप्रैल, 2021 से अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

''परंतु यह भी कि अनुसंधान संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था के संबंध में खंड (ii) या खंड (iii) के अधीन या कंपनी के संबंध में खंड (ii क) के अधीन उस तारीख को या उसके पूर्व जिसको यह उपधारा प्रवृत्त हुई है, जारी प्रत्येक अधिसूचना तब तक वापस ली गई नहीं समझी जाएगी, जब तक खंड (ii) या खंड (iii) में निर्दिष्ट अनुसंधान संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था या खंड (iiक) में निर्दिष्ट कंपनी उस तारीख से, जिसको यह परन्तुक प्रवृत्त हुआ है, तीन मास के भीतर विहित आय-कर प्राधिकारी को ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित किया जाए सूचित नहीं कर देता है तथा ऐसी सूचना के अधीन रहते हुए, अधिसूचना 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से आरंभ होने वाले पांच क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगी:

परंतु यह भी खंड (ii) या खंड (iiक) या खंड (iii) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्‌वारा जारी कोई अधिसूचना उस तारीख के पश्चात् जिसको कराधान और अन्य विधि (कतिपय उपबंधों का शिथिलीकरण और संशोधन) अधिनियम, 2020 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, किसी भी एक समय, पांच निर्धारण वर्षों से अनधिक ऐसे निर्धारण वर्ष या वर्षों के लिए प्रभावी होगी, जो अधिसूचना में विहित किया जाए।'';

(ख) उपधारा (1क) का लोप किया जाएगा और 1 जून, 2020 से लोप किया गया समझा जाएगा;

(ग) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा, 1 अप्रैल, 2021 से अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(1क) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उपधारा (1) के खंड (ii) या खंड (iii) में निर्दिष्ट अनुसंधान संगम, विश्वविद्‌यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था अथवा खंड (iiक) में निर्दिष्ट कंपनी, उक्त उपधारा के संबंधित खंडों के अधीन तब तक कटौती की हकदार नहीं होगी जब तक ऐसा अनुसंधान संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था या कंपनी—

(i) ऐसा विवरण ऐसी अवधि के लिए, जो विहित की जाए तैयार नहीं करती है और ऐसा विवरण ऐसे प्ररूप में ऐसी रीति में सत्यापित, ऐसी विशिष्टियों को उपवर्णित करते हुए और ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाए, उक्त विहित आय-कर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त नहीं किया जाता है या परिदत्त नहीं करवाया जाता है:

परंतु ऐसा अनुसंधान संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था अथवा कंपनी विहित प्राधिकारी को, इस उपधारा के अधीन परिदत्त

विवरण में दी गई सूचना में किसी भूल का सुधार करने या उसमें जोड़ने, हटाने या अद्यतन करने के लिए ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में जो विहित की जाए सत्यापित एक संशोधन विवरण भी परिदत्त कर सकेगी; और

(ii) दाता को, ऐसी रीति में ऐसी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट करते हुए तथा धनराशि की प्राप्ति की तारीख से ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, दान की रकम विनिर्दिष्ट करने वाला एक प्रमाणपत्र नहीं दे देता है।'';

(X) धारा 35कग में, 1 नवंबर, 2020 से,—

(i) उपधारा (4) में,—

(क) खंड (i) में, ''उस समिति'' शब्दों के स्थान पर, ''प्रधान मुख्य आय-कर आयुक्त (छूट) या मुख्य आय-कर आयुक्त (छूट)'' शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(ख) खंड (ii) में, ''राष्ट्रीय समिति'' शब्दों के स्थान पर, ''प्रधान मुख्य आय-कर आयुक्त (छूट) या मुख्य आय-कर आयुक्त (छूट)'' शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(ग) दीर्घ पंक्ति में, ''राष्ट्रीय समिति'' शब्दों के स्थान पर, ''प्रधान मुख्य आय-कर आयुक्त (छूट) या मुख्य आय-कर आयुक्त (छूट)'' शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(घ) परंतुक में, ''राष्ट्रीय समिति'' शब्दों के स्थान पर, ''प्रधान मुख्य आय-कर आयुक्त (छूट) या मुख्य आय-कर आयुक्त (छूट)'' शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (5) में,—

(क) खंड (i) में, ''राष्ट्रीय समिति'' शब्दों के स्थान पर, ''प्रधान मुख्य आय-कर आयुक्त (छूट) या मुख्य आय-कर आयुक्त (छूट)'' शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(ख) पहले परंतुक में, ''राष्ट्रीय समिति'' शब्दों के स्थान पर, ''प्रधान मुख्य आय-कर आयुक्त (छूट) या मुख्य आय-कर आयुक्त (छूट)'' शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(iii) उपधारा (6) के खंड (ii) में, ''राष्ट्रीय समिति'' शब्दों के पश्चात्, ''प्रधान मुख्य आय-कर आयुक्त (छूट) या मुख्य आय-कर आयुक्त (छूट)'' शब्द और कोष्ठक अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(XI) धारा 56 की उपधारा (2) में,—

(क) 1 जून, 2020 से,—

(i) खंड (v) के परंतुक के खंड (छ) में, ''धारा 12कक या धारा 12कख'' शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, ''धारा 12कक'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे;

(ii) खंड (vi) के परंतुक के खंड (छ) में, ''धारा 12कक या धारा 12कख'' शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, ''धारा 12कक'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे;

(iii) खंड (vii) के परंतुक के खंड (छ) में, ''धारा 12कक या धारा 12कख'' शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, ''धारा 12कक'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे;

(ख) 1 अप्रैल, 2021 से,—

(i) खंड (v) के परंतुक के खंड (छ) में, ''धारा 12कक'' शब्द, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, ''धारा 12कक या धारा 12कख'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ii) खंड (vi) के परंतुक के खंड (छ) में, ''धारा 12कक'' शब्द, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, ''धारा 12कक या धारा 12कख'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(iii) खंड (vii) के दूसरे परंतुक के खंड (छ) में, ''धारा 12कक'' शब्द, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, ''धारा 12कक या धारा 12कख'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ग) खंड (i) के परंतुक के खंड (vii) में,—

(i) ''धारा 12क या धारा 12कक या धारा 12कख'' शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, ''धारा 12क या धारा 12कक'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे और 1 जून, 2020 से रखे गए समझे जाएंगे;

(ii) ''धारा 12क या धारा 12कक'' शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, ''धारा 12क या धारा 12कक या धारा 12कख'' शब्द, अंक और अक्षर 1 अप्रैल, 2021 से रखे जाएंगे;

(XII) धारा 80छ में,—

(क) उपधारा (2) के खंड (क) के उपखंड (iiiक) में, ''कोष'' शब्द के पश्चात्, ''या आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष (पीएम केयर्स फंड)'' शब्द और कोष्ठक अंत:स्थापित किए जाएंगे और 1 अप्रैल, 2020 से अंत:स्थापित किए गए समझे जाएंगे;

(ख) उपधारा (5) में,—

(i) 1 जून, 2020 से,—

(अ) खंड (vi) में, ''प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा अनुमोदित'' शब्दों के स्थान पर ''इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार आयुक्त द्वारा अनुमोदित और'' शब्द रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे;

(आ) खंड (viii) और खंड (ix) का लोप किया जाएगा और लोप किया गया समझा जाएगा;

(ii) 1 अप्रैल, 2021 से,—

(अ) खंड (vi) में, ''इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार आयुक्त द्वारा अनुमोदित'' शब्दों के स्थान पर, ''प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा अनुमोदित'' शब्द रखे जाएंगे;

(आ) उपखंड (vii) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

''(viii) संस्था या निधि ऐसी अवधि के लिए, जो विहित की जाए ऐसा विवरण तैयार करती है और ऐसा विवरण ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में सत्यापित तथा ऐसी विशिष्टियां उपवर्णित करते हुए और ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाए, विहित आय-कर प्राधिकारी को या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त किया जाता है या परिदत्त करवाया जाता है:

परन्तु यह कि संस्था या निधि उक्त विहित प्राधिकारी को इस उपधारा के अधीन परिदत्त विवरण में दी गई जानकारी में किसी भूल का सुधार करने के लिए या उसमें जोड़ने, हटाने या अद्यतन करने के लिए ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से सत्यापित एक संशोधन विवरण परिदत्त कर सकेगी; और

(ix) संस्था या निधि दाता को, ऐसी रीति में की रकम विनिर्दिष्ट करते हुए, ऐसी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट करते हुए और दान की प्राप्ति की तारीख से ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, एक प्रमाणपत्र देगी:

परंतु खंड (vi) में निर्दिष्ट संस्था या निधि, अनुमोदन मंजूर करने के लिए विहित प्ररूप और रीति में प्रधान आयुक्त या आयुक्त को—

(i) जहां संस्था या निधि का खंड (vi) [जैसा वह कराधान और अन्य विधि (कतिपय उपबंधों का शिथिलीकरण और संशोधन) अधिनियम, 2020 द्वारा उसका संशोधन किए जाने के ठीक पहले विद्यमान था] के अधीन अनुमोदन किया गया है वहां 1 अप्रैल, 2020 से तीन मास के भीतर आवेदन करेगी;

2020 का 12

(ii) जहां संस्थान या निधि का अनुमोदन कर दिया गया है और ऐसे अनुमोदन की अवधि, समाप्त होने वाली है, वहां उक्त अवधि की समाप्ति से कम से कम छह माह पूर्व आवेदन करेगी;

(iii) जहां संस्थान या निधि का अनंतिम रूप अनुमोदन कर दिया गया है वहां अनंतिम अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के कम से कम छह मास पहले या उसके क्रियाकलापों के प्रारंभ होने के छह मास के भीतर, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, आवेदन करेगी;

(iv) किसी अन्य दशा में, उस निर्धारण वर्ष से जिससे उक्त अनुमोदन की ईप्सा की गई है सुसंगत पूर्ववर्ष के आरंभ से कम से कम एक मास पूर्व, आवेदन करेगी:

परंतु यह और कि प्रधान आयुक्त या आयुक्त पहले परंतुक के अधीन किए गए किसी आवेदन की प्राप्ति पर—

(i) जहां आवेदन उक्त परंतुक के खंड (i) के अधीन किया गया है वहां पांच वर्ष की अवधि के लिए अनुमोदन मंजूर करते हुए एक लिखित आदेश पारित करेगा;

(ii) जहां आवेदन उक्त परंतुक के खंड (ii) या खंड (iii) के अधीन किया गया है, वहां वह—

(क) उससे ऐसे दस्तावेजों या सूचना की मांग करेगा या ऐसी जांच करेगा जो वह—

(अ) ऐसी संस्था या निधि के क्रियाकलापों की वास्तविकता; और

(आ) खंड (i) से खंड (v) में अधिकथित सभी शर्तों को पूरा किए जाने,

के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिए आवश्यक समझे;

(ख) उक्त उपखंड (क) की मद (अ) के अधीन क्रियाकलापों की वास्तविकता के बारे में और मद (आ) के अधीन सभी शर्तों के पूरा किए जाने के बारे में स्वयं का समाधान करने के पश्चात्—

(अ) पांच वर्ष की अवधि के लिए उसे अनुमोदन मंजूर करते हुए, एक लिखित आदेश पारित करेगा; या

(आ) यदि उसका समाधान नहीं होता है तो उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात्

ऐसे आवेदन को नामंजूर करते हुए और उसके अनुमोदन को भी रद्द करते हुए एक लिखित आदेश पारित करेगा;

(iii) जहां आवेदन उक्त परंतुक के खंड (iv) के अधीन किया गया है वहां वह उस निर्धारण वर्ष, जिससे रजिस्ट्रीकरण की ईप्सा की गई है से तीन वर्ष की अवधि के लिए उसे अनंतिम रूप से अनुमोदन मंजूर करते हुए लिखित आदेश पारित करेगा,

और ऐसे आदेश की एक प्रति संस्था या निधि को भेजेगा:

परंतु यह भी कि पहले परंतुक के खंड (i), खंड (ii) के उपखंड (ख) और खंड (iii) के अधीन आदेश, उस मास के अंत से, जिसमें आवेदन प्राप्त हुआ है या संगणित क्रमशः तीन मास, छह मास और एक मास की अवधि की समाप्ति से पहले ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित की जाए, पारित किया जाएगा:

परंतु यह भी कि दूसरे परंतुक के अधीन मंजूर किया गया अनुमोदन संस्था या निधि को वहां लागू होगा जहां आवेदन,—

(क) पहले परंतुक के खंड (i) के अधीन, उस निर्धारण वर्ष से, जिससे ऐसी संस्था या निधि को अनुमोदन पूर्व में मंजूर किया गया था, किया गया है;

(ख) ऐसे निर्धारण वर्षों में से जिनके लिए ऐसी संस्था या निधि को अनंतिम रूप से अनुमोदन मंजूर किया गया था, पहले निर्धारण वर्ष से पहले परन्तुक के खंड (iii) के अधीन किया गया है;

(ग) किसी अन्य दशा में, उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें ऐसा आवेदन किया गया है के ठीक पश्चात्‌वर्ती निर्धारण वर्ष से किया गया है।'';

(ग) उपधारा (5ङ) का लोप किया जाएगा और 1 जून, 2020 से लोप किया गया समझा जाएगा;

(घ) उक्त उपधारा (5घ) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2021 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(5ङ) आयुक्त के समक्ष लंबित सभी आवेदन, जिन पर उपधारा (5) के खंड (vi) के अधीन उस तारीख से पूर्व, जिसको यह उपधारा प्रवृत्त हुई है कोई आदेश पारित नहीं किया गया है जिसको उस तारीख से उपधारा (5) के पहले परंतुक के खंड (iv) के अधीन किए गए आवेदन समझे जाएंगे।'';

(ङ) स्पष्टीकरण 2क का लोप किया जाएगा और 1 जून, 2020 से लोप किया गया समझा जाएगा;

(च) स्पष्टीकरण 2 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण 1 अप्रैल, 2021 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''**स्पष्टीकरण 2क—**शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि निर्धारिती द्वारा किसी निर्धारण वर्ष के लिए फाइल की गई आय की विवरणी में किसी ऐसी संस्था या निधि को, जिसे उपधारा (5) के उपबंध लागू होते हैं, किए गए किसी दान के संबंध में कटौती के लिए उसके दावे को, संस्था या निधि द्वारा उक्त दान के संबंध में विहित आय-कर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को दी गई सूचना के आधार

पर, बोर्ड द्वारा समय-समय पर विरचित जोखिम प्रबंध रणनीति के अनुसार सत्यापन के अधीन रहते हुए अनुज्ञात किया जाएगा।'';

(XIII) धारा 92गक की उपधारा (7) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं 1 नवम्बर, 2020 से अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

''(8) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (3) के अधीन असन्निकट कीमत के अवधारण के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, स्कीम बना सकेगी, जिससे,—

(क) अंतरण मूल्यांकन अधिकारी और निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति के मध्य, प्रौद्योगिकीय रूप से साध्य सीमा तक, अंतरापृष्ठ को समाप्त करके;

(ख) अधिक मात्रा में संसाधनों के ईष्टतम उपयोग और कार्यात्मक विशिष्टता के द्वारा;

(ग) ऐसी सक्रिय अधिकारिता के साथ असन्निकट कीमत के टीम आधारित अवधारण को समाविष्ट करके,

बेहतर दक्षता, पारदर्शिता और जबावदेही लाई जा सके।

(9) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (8) के अधीन बनाई गई स्कीम को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबंधों में से कोई उपबंध ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों सहित, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, लागू नहीं होगा या लागू होगा:

परंतु 31 मार्च, 2022 के पश्चात् कोई निदेश जारी नहीं किया जाएगा।

(10) उपधारा (8) और उपधारा (9) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना, अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।'';

(XIV) धारा 115कघ में, 1 अप्रैल, 2021 से,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) आरंभिक भाग में, ''विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता'' शब्दों के स्थान पर, ''विनिर्दिष्ट निधि या विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

''(i) खंड (क) में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के संबंध में आय पर संगणित आय कर की रकम, यदि कोई हो, जो,—

(अ) विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता की दशा में बीस प्रतिशत की दर से;

(आ) विनिर्दिष्ट निधि की दशा में दस प्रतिशत की दर से,

कुल आय में सम्मिलित है;'';

(iii) खंड (iv) में, ''विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता'' शब्दों के स्थान पर, ''विनिर्दिष्ट निधि या विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(1क) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, विनिर्दिष्ट निधि की दशा में, इस धारा का उपबंध केवल आय की उस सीमा तक लागू होगा, जिन्हें विहित रीति में संगणित अनिवासी (जो भारत में किसी अनिवासी का स्थायी स्थापन नहीं है) द्वारा धारित यूनिटें माना जा सकता है।'';

(ग) उपधारा (2) में, ''विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता'' शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, ''विनिर्दिष्ट निधि या विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता'' शब्द रखे जाएंगे;

(घ) स्पष्टीकरण के खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2021 से रखे जाएंगे, अर्थात्:—

'(ख) ''स्थायी स्थापन'' का वही अर्थ होगा, जो उसका धारा 92च के खंड (iiiक) में है;

(ग) ''प्रतिभूति'' पद का वही अर्थ होगा, जो उसका प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (ज) में है; 1956 का 42

(घ) ''विनिर्दिष्ट निधि'' पद का वही अर्थ होगा, जो उसका धारा 10 के खंड (4घ) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) में है।';

(XV) धारा 115खखघक के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के उपखंड (iii) में,—

(i) ''धारा 12क या धारा 12कक या धारा 12कख के अधीन'' शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर ''धारा 2क या धारा 12कक के अधीन'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे और 1 जून, 2020 से रखे गए समझे जाएंगे;

(ii) धारा 12क या धारा 12कक'' शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, ''धारा 12क या धारा 12कक या धारा 12कख'' शब्द, अंक और अक्षर 1 अप्रैल, 2021 से रखे जाएंगे;

(XVI) धारा 115ञङङ की उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2021 से अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(2क) इस अध्याय के उपबंध, धारा 10 के खंड (4घ) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट निधि को लागू नहीं होंगे।'';

(XVII) धारा 115नघ में,—

(i) ''धारा 12कक या धारा 12कख के अधीन'' शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, ''धारा 12कक के अधीन'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे और 1 जून, 2020 से रखे गए समझे जाएंगे;

(ii) ''धारा 12कक के अधीन'' शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, ''धारा 12कक या धारा 12कख के अधीन'' शब्द, अंक और अक्षर 1 अप्रैल, 2021 से रखे जाएंगे;

(XVIII) धारा 129 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 नवंबर, 2020 से अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

आय-कर प्राधिकारियों की पहचानविहीन अधिकारिता।

''130. (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,—

(क) धारा 120 में यथानिर्दिष्ट इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन आय-कर प्राधिकारियों को, यथास्थिति, प्रदत्त या समनुदेशित सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग और सभी या किन्हीं कृत्यों का पालन करने; या

(ख) धारा 124 में यथानिर्दिष्ट निर्धारण अधिकारी को अधिकारिता निहित करने; या

(ग) धारा 127 के अधीन मामलों का अंतरण करने की शक्ति का प्रयोग करने; या

(घ) धारा 129 में यथानिर्दिष्ट पदधारण में परिवर्तन की दशा में अधिकारिता का प्रयोग करने,

के प्रयोजनों के लिए एक स्कीम बना सकेगी जिससे,—

(i) आय-कर प्राधिकारी और निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति के मध्य, प्रौद्योगिकीय रूप से साध्य सीमा तक, अंतरापृष्ठ को समाप्त करके;

(ii) अधिक मात्रा में संसाधनों के ईष्टतम उपयोग और कार्यात्मक विशिष्टता के द्वारा;

(iii) सक्रिय अधिकारिता के साथ एक साथ मिलकर दो या अधिक आय-कर प्राधिकारियों द्वारा किसी क्षेत्र या व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग या आय या आय के वर्ग या मामले या मामलों के वर्ग के संबंध में टीम आधारित शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों के पालन को समाविष्ट करके,

बेहतर दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाई जा सके।

(2) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन बनाई गई स्कीम को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबंधों में से कोई उपबंध ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों सहित, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, लागू नहीं होगा या लागू होगा :

परंतु 31 मार्च, 2022 के पश्चात् कोई निदेश जारी नहीं किया जाएगा।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना, अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।'';

(XIX) धारा 133क में, 1 नवंबर, 2020 से,—

(i) उपधारा (6) में परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु आय-कर प्राधिकारी द्वारा, इस धारा के अधीन कोई भी कार्रवाई प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक या प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त के अनुमोदन के बिना नहीं की जाएगी।'';

(ii) स्पष्टीकरण के खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

'(क) ''आय-कर प्राधिकारी'' से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(i) कोई प्रधान आयुक्त या आयुक्त या कोई प्रधान निदेशक या निदेशक या कोई संयुक्त आयुक्त या संयुक्त निदेशक, कोई सहायक निदेशक या कोई उप निदेशक या निर्धारण अधिकारी या कोई कर वसूली अधिकारी; और

(ii) इसके अंतर्गत उपधारा (1) के खंड (i) या उपधारा (3) के खंड (i) या उपधारा (5) के प्रयोजनों के लिए कोई ऐसा आय-कर निरीक्षक भी है,

जो, यथास्थिति, प्रधान आय-कर महानिदेशक (अन्वेषण) या आय-कर महानिदेशक (अन्वेषण) या प्रधान मुख्य आय-कर आयुक्त (टीडीएस) या मुख्य आय-कर आयुक्त (टीडीएस) के अधीनस्थ है;';

(XX) धारा 133ग में, 1 नवंबर, 2020 से,—

(क) उपधारा (2) में, ''ऐसी जानकारी या दस्तावेज पर कार्रवाई कर सकेगा और निर्धारण अधिकारी को ऐसी कार्रवाई करने का परिणाम उपलब्ध करवा सकेगा'' शब्दों के स्थान पर, ''उपधारा (3) के अधीन अधिसूचित स्कीम या धारा 135क के उपबंधों के अनुसार ऐसी जानकारी या दस्तावेज का उपयोग कर सकेगा'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(4) उपधारा (3) के अधीन बनाई गई स्कीम, उस तारीख से, जिसको इस धारा के संबंध में धारा 135क के अधीन अधिसूचित स्कीम प्रभावी होती है, प्रभावहीन हो जाएगी।'';

(XXI) धारा 135 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 नवंबर, 2020 से अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

सूचना का पहचानविहीन संग्रहण।

''135क. (1) केन्द्रीय सरकार, धारा 133 के अधीन सूचना की मांग करने, धारा 133ख के अधीन कतिपय सूचना के संग्रहण या धारा 133ग के अधीन विहित आय-कर प्राधिकारी द्वारा सूचना की मांग करने या धारा 134 के अधीन कंपनियों के रजिस्टर का निरीक्षण करने की शक्ति का प्रयोग या धारा 135 के अधीन निर्धारण अधिकारी की शक्ति का प्रयोग करने के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक स्कीम बना सकेगी, जिससे—

(क) आय-कर प्राधिकारी और निर्धारिती या किसी व्यक्ति के मध्य, प्रौद्योगिकीय रूप से साध्य सीमा तक, अंतरापृष्ठ को समाप्त करके;

(ख) अधिक मात्रा में संसाधनों के ईष्टतम उपयोग और कार्यात्मक विशिष्टता द्वारा;

(ग) सक्रिय अधिकारिता के साथ टीम आधारित सूचना मांगे जाने, उसका संग्रहण या उस पर कार्यवाही करने या उसका उपयोग या शक्तियों का प्रयोग करने की प्रक्रिया समाविष्ट करके,

बेहतर दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाई जा सके।

(2) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन बनाई गई स्कीम को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबंधों में से कोई उपबंध ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों सहित, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, लागू नहीं होगा या लागू होगा:

परंतु 31 मार्च, 2022 के पश्चात् कोई निदेश जारी नहीं किया जाएगा।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना, अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।'';

(XXII) धारा 142क के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 नवम्बर, 2020 से अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

पहचानविहीन जांच या मूल्यांकन।

''142ख. (1) केन्द्रीय सरकार, धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन सूचना जारी करने या उपधारा (2) के अधीन निर्धारण के पहले जांच करने या उपधारा (2क) के अधीन निर्धारिती को संपरीक्षित खाते लाने या धारा 142क के अधीन मूल्यांकन अधिकारी द्वारा किसी आस्ति, संपत्ति के मूल्य का या विनिधान का प्राक्कलन करने के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक स्कीम बना सकेगी, जिससे—

(क) आय-कर प्राधिकारी या मूल्यांकन अधिकारी और निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति के मध्य, प्रौद्योगिकीय रूप से साध्य सीमा तक, अंतरापृष्ठ को समाप्त करके;

(ख) अधिक मात्रा में संसाधनों के ईष्टतम उपयोग और कार्यात्मक विशिष्टता द्वारा;

(ग) सक्रिय अधिकारिता के साथ सूचना जारी करने या जांच करने या निदेश जारी करने या मूल्यांकन करने की टीम आधारित प्रक्रिया समाविष्ट करके,

बेहतर दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाई जा सके।

(2) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन बनाई गई स्कीम को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबंधों में से कोई उपबंध ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों सहित, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, लागू नहीं होगा या लागू होगा:

परंतु 31 मार्च, 2022 के पश्चात् कोई निदेश जारी नहीं किया जाएगा।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना, अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।'';

(XXIII) धारा 143 में, 1 अप्रैल, 2021 से—

(i) उपधारा (3ख) के परन्तुक में, ''2022'' अंकों के स्थान पर, ''2021'' अंक रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (3ग) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अन्त:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(3घ) उपधारा (3क) और उपधारा (3ख) में अन्तर्विष्ट कोई बात, 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् यथास्थिति, उपधारा (3) या धारा 144 के अधीन किए गए निर्धारण को लागू नहीं होगी।'';

(XXIV) धारा 144क के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2021 से अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

पहचानविहीन निर्धारण।

''144ख. (1) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी उपधारा (2) में निर्दिष्ट मामलों का धारा 143 की उपधारा (3) या धारा 144 के अधीन निर्धारण निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार पहचान विहीन रीति में किया जाएगा, अर्थात्:—

(i) राष्ट्रीय पहचान विहीन निर्धारण केन्द्र, धारा 143 की उपधारा (2) के अधीन निर्धारिती पर सूचना की तामील करेगा;

(ii) निर्धारिती, खंड (i) में निर्दिष्ट सूचना प्राप्त होने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, राष्ट्रीय पहचान विहीन निर्धारण केन्द्र को अपना प्रत्युत्तर फाइल कर सकेगा;

(iii) जहां निर्धारिती ने—

(क) धारा 139 के अधीन या धारा 142 की उपधारा (1) या धारा 148 की उपधारा (1) के अधीन जारी किसी सूचना के प्रत्युत्तर में अपनी आय की विवरणी दी है और, यथास्थिति, निर्धारण अधिकारी या विहित आय-कर प्राधिकारी द्वारा धारा 143 की उपधारा (2) के अधीन सूचना जारी की गई है; या

(ख) निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन जारी किसी सूचना के प्रत्युत्तर में अपनी आय की विवरणी नहीं दी है; या

(ग) धारा 148 की उपधारा (1) के अधीन अपनी आय की विवरणी नहीं दी है और निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन सूचना जारी की गई है,

वहां राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केन्द्र, निर्धारिती को यह सूचित करेगा कि उसके मामले में निर्धारण इस धारा के अधीन अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा;

(*iv*) राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केन्द्र, इस धारा के अधीन पहचानविहीन निर्धारण के प्रयोजनों के लिए चयनित मामलों को, स्वचालित आबंटन प्रक्रिया के माध्यम से किसी एक क्षेत्रीय पहचानविहीन निर्धारण केन्द्र में विनिर्दिष्ट निर्धारण इकाई को सौंपेगा;

(*v*) जहां कोई मामला निर्धारण इकाई को सौंपा जाता है, वहां वह राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केन्द्र से,—

(क) निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति से, ऐसी और जानकारी, दस्तावेज और साक्ष्य, जो विनिर्दिष्ट किए जाएं, अभिप्राप्त करने का;

(ख) सत्यापन इकाई द्वारा कतिपय जांच या सत्यापन करने का; और

(ग) तकनीकी इकाई से तकनीकी सहायता प्राप्त करने का, अनुरोध कर सकेगी;

(*vi*) जहां निर्धारण इकाई द्वारा निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति से और जानकारी, दस्तावेज या साक्ष्य के लिए अनुरोध किया गया है, वहां राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केन्द्र, निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति को निर्धारण इकाई द्वारा अध्यपेक्षित जानकारी, दस्तावेज या साक्ष्य अभिप्राप्त करने के लिए समुचित सूचना या अध्यपेक्षा जारी करेगा;

(*vii*) यथास्थिति, निर्धारिती या कोई अन्य व्यक्ति, खंड (*vi*) में निर्दिष्ट सूचना के प्रति अपना प्रत्युत्तर, उसमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर या ऐसे समय के भीतर, जो इस संबंध में आवेदन के आधार पर विस्तारित किया जाए, राष्ट्रीय पहचान विहीन निर्धारण केन्द्र को फाइल करेगा;

(*viii*) जहां निर्धारण इकाई द्वारा, सत्यापन इकाई द्वारा कतिपय जांच या सत्यापन करने का अनुरोध किया गया है, वहां राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केन्द्र द्वारा अनुरोध स्वचालित आबंटन प्रणाली के माध्यम से किसी एक क्षेत्रीय पहचानविहीन निर्धारण केन्द्र में किसी सत्यापन इकाई को सौंपा जाएगा;

(*ix*) जहां निर्धारण इकाई द्वारा तकनीकी इकाई से तकनीकी सहायता प्राप्त करने के लिए कोई अनुरोध किया गया है वहां राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केन्द्र द्वारा अनुरोध को स्वचालित आबंटन प्रणाली के माध्यम से किसी एक क्षेत्रीय पहचानविहीन निर्धारण केन्द्र में की तकनीकी इकाई को सौंपा जाएगा;

(*x*) राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केन्द्र खंड (*viii*) या खंड (*ix*) में निर्दिष्ट अनुरोध के आधार पर सत्यापन इकाई या तकनीकी इकाई से प्राप्त रिपोर्ट को संबंधित निर्धारण इकाई को भेजेगा;

(*xi*) जहां निर्धारिती खंड (*vi*) में निर्दिष्ट सूचना या धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन जारी सूचना या धारा 142 की उपधारा (2क) के अधीन जारी निदेश का पालन करने में असफल रहता है वहां राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केन्द्र ऐसे निर्धारिती पर धारा 144 के अधीन एक सूचना की, उसे सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख और समय पर हेतुक दर्शित करने का अवसर देते हुए तामील करेगा कि उसके मामले में उसके सर्वोत्तम विवेकानुसार निर्धारण पूरा क्यों नहीं किया जाना चाहिए;

(*xii*) निर्धारिती खंड (*xi*) में निर्दिष्ट सूचना में विनिर्दिष्ट समय या ऐसे समय के भीतर, जिसका इस निमित्त किए गए आवेदन के आधार पर विस्तार किया जाए, राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केन्द्र को अपना प्रत्युत्तर फाइल करेगा;

(*xiii*) जहां निर्धारिती खंड (*xi*) में निर्दिष्ट सूचना का प्रत्युत्तर, उसमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर या विस्तारित समय के भीतर, यदि कोई हो, फाइल करने में असफल रहता है, वहां राष्ट्रीय पहचान विहीन निर्धारण केन्द्र निर्धारण इकाई को ऐसी असफलता के बारे में सूचित करेगा;

(*xiv*) निर्धारण इकाई, अभिलेख पर उपलब्ध सभी सुसंगत सामग्री पर विचार करने के पश्चात् लिखित में एक प्रारूप निर्धारण आदेश करेगा या उस दशा में, जहां खंड (*xiii*) में निर्दिष्ट सूचना राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केन्द्र से प्राप्त होती है वहां वह अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार निर्धारिती द्वारा उसकी विवरणी के अनुसार संदेय आय या राशि को या उसे प्रतिदेय राशि को स्वीकार करते हुए या उक्त आय या राशि में परिवर्तन करते हुए एक लिखित में प्रारूप निर्धारण आदेश करेगा और ऐसे आदेश की प्रति राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केन्द्र को भेजेगा;

(*xv*) निर्धारण इकाई, प्रारूप निर्धारण आदेश करते समय उसमें आरंभ की जाने वाली शास्ति कार्यवाहियों, यदि कोई हों, के ब्यौरे देगी;

(*xvi*) राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केन्द्र, बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट जोखिम प्रबंधन रणनीति के अनुसार, जिसके अंतर्गत परीक्षण साधन भी हैं, प्रारूप निर्धारण आदेश की परीक्षा करेगा,

तत्पश्चात्—

(क) यदि, प्रारूप निर्धारण आदेश के अनुसार निर्धारिती के हित में किसी प्रतिकूल परिवर्तन का प्रस्ताव नहीं किया गया है तो वह निर्धारण को अन्तिम रूप देने का विनिश्चय कर सकेगा और निर्धारिती पर शास्ति कार्यवाहियां, यदि कोई हो, आरंभ करने के लिए ऐसे आदेश और सूचना की ऐसे निर्धारण के आधार पर निर्धारिती द्वारा संदेय राशि या उसको शोध्य प्रतिदाय की कोई रकम को विनिर्दिष्ट करते हुए, मांग सूचना के साथ तामील करेगा;

(ख) यदि, निर्धारिती के हित में किसी प्रतिकूल परिवर्तन का प्रस्ताव किया गया है तो वह निर्धारिती पर ऐसा हेतुक दर्शित करने की अपेक्षा करते हुए कि ऐसा परिवर्तन क्यों न किया जाए, सूचना की तामील करते हुए निर्धारिती को एक अवसर प्रदान करके विनिश्चय कर सकेगा;

(ग) वह, ऐसे आदेश का पुनर्विलोकन करने के लिए स्वचालित आबंटन प्रणाली के माध्यम से किसी एक क्षेत्रीय पहचान विहीन निर्धारण केन्द्र में की पुनर्विलोकन इकाई को प्रारूप निर्धारण आदेश समनुदेशित करने का विनिश्चय कर सकेगा;

(*xvii*) पुनर्विलोकन इकाई राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केन्द्र द्वारा उसे निर्दिष्ट प्रारूप निर्धारण आदेश का पुनर्विलोकन करेगी, तत्पश्चात्, वह—

(क) प्रारूप निर्धारण आदेश के प्रति सहमति का विनिश्चय कर सकेगी और राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केन्द्र को ऐसी सहमति के बारे में सूचित कर सकेगी; या

(ख) प्रारूप निर्धारण आदेश में ऐसे परिवर्तन का जो वह ठीक समझे सुझाव देने का विनिश्चय कर सकेगी और अपने सुझाव राष्ट्रीय पहचान विहीन निर्धारण केन्द्र को भेज सकेगी;

(*xviii*) राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र पुनर्विलोकन इकाई से सहमति प्राप्त होने पर—

(क) खंड (*xvi*) के उपखंड (क); या

(ख) खंड (*xvi*) के उपखंड (ख),

में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा;

(*xix*) राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केन्द्र, पुनर्विलोकन इकाई से परिवर्तनों के सुझाव प्राप्त होने पर मामले को उस निर्धारण इकाई, जिसने प्रारूप निर्धारण आदेश किया था, से भिन्न किसी अन्य निर्धारण इकाई को स्वचालित आबंटन प्रणाली के माध्यम से सौंपेगा;

(*xx*) निर्धारण इकाई, पुनर्विलोकन इकाई द्वारा सुझाए गए परिवर्तनों पर विचार करने के पश्चात् राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केन्द्र की अंतिम प्रारूप निर्धारण आदेश भेजेगा;

(*xxi*) राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केन्द्र अंतिम प्रारूप निर्धारण आदेश प्राप्त होने पर—

(क) खंड (xvi) के उपखंड (क); या

(ख) खंड (xvi) के उपखंड (ख),

में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा;

(xxii) निर्धारिती, उस दशा में, जहां उस पर खंड (xvi) के उपखंड (ख) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार हेतुक दर्शित करने वाली सूचना की तामील की गई है, राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केन्द्र को, सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख और समय को या उससे पहले या विस्तारित समय, यदि कोई हो, के भीतर अपना प्रत्युत्तर देगा;

(xxiii) राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केन्द्र,—

(क) जहां खंड (xxii) के अनुसार हेतुक दर्शित करने वाली सूचना का कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होता है,—

(अ) उस दशा में, जहां प्रारूप निर्धारण आदेश या अंतिम प्रारूप निर्धारण आदेश किसी पात्र निर्धारिती के संबंध में है और उसमें किसी ऐसे परिवर्तन का प्रस्ताव है, जो उक्त निर्धारिती के हित के प्रतिकूल है, वहां प्रारूप निर्धारण आदेश या अंतिम प्रारूप निर्धारण आदेश ऐसे निर्धारिती को अग्रेषित किया जाएगा; या

(आ) किसी अन्य दशा में, प्रारूप निर्धारण आदेश या अंतिम निर्धारण आदेश के अनुसार निर्धारण को अंतिम रूप देगा और निर्धारिती पर, शास्ति कार्यवाहियां, यदि कोई हों, आरंभ करने के लिए ऐसे आदेश और सूचना की प्रति की मांग सूचना के साथ ऐसे निर्धारण के आधार पर निर्धारिती द्वारा संदेय राशि या निर्धारिती को प्रतिदेय किसी रकम के प्रतिदाय को विनिर्दिष्ट करते हुए तामील करेगा;

(ख) किसी अन्य दशा में निर्धारिती से प्राप्त प्रत्युत्तर निर्धारण इकाई को भेजेगा;

(xxiv) निर्धारण इकाई निर्धारिती द्वारा दिए गए प्रत्युत्तर पर विचार करने के पश्चात् एक पुनरीक्षित प्रारूप निर्धारण आदेश करेगा और उसे राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केन्द्र को भेजेगा;

(xxv) राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केन्द्र पुनरीक्षित प्रारूप निर्धारण आदेश प्राप्त होने पर,—

(क) यदि पुनरीक्षित प्रारूप निर्धारण आदेश में प्रस्तावित परिवर्तन, प्रारूप निर्धारण आदेश या अंतिम प्रारूप निर्धारण आदेश की तुलना में निर्धारिती के हित के प्रतिकूल नहीं है और—

(अ) यदि पुनरीक्षित प्रारूप निर्धारण आदेश किसी पात्र निर्धारिती के संबंध में है और प्रारूप निर्धारण आदेश या अंतिम प्रारूप निर्धारण आदेश में निर्धारिती के हित के प्रतिकूल किसी प्रतिकूल परिवर्तन का प्रस्ताव किया गया है तो उक्त पुनरीक्षित प्रारूप निर्धारण आदेश ऐसे निर्धारिती को अग्रेषित करेगा;

(आ) किसी अन्य मामले में, निर्धारण को पुनरीक्षित प्रारूप निर्धारण आदेश के अनुसार अंतिम रूप देगा और निर्धारिती पर, शास्ति कार्यवाहियां, यदि कोई हों, आरंभ करने के लिए ऐसे आदेश और सूचना की प्रति की मांग सूचना के साथ, ऐसे निर्धारण के आधार पर निर्धारिती द्वारा संदेय राशि या निर्धारिती को शोध्य किसी रकम के प्रतिदाय को विनिर्दिष्ट करते हुए तामील करेगा;

(ख) यदि पुनरीक्षित प्रारूप निर्धारण आदेश में के प्रस्तावित परिवर्तन, प्रारूप निर्धारण आदेश या अंतिम प्रारूप निर्धारण आदेश की तुलना में निर्धारिती के हित के प्रतिकूल है तो वह, निर्धारिती को यह हेतुक दर्शित करने की कि ऐसा प्रस्तावित परिवर्तन क्यों नहीं किया जाना चाहिए, अपेक्षा करते हुए सूचना की तामील करके एक अवसर प्रदान करेगा;

(xxvi) खंड (xxiii), खंड (xxiv) और खंड (xxv) में अधिकथित प्रक्रिया यथा आवश्यक परिवर्तन सहित खंड (xxv) के उपखंड (ख) में निर्दिष्ट को लागू होगी;

(xxvii) जहां प्रारूप निर्धारण आदेश या अंतिम प्रारूप निर्धारण आदेश या पुनरीक्षित प्रारूप निर्धारण आदेश, खंड (xxiii) के उपखंड (क) की मद (अ) या खंड (xxv) के उपखंड (क) की मद (अ) के अनुसार पात्र निर्धारिती को अग्रेषित किया जाता है वहां ऐसी निर्धारिती धारा 144ग की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर राष्ट्रीय पहचान विहीन निर्धारण केन्द्र को परिवर्तनों की अपनी स्वीकृति फाइल करेगा;

(xxviii) राष्ट्रीय पहचान विहीन निर्धारण केन्द्र,—

(क) खंड (xxvii) के अनुसार स्वीकृति की प्राप्ति पर; या

(ख) यदि पात्र निर्धारिती से धारा 144ग की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आक्षेप प्राप्त नहीं होता है,

तो धारा 144ग की उपधारा (4) के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर निर्धारण को अंतिम रूप देगा और निर्धारिती पर, शास्ति कार्यवाहियां, यदि कोई हों, आरंभ करने के लिए ऐसे आदेश की प्रति और सूचना की मांग सूचना के साथ ऐसे निर्धारण के आधार पर निर्धारिती द्वारा संदेय राशि या निर्धारिती को शोध्य किसी रकम के प्रतिदाय की राशि विनिर्दिष्ट करते हुए तामील करेगा;

(xxix) जहां पात्र निर्धारिती विवाद समाधान पैनल के पास अपने आक्षेप को फाइल करता है वहां राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केन्द्र, धारा 144ग की उपधारा (5) के अधीन विवाद समाधान पैनल द्वारा जारी निदेशों की प्राप्ति पर ऐसे निदेश संबंधित निर्धारण इकाई को अग्रेषित करेगा;

(xxx) निर्धारण इकाई धारा 144ग की उपधारा (5) के अधीन विवाद समाधान पैनल द्वारा जारी निदेशों के अनुरूप, धारा 144ग की उपधारा (13) के अनुसार एक प्रारूप निर्धारण आदेश तैयार करेगा और ऐसे आदेश की एक प्रति राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केन्द्र को भेजेगा;

(xxxi) राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केन्द्र, खंड (xxx) में निर्दिष्ट प्रारूप निर्धारण आदेश के प्राप्त होने पर धारा 144ग की उपधारा (13) के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर निर्धारण को अंतिम रूप देगा और निर्धारिती पर, शास्ति कार्यवाहियां, यदि कोई हों, आरंभ करने के लिए ऐसे आदेश की प्रति और सूचना की, मांग सूचना के साथ ऐसे निर्धारण के आधार पर निर्धारिती द्वारा संदेय राशि या निर्धारिती को शोध्य किसी रकम के प्रतिदाय को विनिर्दिष्ट करते हुए तामील करेगा;

(xxxii) राष्ट्रीय पहचान विहीन निर्धारण केन्द्र, निर्धारण पूरा करने के पश्चात् मामले के सभी इलैक्ट्रानिक अभिलेख उक्त मामले पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को ऐसी कार्रवाई करने के लिए, जो अधिनियम के अधीन अपेक्षित हो, अग्रेषित करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन पहचानविहीन निर्धारण ऐसे राज्यक्षेत्रीय क्षेत्र या व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग या आय या आय के वर्ग या मामलों या मामलों के वर्ग, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, के संबंध में किया जाएगा।

(3) बोर्ड, पहचानविहीन निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित केन्द्र और इकाइयां स्थापित कर सकेगा और उनकी अधिकारिता विनिर्दिष्ट कर सकेगा, अर्थात्:—

(i) केन्द्रीयकृत रीति में पहचानविहीन निर्धारण कार्यवाहियां करने को सुकर बनाने के लिए, राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केन्द्र जिसमें पहचानविहीन निर्धारण करने की अधिकारिता निहित होगी;

(ii) उतने क्षेत्रीय पहचानविहीन निर्धारण केन्द्र, जितने वह प्रधान मुख्य आयुक्त के काडर नियंत्रण क्षेत्र में पहचानविहीन निर्धारण कार्यवाहियां करने को सुकर बनाने के लिए आवश्यक समझे, जिसमें पहचानविहीन निर्धारण करने की अधिकारिता निहित होगी;

(iii) उतनी निर्धारण इकाइयां, जितनी वह पहचानविहीन निर्धारण करने को, निर्धारण करने संबंधी जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन (प्रतिदाय सहित) किसी दायित्व के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण विषय बिन्दुओं या सामग्री की पहचान भी है, कृत्य का पालन करने, इस प्रकार पहचाने गए विषय बिन्दुओं या विवाद्यकों पर जानकारी या स्पष्टीकरण की ईप्सा करने, निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दी गई सामग्री का विश्लेषण करने को सुकर बनाने तथा ऐसे अन्य कृत्य, जो पहचानविहीन निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो, करने के लिए आवश्यक समझे;

(iv) उतनी सत्यापन इकाइयां, जितनी वह पहचानविहीन निर्धारण करने, सत्यापन संबंधी कृत्यों का पालन करने, जिसके अन्तर्गत जांच, प्रतिसत्यापन, लेखा बहियों की परीक्षा, साक्षियों की परीक्षा और कथनों का अभिलेखन भी है, को सुकर बनाने तथा ऐसे अन्य कृत्यों को, जो सत्यापन के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो, करने हेतु आवश्यक समझे;

(v) उतनी तकनीकी इकाइयां, जितनी वह पहचानविहीन निर्धारण करने को, तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने संबंधी कृत्यों के पालन को सुकर बनाने के लिए, आवश्यक समझे, जिसके अंतर्गत विधिक, लेखांकन, न्याय संबंधी सूचना प्रौद्योगिकी, मूल्यांकन, अंतरण कीमत, डाटा विश्लेषण विज्ञान, प्रबंधन या कोई अन्य ऐसा तकनीकी विषय, जो इस धारा के अधीन किसी विशिष्ट मामले या मामलों के वर्ग के लिए अपेक्षित हो, भी है; और

(vi) उतनी पुनर्विलोकन इकाइयां जितनी वह पहचानविहीन निर्धारण करने, प्रारूप निर्धारण आदेश के पुनर्विलोकन के कृत्य का पालन करने, जिसके अंतर्गत इस बात की जांच करना कि क्या अभिलेख पर सुसंगत और महत्वपूर्ण साक्ष्य लाया गया है, क्या सुसंगत तथ्य बिन्दु और विधि के प्रश्न को सम्यक् रूप से प्रारूप आदेश में सम्मिलित किया गया है, क्या प्रारूप आदेश में ऐसे मुददों पर, जिन पर परिवर्धन या नामंजूरी की जानी चाहिए, चर्चा की गई है, क्या प्रारूप आदेश में लागू न्यायिक विनिश्चयों पर विचार और चर्चा की गई है, भी है, प्रस्तावित परिवर्तनों, यदि कोई हों, की अंकगणितीय शुद्धियों की जांच और ऐसे अन्य कृत्य, जो पुनर्विलोकन के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हों, को सुकर बनाने के लिए आवश्यक समझे।

(4) निर्धारण इकाई, सत्यापन इकाई, तकनीकी इकाई और पुनर्विलोकन इकाई के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, अर्थात्:—

(क) यथास्थिति, अपर आयुक्त या अपर निदेशक या संयुक्त आयुक्त या संयुक्त निदेशक;

(ख) यथास्थिति, उपायुक्त या उप निदेशक या सहायक आयुक्त या सहायक निदेशक या आय-कर अधिकारी;

(ग) ऐसे अन्य आय-कर प्राधिकारी, अनुसचिवीय कर्मचारिवृंद, कार्यपालक या सलाहकार जो बोर्ड द्वारा आवश्यक समझे जाएं।

(5) निर्धारण इकाई, पुनर्विलोकन इकाई, सत्यापन इकाई या तकनीकी इकाई के बीच या निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति के साथ, सूचना या दस्तावेजों या साक्ष्य या किसी अन्य ऐसे ब्यौरों के संबंध में जो पहचानविहीन निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो, सभी पत्र व्यवहार राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र के माध्यम से होगा।

(6) राष्ट्रीय पहचान विहीन निर्धारण केंद्र और निर्धारिती या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि या किसी अन्य व्यक्ति के बीच सभी पत्र व्यवहार अनन्य रूप से इलैक्ट्रानिकी ढंग से होंगे; और राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र, क्षेत्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र तथा विभिन्न इकाइयों के बीच सभी आंतरिक पत्र व्यवहार अनन्य रूप से इलैक्ट्रानिकी ढंग से होगा:

परंतु इस उपधारा के उपबंध सत्यापन इकाई द्वारा उपधारा (7) के खंड (xii) के उपखंड (छ) में निर्दिष्ट परिस्थितियों में की गई जांच या सत्यापन को लागू नहीं होंगे।

(7) पहचानविहीन निर्धारण के प्रयोजनों के लिए—

(i) किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख का अधिप्रमाणन—

(क) राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र द्वारा अंकीय चिह्नक चस्पा करके किया जाएगा;

(ख) निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यदि उससे डिजीटल हस्ताक्षर के अधीन उसकी आय की विवरणी की अपेक्षा है उसके डिजीटल हस्ताक्षर चस्पा करके और किसी अन्य मामले में उसके डिजीटल हस्ताक्षर चस्पा करके या विहित रीति में इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड के अधीन किया जाएगा;

(ii) प्रत्येक सूचना या आदेश या कोई अन्य इलैक्ट्रानिकी संसूचना ऐसे प्रेषिती को, जो निर्धारिती है,—

(क) निर्धारिती के रजिस्ट्रीकृत खाते में उसकी अधिप्रमाणित प्रति को रखकर; या

(ख) उसकी अधिप्रमाणित प्रति को निर्धारिती या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते पर भेजकर; या

(ग) निर्धारिती की मोबाइल ऐप पर अधिप्रमाणित प्रति को अपलोड करके,

परिदत्त की जाएगी और उसके पश्चात् समयोचित चेतावनी दी जाएगी;

(iii) प्रत्येक सूचना या आदेश या किसी अन्य इलैक्ट्रानिकी संसूचना का परिदान ऐसे प्रेषिती को, जो कोई अन्य व्यक्ति है, उसकी एक अधिप्रमाणित प्रति ऐसे व्यक्ति के रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते पर भेजकर किया जाएगा, जिसके पश्चात् परिदान के समयोचित चेतावनी दी जाएगी;

(iv) निर्धारिती किसी सूचना या आदेश या किसी अन्य इलैक्ट्रानिक संसूचना का प्रत्युत्तर, अपने रजिस्ट्रीकृत अकाउंट के माध्यम से देगा और एक बार राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र द्वारा, उसकी प्रत्युत्तर के सफलतापूर्वक प्रस्तुत किए जाने पर सृजित हैश परिणाम को अन्तर्विष्ट करते हुए, अभिस्वीकृति भेजे जाने पर, प्रत्युत्तर को अधिप्रमाणित किया गया समझा जाएगा;

(v) इलैक्ट्रानिकी अभिलेख के प्रेषण और प्राप्ति के समय और स्थान का अवधारण सूचना
2000 का 21 प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 13 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा;

(vi) किसी व्यक्ति से, व्यक्तिगत रूप से या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र या क्षेत्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र या इस उपधारा के अधीन स्थापित किसी इकाई में आय-कर प्राधिकारी के समक्ष हाजिर होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी;

(vii) उस दशा में, जहां प्रारूप निर्धारण आदेश या अंतिम प्रारूप निर्धारण आदेश या पुनरीक्षित प्रारूप निर्धारण आदेश में किसी परिवर्तन का प्रस्ताव किया गया है और निर्धारिती को, ऐसा हेतुक दर्शित करने की अपेक्षा करते हुए सूचना की तामील करके अवसर प्रदान किया गया है कि ऐसे प्रारूप या अंतिम प्रारूप या पुनरीक्षित प्रारूप निर्धारण आदेश के अनुसार निर्धारण क्यों नहीं पूरा किया जाना चाहिए, वहां, यथास्थिति, निर्धारिती या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि व्यक्तिगत सुनवाई का अनुरोध कर सकेगा, जिससे वह किसी इकाई में के आय-कर प्राधिकारी के समक्ष अपनी मौखिक दलील या अपना पक्ष कथन प्रस्तुत कर सके;

(viii) क्षेत्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र में का ऐसा भारसाधक मुख्य आयुक्त या महानिदेशक, जिसके अधीन संबंधित इकाई स्थापित की गई है, खंड (vii) में निर्दिष्ट व्यक्तिगत सुनवाई के अनुरोध का अनुमोदन कर सकेगा, यदि उसकी यह राय है कि अनुरोध खंड (xii) के उपखंड (ज) में निर्दिष्ट परिस्थितियों के अन्तर्गत आता है;

(ix) जहां क्षेत्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र में के भारसाधक मुख्य आयुक्त या महानिदेशक द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के अनुरोध का अनुमोदन कर दिया गया है, वहां ऐसी सुनवाई अनन्य रूप से वीडियो कानफ्रेंसिंग या वीडियो टेलीफोनी के माध्यम से की जाएगी, जिसके अंतर्गत किसी ऐसे दूरसंचार अनुप्रयोग साफ्टवेयर का उपयोग भी है, जो बोर्ड द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार वीडियो कानफ्रेंसिंग या वीडियो टेलीफोनी में सहायता करता है;

(x) उपधारा (6) के परंतुक के अधीन रहते हुए निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति की किसी परीक्षा या कथन का अभिलेखन (अधिनियम की धारा 133क के अधीन सर्वेक्षण के अनुक्रम में अभिलिखित कथन से भिन्न) अनन्य रूप से, किसी इकाई में के आय-कर प्राधिकारी द्वारा वीडियो कानफ्रेंसिंग या वीडियो टेलीफोनी के माध्यम से किया जाएगा, जिसके अंतर्गत ऐसे किसी दूरसंचार अनुप्रयोग साफ्टवेयर का उपयोग भी है, जो बोर्ड द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार वीडियो कानफ्रेंसिंग या वीडियो टेलीफोनी में सहायता करता है;

(xi) बोर्ड, वीडियो कानफ्रेंसिंग या वीडियो टेलीफोनी, जिसके अंतर्गत ऐसे किसी दूरसंचार अनुप्रयोग साफ्टवेयर का उपयोग भी है, जो बोर्ड द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार वीडियो कानफ्रेंसिंग या वीडियो टेलीफोनी में सहायता करता है, के लिए उपयुक्त सुविधाएं ऐसे स्थानों पर, जो आवश्यक हों, स्थापित करेगा जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्धारिती या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि या किसी अन्य व्यक्ति को, केवल इस विचारण के आधार पर कि ऐसे निर्धारिती या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि या किसी अन्य व्यक्ति की वीडियो कानफ्रेंसिंग या वीडियो टेलीफोनी तक पहुंच नहीं है, पहचानविहीन निर्धारण की प्रसुविधा से इंकार न किया जा सके;

(xii) राष्ट्रीय पहचान विहीन केन्द्र में का भारसाधक प्रधान मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक, बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से, राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र, क्षेत्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र और स्वचालित और यांत्रिक वातावरण में स्थापित इकाई के प्रभावी कार्यकरण के लिए मानक प्रक्रियाएं और पद्धतियां अधिकथित करेगा जिसके अंतर्गत निम्नलिखित के संबंध में रूपविधान, ढंग, प्रक्रिया और पद्धतियां भी हैं, अर्थात्:—

(क) सूचना, आदेश या किसी अन्य संसूचना की तामील;

(ख) सूचना, आदेश या किसी अन्य संसूचना के प्रत्युत्तर में किसी व्यक्ति से किसी जानकारी या दस्तावेजों की प्राप्ति;

(ग) व्यक्ति द्वारा दिए गए जवाब की पावती जारी किया जाना;

(घ) ''ई-कार्यवाही'' सुविधा के उपबंध, जिसके अंतर्गत लॉग-इन खाता सुविधा, निर्धारण की प्रास्थिति का पता लगाना, सुसंगत ब्यौरे प्रदर्शित करना और डाउनलोड की सुविधा भी है;

(ङ) निर्धारण कार्यवाहियों के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजों सहित सूचना और प्रत्युत्तर तक पहुंच बनाना, उसका सत्यापन और अधिप्रमाणन;

(च) केन्द्रीयकृत रीति में सूचना या दस्तावेजों की प्राप्ति, भंडारण और पुनः प्राप्ति;

(छ) ऐसी परिस्थितियां, जिनमें उपधारा (6) का परंतुक लागू होगा;

(ज) ऐसी परिस्थितियां, जिनमें खंड (viii) में निर्दिष्ट व्यक्तिगत सुनवाई का अनुमोदन किया जाएगा;

(झ) संबंधित केन्द्रों और इकाइयों में का साधारण प्रशासन और शिकायत प्रतितोषण तंत्र।

(8) उपधारा (1) या उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रीय पहचान विहीन केन्द्र का भारसाधक प्रधान मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक, निर्धारण के किसी प्रक्रम पर, यदि वह आवश्यक समझे, बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से मामले को ऐसे मामले में अधिकारिता रखने वाले किसी निर्धारण अधिकारी को, अंतरित कर सकेगा।

(9) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् [उपधारा (8) के अधीन अंतरित मामले से भिन्न], उपधारा (2) में निर्दिष्ट मामलों में धारा 143 की उपधारा (3) के अधीन या धारा 144 के अधीन किया गया निर्धारण नास्ति होगा, यदि ऐसा निर्धारण इस धारा के अधीन अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार नहीं किया गया है।

स्पष्टीकरण—इस धारा में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) ''प्रेषिती'' का वही अर्थ होगा जो उसका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में है; 2000 का 21

(ख) ''प्राधिकृत प्रतिनिधि'' का वही अर्थ होगा जो उसका धारा 288 की उपधारा (2) में है;

(ग) ''स्वचालित आबंटन प्रणाली'' से संसाधनों के ईष्टतम उपयोग की दृष्टि से कृतिम बुद्धिमता और यंत्र विद्वता सहित उपयुक्त प्रौद्योगिक उपकरणों का कोई उपयोग करके मामलों के यादृच्छिक आबंटन के लिए कोई एल्गोरिथ्म अभिप्रेत है;

(घ) ''स्वाचालित परीक्षण उपकरण'' से विवेकाधिकार की परिधि को कम करने के उद्देश्य से कृत्रिम बुद्धिमता और यंत्र विद्वता सहित उपयुक्त प्रौद्योगिकीय उपकरणों के उपयोग से प्रारूप आदेशों के मानकित परीक्षण हेतु कोई ऐल्गोरिथ्म अभिप्रेत है;

2000 का 21 (ङ) ''कंप्यूटर साधन'' का वही अर्थ होगा जो उसका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ट) में है;

2000 का 21 (च) ''कंप्यूटर प्रणाली'' का वही अर्थ होगा जो उसका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ठ) में है;

(छ) ''निर्धारिती का कंप्यूटर साधन'' में आय-कर विभाग के अभिहित पोर्टल में निर्धारिती का रजिस्ट्रीकृत खाता, निर्धारिती के रजिस्ट्रीकृत मोबाईल नम्बर से संबद्ध मोबाइल ऐप या निर्धारिती का उसके ई-मेल सेवा प्रदाता के साथ ई-मेल खाता सम्मिलित होगा;

2000 का 21 (ज) ''अंकीय चिह्नक'' का वही अर्थ होगा जो उसका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (त) में है;

(झ) ''अभिहित पोर्टल'' से ऐसा वेब पोर्टल अभिप्रेत है जिसे राष्ट्रीय पहचानविहीन केन्द्र के भारसाधक प्रधान मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक द्वारा उस रूप में अभिहित किया गया है;

(ञ) ''विवाद समाधान पैनल'' का वही अर्थ होगा जो उसका धारा 144ग की उपधारा (15) के खंड (क) में है;

(ट) ''पहचानविहीन निर्धारण'' से ऐसी निर्धारण कार्यवाहियां अभिप्रेत हैं जो अभिहित पोर्टल में निर्धारिती के रजिस्ट्रीकरण खाते के माध्यम से 'ई-कार्यवाही' प्रसुविधा में इलैक्ट्रानिक रूप से संचालित की जाती है;

2000 का 21 (ठ) ''इलैक्ट्रानिक अभिलेख'' का वही अर्थ होगा जो उसका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (न) में है;

(ड) ''पात्र निर्धारिती'' का वही अर्थ होगा जो उसका धारा 144ग की उपधारा (15) के खंड (ख) में है;

(ढ) ''ई-मेल'' या ''इलैक्ट्रानिक-मेल'' और ''इलैक्ट्रानिक मेल संदेश'' से कम्प्यूटर, कम्प्यूटर प्रणाली, कम्प्यूटर साधन या संसूचना युक्ति पर सृजित या पारेषित या प्राप्त किया गया कोई संदेश या सूचना अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत मूल पाठ, आकृति, श्रव्य, दृश्य और कोई ऐसा अन्य इलैक्ट्रानिक अभिलेख , जो संदेश के साथ पारेषित किया जाए;

2000 का 21 (ण) ''द्रुतान्वेषण फल'' और ''द्रुतान्वेषण परिणाम'' के वही अर्थ होंगे, जो उनके सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 3 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण में है;

(त) ''मोबाइल ऐप'' से मोबाइल युक्तियों के लिए विकसित आय-कर विभाग का एप्लीकेशन साफ्टवेयर अभिप्रेत है, जिसे निर्धारिती के रजिस्ट्रीकृत मोबाइल नम्बर पर डाउनलोड और इंस्टाल किया जाता है;

2000 का 21 (थ) ''प्रवर्तक'' का वही अर्थ होगा, जो उसका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (यक) में है;

(द) ''समयोचित चेतावनी'' से निर्धारिती को, उसके रजिस्ट्रीकृत मोबाइल नम्बर पर लघु संदेश सेवा द्वारा या उसके मोबाइल ऐप पर अपडेट द्वारा या उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते पर ई-मेल द्वारा भेजी गई कोई संसूचना अभिप्रेत है, जिससे ऐसे किसी इलैक्ट्रानिक संसूचना के परिदान के संबंध में सतर्क किया जा सके;

(ध) निर्धारिती के ''रजिस्ट्रीकृत खाता'' के अभिहित पोर्टल में निर्धारिती द्वारा रजिस्ट्रीकृत इलैक्ट्रानिक फाइलिंग खाता अभिप्रेत है;

(न) ''रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पता'' से ऐसा ई-मेल पता अभिप्रेत है, जिस पर प्रेषिती को कोई इलैक्ट्रानिक संसूचना परिदत्त या पारेषित की जा सके, इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी है—

(i) अभिहित पोर्टल में रजिस्ट्रीकृत प्रेषिती के इलैक्ट्रानिक फाइलिंग खाते में उपलब्ध ई-मेल पता; या

(ii) प्रेषिती द्वारा दी गई आय-कर विवरणी में अंतिम उपलब्ध ई-मेल पता; या

(iii) प्रेषिती से संबंधित स्थायी खाता संख्यांक डाटा बेस में उपलब्ध ई-मेल पता; या

(iv) ऐसे प्रेषिती की दशा में, जो एक व्यष्टि है, जिसके पास आधार संख्या है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के डाटा बेस में उपलब्ध प्रेषिती का ई-मेल पता; या

(v) ऐसे प्रेषिती की दशा में, जो एक कंपनी है, कंपनी का, कारपोरेट कार्य मंत्रालय की सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध ई-मेल पता; या

(vi) प्रेषिती द्वारा, आय-कर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराया गया कोई ई-मेल पता;

(प) निर्धारिती के ''रजिस्ट्रीकृत मोबाइल नम्बर'' से अभिहित पोर्टल में निर्धारिती द्वारा रजिस्ट्रीकृत इलैक्ट्रानिक फाइलिंग खाते के यूजर प्रोफाइल में दिया गया निर्धारिती या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि का मोबाइल नम्बर;

(फ) ''वीडियो कान्फ्रेंसिंग या वीडियो टेलीफोनी'' से लोगों के बीच समयोचित संसूचना हेतु भिन्न-भिन्न स्थानों पर उपयोक्ता द्वारा श्रव्य-दृश्य सिगनलों की प्राप्ति और पारेषण के लिए प्रौद्योगिकी समाधान अभिप्रेत है।';

(XXV) धारा 144ग की उपधारा (14क) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं 1 नवंबर, 2020 से अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

''(14ख) केंद्रीय सरकार, विवाद समाधान पैनल द्वारा निदेश जारी करने के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक स्कीम बना सकेगी, जिससे—

(क) प्रौद्योगिकीय रूप से साध्य सीमा तक विवाद समाधान पैनल और पात्र निर्धारिती या अन्य व्यक्ति के बीच अंतरपृष्ठ समाप्त करके;

(ख) अधिकतम मात्रा में संसाधनों के ईष्टतम उपयोग और कार्यात्मक विशिष्टता द्वारा;

(ग) ऐसी सक्रिय अधिकारिता के साथ विवाद समाधान पैनल द्वारा निदेश जारी करने के लिए क्रियाविधि आरंभ करके,

बेहतर दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाई जा सके।

(14ग) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (14ख) के अधीन बनाई गई स्कीम को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबंधों में से कोई उपबंध ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों सहित जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं लागू होंगे या लागू नहीं होंगे:

परन्तु 31 मार्च, 2022 के पश्चात् कोई निदेश जारी नहीं किया जाएगा।

(14घ) उपधारा (14ख) और उपधारा (14ग) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।'';

(XXVI) धारा 151 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 नवंबर, 2020 से अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''151क. (1) केंद्रीय सरकार, धारा 147 के अधीन निर्धारण, पुन: निर्धारण या पुन: संगणना अथवा धारा 148 के अधीन सूचना जारी करने या धारा 151 के अधीन ऐसी सूचना जारी करने के लिए मंजूरी देने के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक स्कीम बना सकेगी, जिससे— निर्धारण से बचाव वाली आय का पहचानविहीन निर्धारण।

(क) प्रौद्योगिकीय रूप से साध्य सीमा तक आय-कर प्राधिकारी और निर्धारिती या अन्य व्यक्ति के बीच अंतरपृष्ठ समाप्त करके;

(ख) अधिकतम मात्रा में संसाधनों के ईष्टतम उपयोग और कार्यात्मक विशिष्टता द्वारा;

(ग) ऐसी सक्रिय अधिकारिता के साथ टीम आधारित सूचना निर्धारण, पुन: निर्धारण, पुन: गणना आरंभ करके या सूचना जारी करके या उसकी मंजूरी देकर,

बेहतर दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाई जा सके।

(2) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन बनाई गई स्कीम को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के कोई उपबंध ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों के साथ जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं लागू नहीं होंगे या लागू होंगे:

परन्तु 31 मार्च, 2022 के पश्चात् कोई निदेश जारी नहीं किया जाएगा।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात् , यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।'';

(XXVII) धारा 157 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 नवंबर, 2020 से अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''157क. (1) केंद्रीय सरकार, धारा 154 के अधीन किसी अभिलेख से प्रकट किसी त्रुटि के सुधार करने या धारा 155 के अधीन अन्य संशोधनों या धारा 156 के अधीन मांग की सूचना जारी करने या धारा 157 के अधीन हानि की प्रज्ञापना करने के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक स्कीम बना सकेगी, जिससे— सूचना या प्रज्ञापना का पहचानविहीन सुधार, संशोधन और जारी किया जाना।

(क) प्रौद्योगिकीय रूप से साध्य सीमा तक आय-कर प्राधिकारी और निर्धारिती या अन्य व्यक्ति के बीच अंतरपृष्ठ समाप्त करके;

(ख) अधिकतम मात्रा में संसाधनों के ईष्टतम उपयोग और कार्यात्मक विशिष्टता द्वारा;

(ग) ऐसी सक्रिय अधिकारिता के साथ टीम आधारित त्रुटि के सुधार, आदेशों का संशोधन, मांग की सूचना जारी करके या हानि की प्रज्ञापना करके,

बेहतर दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाई जा सके।

(2) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन बनाई गई स्कीम को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के कोई उपबंध ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों के साथ जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं लागू नहीं होंगे या लागू होंगे:

परन्तु 31 मार्च, 2022 के पश्चात् कोई निदेश जारी नहीं किया जाएगा।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।'';

(XXVIII) धारा 196घ में, उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा 1 नवंबर, 2020 से अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(1क) जहां धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के संबंध में कोई आय, जो धारा 194ठघ में निर्दिष्ट ब्याज से आय नहीं है, [धारा 10 के खंड (4घ) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) में निर्दिष्ट] विनिर्दिष्ट निधि को संदेय है, वहां संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति संदाय पाने वाले के खाते में ऐसी आय को जमा करते समय या किसी अन्य ढंग से उसके संदाय के समय, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, उस पर दस प्रतिशत की दर से आय-कर की कटौती करेगा:

परन्तु धारा 10 के खंड (4घ) के अधीन छूट प्राप्त आय के सम्बध में कोई कटौती नहीं की जाएंगी।'';

(XXIX) धारा 197क के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 14 मई, 2020 से अंत:स्थापित की जाएगी और अंत:स्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात्:—

सीमित अवधि के लिए कतिपय मामलों में निम्नतर कटौती।

''197ख. यदि धारा 193, धारा 194, धारा 194क, धारा 194ग, धारा 194घ, धारा 194घक, धारा 194ङ, धारा 194च, धारा 194छ, धारा 194ज, धारा 194झ, धारा 194झक, धारा 194झख, धारा 194झग, धारा 194ञ, धारा 194ट, धारा 194ठक, धारा 194ठखक की उपधारा (1), धारा 194ठखख का खंड (i), धारा 194 ठखग की उपधारा (1), धारा 194ड और धारा 194ण के उपबंधों में 14 मई, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक आरंभ होने वाली अवधि के दौरान स्रोत पर कर की कटौती अपेक्षित है तो, इन धाराओं में किसी बात के होते हुए भी, कर की कटौती इन धाराओं में विनिर्दिष्ट दर की तीन-चौथाई दर पर की जाएगी।'';

(XXX) धारा 206ग में, उपधारा (10) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा 14 मई, 2020 से अंत:स्थापित की जाएगी और अंत:स्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात्:—

''(10क) यदि उपधारा (1) [सारणी में की क्रम संख्यांक (i) पर निर्दिष्ट माल के सिवाय], उपधारा (1ग), उपधारा (1च) या उपधारा (1ज) के उपबंधों में 14 मई, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक आरंभ होने वाली अवधि के दौरान स्रोत पर कर का संग्रहण अपेक्षित है तो, इन उपधाराओं में किसी बात के होते हुए भी, कर की कटौती इन उपधाराओं में विनिर्दिष्ट दर की तीन-चौथाई दर पर की जाएगी।'';

(XXXI) धारा 230 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 नवंबर, 2020 से अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

कर का पहचान-विहीन संग्रहण और वसूली।

''231. (1) केन्द्रीय सरकार, धारा 197 के अधीन किसी निम्नतर दर पर आय-कर की कटौती या आय-कर की कोई कटौती न करने के लिए प्रमाणपत्र जारी करने अथवा धारा 201 की उपधारा (1) या धारा 206ग की उपधारा (6क) के अधीन किसी व्यक्ति को व्यतिक्रमी निर्धारिती समझे जाने या धारा 206ग की उपधारा (9) के अधीन कर के निम्नतर संग्रहण के लिए प्रमाणपत्र जारी किए जाने या धारा 210 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन आदेश अथवा संशोधित आदेश पारित किए जाने या धारा 220 की उपधारा (2क) के अधीन निर्धारिती द्वारा संदत्त या संदेय ब्याज की रकम को कम किए जाने या उसके अधित्यजन किए जाने या उपधारा (3) के अधीन संदाय के लिए समय बढ़ाने अथवा किस्तों में संदाय अनुज्ञात किए जाने या उपधारा (6) अथवा उपधारा (7) के अधीन निर्धारिती को व्यतिक्रमी न होने के रूप में माने जाने या धारा 221 के अधीन शास्ति के उद्ग्रहण अथवा धारा 222 के अधीन कर वसूली अधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र लिखे जाने या धारा 223 के अधीन कर वसूली अधिकारी की अधिकारिता या धारा 225 के अधीन कर वसूली अधिकारी द्वारा उसके प्रमाणपत्र या संशोधन या रद्दकरण के अनुसरण में कार्यवाहियों को रोकने अथवा धारा 226 के अधीन वसूली के अन्य ढंग अथवा धारा 230 के अधीन कर समाशोधन प्रमाणपत्र जारी किए जाने के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक स्कीम बना सकेगी, जिससे—

(क) प्रौद्यागिकीय रूप से साध्य सीमा तक आय-कर प्राधिकारी और निर्धारिती या अन्य व्यक्ति के बीच अंतरपृष्ठ समाप्त करके;

(ख) अधिकतम मात्रा में संसाधनों के ईष्टतम उपयोग और कार्यात्मक विशिष्टता द्वारा;

(ग) ऐसी सक्रिय अधिकारिता के साथ टीम आधारित निम्नतर दर पर आय-कर की कटौती या संग्रहण करने या कोई कटौती नहीं करके प्रमाणपत्र जारी करके या किसी व्यक्ति को व्यतिक्रमी निर्धारिती समझने के लिए अथवा आदेश या संशोधित आदेश पारित करके या संदाय का समय बढ़ाकर अथवा किस्तों में संदाय अनुज्ञात करके या ब्याज में कमी या उसका अधित्यजन करके अथवा निर्धारिती को व्यतिक्रमी न समझे जाने या शास्ति का उद्ग्रहण करके अथवा प्रमाणपत्र लिखकर या प्रमाणपत्र उसके संशोधन या रद्दकरण के अनुसरण में कार्यवाहियों को रोककर और या कर वसूली अधिकरी की अधिकारिता अथवा वसूली के अन्य ढंग या कर निकासी प्रमाणपत्र जारी करके,

बेहतर दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाई जा सके।

(2) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन बनाई गई स्कीम को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निदेश दी सकेगी कि इस अधिनियम के कोई उपबंध ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों के साथ, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, लागू नहीं होंगे या लागू होंगे:

परन्तु 31 मार्च, 2022 के पश्चात् कोई निदेश जारी नहीं किया जाएगा।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।'';

(XXXII) धारा 253 में,—

(क) उपधारा (1) के खंड (ग) में,—

(i) ''धारा 12कक या धारा 12कख के अधीन'' शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, ''धारा 12कक के अधीन'' अंक और अक्षर 1 जून, 2020 से रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे;

(ii) ''धारा 12कक के अधीन'' शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, ''धारा 12कक या धारा 12कख के अधीन'' शब्द, अंक और अक्षर 1 अप्रैल, 2021 से रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (7) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं 1 नवंबर, 2020 से अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

''(8) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (2) के अधीन अपील अधिकरण को अपील करने के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक स्कीम बना सकेगी, जिससे–

(क) अधिकतम मात्रा में संसाधनों के ईष्टतम उपयोग और कार्यात्मक विशिष्टता द्वारा;

(ख) सक्रियशील अधिकारिता के साथ अपील अधिकरण को अपील करने के लिए टीम आधारित तंत्र आरंभ करके, बेहतर दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाई जा सके।

(9) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (8) के अधीन बनाई गई स्कीम को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के कोई उपबंध ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों के साथ जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, लागू नहीं होंगे या लागू होंगे:

परन्तु 31 मार्च, 2022 के पश्चात् कोई निदेश जारी नहीं किया जाएगा।

(10) उपधारा (8) और उपधारा (9) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।'';

(XXXIII) धारा 263 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ख) में और स्पष्टीकरण 2 में ''प्रधान'' शब्द के पश्चात्, ''मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान'' शब्द 1 नवंबर, 2020 से अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(XXXIV) धारा 264 की उपधारा (1) में, उपधारा (2) में, उपधारा (3) के परन्तुक में, उपधारा (4) में, स्पष्टीकरण 1 और स्पष्टीकरण 2 में ''प्रधान'' शब्द के पश्चात्, ''मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान'' शब्द 1 नवंबर, 2020 से अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(XXXV) धारा 264 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं 1 नवंबर, 2020 से अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

आदेशों का पहचानविहीन पुनरीक्षण।

''264क. (1) केन्द्रीय सरकार, धारा 263 या धारा 264 के अधीन आदेशों के पुनरीक्षण के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक स्कीम बना सकेगी, जिससे—

(क) प्रोद्योगिकीय रूप से साध्य सीमा तक आय-कर प्राधिकारी और निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति के बीच अंतरपृष्ठ समाप्त करके;

(ख) अधिकतम मात्रा में संसाधनों के ईष्टतम उपयोग और कार्यात्मक विशिष्टता द्वारा;

(ग) सक्रिय अधिकारिता के साथ टीम आधारित आदेशों का पुनरीक्षण आरंभ करके,

बेहतर दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाई जा सके।

(2) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन बनाई गई स्कीम को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के कोई उपबंध ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों के साथ जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, लागू नहीं होंगे या लागू होंगे:

परन्तु 31 मार्च, 2022 के पश्चात् कोई निदेश जारी नहीं किया जाएगा।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।

आदेशों का पहचानविहीन प्रभाव।

264ख. (1) केन्द्रीय सरकार, धारा 250, धारा 254, धारा 260, धारा 262, धारा 263 या धारा 264 के अधीन किसी आदेश को प्रभावी करने के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक स्कीम बना सकेगी, जिससे—

(क) प्रौद्योगिकीय रूप से साध्य सीमा तक आय-कर प्राधिकारी और निर्धारिती या अन्य व्यक्ति के बीच अंतरपृष्ठ समाप्त करके;

(ख) अधिकतम मात्रा में संसाधनों के ईष्टतम उपयोग और कार्यात्मक विशिष्टता द्वारा;

(ग) सक्रिय अधिकारिता के साथ आदेशों की टीम आधारित प्रभाव देकर,

बेहतर दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाई जा सके।

(2) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन बनाई गई स्कीम को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के कोई उपबंध ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों के साथ जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं लागू नहीं होंगे या लागू होंगे:

परन्तु 31 मार्च, 2022 के पश्चात् कोई निदेश जारी नहीं किया जाएगा।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।'';

(XXXVI) धारा 271ट का लोप किया जाएगा और 1 जून, 2020 से लोप किया गया समझा जाएगा;

(XXXVII) धारा 271ञ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा, 1 अप्रैल, 2021 से अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''271ट. इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निर्धारण अधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि ऐसी राशि, जो दस हजार रुपए से कम की नहीं होगी, किंतु जो एक लाख रुपए तक की हो सकेगी,— विवरण, आदि देने में असफलता के लिए शास्ति।

(i) धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) में निर्दिष्ट अनुसंधान संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था या खंड (iiक) में निर्दिष्ट कंपनी द्वारा, यदि वह उस धारा की उपधारा (1क) के खंड (i) के अधीन विहित समय के भीतर विवरण परिदत्त करने या कराए जाने में या खंड (ii) के अधीन विहित प्रमाणपत्र देने में असफल रहेगा; या

(ii) संस्था या निधि द्वारा, यदि वह धारा 80छ की उपधारा (5) के खंड (viii) के अधीन विहित समय के भीतर विवरण परिदत्त करने या कराए जाने में, या उक्त उपधारा के खण्ड (ix) के अधीन विहित प्रमाणपत्र देने में असफल रहेगी,

शास्ति के रूप में संदत की जाएगी।'';

(XXXVIII) धारा 274 की उपधारा (2क) के खंड (क) में, ''कार्यवाहियों के अनुक्रम में निर्धारण अधिकारी और निर्धारिती'' शब्दों के स्थान पर, ''आय-कर प्राधिकारी और निर्धारिती या कोई अन्य व्यक्ति'' शब्द रखे जाएंगे और 1 अप्रैल, 2020 से रखे गए समझे जाएंगे;

(XXXIX) धारा 279 की उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं, 1 नवबंर, 2020 से अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

''(4) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन मंजूरी देने या उपधारा (2) के अधीन शमन करने के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक स्कीम बना सकेगी, जिससे—

(क) प्रौद्योगिकीय रूप से साध्य सीमा तक आय-कर प्राधिकारी और निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति के बीच अंतरपृष्ठ को समाप्त करके;

(ख) अधिकतम मात्रा में संसाधनों के ईष्टतम उपयोग और कार्यात्मक विशिष्टता द्वारा;

(ग) ऐसी सक्रिय अधिकारिता के साथ किसी अपराध के विरुद्ध कार्रवाई करने को टीम आधारित मंजूरी देकर या उसका शमन करके,

बेहतर दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाई जा सके।

(5) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (4) के अधीन बनाई गई स्कीम को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के कोई उपबंध ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों के साथ जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, लागू नहीं होंगे या लागू होंगे:

परंतु 31 मार्च, 2022 के पश्चात् कोई निदेश जारी नहीं किया जाएगा।

(6) उपधारा (4) और उपधारा (5) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।'';

(XXXX) आय-कर अधिनियम की धारा 293ग के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 नवंबर, 2020 से अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

पहचानविहीन अनुमोदन या रजिस्ट्रीकरण।

''293घ. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन आय-कर प्राधिकारी द्वारा, यथास्थिति, अनुमोदन देने या रजिस्ट्रीकरण करने के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक स्कीम बना सकेगी, जिससे—

(क) प्रौद्योगिकीय रूप से साध्य सीमा तक आय-कर प्राधिकारी और निर्धारिती या अन्य व्यक्ति के बीच अंतरपृष्ठ समाप्त करने;

(ख) अधिकतम मात्रा में संसाधनों के ईष्टतम उपयोग और कार्यात्मक विशिष्टता द्वारा;

(ग) ऐसी सक्रिय अधिकारिता के साथ टीम आधारित अनुमोदन देकर या रजिस्ट्रीकरण करके,

बेहतर दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाई जा सके।

(2) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन बनाई गई स्कीम को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के कोई उपबंध ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों के साथ जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, लागू नहीं होंगे या लागू होंगे:

परंतु 31 मार्च, 2022 के पश्चात् कोई निदेश जारी नहीं किया जाएगा।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।''।

अध्याय 4

प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम का संशोधन

2020 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 का संशोधन।

5. प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 की धारा 3 में,—

(क) आरंभिक भाग में, ''इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अंतिम तारीख को या उससे पूर्व'' शब्दों के स्थान पर, ''इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन उस तारीख को या उसके पूर्व, जो अधिसूचित की जाए'' शब्द रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे;

(ख) सारणी में,—

(i) तीसरे स्तंभ में, शीर्षक में, ''31 मार्च, 2020'' अंकों और शब्दों के स्थान पर, ''31 दिसंबर, 2020 या ऐसी पश्चात्‌वर्ती तारीख जो अधिसूचित की जाए'' अंक और शब्द रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे;

(ii) चौथे स्तंभ में, शीर्षक में, ''1 अप्रैल, 2020'' अंकों और शब्दों के स्थान पर, ''1 जनवरी, 2021 या ऐसी पश्चात्‌वर्ती तारीख जो अधिसूचित की जाए'' अंक और शब्द रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे;

अध्याय 5

कतिपय अप्रत्यक्ष कर विधियों के अधीन समय-सीमा का शिथिलीकरण

1944 का 1
1962 का 52
1975 का 51
1994 का 32
2017 का 12

6. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (धारा 30, धारा 30क, धारा 41, धारा 41क, धारा 46 और धारा 47 के सिवाय), सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 या वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5, जैसा वह केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 173 द्वारा, 1 जुलाई, 2017 से उसका लोप किए जाने के पूर्व विद्यमान था, किसी बात के होते हुए भी, उक्त अधिनियमों में विनिर्दिष्ट या उनके अधीन विहित या अधिसूचित समय-सीमा, जो 20 मार्च, 2020 से 29 सितंबर, 2020 तक की अवधि के दौरान आती है या 29 सितंबर, 2020 के पश्चात् ऐसी कोई अन्य तारीख जो केन्द्रीय सरकार,—

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम 1944, सीमाशुल्क अधिनियम 1962, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और वित्त अधिनियम, 1994 के अधीन समय-सीमा का शिथिलीकरण।

(क) किसी प्राधिकरण आयोग, अधिकरण द्वारा, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, किसी कार्यवाही को पूरा करना या कोई आदेश, सूचना, प्रज्ञापना, अधिसूचना जारी करने या मंजूरी अथवा अनुमोदन देने, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो; या

(ख) कोई अपील, प्रत्युत्तर या आवेदन फाइल करने या कोई रिपोर्ट, दस्तावेज विवरणी या कथन, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, देने,

ऐसी कार्रवाई को पूरा करने या उसके अनुपालन के लिए, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे इस बात के होते हुए भी कि ऐसी कार्रवाई को ऐसी समय-सीमा के भीतर पूरा नहीं किया गया है या उसका अनुपालन नहीं किया गया है, 30 सितंबर, 2020 या 30 सितंबर, 2020 के पश्चात् ऐसी अन्य तारीख तक, जो केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, विस्तारित हो जाएगी:

परंतु केन्द्रीय सरकार, खंड (क) या खंड (ख) के अधीन भिन्न-भिन्न कार्रवाइयों को पूरा करने या उसके अनुपालन के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

अध्याय 6

केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 का संशोधन

7. केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 168 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

2017 के अधिनियम सं० 12 में नई धारा 168क का अंत:स्थापन।

'168क. (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी कार्रवाइयों के संबंध मे, जो अनिवार्य बाध्यता के कारण पूर्ण नहीं की जा सकती हैं या जिनका पालन नहीं किया जा सकता है, इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट या उसके अधीन विहित या अधिसूचित समय-सीमा को बढ़ा सकेगी।

विशेष परिस्थितियों में केन्द्रीय सरकार की समय-सीमा बढ़ाए जाने की शक्ति।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी करने की शक्ति में, उस तारीख से, जो इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पहले की न हो, ऐसी अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति भी सम्मिलित है।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए ''अनिवार्य बाध्यता'' पद से युद्ध, महामारी, बाढ़, सूखा, आग, चक्रवात, भूकम्प या प्राकृतिक कारणों से या इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के क्रियान्वयन को अन्यथा प्रभावित करने वाली कोई अन्य आपदा अभिप्रेत है।'।

अध्याय 7

वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 का संशोधन

8. वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 की धारा 127 में,—

2019 के अधिनियम सं० 23 की धारा 127 का संशोधन।

(i) उपधारा (1) में, ''उक्त घोषणा की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर'' शब्दों के स्थान पर, ''31 मई, 2020 को या उसके पहले'' शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (2) में, ''घोषणा की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर'' शब्दों के स्थान पर, ''1 मई, 2020 को या उसके पहले'' शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(iii) उपधारा (4) में, ''घोषणा की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर'' शब्दों के स्थान पर, ''31 मई, 2020 को या उसके पहले'' शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(iv) उपधारा (5) में, ''ऐसा विवरण जारी किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर'' शब्दों के स्थान पर, ''30 जून, 2020 को या उसके पहले'' शब्द और अंक रखे जाएंगे।

अध्याय 8

वित्त अधिनियम, 2020 का संशोधन

2020 के अधिनियम सं० 12 का संशोधन।

9. वित्त अधिनियम, 2020 की धारा 2 में, 1 अप्रैल, 2020 से,—

(i) उपधारा (6) में,—

(अ) खंड (क) में, ''जो अनिवासी है'' शब्दों के स्थान पर, ''आय-कर अधिनियम की धारा 196घ के अधीन लाभांश के माध्यम से आय पर कटौती के मामले के सिवाय'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे;

(आ) खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा और अंत:स्थापित किया गया समझा जाएगा:—

''(कक) प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति संगम या व्यष्टि निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो अनिवासी है, उस अधिनियम की धारा 196घ के अधीन लाभांश के माध्यम से आय पर कटौती की दशा में,—

(i) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से;

(ii) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के पंद्रह प्रतिशत की दर से'';

(ii) उपधारा (9) के तीसरे परंतुक के खंड (कक) में,—

(अ) उपखंड (iii) में, ''आय-कर अधिनियम'' शब्दों के स्थान पर, ''लाभांश के माध्यम से आय या आय-कर अधिनियम'' शब्द रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे;

(आ) उपखंड (iv) में, ''आय-कर अधिनियम'' शब्दों के स्थान पर, ''लाभांश के माध्यम से आय या आय-कर अधिनियम'' शब्द रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे;

(इ) उपखंड (v) में, ''आय-कर अधिनियम'' शब्दों के स्थान पर, ''लाभांश के माध्यम से आय या आय-कर अधिनियम'' शब्द रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे;

(ई) परन्तुक में, ''आय-कर अधिनियम'' शब्दों के स्थान पर, ''लाभांश के माध्यम से आय या आय-कर अधिनियम'' शब्द रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

10. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो, केन्द्रीय सरकार, ऐसे आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी:

परन्तु ऐसा कोई आदेश उस मास के अंत से जिसमें इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

2020 का अध्यादेश सं० 2

निरसन और व्यावृत्तियां।

11. (1) कराधान और अन्य विधि (कतिपय उपबंधों में छूट देना) अध्यादेश, 2020 इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात, जारी की गई कोई अधिसूचना या की गई कोई कार्रवाई, इस अध्यादेश के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई या जारी की गई समझी जाएगी।

बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020

(2020 का अधिनियम संख्यांक 39)

[29 सितम्बर, 2020]

बैंककारी विनियमन अधिनियम,
1949 का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 है। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

(2) यह धारा 4 के सिवाय जहां तक वह निम्नलिखित से संबंधित है, 26 जून, 2020 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा—

(i) प्राथमिक सहकारी बैंक, 29 जून, 2020 को प्रवृत्त हुए समझे जाएं;

(ii) राज्य सहकारी बैंक और केन्द्रीय सहकारी बैंक, उस तारीख को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे:

परंतु राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंकों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है।

धारा 3 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

2. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:— 1949 का 10

अधिनियम का कतिपय सहकारी सोसाइटियों को लागू न होना।

'3. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यह अधिनियम— 1981 का 61

(क) प्राथमिक कृषि उधार सोसाइटी को लागू नहीं होगी; या

(ख) सहकारी समिति को लागू नहीं होगी, जिसका मुख्य उद्देश्य और मूल कारबार कृषि विकास के लिए दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराना है,

यदि ऐसी सोसाइटी उसके नाम के भाग के रूप में या उसके कारबार के संबंध में "बैंक", "बैंककार" या "बैंककारी" शब्दों का प्रयोग नहीं करती है और चैक के लेखीवाल के रूप में कार्य नहीं करती है।'।

धारा 45 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 45 में,—

(i) पार्श्व शीर्ष में, "पुनर्गठन" शब्द के स्थान पर "पुनर्निर्माण" शब्द रखा जाएगा;

(ii) उपधारा (3) में, "किन्हीं अन्य लेनदारों" शब्दों के पश्चात् "या किसी ऋण या अग्रिम के प्रदान अथवा किसी प्रत्यय लिखत में विनिधान करने" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(iii) उपधारा (4) में, "अधिस्थगन की अवधि" शब्दों के पश्चात् "या किसी अन्य समय" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(iv) उपधारा (5) के खंड (ङ), (झ) और (ञ) में, "अधिस्थगन के आदेश की तारीख" शब्दों के स्थान पर "पुनर्निर्माण या समामेलन" शब्द रखे जाएंगे;

(v) उपधारा (6) के खंड (क) में, "समामेलन" शब्द के स्थान पर "पुनर्निर्माण या समामेलन" शब्द रखे जाएंगे;

(vi) उपधारा (15) में, "कोई समनुषंगी बैंक या" शब्दों का लोप किया जाएगा।

धारा 56 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 56 में,—

(क) आरंभिक भाग में, "तत्समय प्रवृत्त इस अधिनियम के उपबंध" शब्दों के स्थान पर "तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबंध" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खंड (क) में, उपखंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

'(iii) "संगम-ज्ञापन" या "संगम-अनुच्छेद" के प्रति निर्देश का उपविधियों के प्रति निर्देश के रूप में अर्थ लगाया जाएगा;

(iv) भाग 3 और भाग 3क के सिवाय कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के प्रति निर्देश का ऐसी विधि जिसके अधीन सहकारी बैंक रजिस्ट्रीकृत है के तत्स्थानी उपबंधों, यदि कोई हों, के प्रति निर्देश के रूप में अर्थ लगाया जाएगा; 1956 का 1

(v) "रजिस्ट्रार" या "कंपनी का रजिस्ट्रार" के प्रति निर्देश का ऐसी विधि, जिसके अधीन सहकारी बैंक रजिस्ट्रीकृत है, के अधीन, यथास्थिति, "केन्द्रीय रजिस्ट्रार" या "सहकारी सोसाइटियों का रजिस्ट्रार" के प्रति निर्देश के रूप में अर्थ लगाया जाएगा';

(ग) खंड (घ) का लोप किया जाएगा;

(घ) खंड (ङ) के उपखंड (i) और उपखंड (iii) का लोप किया जाएगा;

(ङ) खंड (च) में, इस प्रकार प्रतिस्थापित धारा 7 की उपधारा (2) में,—

(I) खंड (ख) में, ''अथवा सहकारी भूमि बंधक बैंकों'' शब्दों का लोप किया जाएगा;

(II) खंड (ग) के उपखंड (ii) में, ''या सहकारी भूमि बंधक बैंक'' शब्दों का लोप किया जाएगा;

(च) खंड (चi), खंड (चii) और खंड (छ) का लोप किया जाएगा;

(छ) खंड (झ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

(झ) धारा 12 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

सहकारी बैंकों द्वारा समादत्त शेयर पूंजी और प्रतिभूतियों का निर्गमन और विनियमन।

''12. (1) कोई सहकारी बैंक, रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से, ऐसे सहकारी बैंक के किसी सदस्य को या उसके प्रचालन क्षेत्र के भीतर निवास करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को, ऐसी शर्तों और उसके निर्गमन या अभिदान या अंतरण की ऐसी अधिकतम सीमा, परिसीमा या निर्बंधन के अधीन रहते हुए, जो रिजर्व बैंक द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए, पब्लिक इश्यू या प्राइवेट स्थापन द्वारा—

(i) अंकित मूल्य या प्रीमियम पर साधाण शेयर या अधिमानी शेयर या विशेष शेयर का निर्गमन कर सकेगा; और

(ii) कम से कम दस वर्ष की प्रारंभिक या मूल परिपक्वता के साथ अप्रतिभूत डिबेंचरों या बंधपत्रों या वैसी ही अन्य प्रतिभूतियों का निर्गमन कर सकेगा।

(2) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय,—

(i) कोई व्यक्ति, किसी सहकारी बैंक द्वारा उसे निर्गमित शेयरों के अभ्यर्पण के मुद्दे भुगतान की मांग करने का हकदार नहीं होगा; और

(ii) कोई सहकारी बैंक, अपनी शेयर पूंजी को, सिवाय उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो रिजर्व बैंक इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, वापस नहीं लेगा या उसे कम नहीं करेगा।'';

(ज) खंड (ठ), खंड (ढ) और खंड (त) का लोप किया जाएगा;

(झ) खंड (थ) के उपखंड (ii) और उपखंड (iv) का लोप किया जाएगा;

(ञ) खंड (द), खंड (दांक) और खंड (धक) का लोप किया जाएगा;

(ट) खंड (न) के उपखंड (i) का लोप किया जाएगा;

(ठ) खंड (प), खंड (फ), खंड (भ) खंड (म), खंड (य) और खंड (यक) का लोप किया जाएगा;

(ड) खंड (यकक) में,—

(क) इस प्रकार अंत:स्थापित धारा 36ककक में,—

(i) ''बहु-राज्य सहकारी बैंक'' शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, ''सहकारी बैंक'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (1) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु किसी राज्य की सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रीकृत किसी सहकारी बैंक की दशा में, रिजर्व बैंक, संबद्ध राज्य सरकार के परामर्श से, उसकी टिप्पणियों की, यदि कोई हो, ईप्सा करते हुए, ऐसी अवधि के भीतर, जैसा रिजर्व बैंक विनिर्दिष्ट करे, ऐसा आदेश जारी करेगा।'';

(iii) उपधारा (9) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(10) धारा 36कगक के उपबंध सहकारी बैंक को लागू नहीं होंगे।'';

(ख) इस प्रकार अंत:स्थापित धारा 36ककख का लोप किया जाएगा;

(ढ) खंड (यख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

''(यख) भाग 2ग का लोप किया जाएगा;'';

(ण) खंड (यग) के उपखंड (i) का लोप किया जाएगा;

(त) खंड (यघ) और खंड (यच) का लोप किया जाएगा; अर्थात्:—

(यछ) धारा 49ख में, ''केन्द्रीय सरकार'' के प्रति निर्देश का, उस विधि के अधीन, जिसके अधीन कोई सहकारी बैंक रजिस्ट्रीकृत है, यथास्थति, ''केन्द्रीय रजिस्ट्रार'' या ''सहकारी सोसाइटी का रजिस्ट्रार'' के प्रति निर्देश के रूप में अर्थ लगाया जाएगा;'';

(द) खंड (यज)का लोप किया जाएगा;

(ध) खंड (यञ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

'(यञ) धारा 53 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

कतिपय मामलों में सहकारी बैंकों को छूट देने की शक्ति।

''53क. इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, रिजर्व बैंक, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना आवश्यक है, समय-समय पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह घोषणा कर सकेगा कि इस अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (ख) की मद (iii) और उपधारा (2), धारा 10क की उपधारा (2) के खंड (क), धारा 10ख की उपधारा (1क) और धारा 35ख की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपबंध ऐसी शर्तों, परिसीमाओं या निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो वह अधिरोपित करना ठीक समझे, सहकारी बैंक या सहकारी बैंकों के वर्ग को या तो साधारणत: या ऐसी अवधि के लिए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, लागू नहीं होंगे।'';।

निरसन और व्यावृत्तियां।

5. (1) बैंककारी विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2020 इसके द्वारा निरसित किया जाता है। 2020 का अध्यादेश सं॰ 12

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अधीन की गई कोई बात या कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उक्त अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी। 1949 का 10

भारत का राजपत्र संख्यांक 2/2021 [17 अगस्त, 2021 को यथाविद्यमान] का शुद्धिपत्र:—

पृष्ठ	धारा	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़ें
102			2	102
102 सभी अधिनियमों के पृष्ठ सं०			171	165
			237	221
			245	227
			265	245
			357	337
			359	339
			361	341
			363	343
			365	345
			367	347
			374	349
			375	353
105		14	इस निमित	इस निमित्त
166	11		राजयक्षेत्र	राज्यक्षेत्र
167	6	6	की पहल	की पहली
168	11(2)	5	राजयक्षेत्र	राज्यक्षेत्र
170	19 परंतु	17	संकप	संकल्प
171	25(1)	15	के किया	से किया
229	4(2)	32	उसक अर्जन	उसके अर्जन
237	31(1)	28	जारी अधिसूचा	जारी अधिसूचना
239		28	1999(1994 का 41)	1999(1999 का 41)
353		1	माहामारी	महामारी

डॉ रीटा वशिष्ट,
सचिव, भारत सरकार।

UPLOADED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI–110002
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI–110054.

JAGANATHAN ANANTHA KUMAR Digitally signed by JAGANATHAN ANANTHA KUMAR Date: 2022.12.31 11:05:29 +05'30'

MGIPMRND—168GI—30.12.2022.